खण्ड-380, अंक-10
शुक्रवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1909
(3 जुलाई, 1987 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1987

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | 1–2 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | 3–66 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. | 67 |
| सिंचाई राज्य मन्त्री, श्री मोका शंकर मौर्य के विरुद्ध दो गयी निंदाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सूचना .. .. .. | 67–76 |
| टाउन एरिया गोला, गोरखपुर के सफाई कर्मचारियों को दस माह से वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 76 |
| मेरठ में दंगे के कारण पी0सी0एस0 परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 77 |
| प्रदेश के लगभग चार सौ अनुदायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची जारी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 77 |
| आगरा में जमुना नदी पर निर्मित 'जवाहर पुल' की दयनीय दशा एवं पुनर्निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 77–78 |
| ज्ञानपुर, वाराणसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 78 |
| मिर्जापुर के सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पम्प नहर नारायणपुर को स्वीकृत क्षमता के अनुसार कार्य न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 78–79 |
| डी0ए0वी0 कालेज बलरामपुर परीक्षा केन्द्र से बैठे हुए हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 79 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं .. .. .. | 79–88 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. .. | 89–98 |
| वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) तथा अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) .. | 98–149 |
| उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डयूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) .. .. .. | 149–154 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. .. | 154 |
| कस्बा जहांनाबाद, जिला फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य .. .. .. .. | 155–163 |
| नत्थियां .. .. .. .. | 164–171 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 1987

---

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

| | | | |
|---|---|---|---|
| अकबर अहमद (डम्पी) | नैनीताल | नरेश पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| अकबर हुसैन बाबर, श्री | फैजाबाद | निर्भय पाल शर्मा, श्री | सहारनपुर |
| अचल सिंह, श्री | फतेहपुर | परमाई लाल, श्री | हरदोई |
| अजीत सिंह सेठी, श्री | मेरठ | पारसनाथ यादव, श्री | जौनपुर |
| अतर सिंह यादव, श्री | एटा | फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| अमीर आलम खां, श्री | मुजफ्फरनगर | फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) | गोण्डा |
| अशोक बाजपेयी, श्री | हरदोई | बलवीर सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री | इलाहाबाद | बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| ओमवती, श्रीमती | बिजनौर | बल्देव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी |
| कमल किशन पाण्डेय, श्री | पिथौरागढ़ | बसन्त सिंह गहलौत, श्री | बिजनौर |
| कमलेश कुमार पाठक, श्री | इटावा | बाबू राम यादव, श्री | मैनपुरी |
| कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 | आगरा | बाबू सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| कौशिक रमाशंकर, श्री | मुरादाबाद | बालेश्वर, श्री | देवरिया |
| गंगा स्वरूप भटनागर, श्री | सीतापुर | बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री | सीतापुर |
| गया प्रसाद वर्मा, श्री | इटावा | बेनी प्रसाद वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| गोपीनाथ दीक्षित, श्री | उन्नाव | बेनी बाई, श्रीमती | झांसी |
| गौरी शकर भइया, श्री | बलिया | भगौती सिंह, श्री | लखनऊ |
| जगमोहन सिंह यादव, श्री | मैनपुरी | भोला सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| जफर अली नकवी, श्री | लखनऊ | महाराज सिंह, चौधरी | इटावा |
| जमुना प्रसाद बोस, श्री | बांदा | महावीर सिंह, श्री | सहारनपुर |
| जय नारायण शर्मा, श्री | मेरठ | महावीर सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जवाहर सिंह यादव, श्री | इलाहाबाद | महेन्द्र भाटी, श्री | गाजियाबाद |
| जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री | कानपुर | मित्रसेन, श्री | फैजाबाद |
| दिनेश जौहरी, डा0 | बरेली | मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ | मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| दूधनाथ, श्री | जौनपुर | मुहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री | ललितपुर | मैनेजर सिंह, श्री | बलिया |

मोहम्मद अबरार अहमद, इजीनियर, श्री बदायूं
मोहम्मद असलम खां, श्री सहारनपुर
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) मुरादाबाद
रमाकान्त, श्री आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री बाराबंकी
राम जनम, श्री आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम सजीवन, श्री बांदा
राम शरण दास, श्री सहारनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह एडवोकेट, श्री मैनपुरी
राम सिंह, श्री हमीरपुर
रेवती रमण सिंह, कुंवर इलाहाबाद
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी गाजीपुर
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
वष्णुदेव, श्री आजमगढ़
वीर बहादुर सिंह, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री आगरा
शतरुद्र प्रकाश, श्री वाराणसी
शारदानन्द अंचल, श्री बलिया
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री टेहरी गढ़वाल
श्री प्रकाश, श्री आजमगढ़
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री गाजियाबाद
सन्तन बडथ्वाल, श्री चमोली
सरदार सिंह, श्री मथुरा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
सुग्रीव सिंह, श्री देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सैयद सईदुल हसन, श्री बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री मेरठ
हर्ष वर्धन, श्री गोरखपुर
हीरा सिंह विष्ट, श्री देहरादून
हृदय नरायन दीक्षित, श्री उन्नाव

---

## प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 1987

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### इलाहाबाद हाईकोर्ट की अन्य खण्ड पीठ स्थापित करने हेतु आयोग की रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार का अभिमत

**1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अन्य खण्ड पीठ स्थापित किये जाने के संबंध में नियुक्त जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना हेतु कोई आख्या भारत सरकार द्वारा उनसे मांगी गयी है? यदि हां, तो वह क्या आख्या मांगी गयी है और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

प्रश्नगत आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का अभिमत मांगा गया था। भारत सरकार को राज्य सरकार के मत से अवगत करा दिया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे मूल प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया है। यदि आप हमारा प्रश्न देखे तो इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उ0 प्र0 खण्डपीठ की स्थापना हेतु कोई आख्या भारत सरकार द्वारा उनसे मांगी गयी है और यदि मांगी गयी है तो वह आख्या क्या है और उस पर उ0 प्र0 सरकार ने क्या कार्यवाही की? मान्यवर, आप देख रहे हैं कि इस उत्तर में उस आख्या के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जो आख्या मांगी है, वह आख्या क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ कमेन्ट्स मांगे थे, उनको हमने भेजा है। अब माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वे हैं क्या ? इसमें आप एक बात देखे कि जसवन्त सिंह आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद चार प्रदेश हैं, जहां हाईकोर्ट की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और यहां के मुख्य मंत्रियों से भारत सरकार ने आख्या मांगी है और वह आख्या भेज दी गई है लेकिन उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए अभी उसको बताया जाना उचित नहीं है। इस पर पूरी तरह से अधिकार भारत सरकार का है और जब भारत सरकार उस पर विचार करके उसको स्वीकार करेगी तब उसे सदन में बताना संभव हो सकेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आज तक कभी यह नहीं रहा है कि सरकार किसी उत्तर को बताने से मना करे सिवाय ऐसे उत्तरों को जो जनहित में न हो। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट थी उसके कौन-कौन से मुख्य बिन्दुओं पर भारत सरकार ने प्रदेश सरकार से आख्या मांगी थी और क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड-पीठ की स्थापना और क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के बारे में सहमत है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, भारत सरकार ने पूरी रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कोई बिन्दु आइडेन्टीफाई नहीं किये थे तथा प्रदेश सरकार से आख्या मांगी थी। मान्यवर, स्पष्ट है कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित खण्ड होगा, उसी के ऊपर उन्होंने कमेन्ट्स मांगे होंगे, वह उनको भेज दिये गये हैं और जसवन्त सिंह आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उससे सहमति या असहमति सबके सामने कमिट नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना और उनकी इच्छाओं और माननीय सदन के माननीय सदस्यों की भावना और इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आख्या भेजी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि पिछले सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री हुकुम सिंह जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को इस मत से अवगत करा दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खण्ड-पीठ को स्थापित कर दिया जाय और उसको करने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, इससे संबंधित एक सम्मेलन में भारत सरकार के विधि मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना से भारत सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है और जो मान्यवर, यह जाहिर सी बात है कि भारत सरकार जब निदेश देगी उत्तर प्रदेश सरकार को तो इसे अवश्य मानना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि देरी यहीं से है भारत सरकार की तरफ से नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने माननीय सदस्य की किन-किन भावनाओं को आख्या के रूप में भारत सरकार को अवगत कराया है। उसे कृपया बताने का कष्ट करें और जो प्रश्न मैंने ऊपर पूछा है, उसको भी कृपया बता दें?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के मा0 मंत्री जी ने यह-यह कहा, मैं इन बातों से अवगत नहीं हूं वरना मैं माननीय सदस्य को सहमति या असहमति प्रकट करता परन्तु यह संभव नहीं है और मान्यवर, केवल उत्तर प्रदेश से ही यह आख्या नहीं जानी थी बल्कि 4 अन्य प्रदेशों से भी आनी थी, वहां से आयी या नहीं परन्तु यहां से यह आख्या भेज दी गयी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यही तो जानना चाहते हैं कि वह क्या भेजी है?

श्री राम आसरे वर्मा–

जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट किन-किन बिन्दुओं पर भारत सरकार को आख्या भेजी है?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है।

श्री राम आसरे शर्मा–

नहीं, मान्यवर, एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हमने बिन्दु निर्धारित नहीं किये हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो आख्या यहां भेजी गयी है, तो वह आख्या किन आधार पर और कौन-कौन से बिन्दुओं पर भेजी गयी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, घूम-फेरकर एक ही बात पूछी जा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी यही कहा कि इस पर पूर्णतया निर्णय भारत सरकार को लेने है, वह जसवंत सिंह रिपोर्ट को स्वीकार करे या न करे, वह उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति को माने या न माने, यह पूर्णतया भारत सरकार पर निर्भर है, लेकिन मैंने एक बात जो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कही कि मा0 सदस्यों की जो भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं को मद्दे-नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी आख्या भेजी है। (शोर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यही जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की भावनाएं क्या हैं, जिसके अनुरूप यह रिपोर्ट भेजी गयी है, इसको कृपा करके आप बता दें?

श्री सईदुज्जमा–

माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किन-किन स्थानों की संस्तुति की है, उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना के लिए?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बात को छुपाते हुए कहा कि मैंने रिपोर्ट भेज दी है और मान्यवर, यह मेरी सूचना है कि भारत सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं गयी है और यदि मान्यवर, माननीय मंत्री जी की बात सच है तो माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि उन्होंने किस तारीख को यह आख्या भारत सरकार को भेजी है और आख्या में जसवंत सिंह आयोग ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित होनी चाहिए और जब आगरा के लिए इस आयोग ने कह दिया तो क्या आपने अपनी रिपोर्ट में आगरा का नाम लिया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जसवंत सिंह आयोग ने यह स्थान निश्चित किया है, यह बात सही है। उन्होंने दूसरी बात तारीख की पूछी है, तो 26 जून, 1987 को आख्या भेजी गयी है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इस हाईकोर्ट के मामले को लेकर पिछले साल मान्यवर, इलाहाबाद में वहां के वकीलों के द्वारा बहुत बड़ा आन्दोलन, अनशन और धरना किया गया था। उसके बाद विधान सभा में भी बात उठायी गयी।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये वरना इलाहाबाद आगरा की बहस हो जायगी।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पटल पर रखी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यहां पटल पर रिपोर्ट रख दी गयी तो कोई बात छिपाने की क्या आवश्यकता है। जो जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट है, वह क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के लिए क्या कर रही है, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मा0 सदस्य ने पूछा है कि रिपोर्ट पटल पर रख दी गयी, तो यह रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन पर रखी गयी है, यहां के सदन पर नहीं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनरोष बढ़ रहा है खण्ड पीठ की स्थापना के लिए, उस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए प्रेशराइज करेगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने माननीय सदस्य की भावना के संबंध में ही कहा कि 26 तारीख को उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने इधर-उधर की बातें कहीं हैं, साफ बात नहीं कह रहे हैं। वह साफ तरीके से बता दें कि इस सिलसिले में जो जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट है, बहरहाल आप बेंच बनाने पर सहमत हैं या नहीं और अगर बेंच बनाना चाहते हैं तो कौन सी जगह बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने शायद उत्तर सुना नहीं। मैंने राणाजी के प्रश्न के उत्तर में जगह बता दी है।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि हाईकोर्ट की बेंच कम से कम गोरखपुर में लगाने के लिये क्या मंत्री जी अपनी संस्तुति देंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह प्रश्न भारत सरकार का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार का यह उत्तर प्रदेश में तरीका बन गया है कि समस्याओं को उलझाकर, उन पर कोई फैसला न लेकर अकारण तनाव पैदा करके अशांति पैदा करती है। मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार ही आख्या भेजी गयी है, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यहां जब-जब खण्ड पीठ का मामला उठा, उस समय सदन में अलग-अलग प्रकार के विचार

पाए, इलाहाबाद, बरेली, आगरा अनेकों प्रकार के विचार आए । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया कि मा0 सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर आख्या दी है, तो सदन ने कोई निर्णय तो किया नहीं था, तो सदन के सदस्यों की किन भावनाओं को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार को आख्या प्रेषित की गयी है?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने मिली-जुली भावना व्यक्त कर दी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मा0 सदस्य ने जानना चाहा कि सदन इसमें डिवाइड है, तो यह जानकारी मुझे नहीं है कि सदन के सदस्यों की अलग-अलग भावनाएं हैं। जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट से लोगों को सहानुभूति है, मैं तो यह समझता हूं।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, प्रश्नों के संदर्भ में माननीय मंत्री जी का जैसा उत्तर आया, उस हिसाब से करोड़ों लोगों की भावना को देखते हुए, सदन की भावना को देखते हुए, खण्डपीठ बनाने की आख्या माननीय मंत्री जी ने पक्ष में दी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां के लोगों ने, वकीलों ने बराबर इसे खुलवाने का प्रयास किया, मेरा इशारा मेरठ की ओर है, वहां की ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल पृष्ठभूमि को देखते हुए, मेरठ के पक्ष में, सरकार अपनी राय देने का कष्ट करेगी?

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं है। आप बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोपनीयता की आड़ लेते हुए और आपका संरक्षण प्राप्त करते हुए, प्रश्नों का लगातार गोल-मटोल जवाब देते हुए अब धीरे-धीरे लाईन पर आ रहे हैं। कहा गया कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के साथ यहां सदन की भावना है। मान्यवर, पिछले सत्र में स्वयं उन्होंने और आपने देखा होगा कि तमाम हम लोग ऐसे भी थे कि जो जसवन्त सिंह आयोग का मूल उद्देश्य है उनकी भावना से सहमत नहीं थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने माननीय राणा जी और माननीय रघुबर दयाल वर्मा के प्रश्नों के उत्तरों में इतना ही यहां कह दिया कि जो भावना आपकी थी, उसके अनुसार ही किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आख्या भेजी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा। माननीय राणा जी ने यह पूछा था कि क्या जस्वन्त सिंह आयोग की स्थान की बाबत कोई सूचना है, मैंने इतना ही उत्तर दिया "जी हां" ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में एक बार प्रश्न कर चुके हैं, वे कृपया दूसरों को मौका दें, फिर दुबारा प्रश्न पूछने के लिए खड़े न हों।

श्री नरेश चन्द्र–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जसवन्त सिंह आयोग ने जो आख्या मांगी है, हाई-कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ की दो खण्डपीठ बेंचें हैं, क्या कुछ परिवर्तन की भी आख्या उसमें शामिल है? रि-एलोकेशन आफ दि डिस्ट्रक्ट इन दि स्टेट की बाबत।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जसवंत सिंह आयोग ने यह नहीं पूछा है। जसवन्त सिंह आयोग ने खुद ही डिस्ट्रक्ट्स को आइडेंटीफाइड किया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खण्डपीठ की स्थापना के लिए आगरा की बात है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो आख्या मांगी है उस आधार पर यह मांगी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार आगरा के बारे में अपना क्या मत व्यक्त करती है? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आख्या भेजी गयी है, उसमें आगरा को स्वीकार कर लिया गया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, पिछले प्रश्नों पर मैंने बड़ा ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। उसमें बड़ा स्पष्ट आ चुका है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी खुलासा नहीं कर रहे हैं।

श्री काजी मोहिउद्दीन–

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करते हैं, रक्षक हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि "सबके सामने" इसको बताना उचित नहीं है। सबमें का जहां तक अर्थ है उसमें इस पक्ष और उस पक्ष के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उधर के कुछ लोग मंत्री हो गये हैं, कुछ नहीं हो पाये हैं। क्या यह सदन "सबमें" शामिल हो जायेगा। माननीय मंत्री जी सदन और पब्लिक में कोई फर्क नहीं समझते ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न करें।

श्री काजी मोहिउद्दीन–

"सबके सामने" शब्द जनता के लिए प्रयोग किया है या सदन के लिए प्रयोग किया है माननीय मंत्री जी ने, यह बता दें?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, सदन के लिए प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक सवाल पूछ लेने दें, महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें। मैंने 20 मिनट दे दिये। अब दूसरा प्रश्न ले लिया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2" पुकारे जाने पर)

(श्री विजय सिंह राणा, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री गोपाल दास यादव के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न पर 20 मिनट दे चुका हूं, तो और कितना समय दूं? आप लोग बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 का लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया बैठें। आप चाहें तो नियम 49 में सूचना दे सकते हैं, मैं देख लूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं विरोध स्वरूप सदन का बहिष्कार करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव सदन त्याग कर चले गये)

**अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति को रोजगार हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की योजना**

**2–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्बल वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति) के अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु रोजगार दिलाए जाने हेतु हरिजन वित्त विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार हेतु ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिलाया गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि अभी तक इन लोगों को छूट का अंश प्राप्त नहीं हो सका और कारोबार भी चौपट हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस ऋण को माफ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी हां।

जी नहीं।

ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत ऋण व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिया गया है। अतः शासन द्वारा उक्त ऋण को माफ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्बल वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति) के अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु रोजगार दिलाए जाने हेतु हरिजन वित्त विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार हेतु ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिलाया गया है ? इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि–"जी हां", जब हरिजन वित्त विकास निगम से ऋण दिलाया गया है, तो

जानना चाहता हूं माननीया मंत्री जी से कि आपने स्वीकार किया कि यह ऋण जो दिया गया निर्बल वर्ग के लोगों को हरिजन वित्त विकास निगम से दिया गया । दूसरे भाग में भी दिया है कि कुछ लोगों को छूट मिली कुछ को नहीं मिली । मैं जानना चाहता हूं कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके और अदा करने की हैसियत में नहीं हैं, उनके जो वारिस बचे हैं, उन पर उस कर्जे को माफ करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह बात सही है कि वित्त विकास निगम की निर्धारित योजना के अनुसार जो हमारे अनुसूचित जाति के, हमारे निर्बल वर्ग के लोग हैं, परिवार हैं, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए ऋण एवं अंशदान दिया जाता है, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उसी के अनुसार अगर इसकी कार्यवाही की जाय तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता रहा है और ऐसा हो रहा है । ये जो केसेज हैं, जिनके विषय में माननीय विधायक जी ने ध्यान आकर्षित किया है, तो ये वह केसेज हैं जिन्होंने वित्त विकास निगम से, जैसी कि जिलों से सूचना मालूम हुई है कि उन्होंने वित्त विकास निगम के माध्यम से नहीं या उनके निर्धारित प्रोफार्मा के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उन्होंने बैंकों से ऋण ले लिया है । तो जो व्यक्ति सीधे बैंक से ऋण लेता है और वित्त विकास के माध्यम से नहीं लेता है तो बैंकों का और उस व्यक्ति का आपस का संबंध हो जाता है । वित्त विकास के माध्यम से सबसीडी या अनुदान तभी दिया जाता है जबकि वित्त विकास के माध्यम से प्रार्थना-पत्र दिया जाय और निर्धारित मानक के अनुसार उसका प्रार्थना-पत्र हो तो उस पर स्वीकृति मिलती है और स्वीकृति मिलने के बाद पहले उसे सबसीडी दी जाती है और जब वह सबसीडी ले लेता है तब उसके बाद उसे ऋण दिया जाता है । इन केसेज में सबसीडी और अनुदान का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि वह सभी व्यक्तियों ने ऋण डाइरेक्ट बैंक से लिया है । बैंक के ऋण को माफ करने का अधिकार वित्त विकास निगम को नहीं है, यही मैं निवेदन करना चाह रही थी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने काफी देर इसकी व्याख्या करके जो बताया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनसे यदि सख्ती से ऋण वापस कराया जायेगा तो जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे वैसे ही रहते हैं, वह और परेशानी की स्थिति में हो जायेंगे । क्या मंत्री जी सरकारी खजाने से उसका भुगतान करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, शासन की नीति है और इस संबंध में कई योजनाएं भी हैं जैसे आई0 आर0 डी0 योजना तथा वित्त विकास निगम की योजना है, हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, उनके परिवार को सहारा देना चाहते हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य तथा नेता सदन और मा0 नेता विरोधी दल एक मत हैं और जो आप लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, आपके मन में दया है, ममता है उसकी वैल्यू मैं समझती हूं और आपकी

भावनाओं का आदर करती हूं । आप स्वयं ही माता हैं । अगर आप इंगित करेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति, किस जिले के हैं तो हम उनकी व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए उनकी व्यक्तिगत रूप से जो भी नियमानुसार सहायता होगी, उसको करने पर हम विचार करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

प्रश्न में जैसे कर्ज की बात है यह 1980-85 के बीच का है । इसमें कहा गया है कि हरिजन वित्त विकास निगम द्वारा ऋण दिया गया । मेरी अधिकृत जानकारी है कि बहुत से लोगों को यह ऋण मिला लेकिन उसमें जो छूट घोषित की गई थी, वह बैंकों के द्वारा उनको नहीं मिली । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन ने जो छूट भेजी तो बैंकों के द्वारा वह छूट गरीबों को क्यों नहीं प्राप्त हुई ? क्या इन सारे मामलों की मंत्री जी जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, छूट देने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि इन लोगों ने बैंक से सीधे ऋण लिया है । निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार वित्त विकास निगम द्वारा इन लोगों के प्रार्थना-पत्र प्रेषित नहीं किए गए हैं । छूट देने का प्रश्न तो तब उठता, जब इन्होंने निर्धारित प्रपत्र पर उचित माध्यम द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया होता । पहले अनुदान जमा होता है, तब ऋण स्वीकृत किया जाता है । जैसे 6 हजार ऋण स्वीकृत होना है तो 3 हजार रुपए का अनुदान पहले उस व्यक्ति के नाम उस बैंक में जमा होगा, तब उसे ऋण स्वीकृत होगा । चूंकि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसलिए कठिनाई हो रही है । दूसरा प्रश्न यह है कि इस मामले की जांच कराई जायेगी कि नहीं ? मैं अवश्य इसकी जांच कराऊंगी और नियमान्तर्गत अधिक से अधिक मदद जो मिल सकती है, वह देने की कोशिश की जायेगी ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय सदस्य ने कर्जा माफ करने का सवाल उठाया । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में लोगों ने बैंक में सब्सिडी हेतु प्रार्थना-पत्र दिए और बैंक ने उन्हें ऋण स्वीकृत कर दिया लेकिन आज तक सब्सिडी वहां पहुंची नहीं है और उन लोगों के ऊपर ब्याज चढ़ता जा रहा है । क्या माननीय मंत्री जी 50 परसेंट, जैसा कि शासन की नीति है, अनुदान वहां पहुंचाने हेतु निर्देश जारी करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, पहले जब अनुदान जमा होता है, तभी ऋण स्वीकृत होता है । पहले ऋण स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मामला हरिजनों का है और माननीय मंत्री जी श्रेष्ठकुल की ब्राह्मण हैं । मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सब्सिडी कौन जमा करता है। क्या माननीया मंत्री जी जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं और यह पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है, क्या उनके नाम पर यह पैसा तुरन्त जमा कर देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, सब्सिडरी देने की यह प्रक्रिया है कि जब लाभार्थी की एप्लीकेशन निर्धारित प्रपत्र पर उचित माध्यम द्वारा प्रेषित होती है तब शासन 50 परसेंट अनुदान जमा करता है और जब यह जमा होता है तभी ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें, जो प्रश्न मैंने किया है, उसका उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो बहस हो जायेगी, अब हो गया ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या आप सन्तुष्ट हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है । मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । क्या आप सन्तुष्ट हैं, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई पाबन्दी तो लगा नहीं सकता हूं, जो उत्तर दिया वह आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, हरिजन वित्त विकास निगम द्वारा दिए गए ऋणों पर जो 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने की बात कही जा रही है और ऋण देने के पूर्व ही बैंकों में जमा करने की बात कही गयी है, और बाद में वह सब्सिडी एडजस्ट हो जाती है, तो इस सारी कठिनाई को देखते हुए सरकार के पास कोई योजना है कि बिना फार्म भरे हुए ही आटोमेटिक यह एडजस्ट हो जाया करे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह आटोमेटिक ही होता है । पहले स्कीम स्वीकृत होती है और तब वह सब्सिडी जमा होती है उसके खाते में और वह एफ0 डी0 आर0 बन जाता है । सब्सिडी आटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाती है । पहली शर्त यह है कि वह स्कीम स्वीकृत तो होनी चाहिए । अगर कर्जा दिया जाता है और उसकी सूचना भी न मिले तो यह ठीक नहीं है । आप ही न्याय करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप देखें, कि दो प्रश्नों में ही सारा समय निकल गया । यह कैसे चलेगा ?। अब आप बैठिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीया मंत्री जी को उनके विभाग के लोगों ने गलत राय दे दी है । जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है, दूसरा उत्तर दे रही हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है और वह मर गए हैं और उनकी सब्सिडी

नहीं मिली है । तो उनके जो वारिश हैं, उनका कर्जा माफ करेगी और जो सब्सिडी बैंक में जमा नहीं हुई है, उसको जमा करायेंगे । 1980 से 1985 तक उनको छूट नहीं मिली है, तो क्या वह छूट उनको दी जायेगी और इसको देने में जो अब तक डिले हुई है, उसकी क्या सी0 आई0 डी द्वारा जांच करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने इन्हीं सब चीजों का उत्तर दिया है और माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि जो प्रार्थना पत्र हरिजन वित्त विकास निगम के पास आयेंगे और जब उनकी स्वीकृति मिल जायेगी तो उनको सब्सिडी देने का दायित्व शासन का है । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो ऐसे केसेज हैं जिनमें हमने स्वीकृति दे दी है और उनको सब्सिडी नहीं दी है उनको अगर आप हमारे संज्ञान में लायें तो हम अवश्य उनके संबंध में न्याय करेंगे, कार्यवाही करेंगे । जो आपने जांच की बात कही है उसके संबंध में हम उच्च अधिकारी से सर्वे कराना और जांच कराना उचित समझते हैं ।

**[शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]**

*1–श्री कौशिक रमाशंकर,
श्री गोपाल दास यादव,
श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय,
श्री रिछपाल सिंह बंसल,
श्री राम जनम तथा
श्री शारदा प्रताप
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**शासन द्वारा राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना**

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि एल0 टी0 मैन्स द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण करते समय उन राजस्व ग्रामों जिनकी आबादी एक से अधिक स्थानों पर बसी हुई है, में एक ही ट्रान्सफारमर लगाने एवं एक ही मजरे के विद्युतीकरण का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जानते हैं कि उक्त प्राविधान के फलस्वरूप विद्युतीकृत होने की परिभाषा में आने के बावजूद भी ऐसे ग्रामों की अधिकांश आबादी विद्युतीकरण के लाभ से वंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे ग्रामों की कम से कम 80 प्रतिशत आबादी को एल0 टी0 मैन्स से विद्युतीकरण की सुविधा देने हेतु आवश्यक संख्या में ट्रान्सफारमर व डाम्बे इत्यादि लगाने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

जी नहीं। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। जहां तक एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों में कुछ आबादी का विद्युतीकरण के लाभ से वंचित रह जाने का प्रश्न है, ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में एल0 टी0 लाइन बिछा दिए जाने पर उक्त ग्राम को एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत मान लिया जाता है, तथा छूटी हुई आबादी में एल0 टी0 लाइन का विस्तार विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार किया जाता है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों तथा आर्थिक दृष्टि से अभी यह संभव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी के उत्तर की ओर मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न सभी ग्रामों के सम्बन्ध में नहीं था बल्कि केवल उन ग्रामों के सम्बन्ध में था जिनकी आबादी एक से अधिक जगहों पर बसी हुई है क्योंकि वह रेवेन्यू विलेज हैं । उनमें होता यह है कि वहां एक ही ट्रांसफारमर मिलता है और उनका विद्युतीकरण हो जाता है लेकिन इस व्यवस्था से जो दूसरे ग्राम हैं वे अछूते रह जाते हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रश्न का मूल भाव नहीं समझ पाये । मैं केवल उन ग्रामों के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि जो एक रेवेन्यू विलेज होने के नाते जो एक से अधिक जगहों पर बसे हुये हैं, उसमें खम्भों की संख्या जितनी भी आप देना चाहें, दोनों ग्रामों का विद्युतीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जहां तक रेवेन्यू विलेजेज का प्रश्न है लगभग 74 हजार ऐसे गांव हैं जहां हमने विद्युतीकरण किया है । 1,12,568 ग्रामों की संख्या को लेकर 72 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया है । जहां तक राजस्व गांवों में बिजली के पोल आदि पहुंचाने की बात है अगर एक गांव में पोल पहुंचते हैं तो दूसरे गांवों से भी प्रार्थना-पत्र आते हैं और हमारी योजनाओं के अन्तर्गत अगर वह फिजीबुल होता है तो उस गांव में भी बिजली पहुंचा देते हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी और मैं समझता था कि केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही यह समस्या है लेकिन बरार जी के प्रश्न से मुझे ज्ञात हुआ कि सभी जगह यह स्थिति है । जिन गांवों की आबादी एक से अधिक जगहों पर बसी है, वहां पर बिजली की समस्या है । वहां पर रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत कई तोक होते हैं । कहीं पर तो 12-12 तोकें होते हैं और जो रेवेन्यू विलेज होता है उससे तोक की दूरी बहुत ज्यादा होती है । वहां पर कोई प्राइवेट कनेक्शन नहीं ले सकता है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो तोक छूट जाते हैं उनके लिये अलग से विद्युतीकरण की व्यवस्था हो जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है उसके अन्तर्गत हम हर विकास खण्ड को लेने का प्रयास कर रहे हैं । जितनी हमारी गांवों की संख्या है जिनको पुरवा कहते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है ऐसे 1 लाख 12 हजार गांवों में हमें बिजली पहुंचानी है । उसके अन्तर्गत हमने अब तक 72 हजार गांवों को बिजली पहुंचाई है । हम अभी अपने लक्ष्य से काफी दूर है और इसमें अभी 5/7 वर्ष और लगेंगे । फिर यह विचार किया जा सकता है कि जो पुरवे और तोकें हैं, उनका भी विद्युतीकरण किया जाय ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी रेवेन्यू विलेज में जब बिजली पहुंचाई जाती है तो उस रेवेन्यू विलेज के दूसरे टोले

तक बिजली नहीं पहुंच पाती है तो कितनी दूरी तक फ्री कनेक्शन डिपार्टमेन्ट देता है या कितने खम्भे फ्री आप देते हैं और फिर बाकी में आप प्राइवेट कनेक्शन के रूप में चार्ज करते हैं ?

दूसरा यह कि बिजली जल जाना ही क्या विद्युतीकरण में आ जाता है क्योंकि हो यह रहा है कि जहां पर सन् 74 में एक बार बिजली जल गयी उसके बाद 13 साल तक वहां बिजली नहीं जली तो क्या वह विद्युतीकृत ग्राम घोषित है ? क्योंकि आज स्थिति यह है कि खम्भे और तार एक बार लगने के बाद उसका आज कनेक्शन नहीं है वहां बिजली नहीं जलती है । तो क्या जहां एक बार बिजली की लाइन चली गयी चाहे अब वहां बिजली जले या न जले वह विद्युतीकृत ग्राम माना जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य का पहला प्रश्न है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों के लिये जरूर प्राविधान है कि जब ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनती है तो उसमें अगर दो सौ मीटर या कुछ दूरी पर हरिजन बस्ती है और जहां पर 30 परिवारों से अधिक वह रहते हैं तो उसका विद्युतीकरण हम करते हैं । लेकिन जहां तक टोलों की बात है उसमें हमारा लक्ष्य इस समय 1 लाख 12 हजार 568 गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य है जब तक उनका विद्युतीकरण हम नहीं कर लेंगे दूसरे कार्य को कैसे हाथ में ले सकते हैं । वहां पर भी एक सामान्य योजना है कि अगर वहां के लोग अपने आप आगे आते हैं कि हमें इस गांव में बिजली चाहिये तो उनकी स्कीम का हम पूरा अध्ययन करते हैं और अगर हमारी योजना आर्थिक दृष्टि से फिजीबल होती है तो उसमें हमने सहायता की है विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने किया है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि जहां 13 वर्ष पहले बत्ती जल गयी थी, तो उसे विद्युतीकृत मान लिया गया तो वह आपने माना है कि 13 साल पहले हमने विद्युतीकरण किया है । तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई गांव ऐसे है जहां खम्भे हैं लेकिन तार टूट गये हैं या चोरी चले गये हैं तो आप हमें बता दें, वहां पुनः चालू कर देंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने अपने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था शायद मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। मेरा अनुरोध यह था कि किसी भी गांव के लिये जब विद्युतीकरण के लिये एल0टी0 मेन से लाइन बिछाते हैं तो उसमें क्या मानक रहता है कि कितने खम्भे आप देंगे उसमें जो भी संख्या आप दें उसमें मेरा निवेदन है कि एल0टी0 लाइन से जितने खम्भे किसी गांव के लिये आप एलाट करते हैं उसी में से अगर आबादी गांव की तीन जगह बसी है तो सभी को थोड़े-थोड़े खम्भे दे दें न कि एक गांव में पूरे खम्भे गली गलियारों में भी खम्भे लगा दें और दूसरे को उससे वंचित कर दें जब वे उसी रेवेन्यू विलेज में आते हैं । आपने कहा कि अगर वह प्रार्थना-पत्र देंगे तो विचार करेंगे । लेकिन उसमें खम्भों की संख्या इतनी होती है कि उस पर खर्च ज्यादा आता है । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में आबादी एक से अधिक जगहों पर रहती है थोड़ा-थोड़ा करके उन सभी गांवों तक खम्भे लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है इस पर विचार कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे सीमित संसाधन है उसके द्वारा जितना हम विद्युतीकरण कर सकते हैं करते हैं, उसी साधन से जितने खम्भे लगा सकते हैं, लगाते हैं । माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है इस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फाजिलनगर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली नहीं लगी है । जिन गांवों में बिजली नहीं लगी है क्या माननीय मंत्री जी लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सीमित संसाधनों को देखते हुये मजरों, टोलों मुहल्लों का विद्युतीकरण नहीं कर सकते, एक ही गांव को करना है । मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि अगर कोई राजस्व गांव 8-10 या 5-6 मजरों का है तो उनमें से किस मजरे को विद्युतीकरण योजना में लिया जायेगा ? दूसरा यह है कि क्या मा0 मंत्री जी ने यह निश्चित किया है कि कितनी आबादी के गांव में कितने विद्युत खम्भे लगाये जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

पहले प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देना चाहूंगा कि विद्युत सलाहकार समिति हर जिले में होती है । वही निर्धारित करती है कि किन गांवों का चयन किया जायेगा । इसी आधार पर गांव की विद्युतीकरण की योजना तय की जाती है । दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आबादी के अनुसार नहीं, धनराशि गांव के लिये आवंटित की जाती है। उसी के अनुसार खम्भे आवंटित करते हैं। ब्लाक की योजना बनती है। 50 लाख, 56 लाख की योजना ब्लाक के लिये बनी । गांव की जो धनराशि आती है उसी हिसाब से खम्भे आवंटित कर दिये जाते है।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात होती है। गांव में एक भी खम्भा नहीं लगा, बिजली नहीं जलती, विद्युत लाइन पहुंच जाती है । गांव को विद्युतीकरण के अन्तर्गत मान लिया जाता है । ट्रान्सफार्मर लगा हो या न लगा हो केवल लाइन पास हो जाती है तो विद्युतीकरण गांव मान लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि खम्भा न लगे, ट्रान्सफार्मर न लगे, बिजली न जले तो विद्युतीकृत मानने की क्या जरूरत है। क्या माननीय मंत्री जी इस नीति में संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि एक योजना है जिसका नाम है केन्द्रीय विद्युत परियोजना। इसके तहत गांव के पास से यदि बिजली चली जाती है और उस गांव का एक भी उपभोक्ता यदि ट्यूबवेल कनेक्शन लेता है तो वह विद्युतीकृत गांव मान लिया जाता है। जो नई योजना है, उसके तहत हमारा प्रयास है जितने गांवों

है उनमें लाइन पहुंचायें। जैसा मैंने कहा 7200 गांवों का विद्युतीकरण किया। केन्द्रीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत 40 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ।

(व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी, आप तो बुजुर्ग सदस्य हैं । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जिस हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण के लिये हुकुम देते हैं तो वहां खम्भे सरकार पहुंचा देती है या हरिजन बस्ती वालों को वह खम्भे ले जाने का हुकुम देते हैं। हमारे यहां बहुत केसेज हैं जहां खम्भे नहीं पहुंचे। कहते हैं आप ले जांय । हरिजनों को तो आप जानते ही हैं। खम्भे न ले जा पाने के कारण गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया। अगर आप चाहें तो गांव का नाम बता दूं।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, माननीया सदस्य ने जो बात रखी है, उसको दिखवा लूंगा।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एक आदर्श हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर विद्युत सलाहकार समिति बनाई जाएगी किन्तु वह समितियां अब तक नहीं बनाई गई हैं, तो कब तक वह बनवा दी जाएंगी ? दूसरी बात यह है कि आर0 ई0 सी0 द्वारा विद्युतीकरण का काम हो रहा है, उसमें 15 परसेंट रिटर्न बेसेस पर होती हैं, इसके लिए दो ट्यूबवेल और 30 कनेक्शनों की जरूरत होती है, जहां एल0टी0 लाइने नहीं है, वहां एल0टी0 लाइने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, उसके बाद ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, किन्तु मुरादाबाद जनपद में आर0ई0सी0 द्वारा विद्युतीकरण का कोई काम नहीं किया जा रहा है, जबकि विद्युत परिषद् द्वारा 19 परसेंट ब्याज पर इनको ऋण दिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी मुरादाबाद में भी आर0 ई0 सी0 द्वारा विद्युतीकरण का कार्य करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

हम लोग नामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । बहुत से विकास खण्डों से नाम आ गये हैं । विद्युत सलाहकार समिति का छोटा रूप विकास खण्डों में करेंगे, जिससे वहां के लोगों को जानकारी मिल सके । जैसे-जैसे नाम प्राप्त हो रहे हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं । मुरादाबाद के बारे में उन्होंने जो कहा है, उसमें पूरी जानकारी के लिए सूचना की आवश्यकता होगी, किन्तु 15 परसेंट के रिटर्न के ऊपर यदि हम कहीं विद्युतीकरण करते हैं, तो वह सामान्य योजना के अन्तर्गत आ जाता है, न कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंत्री जी ने घोषणा की है कि 1990 तक उत्तर प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया

जाएगा । उत्तर प्रदेश में 1,12,568 गांव हैं, उसमें से अब तक मात्र 40,000 गांवों का विद्युतीकरण लाईन बिछाकर अबतक हुआ है, तो वह यह बता दें कि 1990 तक शेष गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई चरणबद्ध योजना क्या तैयार की है ? तैयार की है, तो वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने यही कहा है कि हम 5-7 वर्ष तक में हर गांव में बिजली पहुंचा सकेंगे । 90 तक 80 प्रतिशत में हो जाएगा केन्द्रीय अथारिटी के मानक के अनुसार । किन्तु अब जो नई योजना आ रही हैं, उसमें हम लाईने बिछाकर ही कर रहे हैं।

*3—कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री गौरी शंकर भइया—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*4—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

## बाल श्रमिक समस्या पर शासन द्वारा लागू अधिनियम

*5—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित) —

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती चली जा रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इस वृद्धि पर अंकुश लगाने के सन्दर्भ में शासन की नीति क्या है ? क्या शासन ने वर्तमान कानूनों में संशोधन हेतु केन्द्र से संस्तुति की है ?

श्रम मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन) —

विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष से बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आयी है । बाल श्रमिक समस्या का प्रमुख कारण सम्बन्धित परिवारों की गरीबी है । कुछ परिवार अपना आर्थिक स्तर और अच्छा करने के लिए बालकों को काम पर लगाकर अतिरिक्त आय के साधन जुटाने का प्रयास करते हैं । बाल श्रमिक समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभी हाल ही में भारत सरकार ने बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया है जिसके अन्तर्गत अब बाल-श्रमिक-नियोजन के प्रथम अपराध पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड या तीन मास का कारावास अथवा दोनों की व्यवस्था है । इस कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

## बुन्देलखण्ड में सुचारु रूप से विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु विद्युत उपग्रह

*6—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने अपने 5 जुलाई, 86 के झांसी दौरे में बुन्देलखण्ड में सुचारु रूप से विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु झांसी में क्षेत्रीय अभियन्ता का कार्यालय स्थापित किये जाने व वोल्टेज समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्थानों पर ग्यारह छोटे उपग्रह स्थापित किये जाने एवं पर्वतीय क्षेत्रों की भांति बुन्देलखण्ड में भी प्रत्येक विकास खण्ड पर जूनियर इंजीनियर का कार्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की थी ?

यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा क्या इन्हें वर्ष 1987 में पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 5 जुलाई, 1986 को अपने झांसी दौरे के समय मात्र नगर में वोल्टेज समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्थानों पर 11 छोटे-छोटे विद्युत उपग्रह स्थापित किये जाने की ही घोषणा की थी । इस घोषणा का कार्यान्वयन यथावत मार्च 1987 तक किया जा चुका है । पर्वतीय क्षेत्रों की भांति बुन्देलखण्ड में भी प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर जूनियर इंजीनियर नियुक्त किये जाने का जहां तक प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति का प्राविधान नहीं है, अपितु अमुक क्षेत्र अथवा विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थापित विद्युत अधिष्ठानों की संख्या तथा उनसे सम्बद्ध कार्यभार के अनुसार जूनियर इंजीनियरों की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है । तद्नुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित विद्युत उपगृहों की संख्या, उनकी क्षमता तथा वितरण लाइनों के विस्तार के अनुरूप पर्याप्त जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में दूर-दूर पर गांव बसे हैं और एक विकास खण्ड की लम्बाई करीब 50-60 किलोमीटर तक है, तो क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों की भांति बुन्देलखण्ड में, प्रत्येक विकास खण्ड में जूनियर इंजीनियर नियुक्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां-जहां आवश्यकता हो रही है वहां-वहां जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति कर रहे हैं । इस समय बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 47 विकास खण्ड हैं जिसमें लगभग 75 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं, तो जहां आवश्यकता होगी और माननीय सदस्य जानकारी देंगे, तो उस क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि प्रश्न में भी कहा गया है कि पर्वतीय अंचल के प्रत्येक विकास खण्ड में जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की जाय, मेरी जानकारी है कि वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में क्या जूनियर इंजीनियर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो वहां कार्य क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री –

मान्यवर, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक विकास खंड में जूनियर इंजीनियर नियुक्त करने का जो प्रश्न है, वह सरकार के विचाराधीन है इस पर विचार हो रहा है । राज्य विद्युत परिषद् को उचित निर्देश दिये गये हैं, वह अध्ययन कर रहे हैं । मान्यवर, जब प्रत्येक विकास खंड में जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हो जायेगी तो काफी सुविधा हो जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपने यह कदम उठाये हैं कि प्रत्येक ब्लाक में जूनियर इंजीनियर नियुक्त किया

जाए, तो क्या माननीय मंत्री जी जूनियर इन्जीनियर की नियुक्ति के बाद, विद्युत में जो बोल्टेज की कमी है उसमें कुछ सुधार नहीं है, तो यह सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक जूनियर इंजीनियर को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती ? तो क्या माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि जूनियर इंजीनियर को पर्वतीय क्षेत्र में पूरी साज-सज्जा की सुविधायें दी जायें ? पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति बहुत बीहड़ है, तो क्या कोटद्वार में डिवीजन खोलने की भी मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मैंने एक बैठक शासन में की थी उसमें पर्वतीय क्षेत्र में जो कठिनइयां हैं उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया था । मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उन विचारों पर इसको पूरा-पूरा क्रियान्वयन करने का प्रयास हम कर रहे हैं । मान्यवर, वोल्टेज के बारे में बता दूं परिषण से वोल्टेज का संबंध है, तो हाई वोल्टेज की लाइन पर्वतीय क्षेत्र में जहां विद्युत की लाइन है देने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए राज्य विद्युत परिषद् के लोग अध्ययन कर रहे हैं । इसके लिए जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे वैसे-वैसे हाई वोल्टेज लाइन को पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास करेंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक विकास खंड पर एक जे0 ई0 को नियुक्त करने का प्रश्न शासन और विद्युत परिषद् के विचाराधीन है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जहां पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की योजना को लागू किये जाने का संबंध है तो क्या बुन्देलखंड को भी इसी में शामिल करने पर विचार करेंगे ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में एक समस्या है वह यह है कि वहां पर गांव दूर-दूर हैं । एक टी0 पी0 एम0 से नगरीय क्षेत्र और 20 गांवों को जोड़ा गया है । प्लानों में सुधार करने वाले लोग कम हैं, इसलिए अगर एक जगह कोई फाल्ट हो जाता है तो नगरीय क्षेत्र और 20 गांवों की बिजली बन्द हो जाती है । जब तक वहां प्रत्येक विकास खंड पर जे0 ई0 को नियुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि नगरीय क्षेत्र को अलग टी0 पी0 एम0 से और ज्यादा से ज्यादा 5 गांवों को एक टी0 पी0 एम0 से जोड़ेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो जाय ?

श्री सुनील शास्त्री–

मैं इस संबंध में पूरा अध्ययन कराके प्रयास करूंगा कि जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर किया जाय ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों का जो विद्युतीकरण करने की योजना है तो क्या उसमें हरिजन आबादी को प्रायरिटी पर रखा गया है या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत सी जगहों पर तार चोरी चले गये हैं लेकिन उनको बिजली की लाइन से नहीं जोड़ा गया है जिससे गांव के निवासियों को बहुत तकलीफ हो रही है और डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए बिजली नहीं मिल रही है । तो क्या ऐसे गांवों में तार लगवा दिया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह प्रश्न संख्या 2 से संबंधित है जिसका उत्तर मैं दे चुका हूं । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1971 के पहले हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए योजना नहीं थी । 1971 के बाद यह योजना लागू की गई और मार्च, 87 तक 39300 से अधिक हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर लिया गया है । जो नयी योजना है उसमें यह प्राविधान है कि यदि एक गांव का विद्युतीकरण किया जायगा तो उसी के साथ एक हरिजन बस्ती को भी जोड़ा जायगा ।

*7–श्री किरन पाल सिंह–

[7वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*8–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

*9–श्री महेन्द्र भाटी–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

## प्रदेश में जमींजारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त तहसीलदार की नियुक्ति का प्रस्ताव

*10–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी विनाश अधिनियम, 115-सी के अन्तर्गत दाखिल मामलों को मौके की पैमाइश कर निर्णय करने के लिए प्रत्येक तहसील के लिए अतिरिक्त तहसीलदार की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने दो बातों की जानकारी चाही थी, मंत्री जी ने ''जी नहीं'' कर दिया। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 115-सी के अन्तर्गत एक-एक जिले में हजारों मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। अकेले बस्ती जिले में ही कम से कम 5 हजार मुकदमें हैं, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी मुझे सुधार रहे हैं कि 20 हजार मामले बस्ती जिले में न्यायालयों में विचाराधीन हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जमीन की सही पैमाइश के अभाव में लेखपाल लोग नाजायज फायदा उठाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं । बेचारे गरीब किसान आटा बांध कर न्यायालयों में आते हैं और तबाह हैं । मैंने प्रश्न किया था कि इसके निस्तारण के लिए अतिरिक्त तहसीलदार की नियुक्ति करेंगे । अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करने में वित्तीय कठिनाई आती है, तो क्या इस संबंध में एक शासनादेश भेजने की कृपा करेंगे कि ऐसे 115 सी के जो विवादास्पद मामले हैं उनको कोई सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे का न हो, मौके पर जाकर पैमाइश के द्वारा उनका निस्तारण करवा दें ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने जो प्रश्न किया उसमें आपने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 115 सी के अन्तर्गत मौके पर जाकर उसका निस्तारण करने की बाबत जो प्रश्न किया था, उस पर मैंने ''जी नहीं'' कहा है । मान्यवर, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनकी तहसीलों में 5 लाख से अधिक की आबादी है और वहां पर उसमें भूमि की जो आबादी थी उसमें भूमि का दबाव ज्यादा था यहां भूमि संबंधी विवाद ज्यादा होते थे । उसकी वजह से यह निर्णय लिया कि 5 लाख से अधिक की आबादी वाली जो तहसीलें हैं उनमें एक अपर तहसीलदार की नियुक्ति कर दी जाय । आपको जानकर खुशी होगी कि जनपद बस्ती में भी जो डुमरियागंज, नौगढ़, बांसी और हर्रैया तहसीलें हैं यह 5 लाख से ऊपर की आबादी वाली तहसीलें थीं जिनमें अपर तहसीलदार की नियुक्ति की गयी है । इस प्रकार से मान्यवर, 99 अपर तहसीलदार की नियुक्ति की गयी है । मैंने अपने जबाब में ''जी नहीं'' कहा इस बात के लिए कि यह अपर तहसीलदार मात्र कोर्ट में बैठकर मामले का निस्तारण करेंगे । उनको दौरे आदि करके उसकी निस्तारण करने की बात नहीं है ।

(इस समय 12 बजकर 13 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था इतने लम्बे, इतने बड़े विवाद एक ही जिले में 20-20 हजार मामले पैमाइश न होने के कारण विवादित हैं । इसलिए मंत्री जी से कहा था कि शासनादेश भेजकर मौके पर पैमाइश कराकर विवादों का निस्तारण करा दें लेकिन माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हो रहे हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री का आदेश पढ़ते हुए मेरा एक दूसरा प्रश्न है । माननीय राजस्व मंत्री बलदेव सिंह आर्य द्वारा 1984 इसी संदर्भ में घोषित किया गया था कि एक मई से 30 जून तक के 2 महीने में इस विभाग ने यह अभियान उठाया था कि जितने राजस्व रिकार्ड गलत हैं उनको दुरुस्त किया जाय और मौके पर जाकर किसानों से बातचीत करके मौके पर पैमाइश करके मौके पर पैमाइश कराकर सारे वादों का निस्तारण कराया जाय। तो यह 1984 में एक मई से 30 जून तक अभियान राजस्व विभाग की तरफ से लाया गया था। मैं मान्नीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एक तहसील में 20 हजार ऐसे विवादास्पद मामले हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने होंगे? तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई 2-3 महीने का अभियान चलायेंगे जिसके अन्तर्गत मौके पर जाकर बातचीत के द्वारा स्थिति को समझकर और पैमाइश के द्वारा इन सारे विवादों का निस्तारण करवाया जाय?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय सदस्य श्री हरीश जी का, वह स्वयं शासन में रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे बिन्दु की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया है । लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने राजस्व मंत्री जी के एक निर्देश का उल्लेख किया। वह जो राजस्व मंत्री ने आदेश दिया था वही विभाग की वर्तमान नीति है उसी के तहत जो अभियान चल रहे हैं उसका संदर्भ दिया गया है । यह हमारे विभाग के वादों के निस्तारण का जो तरीका है उनमें एक अभियान का उल्लेख किया है । निरन्तर हमारे विभाग में 2-2, 3-3 महीने के अभियान चलते रहते हैं । उनकी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यह वाद निस्तारित नहीं हो जाते ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मानवीय आधार पर इस विषय पर सोचें, इनके 115 सी के मुकदमों का चलान होता है उसमें वादी इनका लेखपाल हुआ करता है । लेखपाल ही रिपोर्ट और जुर्माना बनाता है वह जो जुर्माना बनाकर तहसील में भेज देगा उसी पर नोटिस आ जायेगी । कभी-कभी ऐसा होता है कि नोटिस नहीं आती है और 25-25, 30-30 हजार रुपये जुर्माना हो जाता है और जब वह जुर्माना हो जाता है, तब उसकी वसूली भी जारी हो जाती है और लोगों को जेलों में भी बन्द कर दिया जाता है, तब उसे ज्ञान होता है कि उसके ऊपर 115-सी की रिपोर्ट है और उस पर जुर्माना हुआ है । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो वादी का अधिकार लेखपाल को दे रखा है, 115-सी में संशोधन करके उसमें सुधार करने की कृपा करेंगे कि वादी लेखपाल जो होता है, वह केवल सूचना दे दे, तब उसके बाद मुकदमा चलाया जाये ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न विधिक प्रक्रिया से संबंधित है । जो जटिलताएं है, जो विविधताएं है, जो समस्यायें है, उन सारी बातों को समाप्त करके एक प्रक्रिया की स्थापना का विचार है, जो स्वयं में सरल हो, सम्यक हो और प्रासंगिक हो। मैं समझता हूं कि उसकी स्थापना के बाद, उससे बहुत कुछ उस स्तर पर समाधान हो जायेगा और समस्या का निदान हो सकेगा।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समय पूरे प्रदेश में, अभी जिस तरह की चर्चा हुई कि कोई भी जिला बचा नहीं है कि जहां पर 20 हजार से लेकर 25 हजार तक मुकदमे 115-सी के न हों, इन मुकदमों में तीन-तीन साल तक दौड़ना पड़ता है। आज की स्थिति में पूरे प्रदेश में जितने मुकदमें 115-सी के हैं, जो कि 6-6, 7-7 साल से चले आ रहे हैं, उनके निस्तारण के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि 6 महीने के अन्दर उनका निस्तारण करा दिया जायगा?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय यादव जी जो स्वयं मान्यवर, इसी माननीय सदन के नेता सदन रह चुके हैं और जो उनके चिन्तन की विचार धारा है, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, उनकी चिन्ता स्वाभाविक है। उनकी चिन्ता के अनुरूप ही हमारे विभाग में अभियान न केवल 115-सी के ही संबंध में नहीं है, बल्कि बहुत सारे मामले हैं, जैसे दाखिल खारिज के मामले में बहुत विलम्ब लगता था, अब उसका अधिकार कानूनगो को दे दिया गया है। इसी तरह से सीलिंग के संबंध में है, जिसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज को की जाती थी, अब उसकी अपील का अधिकार कमिश्नर को दे दिया गया है । इसके लिए हम स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि वादों का निस्तारण शीघ्रता से हो। मैं समझता हूं कि माननीय यादव जी जो इस समय भूतपूर्व नेता सदन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपने अनुभव का परिचय देंगे, तो उससे हम लोगों को लाभ होगा ।

---

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

**जनपद बस्ती के ग्राम भगौसी में अवैधानिक ढंग से लिए गये पट्टे के विरुद्ध कार्यवाही**

*11–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा भगौसा तहसील बांसी जनपद बस्ती में वर्ष 82-83 में बिना पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार किये ही अवैधानिक ढंग से पट्टे किए जाने का फर्जी प्रस्ताव पारित किया गया जिस पर सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे ? क्या यह सत्य है कि इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवाई गई जिससे समस्त कार्यवाही अवैधानिक पाई गई और ग्राम प्रधान तथा पर्यवेक्षक कानूनगो दोषी पाए गए? यदि हां, तो अवैधानिक पट्टे निरस्त किए गए अथवा नहीं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

ग्राम सभा भगौसा, तहसील बांसी, जनपद बस्ती की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा 25 व्यक्तियों के नाम भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 24-10-82 को पारित किया गया था जिस पर परगनाधिकारी ने 11-7-83 को स्वीकृति दी थी । इस आवंटन के विरुद्ध मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। आवंटन से संबंधित की गई कार्यवाही में ग्राम प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है तथा पर्यवेक्षक कानूनगो को कड़ी चेतावनी देकर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

**जिला सेवायोजन कार्यालय सहारनपुर में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच**

*12–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सेवायोजन कार्यालय सहारनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में श्रीमती बचन देवी वर्मा महिला अध्यक्ष नोकेटिव ट्राइव सेल, सहारनपुर के दिनांक 16-11-85 तथा 9-12-85 एवं 14-2-86 के पत्र उन्हें मिले ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जिला सेवायोजना कार्यालय, सहारनपुर के विरुद्ध श्रीमती बचन देवी वर्मा के दो शिकायती पत्र दिनांक 9-12-85 तथा 14-2-86 प्राप्त हुए है । दिनांक 16-11-85 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त दोनों पत्रों में कथित आरोपों की जांच करायी गयी । जाचोपरान्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोरखपुर के ग्राम चौरी चौरा की ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही**

*13–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर ने ग्राम चौरी चौरा, तहसील सदर की ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जे के संबंध में कोई पत्र शासन को भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि अशोक आयरन एण्ड रोलिंग मिल्स के मालिक 9 फर्जी लोगों के नाम ग्राम समाज की भूमि का पट्टा देकर अपने प्रयोग में ला रहे हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रकरण में छान-बीन से यह तथ्य स्पष्ट हुए है कि अशोक आयरन एवं रोलिंग मिल्स के मालिक ने ग्राम चौरी-चौरा में स्थित भू-खण्ड संख्या 20 मि0 रकबा 0-43 डि0 जो पोखरी ग्राम समाज अभिलेख में अंकित है के अगल-बगल भूमिधर काश्तकारों से जमीन क्रय कर ली और इस गाटा को अनधिकृत रूप से चाहर दीवारी खिचवाकर अपने कब्जे में ले लिया । इसी भू-खण्ड का 9 अपात्र व्यक्तियों के नाम आवास स्थल का आवंटन भी कराया ।

यह पट्टे दिनांक 13-1-87 को निरस्त किये जा चुके हैं तथा इनके विरुद्ध 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 22-4-87 को प्रारम्भ कर दी गई और वाद अपर तहसीलदार, सदर के न्यायालय में विचाराधीन है । दोषी प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी गई है ।

*14–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सिया में ग्राम सभा की भूमि पर फर्जी इन्द्राज एवं अमलदरामद के विरुद्ध जांच कार्यवाही**

*15–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद की तहसील कुण्डा के अन्तर्गत ग्राम सिया में ग्राम सभा की लगभग 80 बीघा भूमि कुछ लोगों द्वारा फर्जी इन्द्राज और अमलदरामद कराके हड़प ली गई है और नायब तहसीलदार बिहार ने इस संबंध में 4-11-85 को अपनी जांच आख्या भी प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो वह आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रतापगढ़ जनपद के तहसील कुण्डा के अंतर्गत ग्राम सिया में ग्राम सभा की लगभग 79-10-0 बीघा भूमि कुछ लोगों द्वारा फर्जी इन्द्राज और अमलदरामद कराके कब्जा कराने की बात प्रकाश में आयी है । नायब तहसीलदार बिहार ने इस संबंध में 4-11-85 को अपनी जांच आख्या भी प्रस्तुत कर दी है । उन्होंने फर्जी अमलदरामदों के आधार पर गांव सभा की भूमि को क्षति पहुंचाने की बात स्पष्ट की है । इस संबंध में नायब तहसीलदार ने प्रधान

गांव सभा, एक चकबन्दी लेखपाल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को दोषी पाया था । इस जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी अमलदरामद की कार्यवाही के निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

परगनाधिकारी कुण्डा के न्यायालय में 39 वाद दायर हुए जिसमें 35 वादों में 64-5-6 बीघा भूमि ग्राम सभा की फर्जी प्रविष्टियों को खारिज करके ग्राम सभा का नाम अंकित करने के आदेश पारित किए गए हैं तथा भू-अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम अमलदरामद कर दिया गया है शेष चार वाद अभी लम्बित हैं । दोषी लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया और प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

*16–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**बस्ती जनपद के ग्रामों के लिए विद्युतीकरण की योजना**

*17–कर्नल केशरी सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि बस्ती जिले में अभी भी लगभग चार हजार नौ सौ गांव विद्युतीकरण के लिए बकाया हैं और विद्युतीकरण की वर्तमान गति से पूरे जिले का विद्युतीकरण करने में लगभग 50 वर्ष और लगने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या बस्ती जिले को इसी शताब्दी में पूरा विद्युतीकरण करने के लिए शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

बस्ती जनपद में दिनांक 31-3-87 को कुल 4177 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष थे।

जनपद के 32 विकास खण्डों में से 26 विकास खण्डों की योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । विकास खण्डों का विद्युतीकरण मुख्यतया प्रदेश सरकार के संसाधनों से किया जायेगा । आशा है कि शताब्दी के अन्त तक जनपद के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जायेगा ।

*18–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद आगरा के कांच एवं चूड़ी उद्योग के श्रमिकों हेतु श्रम कानून**

*19–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद आगरा के कांच एवं चूड़ी उद्योग फिरोजपुर के श्रमिकों के हित में अलग से कांच एवं चूड़ी श्रम विवाद अधिनियम बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान श्रम कानूनों का फिरोजाबाद में परिपालन नहीं हो रहा है जिससे श्रमिक कल्याण की योजनाएं विफल हो रही ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

जी नहीं ।

वर्तमान श्रम कानून जो पर्याप्त हैं, इस उद्योग पर भी लागू हैं जिनका पालन सख्ती से कराया जा रहा है। किसी कानून या नियम का उल्लंघन होने की दशा में सेवायोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । इसके अलावा संराधन तंत्र के माध्यम से भी औद्योगिक झगड़े निपटाये जाते हैं ।

## कलेक्ट्रेट गाजीपुर के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

*20–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सन् 1982 में शासन द्वारा यह आदेश हुआ था कि उ0 प्र0 कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट उनकी मौलिक नियुक्ति से कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जनपद गाजीपुर में इस आदेश का पालन न करके पुनः परिषद् और शासन को रिफरेंस कर दिया गया जो अभी तक विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन कब तक हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । कलेक्ट्रेट गाजीपुर के कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26 फरवरी, 1987 को प्रसारित कर दी गई है ।

## अतारांकित प्रश्न

1–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

## सेवा निवृत्त श्री राजाराम शर्मा, विद्युत परीक्षण खण्ड बरेली के पेंशन एवं फण्ड का भुगतान

2–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि श्री राजा राम शर्मा जो विद्युत परीक्षण खण्ड बरेली में अवर अभियंता पद पर कार्यरत थे, के दिनांक 31-1-86 को सेवा निवृत्त होने के बाद भी उन्हें पेंशन एवं फण्ड का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त लाभों का भुगतान तुरन्त कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री शर्मा को जुलाई, 86 तक की प्राविजनल पेंशन की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। अगस्त, 86 से प्राविजनल पेंशन के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। श्री शर्मा के फण्ड का भुगतान अभी तक इस लिए नहीं किया जा सका क्योंकि भविष्य निधि आयुक्त से इनकी ई0 पी0 एफ0 का ब्योरा नहीं प्राप्त हुआ था। ये ब्योरा अब प्राप्त हुआ है और इसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

3–श्री औसान सिंह–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**वाराणसी के ग्राम आनापुर की चक नाली से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी पत्र**

4–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत तहसील शानपुर ग्राम आनापुर की चक नाली पर काश्त करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-9-86 तथा इसी सम्बन्ध में वाराणसी जिला भारतीय किसान संघ के मंत्री का पत्र दिनांक 13-7-86, 29-7-86, 25-8-86 व 8-9-86 शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी हां।

नाली पर से अतिक्रमण हटा दिया गया।

**जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के कतिपय ग्रामों के गायब अभिलेखों को उपलब्ध कराने के निर्देश**

5–श्री मयंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में चकबन्दी के कागजात (अभिलेख, आकार पत्र-23) तथा मूल प्रति भी गायब हैं? क्या शासन द्वारा किसानों को इसे उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी हां। जनपद प्रतापगढ़ में तहसील सदर के ग्राम सराय आनादेव, गौराडाह, पूरे माधव सिंह, बंशीपुर और तहसील पट्टी के ग्राम बेहदौल खुर्द, बिरौती, दाउदपुर के चकबन्दी अभिलेख गायब हैं।

अभिलेखों के पुनर्निर्माण हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। ग्राम बिरौती व दाउदपुर के अभिलेख तैयार हो चुके हैं।

किसानों को अभिलेखों के उद्धरण नियमानुसार यथा समय उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

6–7–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

8–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

9–श्री गौरी शंकर भइया–

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 65 द्वारा उत्तरित]

10–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा शेरपुर में गांव समाज की कतिपय भूमि पर अवैध कब्जा एवं शेष भूमि की स्थिति**

12–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा शेरपुर में गांव समाज की जमीनों को अवैध कब्जा करके जोता बोया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? गांव समाज की कितनी भूमि पर वर्ग चार इन्दराज कराकर कब्जा कर लिया गया है तथा वर्ग चार के मामले कितनी-कितनी अवधि से लम्बित पड़े हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस ग्राम सभा में कितनी ग्राम समाज की भूमि है और किस-किस उद्देश्य हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई है एवं शेष भूमि किसके कब्जे में है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां।

अवैध कब्जा करने वाले 32 व्यक्तियों को जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी0 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखल किया जा चुका है।

वर्ग चार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गांव सभा की कुल भूमि 745 बीघा 17 बिस्वा है। इसमें से 5-10-5 भूमि का आवन्टन आवास हेतु 111 व्यक्तियों में किया गया है। ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अत: शेष भूमि की स्थिति चकबन्दी प्रक्रिया की समाप्ति पर धारा-52 के प्रकाशन के पश्चात् ज्ञात हो सकेगी।

13–14–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाये गये]

15–16–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाये गये]

17–श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**बनी दुकानों के आवन्टन की मांग**

**जनपद जौनपुर के ग्राम गुरैनी में हरिजन एवं निर्बल आवास विकास निगम के अंतर्गत**

18–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के अंतर्गत ग्राम गुरैनी न्याय पंचायत तरसावां के अन्तर्गत हरिजन एवं निर्बल आवास विकास निगम के अंतर्गत जो दूकानें बन रही हैं वह कितने दिनों से बन रही है? क्या कुछ दुकानें बनी है जिनका आवंटन आज तक नहीं हो पाया है? क्या उनका शीघ्र आवंटन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

19 से 22–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

23–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

24–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[अनेक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

25–श्री चन्द्रभान मौर्य–

[दिनांक 6-3-87 को अता0 प्र0 सं0 154 द्वारा उत्तरित]

**जनपद आगरा के ग्राम बहरावली खास का विद्युतीकरण**

26–श्री बहादुर सिंह–

क्या उर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत ग्राम बहरावली खास का विद्युतीकरण 31-3-86 तक पूरा होने के निर्देश थे? क्या यह सत्य है कि विभागीय अधिकारियों ने 25-9-86 को झूठी रिपोर्ट यह भेज दी है कि ग्राम का विद्युतीकरण पूरा हो गया और जबकि मौके पर न स्ट्रीट लाइट का फेस खींचा गया और न स्ट्रीट लाइन लगाई गई? यदि हां, तो क्यों?

**श्री सुनील शास्त्री–**

जी हां।

जी नहीं। ग्राम का विद्युतीकरण 25-9-86 तक पूर्ण कर दिया गया है, जहां तक स्ट्रीट लाइट का प्रश्न है, ग्राम प्रधान द्वारा स्ट्रीट लाइट हेतु अनुबन्ध नहीं किया गया है। अत: स्ट्रीट लाइट का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

27–श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव–

[दिनांक 6-3-87 को अता0 प्र0 सं0 51 द्वारा उत्तरित]

**शासन द्वारा प्रदेश की जल विद्युत क्षमता बढ़ाने की योजना**

28–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सातवीं योजना के कार्यान्वियन के फलस्वरूप प्रदेश में जलीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत प्रदेश की कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में वर्तमान में 35 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत से भी कम रह जाएगा जबकि केन्द्रीय उर्जा बोर्ड तथा योजना आयोग दोनों ने बार-बार प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि उ0 प्र0 शासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए की शीघ्र ही जलीय विद्युत क्षमता का अनुपात कुल विद्युत क्षमता में बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक ले जाए? यदि हां, तो प्रदेश की योजना विपरीत दिशा में क्यों जा रही है?

**श्री सुनील शास्त्री–**

प्रदेश में मार्च, 1987 के अन्त में जल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता का अंश 33 प्रतिशत है जो कि सातवीं योजना के अन्त में 26 प्रतिशत हो जायेगी । केन्द्रीय उर्जा बोर्ड तथा योजना आयोग द्वारा जलीय विद्युत क्षमता के अंश को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए

जाने के परामर्श के बारे में कोई जानकारी उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को नहीं है। तथापि शासन इस बात के लिये सजग है कि जल विद्युत क्षमता का अंश बढ़ाया जावे । जलीय अधिष्ठापित क्षमता के अंश में कमी का मुख्य कारण जल विद्युत परियोजनाओं के फलित होने में अधिक समय लगना तथा तापीय परियोजनाओं में अपेक्षाकृत कम समय लगना है।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रदेश की योजना के अनुसार ही की जा रही है।

29–श्री जयदीप सिंह बरार

क्या यह सही है कि विद्युत परिषद् के अधिकारी निहित स्वार्थों के कारण व्यापक जनहित की जलीय विद्युत की लाभकारी योजनाओं को आरम्भ न करके अपने लिए लाभकारी तापीय विद्युत योजनाओं को अधिकाधिक संख्या में लगाना चाहते हैं? यदि हां, तो मंत्री जी जलीय विद्युत के अनुपात को बढ़ाने हेतु क्या निश्चित कार्यवाही कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं।

प्रदेश के जल विद्युत संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किये जाने के लिए शासन प्रयासरत है।

केन्द्र सरकार की सहायता से टेहरी कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना को सोवियत संघ के आर्थिक सहयोग में सम्मिलित किया है। इस परियोजना की कुल क्षमता 2400 मेगावाट होगी। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है।

30–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

## जनपद पौढ़ी गढ़वाल में खोह तथा मालन नदी के कटाव रोकने हेतु तटबन्ध

31–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में खोह नदी व मालन नदी द्वारा हर वर्ष कितनी उपजाऊ भूमि का कटाव होता है? इस कटाव को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

खोह तथा मालन नदी से हर वर्ष एक एकड़ से दो एकड़ भूमि का कटाव होता था किन्तु अब तटबन्ध बन जाने से उपजाऊ भूमि का कटाव रुक गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त दोनों नदियों पर क्रमशः सनेह बाढ़ सुरक्षा योजना तथा पदमपुर देवरामपुर बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत कार्य चालू हैं।

32–श्री राम जनम–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

33–श्री शारदानन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

**जनपद फर्रुखाबाद के जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के सम्बन्ध में पत्र**

34—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र उक्त कार्यालय में जूनियर क्लर्क द्वारा 18 जून, 1986 को प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**श्री राम बेलवा-लगुनही, बस्ती के नाम फर्जी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही**

36—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

द्वितीय सत्र 1986 के द्वितीय शुक्र के अता0 प्र0 सं0 177 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से आधार थे जिनके कारण पहले नायब तहसीलदार ने अपनी जांच में श्री श्रीराम पुत्र श्री तीरथ को पात्र व्यक्ति नहीं बताया और किन आधारों पर दूसरे नायब तहसीलदार ने अपनी जांच में इन्हें पात्र व्यक्ति मान लिया ? क्या यह सही है कि श्रीराम पुत्र श्री तीरथ ग्राम बेलवा लगुनही में अपनी दुकान चलाते हैं और भूमिहीन मजदूर नहीं है ? क्या यह भी सही है कि इनके पिता श्री तीरथ विकास खण्ड खेसरहा जनपद बस्ती में भू आवंटन किये जाने के समय राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और माह दिसम्बर 86 को भी उसी पद पर कार्यरत थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 11-11-82 को दी गयी रिपोर्ट पर परगनाधिकारी बांसी ने पट्टे पर अपनी संस्तुति किस तिथि को दी तथा अपर आयुक्त गोरखपुर के न्यायालय में दाखिल किये गये निगरानी सं0 961/850 वर्ष 1983 पर न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु दाखिल की गयी निगरानी के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पहले तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री बैंकटेश्वर सिंह द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव 16-10-75 की जांच की गयी जिसमें उन्होंने प्रस्ताव में अंकित श्री राम को दुकानदार बताया है कृषक मजदूर नहीं बताया है। इसी आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी ने श्रीराम के पट्टे को स्वीकृत नहीं किया बाद में नायब तहसीलदार श्री सैयद अली ने सन 1980 में श्री राम के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन परगनाधिकारी के आदेशानुसार स्थानीय जांच की थी और श्री राम को जाति का चमार बताते हुए पात्र बताया है । श्रीराम एवं उनके परिवार द्वारा संयुक्त रूप से कपड़े की दुकान चलायी जाती है । यह भूमिहीन कृषक मजदूर नहीं है । पट्टा होने के दिनांक 16-10-75 के पूर्व से दिनांक 31-12-86 तक खण्ड विकास कार्यालय खेसरहा में श्रीराम के पिता श्री तीरथ चपरासी पद पर कार्यरत थे ।

द्वितीय नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 11-11-82 पर तथाकथित स्वीकृत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । तत्कालीन परगनाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-723 शासुलिपिक दिनांक 31-1-83 सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त करने की संस्तुति की थी तथा अपर आयुक्त गोरखपुर के न्यायालय में दाखिल किये गये निगरानी संख्या-961/85 वर्ष 1983 पर न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश तथा दाखिल की गयी निगरानी आयुक्त के न्यायालय से दिनांक 24-2-87 को खारिज की जा चुकी है। मूल पत्रावली आयुक्त के न्यायालय से ए0 डी0 एम0 के न्यायालय में लौटा दी गयी है जो मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

**टाण्डा तापीय परियोजना में कथित आग लगने की जानकारी**

37–श्री आर0एन0पाठक–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई 1986 के दौरान टाण्डा तापीय परियोजना में कोई आग लगी थी ? यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था और कितनी धनराशि की हानि हुई ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि आग किन लोगों ने लगायी और इसका क्या कारण था ? क्या सरकार ने आग लगने की जिम्मेदारी किसी पर डाली है ? यदि हां, तो वह कौन लोग हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । मई, 1986 के दौरान उक्त परियोजना में कोई आग नहीं लगी थी । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री अचल बिहारी आर्या वै0 स0 (एम) कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल विद्युत, लखनऊ का स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध जांच**

38–श्री आर0 एन0 पाठक–

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि श्री अचल बिहारी आर्या वैयक्तिक सहायक (एम) कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल विद्युत लखनऊ के यहां 25 वर्षों से एक ही अनुभाग/कार्यालय में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनकी देख रेख में लाखों रुपये की चोरी हुई और उस संबंध में कोई जांच कमेटी बैठायी गयी थी ? यदि हां, तो उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री अचल बिहारी आर्या, वै0 स0 (एम), जो दिनांक 17-3-1962 से मुख्य अभियंता (जल विद्युत) कार्यालय में कार्यरत थे, का स्थानान्तरण दिनांक 21-5-87 को मुख्य अभियंता (वितरण) मध्य क्षेत्र के कार्यालय में किया जा चुका है । श्री आर्या की मुख्य सहायक/कैशियर के पद पर कार्यकाल की अवधि में दिनांक 1/2-12-1973 की रात में रुपया 12006.49 की चोरी हुई थी जिसके लिए जांच समिति नियुक्त की गयी थी। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर श्री आर्या को दोषी पाया गया है एवं उनसे रु0 12006.49 की वसूली के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

**अधीक्षण अभियन्ता सिविल मुख्यालय के अधीन नयी नियुक्ति**

39—श्री आर0 एन0 पाठक—

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता, सिविल (मुख्यालय) के यहां कोई नई भर्ती हुई है ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है ? क्या सरकार ने नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो पहले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मौका न देकर नई भर्ती कैसे की गयी है ? क्या इस संबंध में विद्युत परिषद् ने कोई आदेश जारी किये हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

अधीक्षण अभियन्ता सिविल मुख्यालय के यहां कोई नई भर्ती नहीं हुई है ।

जी हां । राज्य विद्युत परिषद् ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिविल मुख्यालय के कार्यालय के अधीन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से ही वरिष्ठता एवं कार्य-क्षमता के आधार पर रेगुलर कैडर में नियुक्ति की गई है ।

जी हां ।

40—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

**प्रदेश के विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना कार्यक्रम**

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने विकास खण्डों में बाल विकास परियोजनाएं चालू हैं? शेष विकास खण्डों के बारे में क्या रूप रेखा निर्धारित की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1986-87 तक प्रदेश में कुल मिलाकर 201 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं ।

प्रदेश के शेष विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना कार्यक्रम चलाने के मामले पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना सभी जनपदों से मांगी गई है । सूचना प्राप्त होने पर भारत सरकार को भेजी जायेगी ।

**आगरा मण्डल के मैनपुरी में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना**

42—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि आगरा मण्डल में विमुक्त जाति और जनजातियों की आबादी प्रदेश में सर्वाधिक है ? यदि हां, तो जनपद आगरा में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय न संचालित करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आगरा मण्डल में विमुक्त जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है । आगरा मण्डल में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या-1947 है तथा विमुक्त जाति की जनसंख्या का जनगणना में उल्लेख नहीं किया गया।

आगरा मण्डल के भोगांव जनपद मैनपुरी में एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति 31-3-1987 को प्रदान कर दी गयी है ।

43–श्री ह्रदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

44–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

45–श्री विष्णु देव–

[दूसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

46–47–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

48 से 50–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

51–52–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

53–54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

55–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद में कतिपय ग्राम सभाओं में ग्राम समाज की भूमि का भूमिहीनों को पट्टा**

56–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा अवयहीं, सोनाडी, खड़ियांजोगा, मुसाहिन, वलुवां, तप्पा, कठऊत में ग्राम समाज की कृषि योग्य एवं आबादी योग्य कुल कितनी -कितनी भूमि है जिसका पट्टा भूमिहीनों में अब तक नहीं किया गया है ? कब तक यह भूमि भूमिहीनों में आवंटित की जा सकेगी ? इन गांव सभाओं में कितनी-कितनी भूमि भूमिहीनों में आवंटित की गयी है और कितने-कितने व्यक्तियों को कब्जा दखल दिया जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**राज्य विद्युत परिषद् में संख्याधिकारी के पद का सृजन**

57–श्री कल्यान सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के संख्याधिकारी पद का सृजन कब किया गया था और कितने वर्षों तक रिक्त था तथा पद की पूर्ति न होने का क्या कारण था और संख्याधिकारी के पद पर प्रोन्नति के समय क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी तथा संख्याधिकारी पद का कार्य क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

(1) राज्य विद्युत परिषद् में फरवरी, 1972 में सांख्यिक तथा सांख्यकी सहायक के पद का सृजन किया गया था।

(2) सांख्यिक का पद मई, 85 तक रिक्त रहा परन्तु सांख्यकी सहायक के पद पर सन् 1973 में नियुक्ति कर दी गई थी।

(3) सांख्यिक का पद उचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका। इसलिए परिषद् ने यह उचित समझा कि उपरोक्त पद को निम्नस्तर पर लाकर विभागीय कर्मचारी द्वारा भर दिया जाय। उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सांख्यिक का पद जो रुपया 1360–2125 के वेतनमान में था, संख्याधिकारी पद के रूप में जो कि रुपया 800–1630 के वेतनमान में था भरे जाने का निर्णय लिया गया। इस पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गयी थी :–

| शैक्षिक योग्यता | अनुभव |
|---|---|
| मास्टर आफ साइंस मैथमेटिक/सांख्यकी न्यूनतम अंक 50% | 5 वर्ष |

चूंकि विभाग के अन्दर सांख्यकी सहायक के पद पर कार्य करने वाला एक कर्मचारी उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करता था इसलिए उसकी नियुक्ति तदर्थ रूप से संख्याधिकारी के पद पर जून, 1985 में परिषद् द्वारा कर दी गयी थी।

संख्याधिकारी के पद का कार्य परिषद् के वित्तीय लेखा, लागत लेखा तथा उससे संबंधित अन्य आंकड़ों का संकलन करना है ताकि परिषद् को उपरोक्त आंकड़े एक स्थान पर समय-समय पर उपलब्ध हो सके।

**श्री राम केवल यादव व ओम प्रकाश सिंह लेखपाल, कचपुरा, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा फर्जी रकबे के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में निलम्बन**

58–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कचपुरा तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में दिनांक 24-8-85 को 116 व्यक्तियों के नाम भूमि आवंटन प्रस्ताव हुआ था और दिनांक 1-2-86 को उपरोक्त संख्या में से 86 व्यक्तियों के पट्टे स्वीकृत हुए थे जिसका कुल रकबा 41 बीघा 18 विस्वा 19 बिस्वांसी था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बाद स्वीकृत पट्टों के रकबों में सम्बन्धित लेखपाल द्वारा फर्जी बढ़ोत्तरी की गयी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और अब तक दोषी लेखपाल के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। स्वीकृत पट्टों के रकबों में पूर्व लेखपाल द्वारा 6 आवंटियों के बारे में 1-1-13 धुर रकबा की फर्जी बढ़ोत्तरी की गयी है। सम्बन्धित दोषी लेखपाल श्री राम केवल यादव व ओम प्रकाश सिंह को दिनांक 9-6-87 को परगनाधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा लेखपाल ग्राम कचपुरा तहसील अकबरपुर जिला–फैजाबाद ने गत जनवरी, 87 माह के अन्दर कोई रिपोर्ट संबंधित कानून-गो को इस आशय से दी है कि पूर्व लेखपाल ने फसली 1392 से 1397 तक की खतौनी में तमाम कटिंग की है और साथ ही साथ अपने से पूर्व लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर भी बनाये हैं? यदि हां, तो सम्पूर्ण रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी नहीं।

ग्राम कजपुरा की खतौनी में कुछ सन्देहास्पद प्रविष्टियां पाई गईं। दो लेखपालों को निलम्बित किया जा चुका है।

60–श्री शेर बहादुर सिंह–

[दिनांक 12-7-85 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तरित]

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में फ्यूल आयल की खपत

61–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 तथा 1 अप्रैल, 1986 से 31 अक्तूबर, 1986 तक फ्यूल आयल के उपयोग को कम करने संबंधी उपायों के बावजूद भी फ्यूल आयल की खपत प्रति मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन पर बढ़ती जा रही है? क्या किए गए उपाय प्रभावी न होने के कारण गलत नीति के अथवा नीति का उचित कार्यान्वयन न होना है? यदि हां, तो फ्यूल आयल के खर्च को बढ़ाने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं।

वर्ष 1985-86 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 1986 की अवधि में फ्यूल आयल की खपत प्रति मिलियन यूनिट तापीय विद्युत उत्पादन पर बढ़ी नहीं है।

जी नहीं।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किये गये उपाय प्रभावी हुये हैं।

परिषद् फ्यूल आयल की खपत में कमी लाने के लिए सजग है। माह अप्रैल, 1987 में गत वर्ष 1986 की तुलना में फ्यूल आयल की खपत में कमी आई है।

62–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

63–श्री काशी सिंह ऐरी–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद सीतापुर के सिनेमाघरों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य देय सुविधाएं**

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर स्थित चित्रा सिनेमा तथा रम्पा टाकीज और खैराबाद के सिनेमाघर में कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी की दरें न दिए जाने का क्या कारण है? न्यूनतम मजदूरी एरियर सहित कब तक दिला दी जायगी? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त सिनेमाघरों के कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिए जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन–

सीतापुर नगर में स्थित चित्रा सिनेमा में न्यूनतम वेतन का भुगतान होना पाया गया है। रम्पा टाकीज तथा खैराबाद स्थित नावेल्टी टाकीज द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध निदेशवाद दायर कर दिए गये हैं।

चित्रा तथा रम्पा सिनेमा गृहों द्वारा कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना पाया गया है। नावेल्टी टाकीज में निरीक्षण के समय उपस्थिति तथा वेतन रजिस्टर उपलब्ध न हो सका, परन्तु श्रमिकों से बात करने पर उन्होंने साप्ताहिक अवकाश न मिलने की कोई शिकायत नहीं की।

**प्रदेश में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या**

65–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 86 तक प्रदेश में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या कितनी थी उनमें से कितनी श्रमिकों की और कितनी नियोजकों की? क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जून, 86 तक पंजीयन हेतु लम्बित यूनियनों की संख्या कितनी थी?

श्री सैयद सईदुल हसन–

दिनांक 31 मार्च, 1986 तक प्रदेश में पंजीकृत ट्रेड यूनियन्स की कुल संख्या 2803 थी जिसमें से श्रमिकों की 2795 एवं नियोजकों की 8 यूनियन थी।

दिनांक 30 जून, 1986 तक पंजीयन हेतु 54 मामले लम्बित थे।

66–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[6ठे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

67–श्री अफजाल अंसारी–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में हुई अग्निकाण्ड में दी गई सहायता**

68–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल सन् 1987 में जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम भावंर कोल व ग्राम ज्ञानपुर खड़िहां व ग्राम राजापुर व ग्राम कोकिलपूरा व ग्राम शेखपुर व ग्राम सुर्तापुर इत्यादि में अचानक आग लग जाने के

कारण जानी व माली किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना नुकसान हुआ है? अब तक राहत के नाम पर कहां-कहां किन व्यक्तियों को क्या दिया गया है? क्या शासन विशेष फण्ड से अधिक प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम भांवरकोल में माह मार्च में आग लगी थी उसमें एक व्यक्ति के दो लड़के मर गये थे, उसे 11,500 रु0 तथा दूसरे प्रभावित व्यक्ति को 500 रु0 की सहायता दी गई थी। अप्रैल, 1987 में जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के 20 ग्रामों में अग्निकाण्ड हुए थे जिनमें 202 व्यक्तियों को क्षति पहुंची। गांववार/व्यक्तिवार क्षति तथा दी गयी सहायता के विवरण माननीय सदस्य राजस्व राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में आकर देख व प्राप्त कर सकते हैं।

जी नहीं। मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है।

69–71–श्री सुरेन्द्र पाल धर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया पिपराइच की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग**

72–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्डों के ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराया जाता है? यदि हां, तो क्या टाउन एरिया की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

निर्धारित नीति के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी ग्राम का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करते समय उस ग्राम की कम से कम एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अवश्य किया जाता है।

टाउन एरिया में एल0 टी0 लाइन का विस्तार टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन करने तथा अनुमानित कुल व्यय की धनराशि जमा करने पर ही राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कराया जाता है। जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया पिपराइच से टाउन एरिया की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उक्त हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना अभी संभव नहीं है।

**श्री रहीम उल्लाह, फायरमैन, विद्युतगृह, मैनपुरी की सेवा काल में हुई मृत्यु के उपरान्त आर्थिक देयों का भुगतान**

73–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वर्गीय श्री रहीम उल्लाह निवासी मु0 जाफरा बाजार गोरखपुर का फायरमैन के पद पर कार्य करते हुए विद्युत गृह, जनपद मैनपुरी में दिनांक 22-3-77 को देहान्त हो गया था? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पत्नी को पेंशन व ग्रेच्युटी शीघ्र दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

स्वर्गीय श्री रहीम उल्लाह की पत्नी श्रीमती कमरुन्निशा को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा का भुगतान कर दिया गया है।

**श्री नसरुल्ला अंसारी ग्राम रजपुरा वाराणसी के एक्वायर भूमि का मामला न्यायालय के विचाराधीन**

74–श्री मूल चन्द–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रजपुरा भदोही, जिला वाराणसी के श्री नसरुल्ला अंसारी की भूमि को एक्वायर किया गया था जिसका रेफरेंस नं0 315 है, 1983 ई0 को न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला वाराणसी के आदेश से दिनांक 11-2-85 को फैसला हुआ जिसके मुआवजे की 24,867.30 रु0 की डिग्री हुई जिस पर 9 प्रतिशत ब्याज दिनांक 17-7-85 से देय है एवं जिसका ब्याज 16-8-85 तक 34,650.50 रु0 हुआ और प्रतिवर्ष 11250 रु0 के हिसाब से ब्याज बढ़ रहा है लेकिन लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी, वाराणसी ने अभी तक भुगतान नहीं किया है जिससे राजस्व विभाग की भारी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? क्या उक्त धनराशि की अदायगी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रश्नगत मामले के रेफरेन्स संख्या–315/1983 में अतिरिक्त जिला जज चतुर्थ के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 11-2-1985 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में शासन द्वारा दायर की गई अपील विचाराधीन है । श्री नसरुल्ला अंसारी की अर्जित भूमि का देय प्रतिकर मुबलिक रुपया 1,62,393-05 की धनराशि अतिरिक्त जिला जज पंचम वाराणसी के यहां 29-8-86 को मुआवजा भुगतान हेतु जमा कर दी गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्री मूल चन्द–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**श्री गोवर्धन प्रसाद कर्मचारी टेलीफोन विभाग की सेवा काल में हुई मृत्यु पर मुआवजा एवं पेंशन की मांग**

16–श्री मूल चन्द–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोवर्धन प्रसाद की मृत्यु दूर संचार उप गृह भू, केन्द्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में विद्युत लाइन पर कार्य करते समय दिनांक 25-5-86 को हुई ? क्या यह दुर्घटना 21-5-86 को हुई थी ? दुर्घटना के पहले यह कर्मचारी क्या विद्युत लाइन पर कार्य करने के लिए नियुक्त हुआ था या अधिकारियों के यहां रसोई बनाने का काम करता था ? क्या रसोई पकाने के समय में इसको विद्युत लाइन का प्रशिक्षण दिया गया था ? यदि नहीं, तो वहां के अधिकारियों ने इससे लाइन पर काम करने का काम कैसे लिया ? क्या सरकार पूरे मामले की जांच कराकर आश्रित परिवार को भरपूर मुआवजा व पेंशन तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का कार्य करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । श्री गोवर्धन प्रसाद जो टेलीफोन विभाग से सम्बद्ध थे, दिनांक 21 मई, 1986 को टेलीफोन लाइन पर कार्य कर रहे थे । उस समय 11 के0 वी0 लाइन के जीवन्त तार के सम्पर्क में आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई । टेलीफोन विभाग ने यह टेलीफोन लाइन नियमानुसार नहीं बनाई थी । इस घटना के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक ने निदेशक, उपग्रह अनुरसण और जनरल मैनेजर, मेन्टीनेन्स नार्दन टेलीफोन रीजन, नई दिल्ली को लिखा है । विद्युत परिषद् इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

**जनपद फैजाबाद एवं बस्ती में कुछ सवर्णों द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र**

77–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद तथा बस्ती जिले में कुछ सवर्ण फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ? क्या इस संबंध में तत्कालीन संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन लखनऊ ने अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 3502/26/3/80 3/1/80 दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 तथा प्रतिलिपि पत्र संख्या 1092/26-3-82 (3)/(2)/80 दिनांक 18 नवम्बर, 1982 व पत्रांक सं0 2695/26-1-3 (2) 50 दिनांक 29-11-82 जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा बस्ती को भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या निर्देश था तथा उक्त निर्देश के अनुसार दिसम्बर, 1986 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी हां ।

किन्तु अ0 शा0 पत्र संख्या–3502/26-3-80 3/1/80 दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें नहीं प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र संख्या–3502/26-3-80-3-1-80 दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 सर्वश्री अशोक कुमार गुप्ता व अरुण कुमार गुप्त निवासी गोसाईगंज को दिए गए फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों की जांच कराकर शासन को आख्या भेजने के संबंध में था ।

शासनादेश संख्या–1092/26-3-82-3/2/80 दिनांक 18 नवम्बर, 1982 सर्वश्री त्रिलोकी नाथ गुप्त व रमाकान्त गुप्त निवासी कटरा गोसाईगंज को गलत जारी किए गए प्रमाण पत्रों को निरस्त करने तथा शासनादेश संख्या–3502/26-3-80–3 (21)/80 दिनांक 9-12-80 में उल्लिखित व्यक्तियों की जांच के सम्बन्ध में था । उक्त शासनादेशों के परिपालन में जांच कराई गई जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि गलत प्रमाण पत्रों को निरस्त करके सूचित किया जाए जिसके विपरीत श्री राघव चन्द्र गुप्त ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

श्री अरुण कुमार तथा अन्य 21 व्यक्तियों ने याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए, जिसकी पैरवी की जा रही है । जिलाधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से यह विदित हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय ने राघव चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य से संबंधित याचिका में स्थगन आदेश निरस्त कर दिए हैं । जिसके बारे में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा उक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार जिलाधिकारी, बस्ती से प्राप्त सूचना के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद बस्ती के ग्राम भड़वानगर में भूमिहीन हरिजनों को भूमि का पट्टा**

78–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के तहसील बस्ती के ग्राम भड़वा नगर में मार्च, 1983 में 15 भूमिहीन हरिजनों को आवास हेतु पट्टा स्वीकृत हुआ परन्तु उनमें से 13 हरिजनों को अब तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिला बस्ती की तहसील बस्ती के ग्राम भड़वानगर में मार्च, 1983 को 15 हरिजनों को नहीं, बल्कि 13 हरिजनों को गाटा संख्या–160 स में आवास स्थल हेतु भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें से 2 आवंटियों ने आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिया । शेष 11 आवंटियों ने कब्जा नहीं लिया । उक्त आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिए जाने के कारण दिसम्बर, 1986 में उक्त 11 आवंटियों को उनकी सहमति पर दूसरी भूमि आवंटित की गई जिस पर उक्त 11 आवंटियों ने अब कब्जा करके छप्पर आदि रख लिए हैं ।

**स्व0 श्री मगफूर अली कलेक्शन क्लर्क, फैजाबाद की सेवा काल में हुई मृत्यु पर उनके आश्रित की नियुक्ति की मांग**

79–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अफजल मेंहदी निवासी अब्दुल्लाहपुर अकबरपुर जिला फैजाबाद के पिता स्वर्गीय मगफूर अली कलेक्शन कलर्क, फैजाबाद की सन् 1972 ई0 में सेवा काल में मृत्यु के पश्चात् श्री अफजल मेंहदी का शासनादेश के अंतर्गत नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अफजल मेंहदी पुत्र स्व0 श्री मगफूर अली निवासी अब्दुल्लाहपुर, अकबरपुर जनपद फैजाबाद का नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। वर्ष 1972 में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति करने विषयक शासनादेश प्रभावी नहीं था अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि में कथित अनियमितता**

80–श्री राम लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में बेवाना कुर्चा, जमालपुर टारा खुर्द, सैदपुर भितरी टारा खुर्द, बिहलोहपुर शिवराजपुर मार्ग तथा अकबरपुर नगरपालिका सीमा में टोंस नदी के बाद जो बाई पास कस्बा शाहजादपुर के लिये वर्ष 1984-85 में बनाया गया था, में जिन खेतों के रकबे उन सड़कों में आये हैं की कटौती क्या उन काश्तकारों के नम्बरों से कर खाते बनाये गये हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिये कौन कर्मचारी दोषी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

81–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद फैजाबाद के ग्राम रासपना के प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

82–श्री राम लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम रासपना के प्रधान के विरुद्ध उक्त ग्राम के निवासियों, सांसद तथा पूर्व विधायक ने अनियमितता, भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतें जिला अधिकारी व परगना अधिकारी से नवम्बर, 1986 से अब तक कितनी बार की गई हैं और वे शिकायतें क्या हैं? उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम रासपना के प्रधान के विरुद्ध ग्रामवासियों क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व विधायक द्वारा एक नवम्बर, 86 से जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी को 18 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। शिकायती पत्र भूमि आवंटन में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है, जिनकी जांच कराई जा रही है। दिनांक 15-4-87 को ग्राम प्रधान को उक्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के लिए कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया गया है।

**जनपद बस्ती के तहसील बांसी के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी विभाग द्वारा ग्राम सभा की भूमि में की गयी अनियमितताओं की जांच**

83–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या आर0 एम0-300/1-8-86 राजस्व अनुभाग-8 दिनांक 7 मई, 1986 द्वारा प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया गया था कि दिनांक 28-2-86 को राजस्व मंत्री ने बांसी तहसील जनपद बस्ती के कुछ ग्रामों के अंतर्गत चकबन्दी विभाग द्वारा ग्राम सभा की भूमि में की गयी अनियमितताओं से उत्पन्न समस्या में यथोचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत कराने हेतु चकबन्दी आयुक्त उ0 प्र0 को निर्देशित किया है? यदि हां, तो अब तक इस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जनपद बस्ती की तहसील बांसी के ग्राम बेलवा लगुनही तथा साहूखिरिया में विस्तृत जांच के बाद परगनाधिकारी, बांसी ने आवंटन पत्रावली में की गई जालसाजी को सही पाया और दिनांक 21-1-83 को अपनी आख्या जिलाधिकारी बस्ती को प्रेषित की, जिसमें उन्होंने वर्ष 1975 का आवंटन नस्ताव निरस्त करके पात्र व्यक्तियों में जिस प्रकार के काबिज हैं, आवंटन करके नियमित करने की संस्तुति की थी। पट्टों के निरस्तीकरण का मुकदमा जो अपर जिला अधिकारी, बस्ती के न्यायालय में चल रहा था अपर आयुक्त, गोरखपुर द्वारा निगरानी में पारित स्थगन आदेश दिनांक 14-9-83 द्वारा स्थगित है। चकबंदी विभाग में पट्टों के आधार पर हुई अमलदरामद तथा अनियमितताओं की कार्यवाही जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत संदर्भ सं0-519 सहायक संचालक चकबन्दी, बस्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट नोटिस संख्या 7070/1984 मुक्तिनाथ बनाम डी0 डी0सी0 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11-7-84 के अनुपालन में स्थगित है।

यह न्यायिक प्रक्रिया है। इस लिए न्यायिक प्रक्रिया के चलते हुए कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

84–श्री रणजीत–

[5वें गुरुवार में अता0प्र0सं0 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद लखनऊ के मौजा बरौरा हुसैन बाडी के खसरा नं0 2 एवं 3 पर कब्जा**

85–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मौजा बरौरा हुसैन बाडी परगना व तहसील लखनऊ के खसरा नं0-2 में क्या मरघट या कब्रिस्तान अंकित है? यदि हां, तो क्या वहां मरघट है अथवा वन विभाग का कब्जा है और क्या खसरा नं0-3 में श्री राम औतार व जगन्नाथ आदि का नाम अंकित है? यदि हां, तो वन विभाग ने इस भूमि पर कैसे कब्जा किया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वर्तमान में खसरा नं0-2 पर वन विभाग का कब्जा है।

खसरा नं-3 अ पर कथित व्यक्तियों का नाम बतौर भूमिधर श्रेणी-1(क) अंकित हैं। इस गाटे पर मौके पर वन विभाग का कब्जा नहीं है।

**प्रदेश में आंगन बाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की मांग**

86–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में जनगणना के अनुसार आंगन बाड़ी केन्द्रों की संख्या में जो बढ़ोत्तरी होनी थी और जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से बहुत पहले मिल चुकी है, उसके अनुसार अतिरिक्त आंगन बाड़ी केन्द्र खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है? यदि नहीं, तो यह केन्द्र कब तक खुलेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं, वर्ष 1981 में जनगणना के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों को बढ़ाने की कोई स्वीकृति भारत सरकार से नहीं मिली है।

87–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

88–श्री राम शरण दास–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**श्रम निरीक्षक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में रिट याचिका द्वारा अन्तरिम आदेश**

89–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शासन को जानकारी है कि श्रम निरीक्षक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची उ0 प्र0 पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल लखनऊ द्वारा दि0 23-1-86 को निरस्त की जा चुकी है, फिर भी शासन ने उक्त सूची पर आधारित चयन को निरस्त न करते हुये चयन के आधार पर दिनांक 3-2-86 को संराधन अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन–

ट्रिब्युनल के आदेश दिनांक 23-1-86 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जा चुकी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। श्रम/संराधन अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा जून/जुलाई, 1984 में किये गये चयन के आधार पर की गई हैं जो वैधानिक है।

90–श्री अफजाल अंसारी–

[3रे बुधवार में अता0प्र0सं0 119 के अन्तर्गत स्थानान्तीरत]

91–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**इन्दिरानगर, लखनऊ में मीटर के साथ नये विद्युत कनेक्शन**

92–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड इंदिरानगर द्वारा कितने नये उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गये? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड इंदिरानगर में लगभग तीन हजार ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिन्हें परिषद् द्वारा कनेक्शन सन् 1985 में ही दे दिया गया था किन्तु उनके यहां अभी तक मीटर नहीं लगवाये जा सके। जिसके कारण सरकार को प्रतिमाह काफी हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

अधिशासी अभियंता, वि0 वि0 खण्ड, इन्द्रानगर लखनऊ के क्षेत्र में वर्ष 1986-87 में कुल 2004 नए विद्युत कनेक्शन दिए गए थे तथा वर्ष 1985 में कुल 1614 नए कनेक्शन दिए गए। इन सभी पर मीटर लगा दिए गए।

यह सही नहीं है कि वर्ष 1985 में 3000 नए कनेक्शन उपरोक्त खण्ड में दिए गए तथा मीटर अभी तक नहीं लगे हैं जिसके कारण राजस्व की हानि हो रही है।

इस संबंध में कोई दोषी नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता**

93–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

**क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिए जाने के संबंध में नियम बनाया है कि 16 कि0 मी0 से ऊपर की यात्रा पर ही भत्ता देय होगा, इससे कम यात्रा पर मात्र दस रुपया महीना साइकिल भत्ता ही स्वीकृत है? यदि हां, तो इसके विपरीत उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम) इंदिरानगर द्वारा अपने यहां कार्यरत तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को फर्जी तरीके से यात्रा भत्ते के रूप में 40,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किस नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है? शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?**

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने ऐसा नियम बनाया है कि कर्मचारियों को 16 किमी0 से अधिक दूरी पर ही यात्रा भत्ता देय होगा।

उपखण्ड अधिकारी, इंदिरानगर द्वारा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है। यह सही नहीं है कि फर्जी तरीके से रु0 40,000/- प्रतिमाह यात्रा भत्ता का भुगतान उपखण्ड अधिकारी, इंदिरानगर द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम खंजुरी की चकबन्दी प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

94–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

**क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पद्माकर लाल एडवोकेट भूतपूर्व विधायक आजमगढ़ ने दिनांक 23-7-86 को चकबन्दी आयुक्त से उनके कार्यालय में भेंट कर उन्हें ग्राम खजुरी परगना अतरौलिया तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़ की चकबन्दी प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारियों तथा निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा चकबन्दी अभिलेखों में बड़े पैमाने पर जाल साजी तथा हेरा फेरी व गांव सभा सम्पत्ति को अवैधानिक ढंग से हड़पने एवं जाली व फर्जी अमलदरामदों द्वारा लोगों के चकों में हेर फेर से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र अपनी ओर से गांव सभा के प्रधान की ओर से दिया था। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?**

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सन्दर्भ संख्या 440 जो चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के माध्यम से पारित आदेश दिनांक 10-11-86 द्वारा चक संख्या 452 व 199 पर की गई अमलदरामद फर्जी मानते हुए निरस्त कर दिया गया है।

**जनपद आजमगढ़ के सुरक्षित अभिलेखागार (माल) से पत्रावलियों की चोरी के संबंध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

95–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

**क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पदमाकर लाल एडवोकेट भूतपूर्व विधायक आजमगढ़ ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को सुरक्षित अभिलेखाकार (माल) आजमगढ़ से पत्रावलियों की चोरी तथा उसमें व्याप्त व्यापक जालसाजी के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 7-5-86 को दिया था? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?**

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी हां, परन्तु यह पत्र दिनांक 7 मई, 1986 का नहीं बल्कि दिनांक 6 मई, 1986 का है जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित निगरानी सं0–1926 सत्यदेव बनाम स्टेट के संबंध में उप संचालक (चकबंदी) के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह बात प्रकाश में आयी कि उक्त पत्रावली अन्य संदर्भित पत्रावलियों के साथ दिनांक 19 जुलाई, 1974 को किसी लिपिक द्वारा प्राप्त की गयी थी परन्तु अभिलेखागार माल में इस निगरानी का इन्द्राज नहीं है जबकि अन्य पत्रावलियों का इन्द्राज है। संबंधित तहसील का कार्य अभिलेखागार माल में जिस लिपिक द्वारा उस समय कार्य किया जा रहा था उसका निधन हो चुका है। अतः उक्त पत्रावली उपलब्ध होने के संबंध में दायित्व निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। मुहाफिज खाने में जालसाजी के संबंध में लगाये गए आरोप को देखते हुए अभिलेखागार (माल) को काफी चुस्त कर दिया गया है जिससे भविष्य में किसी अनियमितता की सम्भावना नहीं रह गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 164-165 पर)

96–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

97–श्री विष्णु देव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

98–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

99–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

100–श्री शारदानन्द अंचल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

101–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

**श्री सहबू राम नरसड़ा बीकापुर फैजाबाद के नाम तालाब का पट्टा किए जाने सम्बन्धी पत्रावली के मखलूत पर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

102—श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री कल्लू राम रत्नाकर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित पत्रावली के मखलूत होने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित हुआ और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

मामले में सर्वश्री शमशुद्दीन एवं रमापति मिश्र सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दंडित किया जा चुका है।

**श्री सहबू राम, नरसड़ा, बीकापुर, फैजाबाद को पट्टा**

103—श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री कल्लू राम रत्नाकर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित प्रकरण में पट्टा देने की कार्यवाही पूर्ण करके संबंधित व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितने वर्षों तक के लिए पट्टा दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

मत्स्य पालन हेतु पटटा दिनांक 28-4-87 को 10 वर्षों के लिए दिया गया है।

**निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

104—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य सर्वश्री रमेश यादव, मंगलदेव, बलवीर सिंह यादव का कोई संयुक्त शिकायती पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1987 उन्हें तथा शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं? क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा रायबरेली व सुल्तानपुर में नवस्थापित अनाश्रित महिला कार्यशाला हेतु कई लाख रुपये का कपड़ा व अन्य साज सज्जा एक ही फर्म से बिना कोटेशन व टेण्डर के लिया गया है? क्या सरकार पूरे मामले की जांच करा कर दोषी निदेशक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां,

मुख्य बिन्दु निम्न हैं:—

1—पूर्ण रूप से महिला विरोधी नीति अपनाना।

2—बाल विकास परियोजना की दो जीपों को घरेलू कार्य में लाना।

3–सुल्तानपुर व रायबरेली में वित्तीय वर्ष 1986-87 में खोले गये दो निराश्रित महिला कर्मशाला पर कई लाख का कपड़ा आदि भारी कमीशन पर खरीदना।

4–कार्य दिवस में दौरा करना तथा कार्यालय समय के बाद 8.00 बजे तक अधिकारियों को रोकना जिससे रोष होता है।

5–विभाग में अप्रैल, 1986 में हुई मुख्य सेविकाओं की परीक्षाफल घोषित न करने में उनका व उनके वैयक्तिक सहायक श्री पाण्डेय का हाथ है।

6–15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलराइज करके, एक सप्ताह बाद पुनः आदेश निरस्त किये।

7–निदेशक के वैयक्तिक सहायक को पुनः अपने स्टाफ पर लेना।

जांच करायी जा रही है जिसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

105–श्री अकबर हुसैन बावर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद फैजाबाद में ग्राम-छेड़वल की ग्राम सभा की भूमि के आवंटन में की गई अनियमितता को निरस्त करने की मांग**

106–श्री सत्य प्रकाश विकल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1389 फसली से ग्राम समाज की भूमि नं0 592, गाटा सं0 560 क व 561 कुल रकबा 0-15-0 पर काबिज स्व0 बुद्धू के पुत्रों के नाम नई खसरा खतौनी में उक्त नं0 की दाखिल खारिज करके श्रेणी चार (वर्ग-4) समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

108–श्री हर्ष वर्धन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

109–श्री नरेश चन्द्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

110–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

111–113–राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

114–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**प्रधानाचार्या, राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लखनऊ द्वारा की गई कथित अनियमितता के विरुद्ध जांच की मांग**

115–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लखनऊ की तत्कालीन अधीक्षिका तथा सम्प्रति प्रधानाचार्या ने अपने अधीनस्थ अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती माला गुप्ता की हत्या के अपराध में 72 घंटे से ज्यादा कारागार में रहने पर भी चांदगंज लखनऊ के डाक्टर द्वारा जेल की अवधि की चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर निदेशक को बिना अवगत कराये विद्यालय में ज्वाइन करा दिया गया था ? यदि हां, तो तत्कालीन अधीक्षिका द्वारा निलम्बन की कार्यवाही न करने से जो वे माह अगस्त, 1976 से आजन्म कारावास होने के दिनांक 13-2-85 तक जो वे पूर्ण वेतन लेती रहीं, के बारे में अब तक अधीक्षिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी दोषी अधीक्षिका को निलम्बित कर मामले की जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

116–श्रीमती शारदा देवी–

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

**विद्युत सब स्टेशन शेरगढ़, मथुरा की बिल्डिंग निर्माण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

117–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-9-86 को शेरगढ़ विद्युत सब स्टेशन जनपद मथुरा की बिल्डिंग के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने के बारे में पत्र दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी एवं जांच रिपोर्ट में कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

इसकी जांच पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, आगरा द्वारा कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

**इलाहाबाद नगर के कतिपय मोहल्लों में वोल्टेज कमी की समस्या**

118–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या विद्युत मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर के मऊ सरैया नेवादा मेंहदौरी गांव जोंधवल चिल्ला सलोरी, स्वराज्य नगर लाला की सरैयां, शल्ला बाजार ऊंट खाना चांदपुरा भुलाई का पूरा सादिया बाद, बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, दरहिया बक्शी खुर्द तथा सोहवतियाबाग आदि मुहल्लों में वर्षों से कम वोल्टेज है ? यदि हां, तो शासन क्या उपाय कर रहा है और कब तक वोल्टेज हो जायेगा ? क्या शीघ्र ही यह समस्या हल करने का उपाय किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री –

प्रश्नगत इलाहाबाद नगर के मोहल्ले मऊ, सरैया, स्वराज्य नगर, लाला की सरैया, चांदपुर, गल्ला बाजार ऊंटखाना, भुलई का पूरा, सादियाबाद, बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा एवं ढरहरिया, में कम विद्युत वोल्टेज की समस्या माह मई 1987 से ठीक हो गई है । छोटा बघाड़ा मोहल्ला बक्शी खुर्द में कम वोल्टेज की समस्या को मार्च, 1987 में ही दूर कर दिया गया है और मोहल्ला सोहबतियाबाग में यह समस्या माह फरवरी 1987 में दूर कर दी गयी है । मोहल्ला जोधबल, चिल्ला, सकोरी एवं नेबादा में कम वोल्टेज की समस्या नहीं है । मोहल्ला मेंहदौरी में कम वोल्टेज की समस्या है जिसको वर्ष 1987-88 में ट्रान्सफारमर लगा कर दूर करना प्रस्तावित है ।

119–श्रीराम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

120–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

121–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद गाजीपुर के ग्राम-करीमुद्दीन पुर की ग्राम सभा की भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने की मांग**

122–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर परगना मुहम्मदाबाद के ग्राम करीमुद्दीनपुर में ग्राम समाज की कुल कितनी भूमि है ? कितनी भूमि भूमिहीनों में आवंटित की गयी है ? क्या आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि ग्राम समाज की अधिकांश भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और जान-बूझकर भूमिहीनों में आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

ग्राम करीमुद्दीनपुर में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है । अभी तक जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 की विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं हुआ है । चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही गांव समाज में उपलब्ध भूमि का विवरण ज्ञात होने पर भूमिहीनों में वितरित करके उन्हें मौके पर कब्जा दिलाना सम्भव होगा ।

**जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ में नियुक्त ग्रामीण विद्युतीकरण के अवर अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना**

123–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र पर नियुक्त ग्रामीण विद्युतीकरण के अवर अभियन्ता द्वारा क्षेत्र में किसी स्थान पर अपना मुख्यावास अभी तक नहीं बनाया गया है तथा अवर अभियन्ता के क्षेत्र में न रहने के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई तथा विद्युतीकरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में जन प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को जनपद स्तरीय विद्युत विभाग की बैठक में अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध के बाद अब तक अवर अभियन्ता द्वारा क्षेत्र में मुख्यावास न बनाने के क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

सिकन्दराराऊ में नियुक्त ग्रामीण विद्युतीकरण के अवर अभियन्ता श्री एस0 पी0 गुप्ता ने माह अक्टूबर, 1986 से सिकन्दराराऊ में ही (हाथरस रोड पर) अपने निवास पर कार्यालय बना रखा है ।

जी हां ।

जनपद स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21-3-87 में जन-प्रतिनिधियों को यह अवगत करा दिया गया था कि श्री एस0 पी0 गुप्ता, अवर अभियंता अपने मुख्यावास सिकन्दराराऊ पर ही अक्टूबर, 1986 से रह रहे हैं । अतः अब उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

**जनपद बस्ती के बांसी, खेसरहा और मिठवल विकास खण्ड में बाल विकास परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव**

124–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विकास खण्ड बांसी, मिठवल और खेसरहा में समेकित बाल विकास परियोजना स्थापित करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-86 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र दि0 17-12-86 में बांसी, मिठवल और खेसरहा को बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु संस्तुति की गई है । विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रदेश के जनपदवार हरिजन बाहुल्य विकास खण्डों के नाम प्रतिनिधियों की संस्तुति के अनुसार भेजे गए हैं । विकास खण्ड मिठवल में हरिजन आबादी अन्य दोनों विकास खण्डों से अधिक होने के कारण मिठवल विकास खण्ड (बस्ती) में बाल विकास परियोजना खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

**जनपद आगरा के ग्राम नरीपुरा व सोहल्ला के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था**

125–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरविन्द वर्मा, सचिव, ऊर्जा विभाग के अ0 शा0 प0 सं0 1146 पी/84-23 पी/दिनांक 15 फरवरी, 84 जो तत्कालीन अपर मुख्य अभियन्ता उ0 प्र0 विद्युत परिषद् को लिखा गया था तथा उन्हें आदेश दिया गया था कि आगरा नगर के ग्राम नरीपुरा व सोहल्ला जो नगर महापालिका सीमा में आ गए हैं, को शहर की भांति विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । ग्राम नरीपुरा को आगरा के समकक्ष विद्युत आपूर्ति की जा रही है । ग्राम सोहल्ला का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है और इसमें विद्युत आपूर्ति विद्युतीकरण के पश्चात् की जायगी ।

126–श्री विजय सिंह राणा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**जनपद आगरा की विद्युत व्यवस्था के संबंध में जानकारी की मांग**

127–श्री विजय सिंह राणा–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में कितने विद्युत कनेक्शन मांगे गए और इस आवश्यकता के अनुरूप कितने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हैं और कितनी की आवश्यकता है ? यह आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम झूसी की विद्युतीकरण व्यवस्था**

128–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम झूसी में बिजली के खम्भे कितने वर्ष पूर्व गाड़े गए थे और उन पर बिजली के तार कब पूरे लगाए गए हैं ? यदि नहीं पूरे लगे हैं, तो क्यों और कब तक पूरे लग जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम झूसी में विद्युतीकरण हेतु खम्भे वर्ष 1972 में लगाए गए थे । इस ग्राम में कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ताओं ने वर्ष 1984-85 में प्रार्थना पत्र दिए थे । उनको विभागीय नियमा/शर्तें भेजी गई थी परन्तु किसी भी उपभोक्ता ने विभाग के साथ अनुबन्ध नहीं किया । अत: सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए तार खींचने का कार्य नहीं किया जा सका । अनुबन्ध होने पर तार खींचने व विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

**श्री ओम प्रकाश मौर्य, लेखपाल, देवरिया का अनियमितता सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर निलम्बन**

129–श्री रणजीत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, देवरिया को प्रश्नकर्ता का 31-3-86 का शिकायती-पत्र श्री ओम प्रकाश मौर्य, लेखपाल की अनियमितता संबंधी कार्यों के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । लेखपाल को निलम्बित किया जा चुका है । विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

**श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, अधीक्षक, राजकीय निराश्रित बाल सदन देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

130–श्री रणजीत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को संबोधित श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, अधीक्षक, राजकीय निराश्रित बाल सदन देवरिया के विरुद्ध जांच कराने विषयक उनके पत्र संख्या 2/5/2/171/86 दिनांक 3-3-86 के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच आख्या मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

131–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**नेहरू बाल मण्डल, इलाहाबाद के विरुद्ध राजकीय अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में जांच**

132–श्री राम नरेश यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू बाल मंडल इलाहाबाद को प्रदत्त धनराशि की कोई जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

वित्त विभाग द्वारा नेहरू बाल मण्डल को ऋणदाताओं द्वारा ऋण दिए जाने की जांच अभिसूचना विभाग द्वारा कराई गई थी । जांचोपरान्त ऋणदाताओं द्वारा ऋण लिया जाना सही पाया गया । लेकिन राजकीय अनुदान का दुरुपयोग करने हेतु संस्था को ब्लैक लिस्ट किया गया ।

**प्रदेश के निराश्रित बच्चों की संस्थागत सेवा कार्यक्रम हेतु स्वीकृत धन एवं व्यय विवरण**

133–श्री राम नरेश यादव–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निराश्रित बच्चों की संस्थागत सेवा कार्यक्रम हेतु वर्ष 1984-85 में कितना रुपया स्वीकृत हुआ था एवं उसमें से कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

निराश्रित बच्चों की संस्थागत सेवा कार्यक्रम हेतु वर्ष 1984-85 में गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए स्वीकृत 8,41,346 रुपया में से 7,29,520 रुपया तथा सरकारी संस्थाओं के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित 33,53,000 रुपये के विरुद्ध 41,94,000 रुपये खर्च किए गए ।

**मेरठ स्थित अनाथालय को अनुदान की स्वीकृति**

134–श्री राम नरेश यादव–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ स्थित अनाथालय को वित्तीय वर्ष 84-85, 85-86 का अनुदान किस आधार पर रिलीज नहीं किया गया है तथा वहां बच्चों की कितनी संख्या है और बिना अनुदान के वहां के अनाथ बच्चे कैसे पल रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मेरठ स्थित लाला रामानुज दयाल वैश्य बाल सदन (अनाथालय) को वर्ष 84-85 का अनुदान शासनादेश संख्या 494/26-3-87-338(23)/77 दिनांक 31 मार्च, 1987 द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वर्ष 85-86 में अनुदान को स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इसमें बच्चों की स्वीकृत क्षमता 100 बच्चों की है जबकि वर्तमान समय में 112 बच्चे हैं जिनका भरण-पोषण संस्था अपने पास उपलब्ध साधनों से कर रही है ।

**प्रदेश में निराश्रित बच्चों की संस्थागत सेवा कार्यक्रमों में प्रस्तावित धनराशि**

135–श्री राम नरेश यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निराश्रित बच्चों की संस्थागत सेवा कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1984-85, 85-86 में कितने लाख रुपया लैप्स हुआ तथा इसका क्या कारण था और इस वर्ष 1987-88 में कितने लाख रुपये का इस निमित्त प्राविधान है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1984-85, 1985-86 में निराश्रित बालकों की संस्थागत सेवा कार्यक्रमों हेतु कोई धनराशि लैप्स नहीं हुई ।

चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 में कुल 28-00 लाख रुपये (अट्ठाइस लाख) का प्राविधान प्रस्तावित है ।

**उ0प्र0 रा0 विद्युत परिषद् में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति**

136–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 विद्युत परिषद् के कार्यरत तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में शासनादेश क्या है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड इंदिरानगर में लगभग पचास कर्मचारी ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से यहां कार्यरत हैं एवं सिर्फ वेतन लेने आते हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

परिषदीय आदेशों के अनुसार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं किया जाना चाहिए तथा उनकी सुविधा एवं विभागीय कार्यहित को देखते उनका स्थानान्तरण क्रमशः गृह मण्डल तथा गृह जनपद के अन्तर्गत किया जाना चाहिए ।

यह सत्य है कि विद्युत वितरण खण्ड इंदिरानगर के अन्तर्गत लगभग 50 कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से लखनऊ जनपद में कार्यरत हैं परन्तु यह सत्य नहीं है कि वे केवल वेतन लेने आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा में कथित अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच तथा परीक्षार्थी के सर्वोच्च अंक**

137–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक संख्या 2234/मु0स0/उर्जा/86-87 दिनांक 6-1-87 विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मार्च, 1986 में सम्पन्न कराई गयी लिखित परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक गम्भीर अनियमितताऐं किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, मामले की जांच कराई गई । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

137[ए]–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 7646 छात्रों में से साक्षात्कार हेतु चयनित 122 छात्रों में से सबसे उच्च अंक किस छात्र ने तथा सबसे निम्न अंक किस छात्र ने प्राप्त किये ? क्या मुख्य मंत्री इसकी पूर्ण सूची प्राप्त अंकों सहित सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

साक्षात्कार हेतु बुलाये गये छात्रों में से लिखित परीक्षा में सबसे उच्च अंक श्री संजय कुमार गोयल तथा सबसे निम्न अंक श्री सत्य नारायन सिंह ने प्राप्त किये । विद्युत सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न होने वाली परीक्षा संबंधी सभी सूचनायें एवं परिपत्र गोपनीय हैं ।

## जनपद फर्रुखाबाद में विद्युत की कटौती

**138–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद को विद्युत की आपूर्ति इस समय कहां से की जा रही है ? क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि प्रतिदिन लगभग दस घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहती है ? यह कटौती किसके आदेश से की जा रही है एवं विद्युत कटौती करने से पूर्व विद्युत उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित न करने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद फर्रुखाबाद को मैनपुरी 220 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र से सम्बद्ध 132 के0 वी0 नीबकरोरी, फतेहगढ़, कन्नौज एवं छिबरामऊ उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है । विद्युत उपलब्धतता के सापेक्ष विद्युत मांग के बढ़ जाने पर अथवा बड़ी तापीय विद्युत इकाई के अचानक दोष युक्त हो जाने पर प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक विद्युत कटौती करना अनिवार्य हो जाता है । संभव है कि विद्युत उत्पादन में काफी कमी आ जाने के कारण कुछ दिन फर्रुखाद जनपद की विद्युत आपूर्ति में अधिक व्यवधान रहा हो । इस प्रकार की विद्युत कटौती केवल प्रणाली को पूर्ण क्षति-ग्रस्त होने से बचाने के लिए की जाती है जिसका पूर्वानुमान कर पाना संभव नहीं है । चूंकि विद्युत उपलब्धता में अचानक कमी आ जाती है । अतः इस की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दे पाना संभव नहीं है । माह अप्रैल, मई 87 में इस जनपद में औसतन निम्न समय के लिए (घन्टों में प्रतिदिन) विद्युत आपूर्ति दी गई ।

| | ग्रामीण क्षेत्र | प्रथम श्रेणी नगर | जिला मुख्यालय |
|---|---|---|---|
| 1–अप्रैल, 87 | 9–1/2 | 15–1/4 | 18–1/2 |
| 2–मई, 87 | 13–1/2 | 19–3/4 | 21–1/4 |

**प्रदेश के समस्त शीतगृहों को विद्युत की विशेष व्यवस्था**

138[ए]–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद फर्रुखाबाद जहां कि लगभग 100 कोल्ड स्टोरेज हैं तथा विद्युत कटौती के कारण आलू सड़ने की कगार पर है, की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रदेश के समस्त शीतगृहों जो स्वतंत्र पोषक पर स्थित हैं, को आकस्मिक विद्युत कटौती के अतिरिक्त निरंतर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है । अन्य शीतगृहों को उनके स्थान के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है । इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिन शीतगृहों को आपात कालीन कटौती के कारण कम विद्युत मिलने से तापमान अधिक हो जाता है उनके प्रतिवेदन मिलने पर, एवं अन्यथा भी अस्थाई रूप से विद्युत आपूर्ति की इतनी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे शीतगृहों में रखे हुए सामान नष्ट न हो ।

139–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**श्री हरिमूरत सिंह, ग्राम प्रधान, रोवा रज्जबपुर, आजमगढ़ द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कथित पट्टे कराने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

140–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रोवा रज्जवपुर के वर्तमान प्रधान हरि मूरत सिंह द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति पोखरी नं0 455 में से 118 कड़ी, आराजी नं0 40 में से 200 कड़ी एवं आराजी नं0 502 में से 200 कड़ी अपने नाम तथा आराजी नं0463 में से 33 कड़ी अपनी भाभी श्रीमती चन्दौता पत्नी श्री शिवमूरत सिंह के नाम, आराजी नं0 603 में से 200 कड़ी श्री बिन्देश्वरी पुत्र मिलन के नाम एवं आराजी नं0 155 में से 975 कड़ी ग्राम सभा से बाहर के निवासी श्री राम चरन के नाम, अवैधानिक तरीके से अपने ही कार्यकाल में पट्टे करा-कर सीरदारी कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो अवैधानिक एवं अनियमित कार्यों के लिए प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत भूमि संख्या–455/-118, 40/-200, 502/-200, 463/-033, 603/-200 तथा 155/-975 स्थित ग्राम रोवापार ग्राम सभा रोवा रज्जवपुर परगना देवगांव तहसील लालगंज के सम्बन्ध में वर्तमान प्रधान श्री हरिमूरत सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह निवासी ग्राम रोवापार ने पट्टा का कोई प्रस्ताव नहीं किया है । इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

141–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

142–श्री हर्ष वर्धन–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद अलीगढ़ के कतिपय ग्राम सभाओं की भूमि जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधि नियम के अनुसार आवंटित भूमि**

143–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में नवीन परती की जमीन सरकारी जी0 ओ0 के अनुसार भूमिहीन हरिजनों को आवंटित की जाती थी वह जमीन भूमिहीन हरिजनों को न देकर केवल नसबन्दी आपरेशन वालों को दी जा रही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो ग्राम मोहनपुर माजरा दुआमई तहसील सिकन्दराराऊ अलीगढ़ में करीब दो सौ एकड़ जमीन केवल नसबन्दी आपरेशन वालों को ही दी गयी है और किसी भी भूमिहीन हरिजन को नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी नहीं ।

भूमि आवंटन जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(1) में उल्लिखित वरीयताक्रम के अनुसार किया गया है और उक्त वरीयताक्रम में आने वाले पात्र व्यक्तियों में से परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है ।

ग्राम मोहनपुर माजरा दुआमई तहसील सिकन्द्राराऊ में कुल 51 व्यक्तियों को 97-78 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है जिसमें से 26 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं । वर्तमान में हरिजन जाति का कोई भी पात्र व्यक्ति भूमि आवंटन हेतु शेष नहीं है।

**जनपद फर्रुखाबाद के शीत गृहों को विद्युत आपूर्ति एवं बिलों का ब्यौरा**

144–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 व 30 नवम्बर, 1986 तक कितने शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति की गयी ? प्रत्येक शीतगृह की भण्डारण क्षमता क्या रही है और उनके विद्युत सम्बन्ध की कितनी (अश्वशक्ति) हार्स पावर रही है ? प्रत्येक शीतगृह का मासिक विद्युत बिल उक्त वर्षों में क्या रहा है ?

**श्री सुनील शास्त्री–**

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 30 नवम्बर, 1986 तक क्रमशः 76, 78 व 74 शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति की गई । प्रत्येक शीतगृह की भण्डारण क्षमता उनकी अश्व शक्ति एवं मासिक विद्युत बिलों का ब्यौरा संलग्न† है।

145–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित शीत गृहों में मासिक विद्युत उपभोग के बिल उसी क्षमता के निजी शीतगृहों के मासिक विद्युत उपभोग के बिलों की तुलना में अधिक है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के एक ही क्षमता के किन किन शीतगृहों के विद्युत खपत के मासिक बिल वर्ष 1984 से नवम्बर, 1986 तक अलग-अलग रहे ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद फर्रुखाबाद में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित शीतगृह तथा निजी शीतगृहों का स्वीकृत विद्युत भार तथा भण्डारण क्षमता पृथक-पृथक है । किसी भी शीतगृह का स्वीकृत विद्युत भार तथा भण्डारण क्षमता समान नहीं है । इन शीतगृहों के मासिक विद्युत बिल भी समान नहीं होते हैं क्योंकि शीतगृहों की विद्युत खपत निम्न कारणों पर आधारित होती है :–

1–प्रशीतन टाइप (डिफ्यूजर या बैंकर)

2–इन्सुलेशन की श्रेणी (फाइबर ग्लास या कन्वेंशनल इन्शुलेशुलेशन पुराना अथवा नया)

3–शीतगृह में चेम्बरों की संख्या ।

4–कम्प्रेशर की क्षमता (आवश्यकता से अधिक अथवा कम क्षमता एवं उसका रख रखाव)

5–कैपेसिटर लगे हैं अथवा नहीं ।

6–कर्मचारियों की क्षमता, आलू भराई/निकासी के समय तापक्रम बनाये रखने के लिये बरती जाने वाली सावधानियां ।

7–सामान का भण्डारण कम अथवा अधिक ।

**माननीय सदस्यों के साथ परगनाधिकारी के भूमि विवादों को निपटाने हेतु शासनादेश**

146–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के संदर्भ में उत्तरित सीलिंग एवं ग्राम सभा भूमि के आवंटियों को भू-आवंटन एवं कब्जा सुनिश्चित कराने तथा क्षेत्रीय विधायकगण के परामर्श का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परगनाधिकारियों द्वारा प्रत्येक मास पहले शनिवार को क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से कार्यक्रम बनाकर निरीक्षण करने के आदेश प्रभावी हैं ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के साथ परगनाधिकारी लखनऊ ने वर्ष 1986 में कितनी बार क्षेत्रीय निरीक्षण किया ? यदि हां, तो किन किन तारीखों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां,

परगनाधिकारी लखनऊ द्वारा प्रश्नकर्ता के साथ निरीक्षण संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है ।

147–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंगरावा रायपुर एवं रानीपुर रजमों का चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापन**

148–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगराव तहसील सदर जनपद आजमगढ़ व ग्राम रानीपुर रजमां तहसील सदर जिला आजमगढ़ का धारा 4 चकबन्दी का नोटिफिकेशन हो गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या सरकार 87-88 वित्तीय वर्ष में उक्त धारा का नोटिफिकेशन करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम मगरांव नहीं बल्कि शुद्ध नाम मंगरावां रायपुर तथा ग्राम रानीपुर रम्भू नहीं बल्कि शुद्ध नाम रानीपुर रजमों तहसील सदर जनपद आजमगढ़ है ।

उक्त दोनों ग्रामों का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क (2) के अन्तर्गत प्रख्यापन सरकारी गजट में दिनांक 26-7-86 को हो गया है ।

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम गम्भीरवन तप्पा हरवंशपुर का चकबन्दी नोटीफिकेशन**

149–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गम्भीर वन तहसील सदर जिला आजमगढ़ का वर्ष 1973 में चकबन्दी का नोटीफिकेशन हुआ है और अभी तक चक फाइनल नहीं हुआ ? यदि हां, तो चक परिवर्तन तक कितना समय लगेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

ग्राम गम्भीरवन तप्पा हरवंशपुर परगना निजामाबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ का चक सृजन कार्य सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा समाप्त हो चुका है ।

प्रस्तावित चकों से असन्तुष्ट चकदारों ने चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में आपत्तियां प्रस्तुत की है । चकबन्दी अधिकारी द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के बाद असन्तुष्ट लोग चक अपीलें कर सकेंगे। चक अपीलों की सुनवाई के बाद कब्जा परिवर्तन होता है । चक आपत्तियों व चक अपीलों की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होती है ।

**जनपद बलिया के ग्राम हल्दी सहरसपाली एवं दुबहर में हरिजन बस्तियों की स्थिति**

150–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र बलिया के ग्राम हल्दी, सहरसपाली एवं दुबहर में हरिजन बस्ती अत्यधिक गन्दी तथा सकरी है और आने जाने के रास्ते नहीं है? यदि हां, तो क्या इन्हें गांव से बाहर बसाने के लिए जमीन अधिग्रहीत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं,

ग्राम हल्दी, सहरसपाली एवं दुबहर की हरिजन बस्तियां कुछ गन्दी अवश्य है परन्तु आने जाने के लिए रास्ते उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

151–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

152–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद लखनऊ के ग्राम मेमोरा का चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापन**

153–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1987 को ग्राम मेमोरा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी हां।

ग्राम मेमोरा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ चकबन्दी प्रसार हेतु उपयुक्त पाया गया है। उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रसार हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

**जनपद जौनपुर के ग्राम डेहिया में चकबन्दी प्रक्रिया**

154–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डेहिया (दहेई) परगना अंगुली तह0 शाहगंज जनपद जौनपुर का धारा 4(2) का प्रकाशन वर्ष 1981 में हुआ था एवं उक्त ग्राम में धारा 9 की कार्यवाही वर्ष 1983 से हुई, किन्तु शेष कार्यवाही आज तक उक्त ग्राम में नहीं हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की सम्पूर्ण चकबन्दी प्रक्रिया पूरी करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

जी नहीं । ग्राम डेहिया परगना अंगुली तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर का धारा 4(2) का प्रख्यापन दिनांक 16-5-82 को हुआ। और अब ग्राम में चक निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ है।

जी हां।

चकबन्दी का कार्य न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी।

**जनपद जौनपुर के विकास खण्ड वार हरिजन बस्तियों का विवरण एवं विद्युतीकरण**

155–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 में किन-किन विकास खण्डों में कौन-कौन से हरिजन ग्रामों को चयनित किया गया था? क्या उन चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

**श्री सुनील शास्त्री–**

निर्धारित नीति के अनुसार हरिजन ग्रामों के चयन के लिये अलग से सूची नहीं बनाई जाती। ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करने के साथ उसकी एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का प्राविधान है।

वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में विकास खण्ड वार विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची संलग्न† है ।

---

†छापी नहीं गई।

**जनपद लखनऊ के ग्राम सरसवा की चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु पत्र**

156–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरसवा तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी पूर्ण कराकर धारा 52 के प्रकाशन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1986 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य–**

**जी हां।**

कथित ग्राम का सीमा विवाद सम्बन्धी मामला उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त न्यायालय के निर्णय के पूर्व धारा 52 के प्रकाशन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

157–श्री राम सजीवन–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

158–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

159–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

160–श्री राज किशोर सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**श्रीमती कमलेश कुमारी सक्सेना, बाल विकास परियोजना अधिकारी चिनहट, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण**

161–श्री मैनेजर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के विभिन्न अधिकारियों एवं शासन को चिनहट लखनऊ में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी (श्रीमती कमलेश कुमारी सक्सेना) के विरुद्ध बाल विकास परियोजना काकोरी, माल एवं चिनहट के कतिपय कर्मचारियों ने वर्ष 1983 से विभिन्न अवसरों पर शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों की क्या-क्या शिकायतें हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–**

**जी हां।**

बाल विकास परियोजना काकोरी की मुख्य सेविका, श्रीमती बीना श्रीवास्तव का कथन है कि तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीमती कमलेश कुमारी सक्सेना द्वारा उन्हें परेशान करने के फलस्वरूप वह 1-3-84 से 3-10-85 तक घर पर रही और वेतन की मांग कर रहीं हैं। श्रीमती बीना श्रीवास्तव मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना काकोरी लखनऊ के शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट पूर्ण होने के पश्चात निर्णय लिया जाना संभव होगा।

बाल विकास परियोजना माल की मुख्य सेविका श्रीमती मीरा देवी की शिकायत है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अकारण उनका 3, 9, 11 सितम्बर, 1985 तथा 15-10-85 का वेतन रोका गया। वर्तमान बाल विकास परियोजना अधिकारी, माल लखनऊ को वेतन आहरित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

बाल विकास परियोजना चिनहट लखनऊ की मुख्य सेविका कु0 उषा0 देवी की शिकायत है कि दिनांक 5-9-86 से 11-9-86 तक वह ड्यूटी पर रही किन्तु तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी चिनहट, लखनऊ ने उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुए उनके वेतन का रु0 204.40 पैसे का भुगतान रोक दिया है। सम्बन्धित मामला लोक सेवा अधिकरण (4) जवाहरभवन, लखनऊ के विचाराधीन है।

श्रीमती कमलेश सक्सेना बाल विकास परियोजना अधिकारी चिनहट लखनऊ का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजनाधिकारी महुआ-बांदा के पद पर किया जा चुका है। उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

162–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

163–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद बुलन्दशहर के ग्रामों के विद्युतीकरण की संख्या**

164–श्री किरनपाल सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 से लेकर आज तक जनपद बुलन्दशहर में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है? क्या यह सही है कि विभाग की नीतियों के निर्धारित मानकों के हिसाब से विद्युतीकरण गांवों की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो सरकार की नीतियों के अनुरूप काम न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री–

सन् 1980 से दिनांक 31-3-87 तक जनपद बुलन्दशहर में सी0 ई0 ए0 की परिभाषा के अनुसार 467 तथा एल0 टी0 मेन्स द्वारा 391 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

जी नहीं। अब तक कुल 1467 ग्रामों के विरुद्ध सी0 ई0 ए0 के अनुसार 1398 तथा एल टी0 मेन्स द्वारा 651 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बातरी के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण किए जाने की मांग**

165–श्री किरनपाल सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक बीबीनगर में स्थित ग्राम बातरी जो पूर्ण रूप से एक हरिजन बस्ती है, में गत कई वर्षों से कुछ बिजली के खंभे पड़े हुए हैं? यदि हां, तो उक्त हरिजन बस्ती को अभी तक विद्युतीकृत न किए जाने का क्या कारण है? उक्त मामले में देरी करने वाले विद्युत अभियंताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। जनपद बुलन्दशहर में ग्राम-बातरी के किसी भी ग्रामवासी द्वारा बत्ती व पंखा के कनेक्शन लेने हेतु प्राक्कलन के आधार पर धनराशि जमा न करने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका, क्योंकि विभागीय नियमानुसार अनुमानित व्यय पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ मिलना आवश्यक है। बाद में मा0 विधायक के 2/87 में, केवल हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण के लिए किये गये प्रस्ताव पर विचार करके, परिषद् के नियमानुसार रु0 5000/- के अन्दर प्राक्कलन स्वीकृत कर उक्त-हरिजन बस्ती का जून, 1987 में विद्युतीकरण कर दिया गया है। अतः किसी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

166–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**विवेकाधीन इण्टर कालेज दुबौलिया बाजार, बस्ती में आरक्षित छात्र एवं छात्रवृत्ति की जानकारी की मांग**

167–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विवेकाधीन इण्टर कालेज दुबौलिया बाजार, जिला बस्ती में 1984-85 व 85-86 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कितने छात्र पढ़ते थे? उक्त दो वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किन-किन तारीखों में कितना-कितना धन छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता हरिजन कल्याण विभाग, बस्ती द्वारा दी गई है ? उक्त धन को किस-किस बैंक में जमा किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**राजकीय पर्यवेक्षण गृह, फतेहपुर से भागे बाल अपराधियों के सम्बन्ध में जांच**

168–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर स्थित बाल बंदी गृह से नवम्बर, 1986 के प्रथम सप्ताह में किसी दिन लगभग 6 अपराधी भागे थे? यदि हां, तो भागे हुए अपराधियों के नाम क्या हैं? क्या उनमें से कोई पकड़े जा सके हैं? यदि हां, तो कौन-कौन है? क्या भागने के कारणों की कोई जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच किसने की? क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नवम्बर, 1986 के प्रथम सप्ताह में नहीं अपितु दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 को राजकीय पर्यवेक्षण गृह, फतेहपुर से 6 बाल अपराधी भागे थे। भागे हुये अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं:–

1–नारायण महतो, 2–भिखालाल महतो, 3–महेश कुमार, 4–लक्ष्मण, 5–सुनील कुमार, 6–उमेश।

उनमें से दो अपराधी पकड़े गये हैं जिनका नाम सुनील कुमार तथा नारायण महतो है।

जी हां। भागने के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा की जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके तथ्यों के आधार पर यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में अति वृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को राहत कार्य**

169–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में दिनांक 17 जुलाई, 1986 की रात्रि अतिवृष्टि से बहुत अधिक अचल सम्पत्ति की हानि हुई है? यदि हां, तो इस अतिवृष्टि से हुयी हानि का अनुमान किस अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को दिया गया? क्या यह सच है कि खण्ड विकास अधिकारी जखोली के पत्रांक 505/वाद/भू0 स्खलन/86-87 दिनांक 23-7-86 द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में पूरी सूचना संकलित करवायी थी? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार को क्या-क्या जानकारी मिली है? इस क्षतिपूर्ति हेतु क्या नीति अपनाई गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जिला अधिकारी द्वारा।

खण्ड विकास अधिकारी, जखोली ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करवायी थी।

इस घटना से लगभग 12 ग्रामों को जन व धन की भारी हानि हुई थी।

प्रभावित व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार राहत सहायता उपलब्ध करा दी गई है। क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है। तात्कालिक सहायता के रूप में निर्धारित दरों पर पात्र परिवारों को राहत सहायता उपलब्ध करायी गयी थी।

**जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणी धार में बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता**

170–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणी धार में दिनांक 18 जुलाई, 1986 को अंजजीसेम के पास पट्टी लामरीघाट में बादल फटने से उसके आस-पास के 12 गांव प्रभावित हुये थे? यदि हां, तो इस आपदा से इन गावों में क्या-क्या जनधन व स्थाई निर्माण की क्षति हुयी है? इन्हें किस प्रकार क्षति पूर्ति कर पुनः निर्मित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, 262 परिवार तथा लगभग 14 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। कुल अनुमानित क्षति रुपया 10,78,500 आंकी गई है। तीन ग्रामों की लगभग 4600 मीटर लम्बाई की आठ कच्ची गूलें क्षतिग्रस्त हुई । कोई जन एवं पशु हानि नहीं हुई है प्रभावित पात्र व्यक्तियों को रु0 31,100 की निःशुल्क अहेतुक सहायता और 38 परिवारों को रु0 21,000 आपदा तकावी ऋण वितरित किया गया है। क्षतिपूर्ति करने की कोई योजना नहीं है।

**जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में भू-स्खलन व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान**

171—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में दिनांक 17-7-86 की रात्रि अपार बाढ़ व भू-स्खलन के कारण गांव सिरवाडी नागर में 13 व्यक्तियों और पूलन मल्ला ग्राम लिस्वाटा वांगर में क्रमशः एक-एक व्यक्ति कुल 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को किन-किन मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति कब-कब दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सिरवाड़ी में 13 व्यक्तियों तथा ग्राम पूलन में एक व्यक्ति की मृत्यु अति-वृष्टि/मेघ विस्फोट/भूस्खलन के कारण हुई थी। ग्राम लिस्वाल्टा उल्लिखित आपदा से प्रभावित हुआ था परन्तु उसमें हुई एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बीमारी था।

ग्राम सिरवाड़ी व ग्राम पूलन के 14 मृत व्यक्तियों में से 8 के सम्बन्ध में प्रति मृत व्यक्ति 5,000 रु0 की दर से 40,000 रु0 की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में उनके उत्तराधिकारियों को आपदा के बाद वितरित की गयी थी। शेष 6 मृत व्यक्तियों का उत्तराधिकारी नहीं था अतः उनके बारे में वितरण नहीं किया जा सका। ग्राम लिस्वाल्टा के व्यक्ति की मृत्यु बीमारी के कारण होने के कारण उपरोक्त सहायता नहीं दी गई।

**संयुक्त सचिव (श्री शर्मा) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

172—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या शासन को जानकारी है कि संयुक्त सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (श्री शर्मा) के विरुद्ध दिनांक 15/16 अक्तूबर, 1986 को कोई शिकायती पत्र श्री मयंकर सिंह व श्री रणजीत सिंह, सदस्यगण, विधान सभा का शासन को मिला है जिसमें उक्त संयुक्त सचिव द्वारा विभाग में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो शिकायत का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन द्वारा इस दिशा में अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

शिकायतों का विवरण निम्नवत है :—

(1) सभी मामलों से संबंधित जांच तथा परीक्षण का कार्य दिया जाना ।

(2) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की संविदा नियुक्तियों को नियमित करने का कार्य दिया जाना।

(3) हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी (श्री नोहर प्रसाद) को दोष मुक्त करना ।

(4) अनिर्णीत मामलों से संबंधित अधिकारियों को ब्लैकमेल करना।

(5) विभागीय अधिकारियों से पैसा लेकर पदोन्नत करना।

(6) छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में घोटालों की जांच किया जाना।

उक्त शिकायतें निराधार पायी गयी। नियुक्ति विभाग को अवगत करा दिया गया है।

**प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

**श्री रघुबर दयाल वर्मा–**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–19 . . . .

**श्री उपाध्यक्ष–**

यहां प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न न उठावें। आप माननीय अध्यक्ष के कक्ष में आ जायं और बात कर लें।

**श्री रघुबर दयाल वर्मा–**

तो मान्यवर, वहां पर माननीय मंत्री को भी बुला लें।

**श्री उपाध्यक्ष–**

माननीय मंत्री को भी बुला लिया जायगा।

**सिंचाई राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर वार्ष्य के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना**

[समय 12 बजकर 20 मिनट पर]

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार की सूचना मिली है, इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा और जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह परिपाटी रही है और आपको भी इस तथ्य की जानकारी रही है कि जब कभी किसी मा0 सदस्य से स्वयं के साथ कोई मामला उठता है तो उसे सुनने का मौका दिया जाता है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं, अभी इससे पहले हरिशंकर तिवारी जी का मामला था, उनको सुनने का मौका दिया गया। इसी प्रकार जब भी किसी मा0 सदस्य को किसी अधिकारी द्वारा या पुलिस द्वारा या अन्य किसी प्रकार प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ अन्याय किया गया है तो जब वह सदन में पहली बार आते हैं तो उस समय जो भी पीठासीन अधिकारी रहे हों, चाहे माननीय अध्यक्ष हों, आप हों या अन्य कोई भी पीठासीन अधिकारी हो, सबके द्वारा मौका दिया जाता रहा है। आज जब यदुनाथ सिंह जी खड़े हुए, अपनी बात कहने के लिए कि उनके साथ किस तरह से मंत्री के कमरे में मंत्री द्वारा निन्दनीय और अभद्र व्यवहार किया गया, यहां तक कि सदस्य और मंत्री के बीच में मारपीट भी हुई, मुझे पूरे तथ्य की जानकारी तो नहीं है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप यदुनाथ सिंह जी को सुनने का मौका देने की कृपा करें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, बैठिए । गुप्ता जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर व्यवस्था तो दे दीजिये। बोलने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिये। गुप्ता जी ने एक बात उठाई कि परिपाटी रही है तो परिपाटी कभी रही है, कभी नहीं भी रही है जब माननीय सदस्यों के साथ किन्हीं अधिकारियों के साथ इस तरह की कोई बात होती है तो परिपाटी रही है लेकिन यह जो विषय है यह दोनों सदस्यों का मामला है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करना उचित न होगा। जहां तक मैं समझता हूं, दोनों सदनों के सम्मानित सदस्य हैं, चाहे वे मंत्री के रूप में हों या विधायक के रूप में हों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप चर्चा न करें। यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी।

(श्री राम आसरे वर्मा को पुकारे जाने पर)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर श्री सत्यपाल सिंह भी खड़े हुए)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बुलाया था लेकिन अब नेता विरोधी दल खड़े हो गए हैं और सदन में नेता, विरोधी दल और नेता, सदन का सम्मान करना बहुत जरूरी है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस पर आपने अपनी व्यवस्था भी दे दी और आपने कहा कि माननीय सदस्य की किन्हीं अधिकारियों के साथ इस तरह की कोई बात होती है तो परिपाटी रही है लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यह विषय माननीय सदस्य का सत्ता पक्ष के मंत्री से संबंधित है और यदि आप दोनों पक्षों को सुन लेते तो ज्यादा उचित होता, वैसे आप जैसा मुनासिब समझें करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वैसे तो, जैसा कि आपने अभी कहा कि इस मामले पर यहां चर्चा न होती, इस पर बातचीत न होती तो ज्यादा बेहतर था। अध्यक्ष के कक्ष में बैठकर बात हो जाती। माननीय मंत्री जी और यह दोनों वहां बैठकर बात कर लेते और कोई भी आपसी मनमुटाव अगर है तो वह वहीं दूर हो जाते और यहां पर यह बात लाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है क्योंकि यह भी इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वह भी, लेकिन जब माननीय नेता विरोधी दल ने स्वयं यह अनुरोध कर लिया कि इनको यहां सुन लिया जाए तो मान्यवर, इनकी बात को मानते हुए मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा कि माननीय यदुनाथ सिंह जी व मौर्य जी को आप सिर्फ सुन लें और इनके अतिरिक्त किसी और को न सुनें क्योंकि इन्हीं दोनों का यह मामला है। वैसे माननीय नेता विरोधी दल बाद में इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो उन्हें आजादी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का मैं सदस्य हूं और सदस्य होने के नाते किसी माननीय मंत्री के दफ्तर में किसी भी विधायी कार्य से या सेत्रीय कार्य से जा सकता हूं। इसी तहत मैं माननीय मंत्री जी के दफ्तर गया, मैं इतना नहीं समझता था वैसे मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा और माननीय नेता विरोधी दल ने कि इस प्रकरण को कहीं और विचार कर लें और यहां इसकी चर्चा न हो, मैं भी अपने आप को इन विचारों से सम्बद्ध करता हूं लेकिन मान्यवर, मजबूरी यह है कि मैं नहीं जानता था कि यह साहब इतनी जल्दी हमारे ऊपर नाराज हो जायेंगे और अनायास ही गाली-गलौज पर उतर आएंगे और अपने शैडो को बुलवाकर हमको फेकवाएंगे पिटवाएंगी। मैं इसकी उम्मीद नहीं करता था। (शेम-शेम की आवाजें) मैं मान्यवर, एक दम सचेत रह गया माननीय मंत्री जी के इस प्रकार के व्यवहार से, मैं फिर मन में सोचने लगा कि क्या शराब पिये हैं या कुछ गोपनीय बात है और मान्यवर, जब मैं एम0 एल0 ए0 नहीं था, तब भी मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीगण व मुख्य मंत्री आदि से मिला हूं, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी और जब से मैं सन् 1980 से एम0 एल0 ए0 हुआ हूं, तब से आज तक भी ऐसा अवसर नहीं आया। यह आज क्या बात हुई और मान्यवर, गाली-गलौज व मार-पीट की स्थिति को कोई भी माननीय सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधान सभा में प्रश्न करते हो और यहां पर आते हो अपने काम करवाने। क्या कोई चेम्बर जो मंत्री का होता है, क्या वह प्राईवेट होता है, जिसको प्राईवेट लाज कहा जाए या अंग्रेजों का कोई चेम्बर है कन्वेंशन का, जहां नहीं जाया जा सकता है। इतना सब अपमानित करने के बाद फिर कहा कि मैं सदन में देख लूंगा। मैं सोचने लगा कि कितनी बड़ी पावर आज इन्हें मिल गयी है। आखिर यह एक राज्य मंत्री ही हैं और पहले एक सदस्य हैं फिर उसके बाद यह मंत्री हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि इनका दिमाग तो आज आसमान पर चढ़ा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लोगों को और माननीय वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री जी को यदि अपनी छवि बरकरार रखनी है तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।

घटना मान्यवर, यह है कि मैं लगभग 5.00 बजे सिंचाई विभाग के कार्य से एक जूनियर इंजीनियर जो नारायणपुर में थे, उनके मामले में गया था। जब माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में बात की तो वह एकदम से नाराज होने लगे कि यह भी कोई काम कराने का तरीका है, विधान सभा में प्रश्न करते हो। मैं मान्यवर, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह ऐसी बातें करेंगे। (शेम-शेम की आवाजें) (व्यवधान) और यह गाली तो मान्यवर, सारे सदन के सामने आना उचित नहीं है, क्योंकि यहां पर मां बहिनें भी बैठी हैं। इस तरह की गाली देने के बाद, मान्यवर, मैंने समझा कि मा0 मंत्री जी जरूर बदहवास हैं। मैं मंत्री जी को काफी समय से जानता हूं। कई बार इनसे मिला हूं। इन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया। काम न करने का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग महसूस करते होंगे कि यदुनाथ सिंह विरोध पक्ष में हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से . . .

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इनको जो बोलने की अनुमति दी, उस व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। आपने कहा कि जो मामला है, उसके बारे में विचार आ जाय। मा0 सदस्य ने कहा कि जो बातें हुईं उनका उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। तो जब यह उल्लेख नहीं कर सकते तो इस चर्चा का औचित्य क्या रह जायगा। कृपया इस चर्चा को अपने कक्ष में करावें और उससे जिस नतीजे पर पहुंचे, उसके बाद सदन में जो प्रस्ताव रखना चाहें, रख दिया जाय। नहीं तो इसमें समय निकल जायगा और बातों पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो यही कह रहा था, लेकिन मैंने इजाजत दे दी है कि यदुनाथ सिंह जी अपनी बात बता दें।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोई व्यक्ति चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, हम लोग पार्टी के कारण यहां और वहां बैठे हैं। तो मान्यवर, हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, इसकी एक गरिमा है, उन लोगों की भी एक गरिमा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं कि वे अपनी बात कह दें, लेकिन बार-बार आवाजें उठती हैं कि घटना क्या है, तो घटना के सम्बन्ध में विवरण आपके कक्ष में आ जाय। इधर के कुछ आदमी बुला लें और उधर के भी कुछ आदमी बुला लिये जायं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यहां पर घटना के सम्बन्ध में विवरण न इधर से मांगा जाय और न उधर से मांगा जाय। जो भी स्थिति हो, आप अपने कक्ष में बैठकर निर्णय ले लें। यह हम लोगों के आचरण से संबंधित मामला है, इसलिए मर्यादा में रहेंगे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभद्र व्यवहार हुआ। मान्यवर, हर मा0 सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि किस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ। किसकी गलती थी और किसकी नहीं। मान्यवर, अगर कक्ष में बैठकर मसले को दबा दिया जाता है तो हमारे भी अधिकार बनते हैं। हमें भी माननीय मंत्रियों के यहां जाना पड़ता है। अगर माननीय मंत्री जी का रुख पता लग जायगा तो हम लोग भी अपना रास्ता बदल लेंगे। इसलिये यह चर्चा सदन के सामने ही जानी चाहिए और दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

[ x x x ]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा। आप बैठें।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**श्री राम आसरे वर्मा–**

[ x x x ]

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष–**

कुछ नहीं लिखा जायगा, आप बैठें।

**श्री यदुनाथ सिंह–**

मान्यवर, जैसा कि जयदीप सिंह बरार साहब ने कहा, मैंने तो कहा कि गाली गलौज का जो इस्तेमाल किया गया, उसको बड़ा मुश्किल है कि [xxx] विधान सभा में कही जाय, लेकिन पूरी घटना पर मान्यवर, मैं समझता हूं कि जैसा कहा जा रहा है, करीब-करीब 5 बजे मैं उनके पास गया, उनके सचिवालय के चेम्बर में गया। मैं बहुत काफी देर तक उनके सामने खड़ा रहा, फिर बगल में ही पड़ी बेंच पर जब बैठ गया। तो शेडो बुलाकर के इन्होंने कहा कि [xxx] बाहर निकाल दो, मैंने कहा कि इनको हो क्या गया है?

**श्री राम आसरे वर्मा–**

मान्यवर, माननीय बरार जी से जो अभी बात हुई है उसको सुन लें। मेरी बात सुन लें।

**श्री उपाध्यक्ष–**

आप लोग आपस में क्या बात करते हैं, उसका मुझे पता नहीं । आप लोग बैठें । माननीय यदुनाथ सिंह जी 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री यदुनाथ सिंह–**

मंत्रिमंडल के यह सदस्य कार्यपालिका के अंग हैं। जब हम विधायिका से जुड़े हुए लोग किसी काम से इनके पास जायेंगे और ऐसे ही यह बेइज्जत करेंगे तो फिर विधान सभा को चलाने का क्या औचित्य है? सदन की गरिमा का प्रश्न है। विशेषाधिकार का प्रश्न सीधे बनता है। इन्होंने कहा विधान सभा में प्रश्न करवाते हो और यहां काम करवाने आते हो । इन्होंने मुझे उस समय [xxx] की गाली दी । मान्यवर, इस तरह के लोगों को मंत्री बनाने का क्या औचित्य है ? इस तरह से मुझे जिन्दगी में किसी ने गाली नहीं दी होगी जिस तरह से इन्होंने दी। इस अदना मंत्री की गाली सुनकर मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई। अब इसके बाद मान्यवर, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस विधान सभा में रहूं या न रहूं ।

(श्री भोला शंकर मौर्य के खड़े होने पर)

**श्री काशी सिंह ऐरी–**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष–**

आप बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आपस की बातों पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। आप आपस में बातें क्यों कर रहे हैं?

---

नोट :–[xxx] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है। लेकिन उधर के कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं। माननीय प्रमोद तिवारी मंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं, यह कुछ कह रहे हैं। उधर माननीय सदस्य बैठे हैं, वह धमकी दे रही हैं। खुली धमकी मिल रही है। आप मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर के भेज दीजिये, जो भी उन्होंने कहा है। आप बैठें। कोई धमकी नहीं दी जा रही है। माननीय सदस्य शान्ति बनायें रखें।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, कल जो घटना घटित हुई थी, उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। मैं कल इसी स्थान पर बैठा था। माननीय यदुनाथ सिंह जी मेरे पास आये। मेरे बगल में एहतिशाम वली साहब भी बैठे हुए थे। माननीय यदुनाथ सिंह जी एक पत्र लेकर मेरे पास आये। वह पत्र मैं आपकी संज्ञान में ला चुका हूं। वह पत्र यह था :–

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस पत्र को न रखवायें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

आप सारी बातें कह रहे हैं, मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अपनी बात कहें। माननीय सदस्य शांति रखें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं यहां पर लगभग 12.30 बजे बैठा हुआ था। मेरे पास यहां एहतिशाम वली साहब बैठे हुए थे। माननीय यदुनाथ जी पत्र लेकर आए, मैं उस पत्र को पढ़ दे रहा हूं।

दिनांक 2-7-87

यदुनाथ सिंह
विधायक
चुनार–मिर्जापुर।
माननीय सिंचाई राज्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

महोदय,

कृपया श्री सूर्य नारायण प्रसाद जू0 ई0 (सिविल) मेरे विधान सभा क्षेत्र के नरायनपुर शीर्ष कार्य प्रखण्ड प्रथम वाराणसी में कार्यरत हैं। इनका स्थानान्तरण अष्ट दशम मण्डल, इलाहाबाद में मुख्य अभियन्ता, पूर्वी नहर एवं बाढ़ द्वारा किया गया है। इनका कार्य बहुत ही उच्च स्तर का है तथा स्थानीय कठिनाइयों से ये पूर्णतया अवगत हैं। हमें शक है कि इन्हें हटाने के बाद शेष कार्य पूरा होने में व्यवधान पड़ेगा। नरायनपुर शीर्ष का कार्य अभी शेष है तथा अभी पम्प गृह राष्ट्र को समर्पित नहीं किया गया है।

अतः ऐसी विशेष परिस्थिति में इनका स्थानान्तरण आदेश एक वर्ष हेतु स्थगित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0—यदुनाथ सिंह
2-7-87

मान्यवर, श्री यदुनाथ सिंह जी ने कहा कि अभी आप इस पर आदेश कीजिए । मैंने इनसे कहा कि, "मैं इसे देखता हूं कि मामला क्या है? इस पर मैं विचार करूंगा।" यह बोले नहीं अभी आप इस पर आदेश कीजिये । श्री एहतिशाम वली साहब ने भी कहा कि "किस प्रकार की भाषा यह इस्तेमाल कर रहे हैं?" उसके बाद यह रोष में आकर बड़बड़ाते हुए चले गये। मैं विधान परिषद् में साढ़े तीन बजे चला गया। क्योंकि विधान परिषद् में आज के लिए सूखे पर चर्चा निर्धारित थी। तो मैंने अपनी मीटिंग बुला रखी थी। आफिसर्स जो मीटिंग हेतु आये थे, मेरे कक्ष में उपस्थित थे। वहां पर उस समय हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री राम सिंह सैनी जी भी बैठे थे। यह विधायक जी आये। मैंने इनसे कहा कि विधायक जी तशरीफ रखिये, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं उससे निपट कर आ रहा हूं, फिर आपसे बात करता हूं यह बोले नहीं आप अभी उस पर आदेश कीजिए और मेरे बराबर में आकर बैठ गए और कहने लगे कि मैंने आपको विधान सभा में एक कागज दिया था, वह कहां है? मैंने कहा कि मैंने उसे अपने दफ्तर में रखा है, उस पर छानबीन कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि अभी लाकर उस पर आप आदेश कीजिए, फिर कहने लगे [ x x x ] क्या किसी विधायक का यह व्यवहार होना चाहिए? मैंने कहा कि मैं कागज मंगाता हूं । इतने में ही यह उठे और एकदम से मेरा कुरता पकड़ा और फाड़ दिया और धक्का देकर गिरा दिया। मैंने उनको रोका। श्री राम सिंह सैनी जी ने इन्हें कोहली में भर लिया। यह छटपटाते हुए, एकदम मेज उठाकर मेरे ऊपर हमलावर हो गये। ये तथ्य हैं। क्या किसी विधायक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मंत्री के कक्ष में जाकर इस प्रकार का व्यवहार करे। निराधार व बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं कि मैंने गाली दी। मैंने किसी विधायक का असम्मान नहीं किया और निरादर नहीं किया। मैंने उसके बाद अध्यक्ष जी को टेलीफोन किया।

श्री यदुनाथ सिंह—

आप [xxx] बोल रहे हैं, आप [xxx] है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री यदुनाथ सिंह जी, आप बैठ जायं, मंत्री जी की बात को आप सुनें।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा स्थिति बहुत दुखद है। उधर की भी बात आ गयी और माननीय मंत्री जी का भी कथन सदन के सामने आ गया। अब दोनों तरफ चाहे उधर के मा0 सदस्य हों या इधर के मा0 सदस्य हों. . . .

---

नोट :—[ x x x ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सत्ता पक्ष की ओर से "पूरी बात आ जाने दीजिये", "पूरी बात आ जाने दीजिये" की आवाजें आने के कारण व्यवधान)

**श्री भोला शंकर मौर्य–**

मान्यवर, मेरी बात पूरी सुन लें । उन्होंने जैसे ही मेज उठायी उन्होंने कहा कि, "आपका वही हाल करूंगा, जो मालवीय जी का किया था और मालवीय जी से पहले भी बहुत कुछ कर चुका हूं, आपको पता नहीं है कि मैंने धर्मसिंह के साथ क्या किया है? आपको पता नहीं है मैं अपने इसी हैण्डबैग में एक बम ले आऊंगा और हाउस के फ्लोर में आकर फोड़ दूंगा। यह आप विधान सभा और विधान परिषद् का काम कर रहे हैं, यह हमारी अनुमति से कर रहे हैं।" इसके बाद उन्होंने उत्तेजित होकर मेज पर से कागज उठाकर फेंके और कुछ फाड़ भी दिये। मैं व्यस्त था विधान सभा और विधान परिषद् का काम कर रहा था, प्रश्नों के उत्तर देख रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो निन्दनीय और अशोभनीय व्यवहार किया, वह क्या सदन की गरिमा और विधायक की गरिमा के अनुरूप है? इसके बाद यह जो काण्ड हुआ, तुरन्त उसकी सूचना मैंने माननीय अध्यक्ष को दी । माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप कृपया उनके नेता, नेता, विरोधी दल को इनफार्म कर दें, मैंने उनको इनफार्म किया। उससे पूर्व यह किसी तरह से भी कक्ष से हटकर नहीं जा रहे थे। सिक्यूरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी निवेदन किया, फिर उन्हीं के दल के कमाल साहब, जो बस्ती के विधायक हैं, उनसे भी पूछ लें, उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि "चले चलिये", तब उनके आग्रह पर पता नहीं कैसे कमाल साहब उनको मेरे कक्ष से ले गये। फिर नेता विरोधी दल, श्री मनोहर लाल जी और कमाल साहब स्वयं और दो-तीन विधायक, जिन्हें मैं शक्ल से पहचान सकता हूं लेकिन नाम नहीं जानता, वे आये। उन्होंने स्थिति देखी, मेरा कुर्ता फटा हुआ था, दफ्तर अस्त-व्यस्त हालत में देखा। उनका यह बड़प्पन था कि उन्होंने कहा कि बात यहीं खत्म कर देनी चाहिये। उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपको बहुत पीड़ा हुई है, इसके लिये उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। मैंने कहा कि आज इस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि, "आपको मौर्य जी यह नहीं पता है कि यह एबनार्मल व्यक्ति हैं। अगर आपको पता होता तो यह घटना आपके साथ न होती। चूंकि यह एबनार्मल हैं, इस वजह से यह घटना हो गयी है ।" अगर इनके नेता किसी एबनार्मल व्यक्ति को यहां छोड़ दें तो सदन का क्या होगा ? इस वक्तव्य के साथ ही मैं इस पर समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं । आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इनको जो भी समुचित दण्ड हो सकता है, दिया जाय।

(श्री राम नरेश यादव, श्री राम आसरे वर्मा तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष–**

अब मैं इस पर किसी को सुनूंगा नहीं। आप लोग बैठें।

**श्री राम नरेश यादव–**

मान्यवर, एक सुझाव है मेरा कि इधर की बात आपने सुनी और उधर से भी बात सामने आ गयी, आप सदन की हालत देख रहे हैं। इसलिये मान्यवर, अच्छा होगा

कि आप अपने कक्ष में माननीय मंत्री जी को और यदुनाथ सिंह जी को बुला कर, क्योंकि सारे सदन के सदस्यों को इस बात से तकलीफ हुई है, आप इन दोनों को अपने कक्ष में बुला कर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस पर अपना निर्णय लें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विषय में माननीय यदुनाथ सिंह ने और माननीय मंत्री जी ने अपने-अपने विचार यहां व्यक्त किए और दोनों ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाये। माननीय यदुनाथ सिंह का कहना है कि मंत्री जी ने पहले मुझसे दुर्व्यवहार का आरम्भ किया और मंत्री जी का कहना है कि पहले यदुनाथ सिंह ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विषय में मा0 मंत्री जी ने अपने प्राईवेट सेक्रेटरी को जब हमारे कक्ष में भेजा और कहलाया कि नेता विरोधी दल को बुला लाओं तो मैंने तत्काल विधायक, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ को और भू0 पू0 शिक्षा मंत्री श्री कैलाश नाथ को वहां पर भेजा और उन्होंने आकर मुझे बतलाया कि मा0 यदुनाथ सिंह के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ और वे इस समय वहां पर धरना दिये हुए बाहर बैठे हैं। मैंने दोनों को फिर भेजा और कहा कि जाकर यदुनाथ सिंह को लिवा लाओं और वे जब लौट कर आये तो यदुनाथ सिंह को लिवा लाये थे। मैंने यदुनाथ सिंह से घटना के बारे में पूछा और अपना कर्तव्य समझ कर माननीय मंत्री जी से भी जानकारी करनी चाही । माननीय मंत्री जी ने मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और कहा कि आप मेरे कक्ष में आइये। मैं, मा0 मनोहर लाल जी तथा अन्य तीन-चार विधायकों के साथ मंत्री जी के कक्ष में गया जब घटना के संबंध उन्होंने मुझे बतलाया तो मैंने उनसे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । आप बड़े हैं, इसको छोड़िए । इतने में राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जी वहां पहुंच गये थे। मंत्री जी जानते हैं कि आपकी पहले की भू0 पू0 विधायिका, शकुन्तला जी वहां पर खड़ी हुई थीं वे मुझ पर बिगड़ने लगीं कि आपकी पार्टी के लोग इस तरह से काम करेंगे । मैंने उनको बहुत ठंडा करने का प्रयत्न किया लेकिन उन्होंने खूब गलत-सलत शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन मैंने कोई आक्रोश नहीं किया। यदि मैं भी आक्रोश में आ जाता तो मंत्री जी, वही घटना फिर दोहरा जाती कि एक दुर्घटना तो आपके चैम्बर में हुई थी और दूसरी आपके चैम्बर के बाहर हो जाती।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों, यदि कोई कड़ी भाषा का इस्तेमाल भी कर जाता है तो आपको गरम होना आवश्यक नहीं है, परिस्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिये, बजाय इसके कि परिस्थिति को और हवा देते रहें, इससे परिस्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण हो जायेगी। कल भी मैंने मंत्री जी से कहा था कि इस बात को छोड़िये और इसको आगे मत बढ़ाइये। लेकिन आज अध्यक्ष जी ने मुझे साढ़े दस बजे तलब किया और उन्होंने कहा कि यदुनाथ सिंह के खिलाफ मंत्री जी की शिकायत आयी है। यह बात यदुनाथ सिंह को भी मालूम पड़ी तो मा0 यदुनाथ सिंह मजबूर हो गये इस घटना की सूचना विशेषाधिकार के रूप में देने के लिये।

यदि मंत्री जी ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया होता तो इस समय यह स्थिति पैदा न होती। अब न आप आगे बढ़े और न यह बढ़े, लेकिन इसकी शिकायत यहां पर की गयी और यह स्थिति पैदा हुई । मेरा विचार है कि आप माननीय मंत्री जी को बुला लें । माननीय यदुनाथ सिंह जी को बुला लें अगर जरूरी समझें तो मुझे बुला लें,

संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लें और चाहें तो अन्य नेताओं को बुला लें और इसका समझौता करा दें, जिससे इस प्रकार की कटुता और आगे न पैदा हो ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं दुख के साथ बैठा हुआ दोनों की बात सुन रहा था, माननीय मंत्री जी की भी बात सुन रहा था और माननीय यदुनाथ सिंह की भी बात सुन रहा था और आश्चर्य हुआ जब माननीय राम आसरे वर्मा जी इस बात का प्रयास कर रहे थे कि यह सारे आरोप और प्रत्यारोप इस सदन में लग जायें । मैं समझता हूं कि इस सदन में जितने भी लोग हैं, उनका मान्यवर, कर्तव्य है कि इस सदन की गरिमा को बनाये रखें । अगर इस प्रकार की कोई बात हो जाती है, तो आपस में बैठकर तय हो जानी चाहिये और सदन की चहार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिये, जनता के पास नहीं जानी चाहिये । इस प्रकार की बातों को सुनकर जनता यही सोचेगी कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिये यह लोग गये हैं और यह अपनी ही बातों को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह जो कांड हुआ है, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर घटना है, चाहे जिस तरफ की गलती रही हो । बहुत सी बातें इस बात को लेकर इस सदन में प्रदर्शित हुई और आपको वस्तु स्थिति का अन्दाज हो गया होगा, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि आज हम लोग निश्चय करें कि ऐसी घटना इस प्रकार की आगे न सदन में हो और एक एक्जम्प्लरी केस बने । इसलिए नियम 200 के अंतर्गत एक कमेटी का गठन कर दिया जाये जो इस सारे मामलों की जांच करें और जो दोषी पाया जाये उसके विरुद्ध सख्त से सख्त सजा दी जाये । इसलिए मेरा जो प्रस्ताव है, उसको आप इस सदन के सामने रखें ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, नियम 200 के अन्तर्गत रखा है, उसको स्वीकार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## टाउन एरिया गोला, गोरखपुर के सफाई कर्मचारियों को दस माह से वेतन न दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष –

आज नियम 301 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं और दो अस्वीकृत हुई हैं । जो सूचनाएं स्वीकार हुई हैं, उनमें डा0 अच्युतानन्द तिवारी, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री अभिताभ अनिल दुबे, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री मूल चन्द्र, श्री यदुनाथ सिंह और श्री मयंकर सिंह की हैं, और जो सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं उनमें श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी और श्री दीप चन्द्र सोनकर की हैं ।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी–

मान्यवर, जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया गोला के सफाई कर्मचारियों को विगत 10 महीनों का वेतन बकाया है । परिणाम स्वरूप कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सैकड़ों लोगों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि पूरा वेतन तत्काल दिया जाये ।

**मेरठ में दंगे के कारण पी0 सी0 एस0 परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मई, 1987 के तीसरे सप्ताह में पी0सी0एस0 की परीक्षाएं शुरू हुई । दुर्भाग्यवश 18 मई से मेरठ में साम्प्रदायिक दंगा हो गया । गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए मेरठ शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था । जिन कालेजों में परीक्षा केन्द्र थे वह भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में थे । ऐसी परिस्थितियों में परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना संभव नहीं था । परीक्षा केन्द्र पर आ रहे मेरठ शहर की परिस्थितियों से अनभिज्ञ परीक्षार्थियों पर हमला भी हुआ जिसमें तीन परीक्षार्थी घायल भी हुए । परीक्षार्थियों में साम्प्रदायिक दंगा होने के कारण डर व्याप्त हो गया और 95 प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गये । परीक्षार्थियों के साथ-साथ मेरठ के जनमानस में अधिक रोष पुनः परीक्षा न लेना परीक्षार्थियों के साथ घोर अन्याय होगा । अतः ऐसी परिस्थिति में सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरठ शहर में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में आये सभी परीक्षा केन्द्र पर पी0 सी0 एस0 की परीक्षा पुनः कराये जाने के आदेश शीघ्र देने की कृपा करें ।

**प्रदेश के लगभग चार सौ असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची जारी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, मैं प्रदेश शासन का ध्यान असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों संबंधी अविलम्बनीय अति लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश के लगभग 400 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी इस भीषण महंगाई में भी मात्र 50 रुपया से 100 रुपया वेतन पर कार्य करते हुए बन्धुवा मजदूरों की सी जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं । शासन द्वारा अनुदान सूची जारी न किये जाने से शिक्षक अपने भविष्य के प्रति हतोत्साहित हैं ।

आपके माध्यम से शासन से मेरा आग्रह है कि संबंधित अनुदान सूची अविलम्ब जारी करें ताकि शिक्षक अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर निर्विकार रूप से सेवा कर सकें ।

**आगरा में जमुना नदी पर निर्मित "जवाहर पुल" की दयनीय दशा एवं पुनर्निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सत्य प्रकाश विकल –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं । आगरा में यमुना नदी पर बना जवाहर पुल ऐसा एक मात्र पुल है जिस पर होकर दिल्ली से आगरा होते हुए कानपुर की ओर तथा मेरठ, देहरादून को आने और जाने वाला समस्त यातायात व भारी वाहन गुजरते हैं । हाल ही में मंडी समिति स्थापित हो जाने से इस यातायात में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ।

200 मीटर में यमुना पर बना यह जवाहर पुल अब काफी क्षतिग्रस्त हो गया है । पूल के डैक स्लैब में क्षति होने के बाद अब गर्डबस में भी डायगोनिल क्रैक्स आ गए हैं। डैकस्लैब में क्षति के कारण पुल के ट्रैवलिंग सरफेस में छेद हो गए हैं और यह क्षति बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण कभी भी भीषण दुर्घटना सम्भावित है । जिला प्रशासन ने इसी कारण 15 टन से अधिक वजनी समस्त यातायात पुल पर से गुजरना रोक दिया है जिसके कारण वाहनों में काफी लम्बा चक्कर काटकर दूसरी ओर से जाना पड़ता है । केवल 10 किलोमीटर की गति से बसों को आने-जाने की अनुमति है । पुल से गुजरती बसों के यात्री दुर्घटना की आशंका से सदैव आतंकित व भयभीत रहते हैं ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं शासन से मांग करता हूं कि वह बिना किसी दुर्घटना होने का इंतजार किये यमुना पर प्रस्तावित दूसरे पुल के निर्माण का कार्य तुरन्त आरम्भ करें तथा क्षतिग्रस्त जवाहर पुल जांच विशेषज्ञ टीम से कराकर उसकी ठोस मरम्मत करायें ।

**ज्ञानपुर, वाराणसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, मैं जंनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत शासनादेश के मुताबिक आज कल 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि को आवास बनाने खेती करने एवं मछली पालने हेतु भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है । यही नहीं जिन अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का आवंटन हुआ है उसमें 95 प्रतिशत लोगों को या तो कब्जा नहीं मिला है और या फिर मुकदमा कायम कराकर न्यायालयों से स्टे ले लिए हैं जिससे हजारों लोग भूमिहीन बने हुए हैं । इससे इन कमजोर वर्गों में भारी असन्तोष व्याप्त है ।

अत: आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि कृपया भूमिहीन लोगों का पट्टा कराया जाय और जिन लोगों के नाम पट्टे हों, उनसे लेकर भूमिहीनों को दिलाया जाय तथा जिन लोगों के मुकदमें न्यायालय में स्टे चल रहे हों उसे तत्काल निरस्त करते हुए आवंटियों को कब्जा दिलाया जाय ।

**मिर्जापुर में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पम्प नहर नारायणपुर को स्वीकृत क्षमता के अनुसार कार्य न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व ....., मान्यवर, ऐसा है मौर्या साहब के साथ हुये झगड़े के कारण कुछ चोट आ गयी जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। इसे पढ़ा हुआ मान लें तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सदन की सहमति से यदुनाथ सिंह की सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी)

[इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में स्थित एशिया का सबसे बड़ा पम्प नहर नरायनपुर सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। यह पम्प नहर 1800 क्यूसेक की जगह वर्तमान में 900 क्यूसैक ही पानी दे पा रहा है जिससे वाराणसी और मिर्जापुर के कमाण्ड एरिया की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इससे किसानों का धरना चालू है। 12 जून तक पानी नहीं छोड़ा गया था जिससे कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके लिये श्री पी0 पी0 श्रीवास्तव, अधि0 अभियंता मूसाबाद डिविजन वाराणसी, श्री चैतन्य पाल वाष्णेय, अधि0 अभियंता नरायनपुर, हेड वक्स, तथा श्री एम सी0 गुप्ता अधि0 अभि0 लिफ्ट सिंचाई विभाग तीनों लोग जिम्मेदार हैं। इस कार्य से क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि शाहपुर, रेपुरिया कोराऊ, कमानपुर, बहादुरपुर, बघेड़ा, नियामतपुर, कलां, काशीपुर, सहरूपुरा, पचेवरा, बगही, लजालपुर, भपफी, चन्द्रापुरा, शिवानीपुर, मांगपुर, की आपासी माइनर निकाल कर के सुनिश्चित किया जाय।]

**डी0 ए0 वी0 कालेज बलरामपुर परीक्षा केन्द्र से बैठे हुए हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार तथा माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बलरामपुर एम0 पी0 पी0 कालेज के छात्रों का परीक्षा का केन्द्र डी0 ए0 वी0 कालेज बलरामपुर में पड़ा था। डी0 ए0 वी0 कालेज के प्रशासन ने आपसी ईर्ष्यावश केवल एम0 पी0 पी0 कालेज के ही छात्रों, जो उसके केन्द्र पर थे 114 हाईस्कूल व 158 इण्टर के छात्रों का रिजल्ट रोके जाने की सिफारिश की। जिस आधार पर उनका परीक्षाफल रोक दिया गया, जबकि उन्हीं परीक्षार्थियों के साथ कक्षा में अन्य विद्यालय के तमाम छात्र जिनकी सीटें अल्टरनेट इन्हीं एम0 पी0 पी0 के छात्रों के साथ लगी थी, उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि यह सामूहिक नकल का विषय नहीं है यह विद्यालयों की आपसी दुर्भावना के कारण किया गया षडयंत्र है जिसके चलते एम0 पी0 पी0 के हाईस्कूल व इण्टर के लगभग 300 छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया है। इस लिस्ट के अनुसार इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी से तमाम छात्र उत्तीर्ण हैं, लेकिन ईर्ष्यावश उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसको लेकर स्थानीय जनता में घोर असंतोष है।

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं**

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अंतर्गत 3 सूचनाएं 1 श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा की तथा दूसरी भी इन्हीं की है और तीसरी श्री सत्य प्रकाश विकल जी की है। माननीय तिवारी जी, आप एक मिनट बोल लें।

---

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, पहली सूचना मेरी नगर सीमा रोपण निदेशालय के बारे में है। 21 मार्च, 86 को कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये मैंने नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 76 के अंतर्गत प्रदेश की 12 नगर बस्तियों में 1,19,574 भूधारकों द्वारा दाखिल किये गये रिटन में निहित 350 अरब से अधिक मूल्य की 1 अरब, 12 करोड, 65 लाख वर्गमीटर भूमि को उच्च अधिकारियों एवं प्रभावशाली बड़े उद्योगपतियों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा अनुचित और अवैधानिक रूप से हड़पने का मामला उठाया था जिस पर 1-4-86 को माननीया नगर विकास मंत्री का वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने माना था कि इस निदेशालय से 8,267 पत्रावलियां गायब हैं और 13 आई0 ए0 एस0 अफसरों के बारे में सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट में यह बात आई है कि इन लोगों ने घूस में फ्लैट लिये हैं। उस समय जब सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा गया था तो माननीय अधिष्ठाता जो आपकी पीठ पर विराजमान थे वे भी उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और माननीया मंत्री जी को उन्होंने निर्देश दिया था कि उत्तर संतोषजनक नहीं है इसलिये सारे मामले की फिर से जांच कराकर सारे तथ्यों को सदन के सामने रखा जाय। चूंकि 2 अप्रैल को सदन एडज्योर्न हो गया इसलिये उस सत्र में जवाब नहीं आ सका था। जब दुबारा सत्र आहूत हुआ तो मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य की सूचना दी उस पर आपकी पीठ से सरकार को निर्देश हुआ और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सहमति दी कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी और फिर 9 सितम्बर, 86 को फिर अग्रेतर वक्तव्य के लिये लगा, उस दिन भी उस मद के आने से पहले सदन स्थगित हो गया तो वह लम्बित रह गया। फिर 87 के पहले सत्र में हम लोगों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया था इसलिये इसकी मांग नहीं की और अब दूसरा सत्र है अभी तक सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि मान्यवर, यह भ्रष्टाचार का बहुत ही गंभीर मामला है। मा0 मंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर स्वीकार किया है कि 13 आई0ए0एस0 अधिकारियों के बारे में सी0आई0डी0 से जांच आई है कि उन्होंने घूस में फ्लैट लिया है। यह भी बात आई कि 8262 पत्रावलियां गायब हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, राज्य सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। जिन 13 आई0ए0 एस0 अधिकारियों के बारे में सी0आई0डी0 की जांच रिपोर्ट है कि उन्होंने घूस में फ्लैट लिया है, वह सारे के सारे लोग सचिवालय में मौजूद हैं। नगर विकास सचिव की कस्टडी में रिपोर्ट रखी है। किस तरह से न्याय हो पायेगा ?

मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं यह भ्रष्टाचार का मामला है। मा0 मंत्री जी जब उठते हैं जवाब में कह देते हैं कि यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता। मैं मा0 मंत्री जी से सीखने को तैयार हूं। मैं केवल एक बात कहूंगा नैसर्गिक न्याय की। प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस है मान्यवर, कि किसी व्यक्ति को न्याय से महरूम नहीं किया जा सकता। हमने इसी नियम 56 में लिया था, दोबारा 56 में ले नहीं सकते। 51 में आता नहीं। 300 में आप मानते नहीं। इस तरह तो कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत इस प्रश्न पर न्याय कर सकें और भ्रष्टाचार का मामला जो सदन के संज्ञान में आ चुका है, उस पर निर्णय हो सके। सदन में हम अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे थे। मा0 मंत्री जी के उत्तर से न सदन के सदस्य संतुष्ट थे और न आप संतुष्ट थे। पीठ से ही मान्यवर, सरकार को निर्देश हुआ था। यदि ईमानदारी से सरकार भ्रष्टाचार का निवारण करना चाहती है,

सही मानों में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाहती तो आज मा0 मंत्री जी को इसे स्वीकार करना चाहिये और तिथि घोषित करना चाहिये कि फलां तारीख को इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब किस पर बोलेंगे? वही बात कहेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

दूसरी बात कहूंगा मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि सी0 आई0डी0 की जांच रिपोर्ट आई है, उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, ब्रीफिंग की जा रही है। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी, रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य प्रकाश में आये थे, 13 आई0ए0एस0 अधिकारियों के खिलाफ .....

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल यह नहीं है। इस वक्त तो यह है कि जो वक्तव्य स्वीकार हुआ था उसका क्या हो?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वही कह रहा हूं। वह जो रिपोर्ट आई 13 आई0ए0एस0 अधिकारियों के खिलाफ उस पर मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्या है? रिपोर्ट आज तक सदन में नहीं आई। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मंत्री जी इतना बताने की कृपा करेंगे कि जो आरोप सी0 आई0 डी0 की जांच के बाद आ चुके हैं और जो प्रूफ हैं, सदन के सामने रखेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक नियम दिखा हूं। नियमावली में नियम है, शायद आपको व्यवस्था देने में सहायता मिल सके। नियमावली का नियम-18 देखें। इसमें कहा गया है सत्रावसान का प्रभाव क्या होगा ? नियमावली का नियम 18 कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं। सब लम्बित सूचनाएं वक्तव्य और चर्चायें व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिये फिर से सूचनाएं दी जायेंगी परन्तु जो प्रश्न कार्यसूची में प्रविष्ट हो चुके हों किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये हों और उत्तर के लिये लम्बित हों वे व्यपगत नहीं होंगे। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि केवल वक्तव्य होता, तो वह व्यपगत हो जाता, लेकिन वह चर्चा का विषय बन गया था और उसके आधार पर कुछ पूरक प्रश्न ही लम्बित थे, जिनके उत्तर आने की प्रतीक्षा थी। तो जहां पर नियमों का हमें सहारा मिल रहा है 15 को ध्यान में रखकर जो प्रश्न लम्बित रखे गये थे, उन पर आप चर्चा कराने और उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, तिवारी जी ने अभी कहा कि वह मुझसे सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं खुद उनसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनको सिखाऊं। लेकिन जो वकील उन्होंने राजेन्द्र गुप्त जी को किया है, जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिले का पानी उन्होंने पिया है, उसका हमने भी पिया है (व्यवधान) जहां तक वक्तव्य और प्रश्नों की बात उन्होंने कही है, यह मामला सरकार के सामने है और कल ही राजेन्द्र गुप्त जी ने लोक आयुक्त के बारे में मामले को यहां रखा था, उस पर कार्यवाही हो रही है और मैंने कल भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो दोषी है, चाहे अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एम0 एल0 ए0 हो उन पर कार्यवाही की जायेगी। उनको बचाने का कोई सवाल नहीं है।

तिवारी जी ने इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं कह दूंगा कि यह औचित्य में नहीं आता है। तो मैं उनकी बात पर यही कहता हूं कि इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है और नियम 18 को गुप्त जी ने पढ़कर हमारी सबकी परेशानी दूर कर दी है। उसमें लिखा है सभी लम्बित सूचनाएं, वक्तव्य और चर्चाएं व्यपगत हो जायेंगी। लेकिन जो प्रश्न आ चुके हैं और जो प्रश्न माननीय सदस्य लिखकर देते हैं उनको उससे जोड़ दिया, जो चर्चा के समय या वक्तव्य में किये जाते हैं। उन प्रश्नों को इन प्रश्नों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तो औचित्य का जहां तक सवाल है, आप मान्यवर, जानते हैं यह नियम 300 में नहीं आता है और जो बात वह कहना चाहते थे, वह उन्होंने यहां इसके माध्यम से पूरी तरह कह दी। हम उनको इसके लिए रोक नहीं सके और आप भी नहीं रोक सके और न रोकना चाहिए, मैं रोक भी नहीं सकता हूं..(व्यवधान) दुबारा वह इसे लिखकर देंगे और वह स्वीकार होगा वक्तव्य के लिए तो जो हम रख सकते है सदन के सामने और माननीय सदस्यों के सामने, उनमें सरकार आपके सामने रखने में कोई संकोच नहीं करेगी, क्योंकि हमारी मंशा किसी को बचाने की, किसी को प्रोटेक्ट करने की नहीं है या करप्ट अफसर को सहारा देने की नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपने नियम 300 पर ही अतेर वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया था। मंत्री जी ने निवेदन कर दिया कि यदि आप सरकार को निर्देशित करेंगे तो वह सारे तथ्य उपलब्ध करा देंगे। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं भ्रष्टाचार के इस मामले पर सरकार को वक्तव्य देने के लिए निर्देशित करें।

श्री अम्मार रिजवी–

जब आप भ्रष्टाचार कहा करें तो उसके साथ मौजूदा हालात में "शिष्टाचार" भी जोड़ दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें मुझे विचार करना पड़ेगा, पिछले निर्णयों को देखना पड़ेगा, उसको देख कर ही मैं कुछ निर्णय दूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

भोजनावकाश के लिए आपने एक घंटे का समय...

श्री उपाध्यक्ष–

दोबारे यह अब कहने की कोई बात नहीं रह गई है, इसमें सब सबकी सहमति से हुआ है..(व्यवधान) यों आप चाहें जो कहें, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। कार्यमंत्रणा समिति ने जिसमें सभी पक्ष और पार्टी के लोग थे उसमें एक निर्णय लिया

और वह फिर इस सदन में सबकी सहमति से पास हुआ । आप उसके बाद अब उसे यहां उठायें यह किसी तरह ठीक नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं उसके दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, आप देखें नियम-23(2) में लिखा है।शुक्रवार को असरकारी बैठक नहीं होगी तो हमको उसके बारे में अध्यक्ष तुरन्त दूसरी तारीख निश्चित कर देंगे।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

हाउस की सहमति सर्वोपरि है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं कहना चाहना चाहता हूं कि असरकारी दिवस का दिन निर्धारित कर दें।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

विकल जी, आपका मामला जो है वह नलबन्दी के बारे में है, यह कक्ष में तय हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, क्या चीज कमरे में तय हो जाएगी यह स्पष्ट कर दें?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह मामला ऐसा है कि इसको कक्ष में तय करना बेहतर होगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जो यह नलबन्दी का मामला है यह बहुत ही खास मामला है, इसको कमरे में तय करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, कल दो जुलाई को स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हुआ था और उसका जो साहित्य दिया गया था उसमें एक पोस्टर भी था, महिलाओं की नलबन्दी के नाम से, उसको राणा जी ने यहां दिखाया था।उस पोस्टर में एक चित्र भी प्रकाशित किया गया था । मान्यवर, जिसमें पोस्टर में आबादी को रोकने के लिए परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उसका प्रचार और प्रसार किया गया था, लेकिन ऐसा करते समय कुछ शालीनता का पालन अवश्य होना चाहिये।एक तो नसबन्दी के स्थान पर नलबन्दी नाम ही विचित्र और उत्सुकता जगाने वाला है उस पर भी चित्र ऐसा प्रकाशित किया है जिसकी जरूरत नहीं थी।बिना चित्र के भी पोस्टर अपने आप में पूरा था।लेकिन कल के पस्टर में महिला की नलबंदी करते हुए चित्र में महिला के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया गया है।यदि आप बढ़ती आबादी को रोकने और परिवार नियोजन के लिये प्रचार और प्रसार करें तो कोई आपत्ति नहीं, वह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

(व्यवधान)

लेकिन इस तरह के चित्रों को देखने से जो हमारी महिला सदस्या है, उनको लज्जा के वातावरण में बहुत विचित्र और बड़ा ही असमंजस होता है और लोगों का मनोरंजन ही होता है. . . .

(व्यवधान)

तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि कम से कम परिवार नियोजन का प्रचार और प्रसार करते हुए इस प्रकार की अश्लीलता नहीं आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय विकल जी, यह विषय ऐसा है कि मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है उस पोस्टर को आप देख लें। ईश्वर ने हमें एक ऐसी चीज दी है कि हम सोच सकते है, समझ सकते हैं और विकल जी, आप भी सोच सकते है। मेरी समझ में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं आई। इनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, इनकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसी है तो इनसे पूछ लें, लेकिन इस पर चर्चा न करायें ।

(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, विधायकों को मेरठ जाने से रोका जा रहा है। मुझे सुन लें। सार्वजनिक निर्माण विभाग के निजी सचिव ने भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

विधायकों को सूचित करने के लिखा गया है। मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, पत्र में लिखा है कि आज दिनांक 3 जुलाई, 1987 को पूर्वाह्न 11.20 बजे मेरठ जांच आयोग के अध्यक्ष के साथ सम्बद्ध वैयक्तिक सहायक, श्री राकेश गुप्ता ने फोन पर सूचना दी कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप पढ़ नहीं सकते, मैं इसको पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

निम्नलिखित विधायकों को कल (4-7-87) मेरठ पहुंचना था। चूंकि वहां की स्थिति गंभीर है। अतः मेरठ जाने से रोक दिया जाय। कृपया तद्नुसार समस्त माननीय विधायकों को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करें। मान्यवर, मेरठ के रहने वाले विधान सभा के समस्त सदस्यों को और विधान परिषद् के समस्त सदस्यों को मेरठ जाने से रोका गया है। उन्होंने कौन सा झगड़ा किया है जिससे उन पर रोक लगायी गयी है? यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। गम्भीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

गम्भीर बात है तो मैं इसको दिखवा लूंगा। विधायकों को इसमें सूचित किया गया है। कोई आदेश नहीं दिया गया है। उनको कष्ट न हो, इसलिए सूचना दी है। इसको आप कुछ और समझ लें। तो इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपने किस नियम के अन्तर्गत चर्चा करने का मौका दिया। इस पर कैसे विचार हो सकता है?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा कि इसको दिखवा लूंगा। अगर कोई अनियमित बात या गलती हुई है तो दिखवा लूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर,, मैंने औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है। मेरी बात सुन लें। मैं यहां कोई बम विस्फोट नहीं करने जा रहा हूं। मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, मैं कह चुका हूं कि यदि कोई गम्भीर बात होगी तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जिसने सूचना दी है उसको कहने का तो अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। जब मैं इजाजत दूंगा तब सुनूंगा। मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह विधायकों से संबंधित मामला है। यह सभी विधायक मेरठ के हैं। अधिकारियों ने इस तरह का पत्र जारी किया है कि आप मेरठ न जायं। यह विधायकों के अधिकारों और लोकतंत्र का हनन है। राज्य सम्पत्ति अधिकारी और जिलाधिकारी को यह पत्र गया है कि सभी विधायकों को सूचित कर दिया जाय कि वहां पर न जायं। जो विधायक वहां के रहने वाले हैं, उनको मेरठ जाने से रोका गया है। यह अनुचित है संसदीय कार्य मंत्री जी इस पत्र को वापस करवायें। यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और हमारे अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पहले मेरा औचित्य का प्रश्न है, पहले मुझे सुनें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आदरणीय सदन को एक प्रोटोकाल की व्यवस्था है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राज्य सरकार के द्वारा माननीय विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का प्रोटोकाल बनाया गया है प्रोटोकाल का जो एक शासनाज्ञाप है उसका नं0 984 प्रोटोकाल–19/79 है। मुख्य सचिव ने सभी शासकीय अधिकारियों को सूचित किया है और यह बताया है कि विधायकों के साथ जो शिष्टाचार नहीं बरतेंगे उन सारे अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। यह मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है जो माननीय सदस्य ने उठाया है। मान्यवर, अगर किसी विधायक को कोई सूचना दी जायेगी तो सचिव सीधे देगा लेकिन इसमें सचिव के निजी सचिव हैं गौरीशंकर उन्होंने राज्य सम्पत्ति अधिकारी को लिखा है और उसकी प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा को है कि इन सदस्यों को सूचित करने की कृपा करें, उस प्रोटोकाल के शिष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने सूचित किया है कि मेरठ की स्थिति असामान्य है, इसलिए ये माननीय सदस्य जिनको आज मेरठ जाना सुनिश्चित था, मेरठ न आवें, उनको रोक दें।

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह का अधिकार सी0 आर0 पी0 सी0 में बना हुआ है कि जो हमको सम्पूर्ण प्रदेश में, सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में जाने की स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया जाय? हां, दफा 144 के आधार पर है यह पुलिस अधिनियम में है और उस आधार पर हमको सूचित किया जाय। पिछली बार जब मैं मेरठ जा रहा था तो मुझे रोका गया मुझे सूचना दी गयी कि इस अधिनियम के आधार पर यहां के पुलिस अधीक्षक आपसे निवेदन करते हैं कि आप न जायं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं पत्र पढ़ूंगा इसमें लिखा है कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था क्या चाहते हैं, यह तो लिखा है, मेरे सामने है। मैं इजाजत नहीं देता हूं इसके पढ़ने की।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस तरह से हमारी जो स्वतंत्रता है, हमें पूरे प्रदेश, देश में आने जाने के जो अधिकार हैं, हमारे अधिकारों पर अंकुश लगाने का एक साधारण कर्मचारी के द्वारा प्रयास किया गया। इसलिए मैं शासकीय व्यवस्था की निन्दा करता हूं और आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि अगर इस तरह के आदेशों से माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कटौती की जा सकती है तो क्या यह माननीय सदस्यों की अवमानना नहीं है। यह मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, यह सरकार का प्रयास निन्दनीय है। यह प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह से विधायकों के साथ न्याय हुआ है अगर नहीं हुआ है तो आप द्वारा उसके लिए क्या प्रयास किया जायेगा?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मुझसे कह दिया कि नहीं बोलने दूंगे और आपने व्यवस्था के नाम पर पूरा गुप्ता जी को सुन लिया। आप यह क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

जब व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था हो जाय तो क्या है। मैं बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था, गुप्ता जी को स्वयं सोचना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आप पहले मुझे सुनेंगे।

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया। इसमें दो बिन्दु हैं। नं0 एक जिस अधिकारी ने माननीय विधायकों के लिए अपने हस्ताक्षर से यह पत्र निकाला, जिसको कोई औथरिटी नहीं है, वह अधिकारी जो भी चाहे अपने हस्ताक्षर से पत्र निकाल दें, इसका क्या औचित्य है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन विधायकों को मेरठ जाने से रोका है, उनका घर मेरठ में है। वह मेरठ के रहने वाले हैं, अगर उन विधायकों को वहां पर जाने से रोका गया है, तो मैं आपके माध्यम से शासन से पूछना चाहता हूं कि क्या जो मेरठ के रहने वाले नागरिक लोग हैं, उनको मेरठ से भगाने के लिए कोई आदेश यह शासन करने जा रहा है? मान्यवर, कोई भी व्यक्ति वह चाहे विधायक हो, या सांसद हो या किसी भी पद पर हो, या नागरिक हो, उसको वहां पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। जिस पर आप यह समझते कि उससे शांति-व्यवस्था का खतरा है, उसको तो आप रोक देते, लेकिन माननीय विधायक को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है।

मेरा कहना यह है कि कोई भी विधायक अपनी जनता के लिए अपनी कांस्टीटुवैंसी में जा सकता है, उसे कोई भी अधिकारी अपनी कांस्टीटुवैंसी में जाने से नहीं रोक सकता है। अगर कोई शांति-व्यवस्था पर खतरा होता है, अमन-चयन पर कोई खतरा होता है, चाहे सिक्ख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो। मान्यवर, एक आदेश इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को तामील कराया गया है, जो कि इस आदरणीय सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है। तो इसलिए यह मान्यवर, बरदास्त होने वाला नहीं है, इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या जब विधान सभा का उपवेशन हो रहा हो और हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हों तो क्या कोई अधिकारी हमें किसी प्रकार की सूचना सदन के अन्दर भिजवा कर दे सकता है? वह क्या कोई नोटिस या कोई सम्मन आदि हम लोगों को दे सकता है?

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह विधान सभा सचिवालय आपके अन्तर्गत है और माननीय अध्यक्ष के अन्तर्गत है । यह विधान सभा सचिवालय शासन सचिवालय के अन्तर्गत नहीं है । इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की डाइरेक्ट नोटिस हम लोगों को दी जा सकती है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सबकी बात सुन कर एकदम से आप अपनी व्यवस्था दे दें । मान्यवर, यह जो पत्र है, मैंने इसको देखा । मान्यवर, आपने भी उस पत्र को देखा होगा । मान्यवर, जो अध्यक्ष हैं इन्क्वायरी कमीशन के, उनके पी0 ए0 ने यहां पर फोन किया । इन्क्वायरी कमीशन की कोई तारीख 4 तारीख को लगी हुई है और 4 तारीख को यहां पर सदन सत्र में नहीं है । 4 तारीख को कोई बैठक थी, उसमें माननीय सदस्यों को पहुंचना था, मेरठ में कर्फ्यू लगा हुआ है । उस अधिकारी ने, उस चेयरमैन ने, जिसके सामने सम्मानित सदस्य को जाना था, उन्हें वस्तु स्थिति से सूचित करना था कि वहां पर कर्फ्यू है । इसलिए उन्होंने यहां पर सूचित किया कि कृपया उन सम्मानित सदस्य को सूचित कर दें कि वे 4तारीख को यहां पर तशरीफ न लायें । मान्यवर, अगर वे चले जाते और वहां पर कर्फ्यू लगा होता, तो कल आपके सामने यहां पर प्रश्न आता कि जो चेयरमैन कमीशन के हैं, उन्होंने क्यों नहीं पहले से सूचना दी और हम लोग यहां पर आ गये। जब उन्होंने सूचना दे दी तो औचित्य का प्रश्न आ गया और दूसरी चीज मनोहर लाल जी ने कही कि सूचना सीधे दे दी गई तो इसकी पहली प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा को गई है और माननीय सदस्यों को यह सूचित किया गया है कि एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें उन्हें पहुंचना था लेकिन अब न पहुंचें तो इसमें कहां पर उनकी कौन सी आजादी पर, कौन सी स्वतंत्रता पर, कौन सी लिबर्टी पर कुठाराघात हुआ है जो माननीय गुप्ता जी ने पूरा लम्बा भाषण दे दिया कि यह 300 में आता है । यह जिस तरह से पेश किया गया उसके लिए तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि समय से सूचित कर दिया गया जिससे किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ी । इसमें किसी भी अधिकारी का कोई भी किसी प्रकार का आरोप नहीं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह झगड़ा 300 के विषय में नहीं है । यह झगड़ा है जांच आयोग के निजी सचिव और राज्य सम्पत्ति अधिकारी के निजी सचिव का । इन दोनों निजी सचिवों ने एक इत्तला दी और माननीय मंत्री जी, अगर इस गलती का एहसास कर लेते तो ऐसी कठिनाई न पैदा होती । मंत्री जी ने जो कहा वह सही है कि 4 ता0 को मेरठ पहुंचना था और वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन निजी सचिव लिख रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है इसलिए उन्हें मेरठ जाने से रोक दिया जाय । अगर आप यह लिखवा देते कि इस सम्बन्ध में, जांच के सम्बन्ध में मेरठ जाने की आवश्यकता नहीं है या बैठक नहीं होगी तो गतिरोध नहीं पैदा होता । आज विधायकों को इतना छोटा समझ लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि रोक दिया जाय, आदेश दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी इस पर कुछ न करके उन्हें डिफेन्ड कर रहे हैं । यह निहायत लज्जाजनक बात है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, डिफेन्ड नहीं कर रहे हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने शब्दों की जो बात कही, उससे मैं सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि उनका इशारा अनुरोध करने का ही था । शब्दों का हेर-फेर हो गया । यह इरादा उनका अनुरोध करने का ही था इसलिए यह 300 के अंतर्गत स्वीकार नहीं होता ।

अब हम उठते हैं पौने तीन बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर सदन भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

## कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या-7, आज नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं । श्री मनोहर लाल व श्री मूल चन्द्र जी की उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी की समस्या के संबंध में । श्री राम नरेश यादव जी की टाटा फर्टिलाइजर द्वारा जनपद बदायूं में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा के संबंध में । इसी सूचना के संबंध में सर्वश्री किरनपाल सिंह, प्रधान प्रभु दयाल, वीरेन्द्र सिंह, विजय सिंह राणा, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, दीपचन्द्र सोनकर, रिछपाल सिंह बंसल, जगवीर सिंह, कनक सिंह व हाजी मोहम्मद हयात आदि माननीय सदस्यों ने भी दिया है । श्री कल्यान सिंह ने प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में और इसी सूचना से संबंधित सर्वश्री राजेन्द्र, कुमार गुप्त, सत्य प्रकाश विकल, औसान सिंह व श्री सूर्य प्रताप शाही आदि माननीय सदस्य भी हैं । डा0 दिनेश जौहरी व श्री अवनीश कुमार सिंह ने प्रदेश में सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में, 7वीं सूचना श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी की बस्ती जिले में कक्षा-9 में छात्रों के प्रवेश की समस्या के संबंध में। 8वीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी की करहना तहसील जनपद बस्ती में 11 व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हत्या के संबंध में है । 9वीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की फैजाबाद जनपद में पेयजल समस्या के संबंध में है । 10वीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की वाराणसी के घाटों में लाशों का अम्बार के संबंध में, 11वीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नालाजी की यूनिटों का बन्द होने के संबंध में है । 12वीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी की उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के लेखा कर्मचारियों द्वारा अनशन के संबंध में, 13वीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश की महापालिकाओं की सीमा बढ़ाने से कृषि योग्य भूमि की समस्या के संबंध में है और 14वीं सूचना श्रीमती सरोज वर्मा, सर्वश्री अब्दुल वहीद कुरैशी, लक्ष्मी नारायण चौधरी, चन्द्रभान मौर्य, जगवीर सिंह तथा कनक सिंह की पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के अभाव में अव्यवस्था के संबंध में है ।

मा0 मनोहर लाल जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है कृषि का, तो मैं केवल 3-4 लोगों को बुलवा दूं और कम से कम समय इसमें लें, जिससे कृषि के संबंध में आप लोगों को बोलने के लिए समय मिल जाए और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें । इसलिए इसमें कम से कम समय लें, ज्यादा न लें ।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात आपने मुझ से ही क्यों कही और अन्य माननीय सदस्यों से क्यों नहीं की ? क्या मैं ही सबसे ज्यादा समय लेता हूं ? (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं ऐसी बात नहीं, जिनका इसमें नाम है, सभी से कह रहा हूं चूंकि पहले आप थे, इसलिए ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह जो मैंने नियम 56 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है, यह देखने में बड़ा भोला-भाला और सादा-सा है । लेकिन बड़ा गम्भीर और अहम् है । इसमें जितनी गहराई में जाएंगे, उतनी ही कड़वाहट, भ्रष्टाचार और घपला मिलेगा । मा0 उपाध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मण्डल, अधिकारी वर्ग या मंत्रि-परिषद् उस कुएं की तरह से है जिसमें भांग पड़ी हो, जिसका पानी पीने वाले नशे में हो जाते हैं । जितने भी मंत्रि-परिषद् और अधिकारी लोग हैं, वह कुएं का पानी पीते हैं, जिसमें भांग पड़ी है और सब नशे में हैं ।

मान्यवर, यह जो मेरा काम रोको प्रस्ताव है, इसके तहत जब जनता सरकार थी, जबकि मा0 राम नरेश जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने मछुवा समुदाय की भलाई के लिये और उनके परिवारों की भलाई के लिये यह किया था कि जो जलाशय थे, उनमें मछुवा सहकारी समितियों के माध्यम से मछली पकड़ने का काम दिया जायगा । उस समय जनता सरकार में राजाज्ञा नहीं हो पायी थी जो बाद में 30 मई, 1981 में हुई । उस राजाज्ञा के तहत मछुवा समुदाय की सहकारी समितियों को इसका काम सौंप दिया गया । लेकिन इसमें फर्जी सोसाइटियों ने अपना काम शुरू कर दिया । मत्स्य विभाग के मंत्री जी ने एक फर्जी सोसाइटी बनवाई और उसके बाद चाहा कि ये जलाशय उन फर्जी समितियों को दे दिये जायं और उनमें उनके हिस्से का कमीशन रहे । यह ना मा0 मंत्री जी की ओर से रहा और अधिकारियों की ओर से यह रहा कि मा0 मंत्री जी अकेले कैसे खाए जा रहे हैं और उन्होंने यह साजिश की कि मा0 मंत्री जी से यह अधिकार छीन लिया और सन् 81 में जो राजाज्ञा हुई थी, उसको ताक में रखकर टेण्डर देने का काम 25 जून को शुरू कर दिया । मान्यवर, जो गैर कानूनी टेण्डर, जिसकी जानकारी मा0 संसदीय कार्य मंत्री को है, मा0 खान गुफरान जाहिदी साहब को है, पुराने सभी लोगों को जानकारी है कि जो राजाज्ञा हुई और उसके मुताबिक सहकारी समितियों को मछली पकड़ने का काम दिया जाता है । लेकिन तमाम लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण जो यह काम किया है, इसकी विस्तृत जांच कराई जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री महोदय के विरुद्ध जांच कराई जाय और उनके जरिये से जो सोसाइटियां बनी हैं, उसकी जांच कराई जाय । टेण्डर के द्वारा जो जलाशय दिये गये, पैसे लेकर जलाशय दिये गये, उनमें जिन लोगों को हेचरीज का काम दिया गया था, 20-20 लाख रुपये के जलाशय 4-5 लाख रुपये में दे दिये गये । इसलिये इस गम्भीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और घपले के मामले की सदन की एक कमेटी बनाकर जांच कराएं और आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करावें । कमेटी द्वारा मंत्री और अधिकारी दोनों लोगों की जांच कराई जाय, मैं यह मांग करता हूं ।

*मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराग निषाद) —

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री मनोहर लाल जी ने जो मत्स्य मंत्री के सम्बन्ध में आरोप लगाया है, चूंकि मैं मत्स्य विभाग का राज्य मंत्री हूं, इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन्होंने जो मेरे सम्बन्ध में आरोप लगाया है, वह बिलकुल असत्य और निराधार है और उसमें कोई तथ्य नहीं है । न मैंने कोई फर्जी समिति बनवाई है और न किसी समिति से मेरा सम्बन्ध है ।

मान्यवर, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मा0 राम नरेश जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय मछुवा समुदाय के लिये कोई भी कदम नहीं उठाए गये, बल्कि जब कांग्रेस सरकार आयी 1980 में, उस सरकार ने मछुवा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाए और तरह-तरह के शासनादेश लागू किये और प्रदेश के लाखों मछुआ समुदाय को लाभ हो रहा है । इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, वह बिलकुल असत्य और निराधार हैं ।

मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि शासन के किसी आदेश के कार्यान्वयन में किसी अधिकारी ने कोई गल्ती की है, तो हम उसकी जांच करायेंगे और जहां कहीं भी कोई गलती पायी जायेगी, उसको सुधारेंगे । हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाये जायं । माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी 13 नवम्बर, 1985 को यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश के मछुआ समुदाय के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिये मछुआ सहकारी समितियां बनाकर, सारे देश की जन प्रणाली का प्रबन्ध करके, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जायेगा। उनको हर तरह से लाभान्वित किया जायेगा ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, चूंकि इस प्रसंग में माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम भी लिया है । इसलिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

जिस पार्टी ने जिन लोगों ने सत्ता में रहकर अच्छा कार्य किया, उन्हें उधर के बैठे हुये लोगों को, उनके कार्यों को याद रखना चाहिये । मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए इसी तरह से अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कल्याणकारी जितना काम हमने किया था, उस कड़ी में यह काम भी किया गया था कि प्राथमिकता के आधार पर इन मछुआ समितियों को दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जलाशय दिया जाय । माननीय मंत्री जी इसके विरुद्ध बयान देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी सूचना दे दीजिये ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जनपद बदायूं में बबराला स्थान पर, टाटा फर्टीलाइजर के नाम से खाद का कारखाना खोला जा रहा है । मान्यवर, 1979-80 में इस बात की कोशिश की गयी थी कि आवश्यकता को देखते हुए, प्रदेश का औद्योगिक विकास हो और खाद जो आयात् की जाती है, उस आयात् को कम करने के लिये यह फैसला लिया गया था कि कम से कम 4 कारखाने हमारे प्रदेश में खाद के खोले जाय । बाम्बे हाई गैस से पाइप लाइन को जमीन के अन्दर से बिछाकर उसे लाया जाय और यह कारखाने खोले जायं । उसी कड़ी में यह कारखाना बदायूं के बबराला नामक स्थान पर स्थापित हो रहा है । मान्यवर, इसके लिये एक हजार से ऊपर 8 गांवों की सम्पूर्ण लोगों की हरी भरी जमीन एक्वायर की जा रही है । ठीक है, औद्योगिक विकास सब चाहते हैं । लेकिन, किसानों की रीढ़ तोड़कर उनके साथ अन्याय करके, उनका शोषण करके, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिये, न देकर के, जो बात की जा रही है, वह जनहित में नहीं है ।

आज रायबरेली में जिस समय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लगने की बात थी, 40 हजार रु0 फी एक हिसाब से मुआवजा दिये जाने की बात थी । इन्डो गल्फ फर्टिलाइजर सुल्तानपुर के लिए 60 हजार के सिाब से मालियत लगायी गयी । यह दोहरा मापदण्ड क्यों? रायबरेली-सुल्तानपुर में जो प्रधानमंत्री के जिले है वहां तो किसानों को 40 हजार और 60 हजार के हिसाब से मुआवजा मिले, और बदायूं में वही किसान जिनकी दो फसला जमीन है, उनको केवल 6 हजार से लेकर 10 हजार तक मुआवजा की बात हो । उनकी जमीन की यही मालियत आंकी जाय । मान्यवर, साढ़े चार करोड़ रु0 की सारी मालियत एक पहले के अधिकारी ने लगायी थी । बाद में टाटा फर्टिलाइजर के लोगों ने प्रभाव डालकर उस अधिकारी का स्थानान्तरण कराया । अब दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कराके, अब सारे मालियत का मामला लगभग डेढ़ करोड़ के नीचे बैठ रहा है ।

मान्यवर, जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही कारखाने के लिये, यह शासनादेशों में व्यवस्था है कि कम से कम प्रभावित परिवारों के एक आदमी को नौकरी मिलेगी यदि वह नौकरी करने लायक है । दूसरा, यह कि 60 साल पहले 1333 फसली में उसकी जो मिल्कियत आंकी गई थी, चूंकि अब दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए उसी हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाय । उनके साथ अन्याय है । आज वहां पर किसान बहुत परेशान है, इसलिए इससे महत्वपूर्ण विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा कोई हो नहीं सकता है, अतएव आपसे अनुरोध है कि आप सत्ता पक्ष को निर्देश दें कि इस संबंध में वह निर्णय लें वक्तव्य दें और किसानों का भला करें ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, इस विषय को काम रोको प्रस्ताव के रूप में यहां पर लाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि इस मामले को स्वयं माननीय श्री सत्यपाल सिंह, माननीय राम नरेश यादव जी ने देखा है और कई पत्र राजपाल व मुख्य मंत्री को भी लिखे गये हैं लेकिन उस

पत्रों पर कोई ध्यान नहीं देता है । यह सरकार अपने विकास प्राधिकरणों की स्थापना के लिए व इन्डस्ट्रीज की स्थापना के लिए किसानों से सस्ती जमीन लेती है लेकिन अफसोस है कि इस सरकार का रुख पूंजीपतियों की तरफ ज्यादा है और किसानों की तरफ कम । जिस जमीन की कीमत 1983 में अधिकारियों ने साढ़े चार करोड़ रुपए आंकी थी 1986-87 में इसी प्रदेश के अधिकारियों ने, सरकार के कुछ नेताओं से मिलकर, उस जमीन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपए कर दी है । इतना ही नहीं किसानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है । किसानों से कहा जा रहा है कि इसी कीमत पर आपको जमीन देनी पड़ेगी । जब किसानों ने दाम लेने से मना कर दिया, तो उन किसानों के नाम से फिक्स डिपाजिट में जमा किया जा रहा है । जैसा कि माननीय श्री राम नरेश यादव जी ने कहा कि रायबरेली व सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर 40 हजार से 60 हजार रुपये प्रति बीघा जमीन ली जा रही है, लेकिन बदायूं में जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए कम कर दी गई ।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया गया तो किसानों के पास और कोई रोजगार नहीं है, आज वे दर-दर भटक रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनको तड़पा-तड़पा कर उत्पीड़ित कर रहे हैं । लखनऊ दरबार के जब दर-वाजों पर दस्तक दी जाती है तो कोई सुनता नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि 60 साल पहले 1333 फसली जमीन जिसको आंकी गई था, उसी हिसाब से नहीं बल्कि वर्तमान दर के हिसाब से किसानों को वर्तमान 1394 फसली के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाय । सारी जमीन का सर्वेक्षण करा लिया जाय और उस जमीन की किस्म तय कर ली जाय और उसी हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाय अन्यथा किसानों का कुछ नहीं बच पायेगा ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननवर, नियम-56 के अन्तर्गत बदायूं के किसानों की समस्या उठाई गई है । मैं इसलिए भी इस पर बल देना चाहता हूं कि मैं स्वयं मौके पर बबराला व गांवों में गया था । वहां पर 500 किसान इससे कुप्रभावित हुए हैं । 60 साल पहले 133 फसली जमीन जो आंकी गई थी, वर्तमान दर के हिसाब से किसानों को उसका मुआवजा दिया जाय । इतना ही नहीं वहां पर किसानों को एन0 एस0 ए0 में बन्द करने की धमकी दी जा रही है और उन्हें कम दाम पर जमीन लेने की धमकी दी जा रही है । 1983 में साढ़े चार करोड़ जिस जमीन की कीमत आंकी गई थी, उसी हिसाब से वर्तमान दर के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाय तो आज 3 साल बीत जाने के बाद बैक गियर में कैसे चला गया कि आपके अधिकारियों ने टाटा फर्टीलाइजर्स से मिलकर और नेताओं से मिलकर 4.50 करोड़ रु0 की कीमत लगा दिया है ।

मेरा आपसे कहना यह है कि बहुत बड़ा अनहित हो रहा है । एक तरफ सुल्तानपुर और रायबरेली में 60 हजार और 50 हजार रु0 प्रति एकड़ की कीमत दिलवा रहे हैं और दूसरी ओर यहां पर इन किसानों की जमीन का 40 से 45 हजार रु0 प्रति एकड़ की कीमत दिलवा रहे हैं । जमीन की किस्म के हिसाब से उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । किसान बुरी तरह प्रभावित है, आंदोलित है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप कल्याणकारी राज्य की दुहाई देते हैं, मेरा कहना है कि जिस कारखाने के लिए आपने जमीन दिलवायी है, उनसे सही पैसा किसान को दिलवाइए और मुआवजे को समाप्त करके दुबारा तय करिये और अगर तय नहीं कराते हैं तो किसान फिर शामली आन्दोलन की तरह आगे बढ़ेगा । बेहतर यही होगा कि इस समस्या पर जनहित में तुरन्त विचार करें और जिलाधिकारी, बदायूं को निर्देश करें कि किसानों की लूट क्यों हो रही है ? जिन अधिकारियों ने कम मुआवजा दिलाने की कोशिश की है, उनको स्थानान्तरित करिये, अगर मेरी बात सही है तो । वहां के एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार टाटा फर्टीलाइजर्स के जो बन्द नेताओं से मिल गये हैं और किसानों की लूट करा रहे हैं । यह आपके लिये भी बुरी चीज है और हमारे लिये भी बुरी चीज है । इस पर आप गम्भीरता से विचार करें और शीघ्रता से कदम उठायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय नेता, विरोधी दल, श्री राम नरेश यादव और श्री किरन पाल सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, उनका आभार प्रकट करता हूं । जहां तक किसानों के मुआवजे का सवाल है, पूरी तरह से दिलवाया जायगा और जांच करायी जायगी और जो मुआवजा पहले मिलना चाहिये था, अगर वह मुआवजा लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अंतर्गत आता हो तो दिया जायगा । जिन अधिकारियों ने किसी तरह का पक्षपात किया है और किसान के हितों की रक्षा नहीं की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता, विरोधी दल बोल चुके हैं, अब उस पर बोलना उचित नहीं है । आप कृपा करके बैठें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार आतंकवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में विफल हुई है । आये दिन ऐसी घटनायें सुनने में आ रही हैं देखने को मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों मे आतंक का वातावरण बनाना प्रारम्भ कर दिया है । आपके संज्ञान में एक घटना लाना चाहूंगा कानपुर सेण्ट्रल रेलवे स्टेशन पर एक सूचना मिली कि 7 तारीख तक उसे और 11 और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा दिया जायगा । हो सकता है कि यह पत्र फर्जी हो, यों ही चेतावनी आ गयी हो, लेकिन नहीं मान्यवर, आतंकवादियों की गतिविधियों का इतिहास दिल्ली में और पंजाब में जो रहा है उसी के तहत कहना पड़ता है कि ऐलान करने के बाद, सूचना देने के बाद उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाहियां की हैं । सरकार का जो दृष्टिकोण है कानपुर के संबंध में कि वहां के लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी है । अत: इस विषय को कार्यस्थगन के रूप में यहां रख कर मैं मांग करता हूं कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

घटना तत्काल घटी है, इस घटना के होने की अभी कोई चर्चा भी नहीं है, इसके अलावा यह सम्पूर्ण लोकमहत्व की घटना है क्योंकि लोगों में दहशत व्याप्त हो गयी है, रेल के यात्री इससे प्रभावित हैं इसलिये यह लोकमहत्व का प्रश्न है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बतलाना चाहिये कि आज पूरे प्रदेश की स्थिति क्या है ? लोग भड़काये जा रहे हैं, कल ही पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गये हैं, इस तरह के सबूत भी हैं जो वे लोग हमारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक आतंकवादियों के टेलीफोन या और सारी गतिविधियों के बारे में जैसा कि गुप्ता जी ने बताया, सरकार पूरी तरह से इस बात की तैयारी कर रही है और इस पर कार्यवाही भी हो रही है कि प्रदेश में कोई ऐसी घटना न घटे । लेकिन जैसा कि एक स्थान, कानपुर के बारे में कहा गया, वहां ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस इस बात पर पूरी तरह से नजर रखे हैं कि इस तरह की कोई घटना न घटे ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, प्रदेश में हर वर्ष सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा होती है । इस वर्ष रुहेलखण्ड यूनीवर्सिटी द्वारा यह परीक्षा सम्पादित करायी गयी जिसमें अत्यन्त अनियमितायें हुई हैं । ऐसा लगता है कि परीक्षार्थियों को इस परीक्षा के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा । इसमें कई कमियां पायी गयीं । इस परीक्षा में इससे पूर्व यह होता था कि परीक्षा के लिये कापियां और प्रश्नपत्र साथ ही जाते थे लेकिन इस बार कापियां बोरे में भर कर आयी थीं अलग से, प्रश्नपत्र के साथ नहीं आयी थीं । जो कार्बन कापी परीक्षार्थियों को दी जाती थी वह भी अबकी बार नहीं दी गयी ।

मान्यवर, बनारस और झांसी में इसके दो पेपर भी आउट हो गये थे । कैमिस्ट्री का पेपर बनारस में आउट हो गया था । इस बात से लगता है कि पहले से ही योजना बनी हुई थी कि रुहेलखण्ड यूनीवर्सिटी की परीक्षा में गड़बड़ होने वाली है । जो लोग इसमें इनवाल्व थे, उसमें वहां के वी0 सी0 के आदमी जो कि डेलीवेजेज पर रखे गये थे, कहा जाता है कि एक-एक आदमी ने एक-एक लाख या दो-दो लाख रु0 इसमें तय कर लिया है । जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता है कापियों में हेरा-फेरी हो सकती है । यह परीक्षा गत माह 27 व 28 तारीख को हुई थी, इसे निरस्त कराया जाय क्योंकि इसमें 25 हजार विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मेरा भी इसमें नाम है, मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे कैसे चलेगा ?

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर सब ऐसा करने लगे तो कैसे काम चलेगा ?

आप ऐसी जिद क्यों करते हैं । आप समझते नहीं हैं । आप मुझको भी तो कुछ करने दें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

उसमें मान्यवर, मेरा भी नाम है, मुझको भी तो अवसर मिलना चाहिये । इतनी देर में, मैं अपनी बात कह देता ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको मान लेना चाहिये ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, 27-28 जुलाई को सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में बहुत धांधली हुयी है । यह रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है । परीक्षा फल घोषित होने के एक दिन पहले तक उलट फेर किया जा सकता है । मान्यवर, सूचना मिली है कि जो उत्तर पुस्तिकायें थीं उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया जितने छात्र थे, उससे अधिक उत्तर पुस्तिकायें भेजी गयीं । जो उत्तर पुस्तिकायें थीं उनको परीक्षा के बाद सील नहीं किया गया । कार्बन कापी नहीं रखने दी गयी । उदय प्रताप कालेज में जीव विज्ञान के स्थान पर रसायन शास्त्र का पर्चा भेज दिया गया । इस प्रकार की जो धांधली हो रही है, उससे प्रतिभावान छात्रों का नुकसान हो रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं वह इससे फायदा उठा रहे हैं । इन शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाये और सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाये ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसकी मैंने सूचना मंगाई थी और मुझे इस बात का खेद है कि अभी तक कोई सूचना नहीं आयी है, लेकिन जल्दी ही मंगवा कर सोमवार को माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा और उनसे परामर्श जो कुछ होगी वह कर ली जायेगी । इस सिलसिले में जो भी सारी घटना हुई है, उसकी पूरी तरह से जांच करायी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मनोहर लाल जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरा क्या हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये । राम नरेश जी की और किरन पाल सिंह जी की सूचना पर सरकार का स्टेटमेंट आ गया है और मैं समझता हूं कि अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सुनिश्चित कार्यवाही करा दें । 3 महीने से किसान परेशान हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो मान्यवर, सुनिश्चित कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस पर सुनिश्चित कार्यवाही करें । डा0 दिनेश जौहरी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

श्री राम नरेश यादव–

आपने सरकार को क्या निर्देश दिये हैं । वक्तव्य दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि पूरी कार्यवाही करें । वक्तव्य तो दे ही दिया है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, बनारस में तमाम मुर्दे घाटों पर एकत्र हो गये हैं । जलाने के लिये लकड़ी नहीं है .....

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन का समय जाया न करें । मैंने कृषि मंत्री जी को बुला लिया है । श्री एरी जी, आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

आप यह तो समझा करें कि कौन महत्व का है और कौन नहीं है ?

(श्री यदुनाथ सिंह और श्री काशी सिंह एरी के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा । एरी जी, क्या आपके बोलने से सदन चलेगा । कृपया बैठें ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट पर]

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बिना इजाजत के कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री काशी सिंह एरी–

यह मैं भी जानता हूं कि जब आप इजाजत देंगे तभी लिखा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब जानते हैं तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह मेरा निर्णय है । उस पर आप क्या बोलेंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

(श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री यदुनाथ सिंह के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐरी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं । . . .

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री यदुनाथ सिंह–

आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री यदुनाथ सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

**वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मदों पर मतदान अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)**

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,72,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,00,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मुझे खुशी है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस सदन में तीसरी बार मुझे कृषि की मांगें प्रस्तुत करने का अवसर मिला है । पिछले 2/3 सालों में कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उससे हमारे इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य, प्रदेश और देश के लोग पूरी तरह से परिचित हैं । मान्यवर, हमने यह कोशिश की है कि हमारे प्रदेश के तमाम किसानों की, जो हमारे प्रदेश के 87 प्रतिशत लघु तथा सीमान्त कृषक हैं, जिनकी एक हेक्टयर तक की जोत है, उनकी विशेष मदद की जाय । हमारे प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी उत्पादकता प्रदेश के अन्य हिस्सों से कम है और वह बहुत कम रही । उन हिस्सों में हमने कुछ विशेष कार्यक्रम भी शुरू किये हैं जिससे उस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ सके और किसान भी आगे बढ़ सकें ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड तथा दूसरे तमाम जो डाकग्रस्त जिले हैं उनके लिये भी हमने विशेष योजनायें बनाई हैं। 1980-81 में हमारे प्रदेश में 239 लाख मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था तो 1985-86 में 313 लाख 95 हजार मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ । मान्यवर, सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि एक वक्त था जब हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था आज हमारे देश के लोग सरकार की नीतियों के कारण और हमारी योजनाओं के कारण इस स्थिति में है कि आयात करना तो दूर रहा हम निर्यात करने की स्थिति में हैं और उत्तर प्रदेश तो इस स्थिति में है कि अपनी आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं करता है बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी जिनमें खाद्यान्न की कमी है वहां खाद्यान्न भेजने की स्थिति में है। (व्यवधान) आपको ख्याल होगा पिछले वर्ष शुरू में सूखा रहा, हालात अच्छे नहीं थे बाद में देर तक वर्षा होती रही आखिर यह हुआ कि हमारी फसल अच्छी हुई। गेंहू तथा रबी की फसल अच्छी हुई थी हमारे किसान खुश थे और उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार होगी सभी लोग कहते थे सोना पैदा हुआ लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि मार्च के आखिरी सप्ताह में कुछ ज्यादा गर्म हवा चली जिसे गांव की भाषा में कहूं तो इसे लोग कहते हैं कि "हवा निकल गयी" ।

श्री विजय सिंह राणा–

प्रकृति ने साथ दे दिया तो आपकी कोशिश और साथ नहीं दिया तो प्राकृतिक प्रकोप हो गया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आप बीच में इंटरप्ट न करें तो अच्छा है । जब आप बोलेंगे तो उनका मैं जवाब दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

जवाब के समय इनकी भी हवा निकल जाती है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं समझता था कि उधर के लोग यह समझ लेंगे, इनको समझने में कठिनाई हो रही है। मनोहर लाल जी की समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा क्योंकि वह किसान भी है और नम्बरदार भी हैं।

मान्यवर, हमारी कोशिश थी और उम्मीद थी कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होगी और जो हमारा लक्ष्य है उससे अधिक उत्पादन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती रही कि अप्रैल के आखिर में वर्षा शुरु हो गयी जिससे किसान का बड़ी तादात में गेहूं खलिहान में खराब हो गया जिससे उसको नुकसान हो गया। नतीजा यह है कि जो हमने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य तक हम शायद ही पहुंच सकें ऐसा मेरा ख्याल है। अभी आखिरी नतीजे नहीं आये हैं और हम किसान को जो लाभ देना चाहते थे उसमें कमी आई है। हमने कई अच्छे कार्यक्रम इस साल बनाये हैं। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बीज और खाद बहुत महत्व रखते है। हमने बीज और खाद के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये हैं। हमने पूरे प्रदेश में एक सीड प्रोग्राम बनाया है जिसके अंतर्गत हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे सीड किसानों को मिल सकें और फर्टिलाइजर के लिये भी हमने व्यवस्था की है कि फर्टिलाइजर लेने के लिये किसानों को जो पहले दूर जाना पड़ता था वह न जाना पड़े अब हमने यह व्यवस्था की है कि किसी भी किसान को तीन-चार किलो मीटर से अधिकतम पांच किलो मीटर से अधिक दूर फर्टीलाइजर लेने के लिये जाना न पड़े। इसके लिये अभी तक 22 हजार बिक्री केन्द्र थे अब हमने 6 हजार के करीब और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। गरीब किसानों के लिये हमने एक और व्यवस्था की है। अभी तक 50 किलो ग्राम से कम की बोरी में फर्टीलाइजर नहीं आता था। हमने यह आदेश दिये है कि किसानों को पूरी बोरी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। 10 किलो और 20 किलो की बोरी मिल सकेंगी। पहाड़ों में यह लागू भी हो गया है। सीड के लिये, अभी तक कुछ जिलों में ही सीड उत्पादन होता था, पूरे प्रदेश में सीड का उत्पादन नहीं होता था। हमने यह निश्चय किया है कि सीड प्लान के तहत प्रदेश के हर जिले में बीज का उत्पादन किया जाये।

मान्यवर, किसानों को बीज सस्ता मिल सके इसके लिये भी व्यवस्था की है हमने। इसके लिये कार्यक्रम यह बनाया गया है कि नजदीक से नजदीक हर डिवीजन में हर मंडल में कहीं न कहीं बीज की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जायें। यह सीड प्रोग्राम में है। हमें खुशी होगी कि यह कार्यक्रम लागू हो जिससे किसान भाई लाभान्वित हो सकें ।

मान्यवर, फर्टीलाइजर के उपयोग के बारे में हमने बहुत प्रयास किया है। 56-57 में प्रदेश में केवल 20 हजार मैट्रिक टन फर्टीलाइजर का कंजप्शन होता था अब 84-85 में 16 लाख 13 हजार मैट्रिक टन फर्टीलाइजर का कंजप्शन हो गया है। इस साल जैसा मैंने बताया मौसम बहुत अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी 19 लाख मैट्रिक टन फर्टीलाइजर का उपयोग हुआ। 86-87 में, इस वर्ष के लिये हमने विशेष कार्यक्रम बनाया है जिससे फर्टीलाइजर की अच्छी उपलब्धता कराई जा सके। हमने लक्ष्य रखा है कि 25 लाख मैट्रिक टन फर्टीलाइजर किसानों तक पहुंचायें। हमारी और भी कई योजनायें इस प्रदेश में लगाने की योजना है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के लिये प्रशिक्षण और भ्रमण की योजना । 16 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं । गोरखपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और गोंडा जिलों में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। . . .

श्री विजय सिंह राणा–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का सवाल यह है कि मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। जब मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे तब सवाल-जवाब हो सकता है । इसमें व्यवधान न डालें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें ।

श्री विजय सिंह राणा–

खेती हम करते हैं। दिक्कत हमें होती है। अन्याय हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, अव्यवस्था न करें । जब यह बोल लें तब आपका नम्बर आयेगा । आप कह लीजिएगा ।

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में कहा . . (व्यवधान) राणा जी धैर्य रखिये, धैर्य रखकर सुनिये। हमें देश और प्रदेश के सभी किसानों से पूरी हमदर्दी है। (व्यवधान) थोड़ा धैर्य तो रखिए । प्रदेश के जिन हिस्सों में उत्पादकता कम थी, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश खेती के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, यहां के लोगों को खेती की जानकारी और कृषि विधियों की जानकारी उतनी नहीं थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक की टीम ने कहा. . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे बार-बार रोकने पर भी आप नहीं मान रहे हैं, बोले जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप जो कह रहे हैं लिखा नहीं जाएगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं चाहता हूं कि आप हमें बीच में डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, आपने भी आज कमाल कर दिया? जब आपका नम्बर आए तो बोल लीजिएगा। आज वर्मा जी और राणा जी दोनों को क्या हो गया है?

---

नोट:—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

शायद वर्मा जी को स्मरण होगा, मार्च, सन् 85 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम उत्तर प्रदेश आई थी और चूंकि उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं हास्पिटल में था। उस टीम के लोग मुझसे मिलने अस्पताल आए थे, उनसे मैंने उस समय कहा था कि हम पूरे प्रदेश में इस योजना को चलाना चाहते हैं.. (व्यवधान) मैं तमाम सदस्यों को एक शुभ सूचना देना चाहता हूं, हमने यह निर्देश दिया है कि यह प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम की योजना पूरे प्रदेश के लिए बनाई जाए, क्योंकि प्रदेश के सभी किसानों को इसकी जरूरत है। यह हमने निर्देश दिये हैं और योजना तैयार की जायेगी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, आप सब जानते हैं। कैसे आपको बीच में बुलवा लूं?

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हमारे सामने तो दोनों आगरा-आगरा के अगल-बगल बैठे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है अपनी बात कहने में। हमारे यहां के किसानों की जरूरत है और अधिक तकनीकी जानकारी कराने की, लिहाजा मैंने यह निर्देश दिये हैं कि योजना तैयार की जाए और मैं इस बारे में वर्ल्ड बैंक से बात करूंगा। पूरा प्रयास करूंगा और हम इसमें अपने दोस्तों से भी सहयोग चाहेंगे कि जहां हमें सपोर्ट की जरूरत है, वह हमें सपोर्ट करें और हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सबको मिलकर प्रदेश की प्रोडक्टिवटी बढ़ानी है। हमने 20 जिलों में दलहन और तिलहन की विशेष योजनाएं लागू की क्योंकि

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

दलहन का उत्पादन गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, हमने 21 जिलों में दलहन का विशेष कार्यक्रम लागू किया है मुझे उम्मीद है कि उसका नतीजा अच्छा होगा।

मान्यवर, अगले साल 1987-88 में 32 लाख मीट्रिक टन दलहन पैदा करने का लक्ष्य रखा है, इसमें पूरा प्रदेश शामिल है और मान्यवर, तिलहन के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है उसके लिए हमने 20 जिलों को लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे हम इस कार्यक्रम को 31 जिलों में लागू करना चाहते हैं। यह केन्द्र पोषित योजना है जिन जिलों में इसको लागू किया गया है इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहां धान, चावल की उत्पादकता कम है। 24 जिलों के दो ब्लाकों में यह योजना लागू की गई है...

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

राणा जी, आप बैठें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उसका नतीजा यह हुआ कि 1984-85 में हमारे जिले में 72 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ था। 1985-86 में रिकार्ड उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश में 83 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ। 1985-86 में उत्तर प्रदेश में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ और 165 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ, तो तमाम योजनायें लागू की हैं और मान्यवर, जो बीहड़ सुधार है जो ऊसर सुधार है इसके लिए भी हमने तमाम योजनायें लागू की हैं और हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और इससे हम बीहड़ जमीन का प्रयोग कर सकेंगे, ऊसर जमीन का प्रयोग कर सकेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है उनको प्राथमिकता दी गई है । जो डाकू समस्या ग्रस्त जिले हैं, उनमें नौ जिलों में बीहड़ सुधार का कार्यक्रम शुरू किया गया है और हमारा लक्ष्य है उसको तीस हजार करने का, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कृषि की व्यवस्था में लागू कर रहे हैं । औद्योगिक व्यवस्था में बहुत काम हुआ है उस तरफ भी हमने कदम बढ़ाने की कोशिश की है वह इसलिए कि अगर कोई किसान सब्जी पैदा करे, हार्टिकल्चर कोई फल पैदा करे, तो उसमें किसान को ज्यादा फायदा होता है । इसमें हमने कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए मान्यवर, हमने प्रदेश के तमाम जनपदों में पौधशालायें बनाने का निश्चय किया है और उसमें मान्यवर, हमारा ख्याल है कि प्रत्येक ब्लाक में एक-एक पौधशाला बनवायें और इसमें जो अन्य कार्यक्रम लिए हैं अभी तक सरकारी क्षेत्र में पौधशालायें बनाते थे लेकिन अब जो प्राइवेट इंडीवीजुअल्स है जो किसान है जो पौधशालायें लगाना चाहेंगे, बाग लगाना चाहेंगे, हम उनकी मदद करेंगे । यह प्राविधान इसमें किया गया है, इस तरह से हम औद्योगिक विकास करेंगे । अभी तक हिल में यह था, अब हिल के साथ-साथ मैदानी क्षेत्र में इसको लागू करने का कार्यक्रम है। मैं विस्तार में न जाकर, क्योंकि अभी आप लोगों के सुझाव आयेंगे मैं उनको सुनना चाहूंगा, जो आपके बहुमूल्य सुझाव आयेंगे उनका उपयोग करने की मैं कोशिश करूंगा । औद्यानिक विकास के लिये मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं । बहुत दिनों पहले हमारे राम नरेश जी ने 77-78 में इसकी कोशिश की थी कि क्षेत्र विशेष को फल पट्टी घोषित किया जाय उसका बिल लाया जाय फलदार वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के लिये, लेकिन वह बिल उस समय पास नहीं हुआ था पड़ा रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने पास तो कर दिया लेकिन क्या उसको लागू किया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय न जाने कौन सा प्रेशर या दबाव उनके ऊपर पड़ा कि वह पास न हो सका । अभी पिछले साल हमने इसको लागू किया और लखनऊ में मलिहाबाद इलाके को फल पट्टी घोषित किया है। राणा साहब आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने 3 और जिलों में फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया है–इसमें प्रतापगढ़, बुलन्दशहर, इलाहाबाद है । इसके अलावा विभिन्न स्थानों के लिये सर्वे कराया जा रहा है जिसमें मेरठ भी शामिल है। मेरठ में सर्वे अभी पूरी नहीं हुआ है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, उस समय जो हमने योजना बनायी थी वह शुरू आप अब कर रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं तो यह कह रहा था कि आप दबाव के कारण उसको लागू नहीं कर सके हमने तमाम दबाओं के बावजूद उसको लागू किया। मान्यवर, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हर जिले में कोई न कोई फल पैदा होता है। हमने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये जिसमें जो फल की पैदावार होगी उसके उपयोग के लिये, हर जिले के लिये कार्यक्रम बनाया है यह मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं। इसके लिए हमने डेढ़ करोड़ रुपए रखे हैं । पूरे प्रदेश में किसी जिले में आम पैदा होता है, कहीं अमरूद पैदा होता है, कहीं आंवला पैदा होता है तो हर जिले में जो फल पैदा होता है उसके लिये कार्यक्रम शुरू किया जायगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

कौन से फल के लिये कहां योजना बनायी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल मालूम करना चाहते हैं कि बेर किस जिले में रखा गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बेर शाहजहांपुर में ज्यादा पैदा होता है तो उधर भी शुरू कर देंगे । मान्यवर, शाक भाजी, बेजीटेबिल के प्रोडक्शन के लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाय । पिछले साल 19293 हेक्टेयर में इसकी खेती की गयी और इस साल 21 हजार हेक्टेयर में शाक भाजी उगाने की योजना है । पिछले साल 4737 क्विंटल बीज वितरण किया गया है और इस साल 5000 क्विंटल शाक भाजी का बीज वितरण करने की योजना है । इसके अलावा 10 करोड़ सीड किट्स भी मुफ्त किसानों को देंगे ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा सब्जी पैदा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें । तो मान्यवर, इस तरीके से उनके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं । अभी तक किसानों को इतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं होता था । उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करा रहा हूं जहां किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें हम 25 रुपया प्रतिदिन वहां रहने का खर्चा भी देंगे और 100 रु0 आने-जाने का भी देंगे। इसी जगह एक खुशखबरी और बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को इस सदन के माध्यम से कि दिल्ली में एक किसान मेला आयोजित हो रहा है उसमें हमने सरकार के खर्चे पर, विभाग के खर्चे पर हर जिले से 100-100 किसानों को उस मेले को देखने के लिए व्यवस्था की है।

श्री विजय सिंह राणा–

किसान मेला भी दिल्ली में लगेगा और अपना उत्सव भी दिल्ली में लगेगा। मान्यवर, यह सारा कार्यक्रम दिल्ली में ही होगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हम किसानों को दिल्ली तो ले चल रहे हैं। वह देखेंगे कि वहां क्या-क्या शोध हो रहा है। इसमें मान्यवर, एक राजकीय औद्योनिक इकाई है उनके आसपास हम कुछ गांवों को सेलेक्ट करके चयनित करके उन गांवों को भी एडाप्ट करेंगे। मान्यवर, 4-4, 5-5 गांव एक ही औद्योनिक क्षेत्र में हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप 4 बजे तक समाप्त कर लें, काफी सदस्य बोलने वाले हैं। आपको फिर से भाषण देने का मौका मिलेगा तब आप समायोजित कर लेना।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह जो कृषि है इसमें इतनी उपलब्धियां हुई हैं कि मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो कई दिन लग जायेंगे। उसको मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हमने पहाड़ी क्षेत्र में भी औद्यानिक विकास के कई कार्यक्रम चलाये हैं और उन कार्यक्रमों से पर्वतीय क्षेत्र को, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में जो हमारे कार्पोरेशन हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, हमने पहाड़ी क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास के कई कार्यक्रम हुई है और हो रही है। मंडी परिषद् की तरफ से हमने एक विशेष कार्यक्रम चलाया है जिसकी सूचना हमने कल सदन को दी थी कि अगर कोई किसान मंडी में अपना माल लेकर जायेगा और वहां उसको सही कीमत नहीं मिल रही है तो वह अपनी उपज को मंडी समिति के गोदाम में रख देगा और उसकी उपज का 75 प्रतिशत रुपया हम उसको उपलब्ध करा देंगे मात्र 6 प्रतिशत ब्याज पर ताकि जब उसको अपनी उपज की उचित कीमत मिले तो बेच सके और पहले महीने में उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था मंडी परिषद् में हमने की है। इसके अलावा मान्यवर, मण्डी परिषद् की तरफ से सड़कें बनाने का फैसला किया है। अगले 3 वर्षों में मंडी परिषद् में हर साल एक हजार कि0 मी0 सड़कें बनायी जायेंगी इस प्रकार 3000 कि0 मी0 सड़कें बनायी जायेगी। अभी तक यह था कि इन सड़कों का निर्माण तो हो जाता था लेकिन बाद में मेन्टीनेन्स नहीं होता था। हमने मेन्टीनेन्स का भी प्राविधान किया है। मंडी समिति द्वारा बनी हुई सड़कों का मेंटीनेंस भी किया जायेगा यह व्यवस्था हमने की है। मंडियों का सबसे अधिक निर्माण कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नाम-मात्र की मंडियां हैं। गाजियाबाद को जो साइदाबाद की मंडी है, उसे एक नेशनल टर्मिनल के रूप में प्रयोग किया जायगा, जिससे पहाड़ के क्षेत्र की और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी सब्जी है, उधर आकर बिकेगी और इससे किसानों का शोषण रुकेगा। हमने पहले की भांति इस वर्ष फिर 1500 किसानों को भारत भ्रमण पर मण्डी परिषद् की तरफ से भेजने का निश्चय किया है। वहां पर वे जाकर वहां के विकास कार्य और शोध कार्य को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम मंडी परिषद् को बहुत उपयोगी बनाना चाहते हैं।

मान्यवर, मंडी परिषद् की जो बड़ी-बड़ी मंडी समितियां हैं, वहां पर हम टेलेक्स की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वहां पर लोगों को चीजों के भाव के बारे में जानकारी हो सके । इसके विस्तार में मैं मान्यवर, नहीं जाना चाहता हूं । अब मैं हार्टिकाे के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में हार्टिकाे ने बहुत अच्छा काम किया है । 1984-85 में सेल का टर्न ओवर 29 लाख 13 हजार था और 86-87 में 1 करोड़ 79 लाख का है । इसमें मान्यवर, इतनी बढ़ोत्तरी हुई है । लखनऊ में तो आप लोग हार्टिकाे का जूस पीते ही होंगे । हार्टिकाे ने बहुत अच्छा काम किया है । हार्टिकाे के जरिये से अगर सभी सदस्यों की राय होगी, तो चलते वक्त हार्टिकाे का जूस आप लोगों क पिलवायेंगे । यह तो हमारा प्रचार है । इससे तो हमारा हार्टिकाे और आगे बढ़ेगा । हार्टिकाे के जरिये हमने इक्सपोर्ट भी शुरू किया है । हम पूरे प्रदेश में हार्टिकाे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में एक-एक हार्टिकाे की स्थापना की जायगी, ताकि किसान जो पैदा करे, उसको उसका पैसा मिल सके । अब मैं तराई बीज निगम के बारे में कहना चाहता हूं । तराई बीज निगम ने इधर बहुत अच्छा काम किया है । इस तराई बीज निगम को पिछले वर्ष भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, सम्मानित किया गया है । इसके बारे में आपने समाचार पत्र में भी पढ़ा होगा । बीज में जो हमारी उत्पादकता थी, वह बढ़ी है । मान्यवर, एग्रो जो हमारा कारपोरेशन है, एग्रो की स्थापना सन् 67 में हुई थी । मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । एग्रो के द्वारा बहुत कार्य हो रहा है और पिछले साल तक इसमें घाटा एक करोड़, पच्चीस लाख रु0 का हुआ था लेकिन यह जानकर आपको खुशी होगी कि इस साल पहली बार 12 लाख रु0 का सीधा लाभ अर्जित किया है । यह मैं खुशखबरी सदन को देना चाहता हूं । मान्यवर, एग्रो की तरफ से 85-86 में 150 ट्रैक्टर बेचे गये थे और इस साल 813 ट्रैक्टर बेचे गये, इसका अन्दाजा करें । इसकी वजह यह रही कि हमने एग्रो की तरफ से किसानों को कुछ विशेष सुविधायें दिलवाई जैसे जो ट्रैक्टर वे प्राइवेट कम्पनियों से लेते थे उससे ज्यादा सुविधा हमने दिलवा दी जैसे हमने हुड दिलवा दिए जिससे करीब 1500 रु0 का फायदा हर किसान को करवाया । मंशा यह थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो । अब मान्यवर, इस साल हम एग्रो की तरफ से कुछ और सुविधायें, कुछ और कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिससे किसानों की अच्छी सेवा हो सकेगी जैसे जो हमारी मंडियां हैं इनमें 70 मंडियों में हम सिंगल विंडो कांसप्ट किसानों की सेवा के लिए शुरू करने जा रहे हैं जहां पर एक ही जगह पर किसानों को खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाइयां एक ही जगह से किसानों को मिल सकें । यह एक तरह का प्रयास होगा किसान के लिए । मान्यवर, इस तरीके से एग्रो ने काफी अच्छा काम किया है ।

हमारे प्रदेश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं उन 3 कृषि विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम किया है और नये-नये आविष्कार किये हैं । हमारे फैजाबाद विश्वविद्यालय ने एक नए किस्म क बीज का आविष्कार किया है जिसका नाम है जलमग्न, इससे 15 फीट गहरे पानी में भी धान हो सकता है । पन्तनगर विश्वविद्यालय ने भी काफी नए-नए आविष्कार किए हैं और रानीचौरी में जो केन्द्र है उसे भी पूरे तरीके से विकसित करने का कार्य किया है । कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो पहले एग्रीकल्चर पत्थर कालेज के नाम से विख्यात था, ने भी काफी अच्छे कार्य किये हैं । यदि आप इन विश्वविद्यालयों का कभी भ्रमण करें तो भ्रमण करके देखेंगे कि दरअसल में इन विश्व-

विद्यालयों ने कितनी नई-नई खोज की हैं । यह आपको जानकारी हो सकती है । इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं जब आप जाना चाहें, हमें बतायें । मान्यवर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अब मैं कुछ बातें सुनूंगा और जो आप लोग सुझाव देंगे और जो प्रश्न रखेंगे उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी शान्तिपूर्वक हमारी बात को सुना ।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है । इसी तरह से अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, "आंकड़े न बही, कृषि मंत्री जी ने जो कहा वह सही ।" मान्यवर, बड़े घमण्ड के साथ माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि मैं इस उत्तर प्रदेश विधान सभा में तीसरी बार इस विभाग के बजट अनुदान को प्रस्तुत कर रहा हूं और मान्यवर, मैं भी माननीय मंत्री जी को, जो तीसरी बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त किया है, उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई देता हूं । मान्यवर, वास्तव में है भी यह बड़े गौरव की बात कि एक किसान के बेटे ने आज कृषि विभाग का बजट इस विधान सभा में तीसरी बार प्रस्तुत किया । मान्यवर, वर्ष 1983 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो धरती के पुत्र थे और किसानों के मसीहा थे, उनके चरणों में बैठकर इनको और हमको एक साथ किसानों के बीच काम करने की प्रेरणा मिली । लेकिन यह चौधरी चरण सिंह जी को धोखा देकर इधर भाग आए और मैं यहीं पर बैठा हूं । मान्यवर, यह देखिए हुकुम सिंह जी सदन से जल्दी से निकले जा रहे हैं जब चौधरी साहब का नाम आया तो यह चले जा रहे हैं । एक बात इनके संबंध में भी कहनी थी कि हुकुम सिंह जी, जब विरोध-पक्ष में थे । . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण बड़ी गम्भीरता से बात करें, कृषि विभाग का आज बजट है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं गम्भीरता से ही बात कर रहा हूं आप इन लोगों से कह दीजिए कि यह लोग गम्भीरता से सुनें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह उद्योगपति हैं, इनको कृषि से क्या ताल्लुक है, जो गम्भीरता से इसको लें ।

श्री मनोहर लाल–

मैं किसान का बेटा हूं, उद्योगपति आप हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के पास आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तीन ही विकल्प हैं । एक है जनता पर नये-नये टैक्स लगाना, दूसरा वार्षिक योजना में कटौती करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और तीसरा है राज्य कर्मचारियों में छंटनी करना । इन्हीं तीनों विकल्प से उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रहा हूं और इसी तरह से 22 नवम्बर को दिल्ली के प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश दिवस सम्मेलन में घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश की जनता पर इस वर्ष किसी प्रकार का कोई भी नया टैक्स नहीं लगायेंगे, परन्तु मान्यवर, इसके बावजूद तमाम तरह के टैक्सेज इन्होंने लगा दिए हैं कहीं पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के रूप में । बिक्री-कर में बढ़ोत्तरी कर दी, बसों के किराये बढ़ा दिए । एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम नये टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लगाते चले जा रहे हैं । इसी तरह से जो कर्मचारी हैं, इनके छंटनी करने की हिम्मत भी इनमें नहीं है और न ही मितव्ययता कर पाना इनके बस की बात है यह प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने की बात करते हैं । माननीय हुकुम सिंह जी ने जब एक बार इसी विधान सभा में इसी विभाग का कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो उस समय इन्होंने यह कहा था कि यह सरकार इतनी निकम्मी है और इसके इस निकम्मेपन की वजह से एक रुपया भी देना इसे बिल्कुल बेकार है, यह रुपया भी देना फालतू होगा, व्यर्थ होगा । लेकिन आज यह उधर बैठे हैं । अब यह इस बात को नहीं कहेंगे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तीसरी बात यह बजट प्रस्तुत करते हुए बड़े गर्व के साथ कहा कि तीन साल से कृषि का उत्पादन बढ़ा है और यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रदेशों में गेहूं भेज रहे हैं और जो बाहर से आयात होता था, वह अब नहीं आयात होता है ।

अधिष्ठाता महोदय, बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए ऐसी बात कह रहे हैं । पानी बरसा नहीं है लेकिन इस तरह की बात उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है । मान्यवर, मैं तीन साल की बात कह रहा हूं। इनका कहना है कि तीन साल में इन्होंने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो तय हुआ था कि सन् 80-81 से 85-86 तक जो उत्पादन बढ़ाया जायगा, उसका जो लक्ष्य बनाया गया था, वह लक्ष्य 80-81 में 249.48 लाख मैट्रिक टन था खाद्यान्न उत्पादन का, लेकिन गत वर्ष बढ़ोत्तरी 16.4 परसेंट थी । इसी तरह से 1982-83 में लक्ष्य था 264.98 मैट्रिक टन का लेकिन बढ़ोत्तरी हुई 9.8 परसेंट की दर से । इसी तरह से 1984-85 में 317.80 की जगह बढ़ोत्तरी 4.3 परसेंट रही । 1985-86 में भी 317.80 मै0 टन के लक्ष्य पर 4.3 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई । मंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी प्रगति हुई है गेहूं बहुत पैदा किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़े इस प्रकार हैं । मान्यवर, अभी 3-4 दिन पहले इसी मा0 सदन के अन्दर बड़ी जोर से मांग की गयी कि गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है । सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर पा रही है । इसलिए यह हुआ कि गेहूं की खरीद की व्यवस्था की जाय । यह कहते हैं कि बहुत उत्पादन हो गया । दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि पिछले साल सूखे और अतिवृष्टि के कारण उत्पादन कम हुआ । मैं यह आंकड़े पूरे नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहले ही कहा कि आंकड़े न बही, जो मंत्री जी से कहें सो सही । मक्का का एन्टीसिपेट टारगेट 1513 हजार मैट्रिक टन दिखाया है । मक्का तब पैदा होता है जब बरसात होती है और सूखा नहीं पड़ता है । यानी इनके सारे आंकड़े झूठे हैं और मंत्री जी सदन के अंदर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं । इसलिए, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

मान्यवर, किसान खेत में मेहनत करता है । वह अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है । अगर अच्छा बीज और खाद मिले और पानी के लिए बिजली समय से मिले और पूरी व्यवस्था खेती को बढ़ाने के लिए मिले तो उत्पादन किसान अपने आप बढ़ा लेगा । इसमें सरकार का क्या है ? पिछले साल 62 करोड़ रुपये की खाद की सबसिडी भेजी गयी । मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 62 करोड़ की खाद की सबसिडी किन जनपदों में दी गयी ? मेरे पास यहां तमाम अखबारों की कटिंग है । हर जनपद के अलग-अलग अखबार की कटिंग है और बहुत से जनपदों की कटिंग है, जिनमें किसानों ने मांग की है कि उर्वरकों पर मिलने वाली छूट उनको नहीं मिली है । वह सबसिडी किसानों को नहीं दी गयी । अधिकारियों ने खाद को बेचकर दिखा दिया कि सबसिडी किसानों को दे दी । यह पूरे प्रदेश के अन्दर, हर जिले के अन्दर मा0 सदस्यों से इधर के हों या उधर के, उनसे पूछा जाता है, किसान उनसे पूछते हैं लेकिन ये बात उधर के लोग यहां पर नहीं कहेंगे ।

मान्यवर, मंत्री जी जो गौरव के साथ कह रहे हैं कि 3 साल के अन्दर काफी उत्पादन बढ़ा है और काफी काम हुआ है । खाद के बारे में कह रहे हैं कि 10 किलो और 20 किलो की बोरियों में खाद मिलेगी और नजदीक के सेन्टर पर खाद मिलेगी और दूर नहीं जाना पड़ेगा । मान्यवर, मैं तीन साल के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । मा0 मंत्री जी बतायें कि खाद की कितनी दुकानों पर छापे पड़े और कितनों पर कार्यवाही हुई ? इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि मा0 मंत्री जी की और उनके अधिकारियों की नीयत क्या है ? बात साफ हो जायेगी ।

मान्यवर, 1984-85 में जो छापे डाले गये खाद की दुकानों में, उनकी संख्या है- 6538, 1985-86 में छापे डाले गये 15,937, 1986-87 में छापे डाले गये 18287 । नमूने कितने लिए गए-1984-85 में 4715, 1985-86 में 6950 और 1986-87 6237 । विश्लेषित नमूने-1984-85 में 4715, 1985-86 में 4695 और 1986-87 में 6356 । अधोमानक पाये गये नमूने- 1984-85 में 346, 1985-86 में 311 और 1986-87 में 549 । निरस्त किये गये पंजीकरण-1984-85 में 189, 1985-86 में 203 और 1986-87 में 225 । निलम्बित किये गये पंजीकरण-1984-85 में 105, 1985-86 में 423 और 1986-87 में 498 । व्यवसायी जो जेल भेजे गये-1984-85 में 48, 1985-86 में 99 और 1986-87 में 83 । यानी 15 हजार, 18 हजार छापे पड़े और व्यवसायी जो पकड़े गये या अन्य जो कार्यवाही हुई उसकी संख्या क्या है ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 10 हजार 15 हजार मंत्री जी ने खाद वालों से ले लिया, कार्यवाही ठंडी पड़ गयी । एक-एक आदमी के पास दो-दो लाइसेंस हैं अलग-अलग नामों से। किसी आदमी के लाइसेंस को निरस्त किया गया, तो उसी के दूसरे भाई के नाम लाइसेंस जारी कर दिया गया । कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी खाद में मिलावट हुई और 3 साल में क्या कार्यवाही की गयी है ? यह आपने इन आंकड़ों के माध्यम से देखा । उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन संबंधी जो पुस्तिका बंटी है, उसी के आंकड़े थे यह ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछा जाय कि उ0 प्र0 का कृषि निदेशक कौन है ? मान्यवर, दो साल से जो कृषि निदेशक हैं, वह अस्थायी हैं । और क्वालीफाइड भी नहीं हैं । अनक्वालीफाइड और अस्थायी कृषि निदेशक हैं, माननीय मंत्री जी के बड़े कृपा पात्र हैं । कृपा पात्र होने की वजह के क्या कारण है ? कोई स्थायी निदेशक क्यों नहीं बनाया

जा रहा है, क्या बात है ? आज उ0 प्र0 के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर स्थायी डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर नहीं मिल पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मनोहर लाल जी, 20 मिनट हो रहा है । थोड़ा सा सूक्ष्म में आ जायं । आपको बाद में भी बोलना है ।

(श्री पूरन सिंह माहरा और श्री प्रदीप माथुर के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग क्यों खड़े हो गये, अभी माननीय मनोहर लाल जी का भाषण चल रहा है ?

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, कहा गया कि हमारे यहां कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में 4–5 प्रान्तों की स्थिति का जिक्र करूंगा, पूरे हिन्दुस्तान के सूबों की बात नहीं कहूंगा । माननीय मंत्री जी ने चावल और गेहूं की बात कही । मैं चावल, गेहूं और मक्के की बात कहता हूं। आंध्र प्रदेश में चावल का औसत उत्पादन 21.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, गेहूं 6.99 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का 22.33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिहार में चावल 6.81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, गेहूं 11.49 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मक्का 11.74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हरियाणा में चावल 26.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, गेहूं 20.91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मक्का 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में चावल 17.10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । गेहूं वहां नहीं होता है । मक्का 10.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में चावल 11.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, गेहूं 11.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मक्का 7.72 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पंजाब-चावल 31.42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, गेहूं 30.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का 17.77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पश्चिम बंगाल—चावल 10.18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, गेहूं 22.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का 11.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । कहने का मतलब यह है कि उत्पादन के मामले में अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रिकार्ड उत्पादन हुआ है। सिंचाई के लिए पानी नहीं, और अतिवृष्टि हो जाय तो कह देंगे कि फसल खराब हुई। यह नहीं देखेंगे कि किसानों को खाद भी मिली कि नहीं मिली, पानी मिला कि नहीं मिला। 30 हजार की फौज कर्मचारियों की इनके विभाग में है । कई फस्ट क्लास ग्रेड के आदमी बेकार घूम रहे हैं । उनमें से कइयों को हाई-कोर्ट की शरण में जाना पड़ा तब उनको काम मिल पाया। माननीय मंत्री जी, बतायें कि इस प्रकार के कितने आदमी हाईकोर्ट में गये हैं।

मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। श्री कान्त उपाध्याय जी, इनके विभाग में एक इम्प्लाई है, उनका प्रमोशन किया गया, उनके खिलाफ कानपुर में गड़ी स्टोर में और देवरिया में बैड इन्ट्रीज थी। मात्र 30 हजार रुपए लेकर उनका प्रमोशन कर दिया गया। एक ब्रह्मानन्द जी हैं, वह जे0 डी0 ए0 बना दिये गये। जमुनाबाग खीरी में 24 लाख रुपए की फर्जी फन्सिंग दिखा दी। 10 लाख रुपए के तिरपाल खरीदे गये, लेकिन वे तिरपाल स्टोर में हैं नहीं। आखिर उनका प्रमोशन कैसे और क्यों किया गया? सिर्फ पैसे की लेन-देन की वजह से कर दिया गया। एक भूमि संरक्षण विभाग

था, उसे इन्होंने खत्म कर दिया है। भूमि कटाव से ऊसर भूमि बढ़ती जा रही है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसे यह सरकार नहीं कर रही है। दूसरे विभागों में आतंक पैदा किया जा रहा है यह कह कर कि यह मंत्री शेर है जबकि यह चूहा भी नहीं है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों के खेत और खलिहानों से गुजरता है। आज 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और उसमें से 60 प्रतिशत लोग किसानी करते हैं, उनके उत्थान के लिए नई योजनाएं लागू होनी चाहिए थीं, वह इस सरकार ने नहीं किया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्हें एक रुपये भी न दिया जाय। माननीय कृषि मंत्री जी की आंखें माननीय श्री हुकुम सिंह जी के बगल वाली कुर्सी पर लगी हुई हैं, इसलिए वह कृषि के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

इन्हें तो आबकारी विभाग के ऊपर कटौती का प्रस्ताव लाना चाहिए था।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और श्री मनोहर लाल जी का भाषण सुना। एक ओर तो रचनात्मक बातें और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की बातें कही गईं तो दूसरी ओर ऐसा लगा कि कोई अपने दुकान में बैठकर हिसाब-किताब लगा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मुझे खेद इस बात का हुआ कि लोकदल के माननीय सदस्य, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनकी तरफ से किसानों के भले के लिए एक भी सुझाव देखने को नहीं मिला। कृषि क्षेत्र के बारे में यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब तक कृषि में प्रगति नहीं होगी, प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले वर्षों में जो कुछ कृषि क्षेत्र में हुआ है, माननीय सदस्य उससे अवगत हैं। विशेष बात यह है देखने की कि पिछले वर्ष की तुलना में आज जो इस बजट का आंकलन करते हैं कि इस विभाग ने पहले साल में क्या काम किया। पिछले साल ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी फसल बहुत अच्छी थी जो सभी ने देखी, यह ठीक है कि टारगेट, खाद्यान्न उत्पादन का पूरा नहीं हो पाया, हालांकि किसान ने मेहनत की और अगर टारगेट पूरा होता तो किसानों को ही श्रेय दिया जाता। किसानों ने भरसक प्रयास किया और शासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह विचाराणीय है इसे राजनीति में न लें और सोचें कि क्या वजह है? गेहूं की पैदावार में क्यों कमी आयी? कल भी एक प्रश्न आया था कि पंजाब में गेहूं कि पैदावार ज्यादा है और यहां पर कम है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हर फसल के लिए हर प्रदेश की जलवायु और क्लाइमेटिक कण्डीशन्स उपयुक्त नहीं हैं। यह सही है कि धान और चावल का उत्पादन यहां पर पंजाब से अधिक होना चाहिये, लेकिन गेहूं के क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त नहीं करते जितनी पंजाब में है फिर भी यहां ऐसे जिले हैं, माननीय किरन पाल सिंह जी का जिला है, जो पंजाब की औसत पैदावार से अधिक पैदावार ले रहा है, लेकिन लुधियाना से तुलना करेंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पर अधिक समय तक मौसम ठंडा रहता है। यहां पर जो गर्म हवायें पहले चलनी शुरू हो जाती हैं पूर्व की तरफ गर्मी पहले होने से गेहूं मार्च में ही कट जाता है, उसकी वजह से पंजाब से आगे नहीं निकल पायेंगे।

इसके साथ ही साथ दो-तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बीज, खाद और पानी की बात कही। बीज के बारे में इन्होंने इशारा जरूर किया लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या मानक है कि हर वर्ष किस क्षेत्र में कितना नया बीज आना चाहिए? आपने आंकड़े जरूर बताये कि बीज कारपोरेशन ने कितना बीज बेचा, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और जितना बीज उत्पादन करके वितरण कर रहे हैं, उससे 10 गुना अभी और करना है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तीन विश्वविद्यालयों के बजाय बीज विकास निगम बनाने की अनुमति दे दें। उनको अलग-अलग क्षेत्रों के लिये बीज उत्पादन का कार्य करना है। जहां जिस चीज की आवश्यकता और अच्छी उत्पादकता हो सकती है, उस जगह वह चीज पैदा करनी चाहिए, उसको ऐसा करें कि प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए आपके पास एक बीज निगम काफी नहीं है, वह कभी सारा कार्य नहीं कर पाएगा। बीज की रिप्लेसमेंट की दर 10 प्रतिशत भी नहीं है कितनी होनी चाहिए? जब तक वह नहीं करेंगे, जो वास्तव में आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। खाद के बारे में आपने कहा कि 5-6 कि0 मी0 के दायरे तक ले जायेंगे।

एक चीज इसमें और बताना चाहता हूं और वह है मिट्टी का परीक्षण। खाद आप बेचते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही वैज्ञानिक ढंग से कितना होता है? जब तक मिट्टी के परीक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, खाद का वह उपयोग नहीं हो पायगा, जो होना चाहिए। मिट्टी के परीक्षण की सुविधायें जो होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हैं। खाद, जो इतनी महंगी है, दुर्लभ विदेशी मुद्रा उसके आयात में व्यय होती है उसका बिल्कुल सही उपयोग होना चाहिए। काश्तकारों की संख्या को देखते हुए गांव-गांव में तथा खेत-खेत में मिट्टी का परीक्षण करायें तभी आप वितरण का टारगेट पूरा कर सकेंगे। मेरा आपसे आग्रह है मिट्टी के परीक्षण हेतु स्टाफ बढ़ायें चाहे प्रशासनिक ढांचे में सभी को ट्रेनिंग देकर रखें लेकिन मिट्टी के परीक्षण की बहुत आवश्यकता है। आपने जो खाद वितरण की व्यवस्था रखी है उसमें निजी सेक्टर का बहुत हाथ है, कौन सी मिट्टी पर कौन सी खाद कितनी मात्रा में डाली जाय यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी उत्पादन में उन्नति हो सकेगी।

दूसरी बात है कृषि हेतु होने वाले व्यय की। कृषकों को पैसा बैंकों के माध्यम से और सहकारी समितियों के माध्यम से मिलता है लेकिन आपके द्वारा जो फसल बीमा योजना है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि फसल बीमा योजना पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पायी है, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें प्रीमियम तो ज्यादा से ज्यादा जाता है लेकिन क्लेम नहीं मिल पाता है। 1986 की खरीफ का क्लेम अभी तक काश्तकारों का नहीं बन पाया है मिलेगा कब? तो आज हमारा कृषक 1987 की खरीफ की फसल को कैसे आगे बढ़ा पायेगा? इसे भी आपको देखना होगा। मेरा विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

आप कीटनाशक दवाइयों की बात कहते हैं कि सबसीडी देंगे, लेकिन प्लान्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेन्ट में जो दवा मिलती है, बाजार मूल्य से अधिक उस पर 10 परसेन्ट हैण्डलिंग चार्जेज लिया जाय तो यह तो वही हुआ कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से ले लें। बनिया भी हैण्डलिंग चार्जेज नहीं लेता है, डिस्काउंट देता है इसलिए आप हैण्डलिंग चार्जेज की व्यवस्था को समाप्त करें। मेरा आपसे आग्रह है कि डिसकाउन्ट की

सबसीडी वर्ग विशेष को देने के बजाय आपके प्लान्ट प्रोटेक्शन में दवाइयों का मूल्य कम होना चाहिए। एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी यहां पर प्रशिक्षण और भ्रमण योजना का जिक्र आया, दूध के उत्पादन के संबंध में जिक्र आया। मेरी भी राय है कि जब तक प्रदेश में यह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन को बढ़ाना कठिन है। एक बात और कि पिछड़ा-पन जो है इसकी परिभाषा को आप बदल दें। आप ब्लाक स्तर पर पिछड़ेपन की परिभाषा को लायें। जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर इसको लाइये, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सर्वांगीण विकास आप नहीं कर सकेंगे। पूर्व और पश्चिम का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अन्त में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृषि की तरक्की तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि कृषक द्वारा पैदा किया गया उत्पाद चाहे अनाज हो, फल हों या अन्य वस्तुयें हों, फसल बाई प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट के उपयोग की योजना आप नहीं बनायेंगे क्योंकि उपभोक्ता को वे चाजें सस्ते दर पर उपलब्ध करानी है और कृषक को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को बल देना पड़ेगा। मान्यवर, जब तक आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कृषकों का इकोनामिक स्टेट्स इम्प्रूव्ड नहीं हो पायेगा इन सब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं माननीय मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक टी0 एन0 वी0 की योजना है और दूसरी चावल की योजना है। यह दोनों योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश को दे दी गयी हैं। टी0 एन0 वी0 की योजना 187 करोड़ की है और चावल की योजना 10 करोड़ 20 लाख रुपये की है। पहली योजना में साढ़े चार हजार कृषि सहायकों की नियुक्ति की जायेगी और ए0 डी0 ओ0 की नियुक्ति की जायेगी तथा इनसे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में चली गयी है। इसके साथ ही साथ चावल की योजना भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चली गयी है, कोई भी योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। मैं इसका उन पर चार्ज लगाता हूं।

मान्यवर, बीज के मामले में कहा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनका एक तराई बीज निगम है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसको बहुत फायदा है। मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं, तराई बीज निगम बीज प्रमाणीकरण संस्था बनायी गयी है लेकिन यह फर्जी बीजों का प्रमाणीकरण कर देती है और लाखों रुपया रिश्वत के रूप में लेती है। आपके फार्मों पर जो बीज पैदा होता है, वह अच्छे किस्म का होता है और उसकी कीमत आप नो प्राफिट नो लास पर रखे हैं और जो तराई बीज निगम का बीज है, वह घटिया किस्म का होता है और उस पर इनकी मोहर लग जाती है और अधिक कीमत पर वह बिक जाता है। किसान उसी बीज को अधिक पसन्द करता

है, जिसकी कीमत अधिक होती है। मान्यवर, मैंने कई बार इसी सदन में प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जानना चाहा, लेकिन सरकार ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इस निगम की स्थापना की थी और कांग्रेस के लोगों ने उसको चन्दा के रूप में बेच दिया है और पूरे प्रदेश के किसानों को लूट कर के रख दिया है। मान्यवर, जो बीज आपके विश्वविद्यालयों में पैदा किया जाता है और जो बीज तराई निगम का होता है, उनकी कीमतों में फर्क होता है, यह फर्क क्यों रखा गया है। आप एक करके कीमत रख दें, तब आप देखें कि कौन बीज अधिक बिकता है।

मान्यवर, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वह मिट्टी के बारे में है। मेरे यहां शाहगंज में एक लैब है। वहां पर कहीं से कोई मिट्टी परीक्षण के लिए नहीं आती है और न कोई ग्राम्य विकास अधिकारी या बी0 डी0 ओ0 वहां मिट्टी परीक्षण के लिए भेजता है। वहां पर लाखों रुपये का केमिकल भेजा जाता है, वह ब्लैक कर लिया जाता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक मैंने ऊसर की जमीन की मिट्टी को परीक्षण के लिए भेजा, तो परीक्षण के उपरान्त रिपोर्ट आ गयी कि इसमें उपजाऊ शक्ति है। तो मैंने कहा कि यह कैसे पास हो गया है। तो बताया गया कि अगर पहले कह दिये होते कि यह ऊसर की मिट्टी है, तो रिपोर्ट दे दी जाती कि इसमें उपजाऊ शक्ति नहीं है, तो मान्यवर, यह हालत है। कैसे सुधार होगा?

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लैब में बैठकर इस तरह से बेईमानी हो रही हो, उसको आप देखेंगे नहीं तो फिर क्या स्थिति होगी। इस संबंध में मैंने यहां पर सवाल भी किया था और आपने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि शाहगंज लैब सही है, आपका डाइरेक्टर सही है और गल्ती किसान की है, हवा चल गई फसल खराब हो गई तो किसान का दुर्भाग्य और फसल ठीक हुई तो सरकार की वाहवाही। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कागज पर हिसाब तो ठीक है लेकिन किसान का कुनबा भी ठीक रहना चाहिए जो आज डूब रहा है। उसका हिसाब भी ठीक कर लीजिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बीज निगम और मिट्टी के परीक्षण में जो घपला है, मेरी मांग है कि आप उसकी सी0 आई0डी0 से जांच करवा लें। सत्यता सामने आ जायेगी। साल में कोई मिट्टी का परीक्षण किया हो, तो बतायें ?

आपने कहा कि हमारी शिक्षण संस्थायें बहुत बड़ा काम कर रही हैं। फैजाबाद में वित्तीय अनियमितताओं के लिये जो प्रबन्ध समितियां बनी हुई हैं उसने जो गाइड लाइन्स दी हैं, उनका खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है और हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि रोजाना दैनिक मजदूरी पर लोग रखे जाते हैं। वहां के भी स्थानीय आदमी हैं। मान्यवर, डी0एल0सी0 ने एक निर्णय इस सम्बन्ध में लिया था, उसका पालन नहीं हो रहा है। स्थानीय आदमियों को स्थायी तौर पर न रखकर बाहर के लोगों को रखा जा रहा है। यह भेद आप क्यों कर रहे हैं ? अभी आप राजीव गांधी का नाम ले रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी में कितने हरिजन और बैकवर्ड लोगों को आपने रखा ? क्या उनका कोटा आपने पूरा किया है ? आप जो रोजाना नियुक्तियां करते जा रहे हैं, उसमें क्या

आप इनका कोटा पूरा कर रहे हैं ? हमारे यहां चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्व-विद्यालय की एक शाखा हजरतपुर में है । वहां पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है । सब वहां पर मौज करते हैं । मैंने आपसे कहा था कि वहां पर एक नलकूप लगा हुआ है, एक भवन बना है लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। कुंवा बिल्कुल खराब हो गया है और भवन के किवाड़ भी सारे खराब हो गये हैं । इस सम्बन्ध में मैंने पत्र लिखा था । 5 लाख रुपये उसमें खर्च हुये हैं । वहां के बी0सी0 ने भी हमें पत्र लिखा कि इसकी व्यवस्था कर दी है । अब एक आदमी तो पहुंच गया है । मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवा लें, सारे तथ्य सदन के सामने आ जायेंगे ।

कीट-नाशक दवाओं के बारे में कहना चाहता हूं । इनकी वहां पर बहुत बुरी हालत है । इस सम्बन्ध में भी मैंने यहां पर सवाल किया था कि आगरा में 9 लाख रुपये लोग इसके खा गये । मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जांच का आश्वासन दिया था लेकिन वह रिपोर्ट आज तक नहीं आयी ।

अभी आपने कहा कि हार्टिको हमें बहुत बड़ा फायदा कर रहा है । इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । हार्टिको के सम्बन्ध में रविवार अखबार में एक लेख छपा है । मान्यवर, दिल्ली की एक कम्पनी है ... (व्यवधान) । हार्टिको जो है वह इस कम्पनी के लिये फायदे का अड्डा बना हुआ है। फायदा आप दिखाते हैं । आपकी बोतल, माल हमारा । दिल्ली की यह जो फर्म है वह पेय बनाती है, उसका पेय हार्टिको की बोतलों में भर दिया जाता है । हार्टिको का लेबुल लग जाता है जिसमें लाखों रुपया अधिकारी लोग मिल कर खा जाते हैं । आपके संज्ञान में यह बात नहीं होगी । इसकी आप जांच करवा लें । सारी बातें सामने आ जायेंगी ।

आपके जो कृषि फार्म हैं उनकी बैलेंस शीट नहीं है । ये कृषि फार्म माल पैदा करने का सबसे बड़े अड्डे बने हुये हैं । यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी है । आप इसको दिखा लें और अपने अधिकारियों से जांच करवा लें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, जांच की मांग की है, उन पर आप कार्यवाही करेंगे ।

**श्री अधिष्ठाता—**

माननीय वर्मा जी, अब आप समाप्त करें मैंने माननीय समरपाल जी को बुला लिया है ।

**श्री रघुवर दयाल वर्मा—**

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने फसल बीमा के बारे में कहा है कि फसल बीमा लागू करेंगे । तो जिन लोगों ने पिछले वर्ष बीमा किया था उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है । मेरे क्षेत्र चंदौसी इलाके में जिन्होंने फसल बीमा कराया उनको आज तक पैसा नहीं मिला है । जो आपने फसल बीमा की योजना बनाई है उसको अच्छी तरह से चलाईये । पिछली बार ओला वृष्टि से फसल नष्ट हुई ।

अन्त में आपने जो पूरब और पश्चिम में भेद कर दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं । आशा करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है उनकी आप जांच करके सदन के सामने रखेंगे । इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस विभाग में भ्रष्टाचार दूर न हो तब तक इनको एक पैसा न दिया जाय।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कृषि मंत्री के महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बजट का समर्थन करने का अवसर दिया । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

इनको एक मिनट का ही समय दें अभी बहुत बोलने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि इस बजट पर सभी माननीय सदस्य रुचि रखते हैं सही भाषण के लिये 5 मिनट का समय काफी है इसलिये आप सूक्ष्म में जितने सुझाव हो सकते हैं दे दें ।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, (व्यवधान) आप शांति से सुनें ।

श्री अधिष्ठाता—

जितना माननीय सदस्य के भाषण के बीच में व्यवधान होगा उतना समय उनको और दिया जायेगा ।

श्री समरपाल सिंह—

मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव को सुना तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो अपने को किसानों की पार्टी कहती है उन्होंने कटौती का प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति से रखवाया है जिनके भाषण को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वह कुछ भी हो सकते हैं लेकिन किसान नहीं हैं । वह बजट की आलोचना करते लेकिन उसके लिये कुछ सुझाव भी देते तो हम कहते कि यह सुझाव उन्होंने दिया है । उन्होंने अपने भाषण में कुछ कहा तो वह सिर्फ छापों का जिक्र किया । ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय मनोहर लाल जी को छापों का फोबिया हो गया है । पिछले साल जब माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था तो तबियत खुश हो गयी थी वह यहां मौजूद थे पता नहीं क्यों उनका यह अधिकार खत्म कर दिया गया । (व्यवधान) वह कहते हैं कि यह तो किसान खुद ही कर लेते हैं इसमें सरकारी योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं है और न ही वैज्ञानिकों की समझ का कोई प्रभाव है । मैं कहना चाहता हूं कि यही किसान सन् 51 में भी थे जब कुल उत्तर प्रदेश में 117 लाख मी0 टन अन्न का उत्पादन होता था लेकिन आज 1985 में वह 313 लाख मी0 टन हो गया है जब कि इस बीच में जमीन घट गयी है क्योंकि उसी जमीन में बहुत सी जगहों पर मकान बन गये हैं बहुत सी जगहों पर सड़कें और नहरें बन गयी हैं । तो इस प्रकार खेती का रकबा घट गया है और पैदावार 3 गुना बढ़ गयी है । तो इसका श्रेय किसान को बेशक है लेकिन उसी के साथ सरकारी नीति, वैज्ञानिकों की सलाह और किसानों के सहयोग को भी है और प्रकृति को भी है । हमारी योजनायें अच्छी हैं उसका ही यह परिणाम है इसे मानना होगा । आलोचना की जाय लेकिन वह क्रियात्मक हो केवल विरोध के लिये न हो ।

मान्यवर, जो आधुनिक तकनीक कृषि की है, इसका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं । 1970 में जब हमारी जनसंख्या इस समय के आधे से कुछ ज्यादा थी, उसको भी खाद्यान्न पूरा नहीं कर पाते थे । आज हमारी जनसंख्या 12 करोड़ है । 12 करोड़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी हम सेन्ट्रल पूल को खाद्यान्न देते हैं । आज हम प्रदेश के बाहर के लोगों को भी खिलाते हैं । यह सब उपलब्धियां हैं, हमारी । इनकी जितनी भी सराहना की जाये, कम है । मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि आपकी योजनायें बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं जिनकी पूर्ति के लिये (डेडीकेटेड) समर्पित टीम की आवश्यकता है । सही निर्णय लेने की आवश्यकता है योजनायें चलाने के लिये । भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये जैसा कि माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जिक्र किया कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । हजारों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिये । मंत्री जी 6 महीने से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं । इस तरह से बिना लीडर के फौज कैसे लड़ पायेगी । कृषि निदेशक हैं, उन्हें यह भी पता नहीं कि कृषि निदेशक रहेंगे या नहीं । जो हमारे औद्यानिक निदेशक हैं वह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं । उन्होंने कूजड़ों की दुकान पर तो फल सब्जी को देखा होगा, लेकिन खेत के कद्दू और तरबूज का क्या अन्तर है उनको पता नहीं ।

(हंसी)

मान्यवर, तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस ओर जरूर ध्यान दें । बिना लीडर के फौज नहीं लड़ सकती । फौज का मनोबल गिरता रहा है । आपने पिछले साल संयुक्त निदेशक स्तर तक के अधिकारियों की ओर ध्यान दिया था लेकिन उसके नीचे वाले इस इन्तजार में बैठे हैं कि कब मंत्री जी की कृपा हो ? मान्यवर, मैन मेक्स द मेयर। तो आप सारी योजनाओं को कागज पर कार्यान्वित करते हैं इससे काम नहीं होगा। इन्तजाम अच्छा नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी । मैं पूर्व और पश्चिम की बात पर नहीं जाना चाहता । इतना अवश्य कहूंगा जहां पश्चिम का जिक्र आता है तो हमारा प्रशासन मेरठ को दिमाग में ले आता है । पश्चिम में बिजनौर, एटा, मैनपुरी जैसे पिछड़े हुये जिले भी हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

और आगरा ।

श्री समरपाल सिंह—

आगरा भी है, मुरादाबाद भी है । पूर्व में भी अच्छे जिले हैं पश्चिम में भी हैं । जो 78 करोड़ की योजना टी0 एन0 वी0 की है उसको पश्चिम में भी लागू किया जाये । पश्चिम के सभी जिले न प्रगतिशील हैं न विकसित हैं, अभी तक विकासशील हैं । इसी तरह पूर्व के जिले हैं । कुछ विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं । आपको इस दृष्टिकोण से वर्गीकरण करना चाहिये । मुझे नहीं मालूम यह योजना पश्चिम के जिलों में क्यों नहीं चलाई । .....(लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूंगा । एक मिनट दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें ।

श्री समरपाल सिंह—

माननीय जयदीप सिंह बरार ने जिक्र किया कीट नाशक दवाओं का । आप देख लें मान्यवर, मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस उसको दिया जाता है जिसके पास फार-मेसिस्ट की ट्रेनिंग होती है । यहां जिसके पास पैसा है वह दुकान खोल कर बैठ गया। मेडिकल स्टोर वाला जो डाक्टर के पर्चे पर दवा देता है उसके लिये फारमेसिस्ट होना जरूरी है । यहां जो दवा बेचता है और किसान के लिये कन्सल्टेन्ट का भी काम करता है, उसके लिये कोई ट्रेनिंग नहीं ।....जो कीटनाशक दवाओं को बेचते हैं, उनको तो कंसल्टेन्ट का काम और दवाओं के बेचने का काम, दोनों काम करना पड़ता है । यह दवाएं ही नहीं है, यह तो मिस्नामर है । यह दवा नहीं है बल्कि विष है । यह कीड़े मारने के काम आता है यदि इनकी घोल में रसायन की मात्रा बढ़ जाय तो यह आदमियों, पशुओं और मधुमक्खियों आदि को मार सकती है, उनके प्राण ले सकती है । इसलिए मंत्री जी इसके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोलें और कीटनाशक दवाओं की दुकानों का लाइसेन्स उन्हें ही दिया जाए जो या तो कृषि स्नातक हों या फिर इस स्कूल के ट्रेनिंग प्राप्त हों । यह बड़ा टेकनिकल विषय है । प्रदेश में कुल 6469 विक्रे-ताओं में 4414 निजी क्षेत्र के विक्रेता हैं । यह अच्छा-खासा मजाक हो रहा है-लग रही है फंफूद और दवा कीड़े मारने की दी जा रही है । (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाएं, मैंने कह दिया है और जो कुछ आपका छूट गया हो उसे आप मंत्री जी को लिखकर भेज दें, उस पर विचार हो जाएगा । आप बैठ जाएं ।

श्री समरपाल सिंह—

सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक बात जरूरी है, मुझे और कह लेने दीजिए । मुझे....(व्यवधान) मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का सम-र्थन करता हूं । मान्यवर, इस कृषि प्रधान देश में काश्तकारों की हालत इतनी दयनीय और गम्भीर है कि जिसका कुछ कहना नहीं । किसान आज गरीबी के कगार पर जो पहुंचा है, उससे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में वह दर-दर का भिखारी हो जाएगा। शासन की गलत नीतियों के कारण वह लगातार गरीब होता जा रहा है और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ती जा रही है । आज गांव नीचे की ओर और शहर ऊपर की ओर आते जा रहे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि वह गांवों को ऊपर उठाने का बहुत प्रयत्न करें । आज किसान के बच्चे गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है और शहर में भी वह ठोकरें खाता है, उसे वहां कोई नौकरी या कामधन्धा नहीं मिल पाता है । जबतक गांव ऊपर नहीं उठेगा, देश ऊपर नहीं उठेगा । इस-लिए शासन को गांवों को ऊपर उठाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए । किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, जो मिलना बहुत आवश्यक है, नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो वह कबतक खेती से चिपका रहेगा । उसकी उपज का मनमाना मूल्य आज निर्धारित किया जाता है । उनके प्रयोग में आने वाली चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और उसके उत्पादन की कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं । इसलिए आवश्यक है कि जो चीज वह पैदा करता है और जो चीज खरीदता है, उन दोनों के बीच में अनुपात होना चाहिए और उसके आधार पर ही उनकी उपज का मूल्य तय होना चाहिए । कृषि उत्पादन के मूल्य तय करने में किसानों की राय लेना भी बहुत आवश्यक है । कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गये मूल्य सरकार को मानने चाहिए । आज उत्तर प्रदेश से केन्द्र को 30 प्रतिशत गेहूं, कुल गेहूं का भेजा जाता है, किन्तु बोनस पंजाब को दिया जाता है, जहां पर से केवल 20 प्रतिशत गेहूं वहां दिया जाता है । इसलिए यहां के किसानों को अधिक से अधिक बोनस दिया जाना चाहिए । यही हालत रही तो किसान आन्दोलन के रास्ते पर आ जाएगा । जब वह आन्दोलन के रास्ते पर आएगा तो इस प्रदेश और देश की आर्थिक हालत डगमगा जाएगी । बुआई के पहले सरकार को समर्थन मूल्य की घोषणा कर देनी चाहिए । 5 एकड़ भूमि वाले किसान का कर्जा माफ कर देना चाहिए । गेहूं केन्द्र पर जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है । प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो गड़बड़ियां की गई हैं वह किसी से छिपी नहीं है उसके आधार पर 90 प्रतिशत गेहूं किसानों का बिचौलियों के जरिए से बेचा गया है और किसान का गेहूं जहां पर नहीं खरीदा गया वहीं पर बिचौलियों ने किसान का गेहूं अच्छे दाम में बेचा है । मान्यवर, जो गेहूं भीग गया था उस गेहूं को नहीं खरीदा गया, जिसके कारण किसान को अपना गेहूं सस्ते दाम में बेचना पड़ा । मान्यवर, 130 रुपये कुन्टल तो मेरे क्षेत्र में गेहूं खरीदा गया है । इसके अतिरिक्त धान किसान को कम से कम दर पर मंडियों में ले जाकर बेचना पड़ता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप खत्म करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, इस बार वर्षा नहीं हो रही है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर चार-पांच दिन तक पानी नहीं पड़ता है तो सूखा पड़ जाएगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वसूली रोक देनी चाहिए । 20 घंटे के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली मिलनी चाहिए । नलकूप ठीक किए जाने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट में कहना चाहता हूं मंडी समितियों की स्थिति बहुत दयनीय है उसके बारे में जितना किया जाए कम है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपके भाषण का समय समाप्त ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, अन्तिम बात कहना चाहूंगा मान्यवर, बदायूं जनपद में जो मंडी बनी है उसमें एक भी व्यापारी नहीं पहुंचा है ।

श्री .अधिष्ठाता—

आपका भाषण समाप्त हुआ ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, प्रदेश सरकार का यह सौभाग्य है देश और प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि एक किसान के बेटे को कृषि मंत्रालय संभालने का अवसर मिला है । अभी विरोध पक्ष के मनोहरलाल जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं सुन रहा था । उनके कहने पर कि वह किसान के बेटे हैं उनके दल के लोग मुस्करा रहे थे और वह हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वह किसान के बेटे नहीं हैं । लेकिन हमारे नेता खड़े हो जाएं तो हमारा दल तो प्रमाणित करता ही है कि यह किसान के बेटे हैं लेकिन विरोधी दल भी प्रमाणित कर देगा कि यह किसान के बेटे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्त रहें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, हमारे कृषि मंत्री जी ने जो इकाईयां बीमार पड़ी थीं, जो इकाइयां ठप्प हो गई थीं, जब से कृषि मंत्रालय सम्भाला है तब से वह इकाइयां चालू हो गई हैं, जो कृषि मंत्रालय चावल और गेहूं से जाना जाता था, इनके साहित्य को आप देखें कितनी मेहनत से तैयार किया गया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी का जो साहित्य है इसको देखने से पता चलता है कि कितनी तरक्की हुई है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय सदस्य कृषि पर बोलें यह तो कृषि मंत्री पर भाषण दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राणा जी, कृषि मंत्री जी ने कृषि की बातें कहीं हैं इसलिये दोनों आपस में मिलें जुलें हैं, इसीलिये माननीय सदस्य दोनों पर कह रहे हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मेरा जो समय नष्ट हुआ है उसको मुझे अलग से दिया जाय। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि जो इकाइयां बंद पड़ी थीं उनको चालू किया गया है और तमाम कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। मलिहाबाद को मैंगो बेल्ट बनाने का आश्वासन दिया गया था, माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मलिहाबाद और काकोरी को मैंगो बेल्ट घोषित किया है। इसी तरह से प्रतापगढ़ में आंवले और इलाहाबाद में अमरूद के लिए बेल्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इलाहाबाद का अमरूद विश्व विख्यात है जिसके लिये कई वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। सौभाग्य की बात है कि विश्व विख्यात अमरूद

की बेल्ट घोषित कर देनी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी इसके लिये केवल प्रस्ताव लाये हैं। मेरा अनुरोध है कि अमरूद बेल्ट की घोषणा करें। माननीय मंत्री जी ने किसानों के भ्रमण की बात कही है। 1500 किसानों को भ्रमण के लिये भेजा जायगा जिससे किसानों की जानकारी बढ़ेगी। इसी तरह से मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया है जिसमें प्रदेश के जिलों से किसानों को बुलाने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में भूमि संरक्षण इकाइयों को खोला है। मेरे जनपद इलाहाबाद में भी यह इकाइयों को खोला है। मेरे जनपद इलाहाबाद में भी यह इकाइयां हैं। मैंने कई वर्षों से मांग की है कि मेरे क्षेत्र मंझनपुर में भूमि संरक्षण की इकाई खोली जाय। अभी यह केवल प्रस्ताव किया गया है, मैं चाहूंगा कि आज ही घोषणा करें कि मंझनपुर में भूमि संरक्षण इकाई का कार्यालय खोला जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

विद्यार्थी जी, आपका आधा मिनट का समय रह गया है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मैं मान्यवर, राणा साहब से कहना चाहूंगा कि वह हार्टिको के पेय रोज पीते हैं। काफी हाउस में देखिये, सेनाओं में देखिये, बहुत सी जगहों पर यह पेय इस्तेमाल हो रहे हैं। तमाम जगहों पर इन पेयों की सप्लाई हो रही है। यह बहुत बड़ी प्रगति है। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एग्रो सेवा केन्द्रों की आपके समय में प्रगति हुयी, जो बीमार इकाइयां थीं उनको चलाया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में कृषि सेवा केन्द्र की स्थित खराब है जो 60 कि0मी0 दूर है वहां पर ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। मेरा अनुरोध है कि तहसील हेडक्वार्टर पर कृषि सेवा केन्द्र खोले जायं। कृषि सेवा केन्द्र दूर होने से किसानों को असुविधा होती है। इन शब्दों के साथ, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी जो हमारे साथी कुछ दिन पहले थे अब उधर चले गये हैं, वह किसान के बेटे हैं और किसानों के लिये उनके दिल में दर्द है। मान्यवर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था "जय जवान जय किसान" इससे किसानों के अन्दर उत्साह पैदा हुआ था और उन्होंने एक रोज का भोजन छोड़ दिया था और भोजन छोड़ने से सारे देश का भला हुआ। अगर मान्यवर, किसान का मनोबल गिरेगा तो खेती की उपज नहीं बढ़ेगी। आज किसान का मनोबल गिर रहा है। खेती की उपज बढ़ाने के लिये खाद, पानी, बीज और दवायें, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज है बीज। आज बीज दे रहे हैं इनमें दो राय नहीं हैं लेकिन इनके अधिकारी इतने ढीले हैं कि जब बुवाई हो जाती है तब किसान के पास बीज पहुंचता है।

मान्यवर, मैंने मंत्री महोदय से आलू का बीज रिकमेन्ड कराया और वह बीज आज तक नहीं पहुंचा। फसल भी बो दी, काट भी ली और बेच भी ली लेकिन बीज आज तक नहीं मिला। कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। यह अधिकारियों की चाल है। मैं मंत्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इन बड़े अधिकारियों पर नजर रखें, क्योंकि जो कुछ फंसते हैं छोटे फंसते हैं बड़े नहीं फंसते हैं । दूसरी बात मान्यवर, इसमें आई है मिट्टी के परीक्षण की। मिट्टी परीक्षण के लिए ली जाती है उसका पैसा जमा कराया जाता है लेकिन उसकी सही रिपोर्ट नहीं आती है। मेरा अनुरोध है कि इसका सही परीक्षण होना चाहिए और ब्लाक लेविल पर यह होना चाहिए तथा 24 घंटे के अन्दर इसका परीक्षण हो करके रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। मिट्टी के परीक्षण पर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक सरदार जी बीमार थे जब वह डाक्टर के पास गये तो डाक्टर ने उनसे कहा कि अपना पेशाब भिजवा दीजिए। सरदार जी ने एक शीशी में पेशाब करके पलंग के नीचे रख दिया। सुबह जब महरी झाड़ू देने आई तो वह शीशी झाड़ू के लगने से लुढ़क गई और पेशाब बह गया। उस महरी ने तुरन्त जाकर बाथरूम में अपना पेशाब उस शीशी में कर दिया। वह शीशी जब परीक्षण के लिए गई तो सरदार जी के पास रिपोर्ट आई कि आप हिदायत करतें आप प्रिगनेन्ट हैं (हंसी) तो मान्यवर, इसी तरह से कहीं आप भी प्रिगनेन्ट न हो जायं । तो कृपया मिट्टी की सही परीक्षा करवाइये और यह रिपोर्ट 24 घंटे के अन्दर मिलनी चाहिए । आपने हार्टीकल्चर की बात कही । बागों के अंदर तीन साल से कीड़ा लगा हुआ है जिसकी कोई दवाई नहीं उपलब्ध है। जो गैमेक्सीन है वह 5 प्रतिशत की होनी चाहिये 10 प्रतिशत की होनी चाहिए लेकिन 5-10 प्रतिशत की मात्रा न होकर मात्र उसकी खुशबू होती है जिसको मुट्ठी भर खा लेने के बाद भी आदमी नहीं मर सकता है।

मान्यवर, इसी तरह से डाई खाद की एक फैक्ट्री खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में है। जिसमें सैकड़ों क्विन्टल पत्थर पीसकर उस खाद में मिलाया जाता है जिसकी बार-बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ है । मान्यवर, अगर कोई बात होती है तो यह अपनी जान बचाने के लिए आपात् बताते हैं । जब फसल कमजोर होती है तो इन्होंने यह बहाना रखा है कि आपात् आ गयी । मान्यवर, आपात् इनसे रुकने वाली है, आपात तो आती ही है । इस बारे में मान्यवर, मैं एक पौराणिक उदाहरण देना चाहता हूं जब पाण्डवों को 12 वर्ष का अज्ञात बनवास हुआ था तो जब एक साल अज्ञात वनवास के रह गये तो यह हुआ कि इनको ढूंढा जाय । लोग धृतराष्ट के पास पहुंचे उनसे पूछा कि पांडव कहां मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि आप अपने आदमियों को भेज दें जहां खेती बहुत अच्छी हो फसल लहलहाती हों, खूब दूध दही हो, कोई बीमार न हो, सब खुशहाल हो वहां पाण्डव मिलेंगे । तो जब उन्होंने ढूंढा तो ऐसी ही जगह पर पाण्डव मिले। एक आदमी ने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि जिस राजा की नीयत साफ होगी वहीं यह होगा । तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

प्रधान प्रस्तुतकर्ता–

इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की निन्दा करता हूं।

(श्री जय नारायण तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री तिवारी जी का नाम पुकारा है ।

कुमारी कृष्णा रावत–

मान्यवर, महिलाओं को चांस नहीं दिया गया, मेरा आप से सम्बन्धित क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता–

मलिहाबाद को भी चांस मिलेगा, आप बैठिये ।

श्री जय नारायण तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके कारण आज हमारा प्रदेश ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, आज उत्तर प्रदेश एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरा है कि अपनी जरूरत का ही अन्न नहीं पैदा कर रहा है बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को भी उसकी सप्लाई कर रहा है और आज इस प्रदेश का किसान अपने गांव की झोपड़ियों और घरों में बैठा हुआ सरसब्ज और खुशहाली महसूस कर रहा है और यह प्रदेश जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह हिन्दुस्तान में कृषि उपज के मामले में अपने प्रकाश से दूसरे प्रदेशों को भी आलोकित कर रहा है । लेकिन विपक्ष के लोग जिनको आज भी कृषि में उपज की कमी दिखाई पड़ रही है, मात्र उनकी मानसिकता का द्योतक और परिचायक है । मैं सिर्फ विरोध पक्ष की मानसिकता का दिग्दर्शन आपको कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मनोहर लाल जी जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं, उनको जेठ की दोपहरी में नंगे पांव चलने वाले पैर और माघ-पूस की ठंडी में ठिठुरन से सिसकने वाली पीड़ा का एहसास तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि वह किसान हैं ही नहीं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी का खेती-बाड़ी और किसानी से दूर-दराज से भी कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका संबंध बिजनेस-व्यापार से भले ही हो सकता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इनकी मानसिकता की तरफ इसलिए इशारा करना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा चश्मा पहन रखा है कि इनको आज इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि यह प्रदेश वैज्ञानिक साधन के माध्यम से और तकनीकी ज्ञान के आधार पर यहां का किसान आज कितना आगे बढ़ चुका है और उपज और भंडारण की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है । मैं चुनौती के रूप में कह रहा हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में हमारा यह प्रदेश लगातार बढ़ता हुआ पंजाब और हरियाणा की उत्पादन की क्षमता को मात करने की स्थिति में पहुंच रहा है ।

(व्यवधान)

(प्रधान प्रभु दयाल के खड़े होने पर)

"संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति।" यह भी मान्यवर, वही चश्मा पहने हैं, जिससे इनको सही बात गलत लगती है । इसी संदर्भ में मैं मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात जरूर करूंगा और मुझे जानकारी है कि आज से लगभग 10 साल पहले जब मेहमान आते थे, तो मेहमान नेवाजी करने में किसी को दिक्कत होती थी और पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ कर भोजन नहीं करते थे, क्योंकि सबके लिए गेहूं की रोटी और अरहर की दाल उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन आज यह चीज कम से कम इस प्रदेश में तो अब नहीं दिखाई पड़ती कि ऐसा कहीं अभाव हो और आज हर किसान के घर में गेहूं की रोटी और अरहर की दाल बन रही है । इसलिए उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का एहसान नहीं होता । अगर विरोध पक्ष के साथी बुद्धि के ऊपर विवेक को स्थान दें और दिल पर हाथ रख कर कहें, तो हमारी बात ये भी समर्थन करेंगे कि आज यह प्रदेश किसानी और खेती-बाड़ी में काफी आगे बढ़ चुका है ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि गेहूं और धान के उत्पादन में तो आशातीत बृद्धि हुई है । लेकिन वहां पर दलहन और तिलहन के उत्पादन में गिरावट आ रही है और जब कि यह हमारे बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसके लिए उचित होगा कि सीड विलेज का सघन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आपको ट्रेनिंग और विजिट प्रोग्राम को पूरे प्रदेश में चलाना चाहिए और पर्याप्त साधनों को उपलब्ध कराना चाहिए तभी आप जो फायदा उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, वह फायदा उन्हें पहुंचा पायेंगे । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी ने दो पक्ष रखे हैं, एक तो उपलब्धियों का और दूसरा अभाव का ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं मनोहर लाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसानों को उचित अवसर नहीं देंगे जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता । माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सुख और समृद्धि का रास्ता गांव और खलिहान से होकर गुजरता है । मान्यवर, मंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । मंत्री जी ने बताया कि खाद में सब्सीडी किसानों को दी जा रही है लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि किसानों पर कर्ज चल रहा है और खाद में सब्सीडी नहीं पहुंची है । मैं मंत्री जी, से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन किसानों पर कर्ज है उनसे ब्याज न लिया जाये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि छोटे किसानों को फ्री खाद और बीज हम देते हैं । मान्यवर, वह या तो समय पर नहीं पहुंच पाते या फिर आपके अधिकारी और कर्मचारी इसको गायब कर देते हैं । उनको मिनी बैग भी नहीं मिल पाते हैं इसलिए इसमें भी आप दिखवा लें । तीसरा, मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसानों की हर एक फसल का बीमा करवाने की व्यवस्था करें लेकिन मान्यवर, आपको उद्घाटन करने और रसगुल्ले खाने बहुत अच्छे लगते हैं । आप मेरे क्षेत्र में तीन बार आये और घोषणा की, टीला सहबापुर में आपने घोषणा की थी कि वहां पर टीला दहेली सम्पर्क मार्ग पर जल्दी ही काम पूरा करवा देंगे लेकिन अभी तक वहां पर एक किलो मिट्टी भी नहीं पड़ी जब जैनियों के सम्मेलन में आपको बुलवाया था तो खेकड़ा के अन्दर आपने घोषणा की थी कि वहां पर 6 माह के अन्दर मंडी बनवा दूंगा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरह से आपने रटोल ग्रामवासियों को आश्वासन दिया था कि वहां पर फलपट्टी घोषित करेंगे और मुझे भी आश्वासन दिया था । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी घोषणा करें, रटोल को फलपट्टी घोषित करें । मान्यवर, इनके विभाग में भ्रष्टाचार इस तरह से पनप रहा है जैसे कि एक कहावत है:–

दादा बिगड़ा, पोता बिगड़ा, बेटा बिगड़ा,
पिरथी सिंह बघेड़ कहे, यह आवा बिगड़ गया ।
लोटा हो तो छन सकता, कूएं में भांग मिलाई ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के संबंध में अपनी बात को खत्म करता हूं और मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

कुमारी कृष्णा रावत–

मान्यवर, मैं आपकी इस आज्ञा के लिए धन्यवाद देती हूं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब इस पक्ष का कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है, तो उधर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग तबला बजाते हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए । (हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपया बैठिए और जब कोई नया सदस्य खासतौर से बोलने के लिए खड़ा हो, तो उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम लोगों को शांति से सुनना चाहिए ।

कुमारी कृष्णा रावत–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री मनोहर लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करती हूं और हमारे विद्वान कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो इस प्रदेश में इस ओर तरक्की की है, उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि सभी पक्ष और विपक्ष के लोग आभार प्रकट करेंगे । साथ ही साथ मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आयी हूं जहां दशहरी आमों का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, मलिहाबाद

क्षेत्र से। यह दशहरी आम मान्यवर, विश्व प्रख्यात आम है । इसी सिलसिले में मान्यवर, मैं आपके माध्याम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मलिहाबाद में जो मैंगो-बेल्ट है, उसको जो प्रोटेक्शन सरकार की ओर से मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है । यही कारण है कि जो इस वर्ष हमारे प्रदेश में जो बहुत अच्छी फसल होनी थी (आमों की) वह नहीं हो पायी और लगभग 25 प्रतिशत ही आम पैदा हो पाया । मान्यवर, देहाती भाषा में इनमें जो दो बीमारियां लगती हैं, उनको "लासी" और रूर्रा कहते हैं । यह बीमारी आमों में इस वर्ष भी लग गयी । मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर हमारी मदद करते रहने की कृपा करें । बल्कि मैं यूं कहूंगी कि कोई मदद आपकी ओर से हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंची और हमारे क्षेत्र को कोई राहत आपकी ओर से नहीं मिल पाई इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से भविष्य के लिए इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगी कि पुनः इस स्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि इससे जो विश्व प्रख्यात आम हमारे क्षेत्र का है, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ ही आपके माध्यम से मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी इन बातों को माननीय मंत्री तक पहुंचा दिया जाय कि हमारे यहां जो दवाएं समय-समय पर मिलनी चाहिए थीं वह सारी दवाएं मारकेट में बिक रही हैं और काफी प्रयास के बाद भी हमारे इन किसानों को यह दवाएं नहीं मिल सकीं ।

मान्यवर, मैं भी एक मामूली किसान की बेटी हूं जहां आप गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि आप एक किसान के बेटे हैं, लेकिन उसी प्रकार से किसानों के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उसको भी महसूस करना चाहिए कि जो आम के किसान हैं, उनको कोटे की उचित पैसे में सही दवा उचित समय पर मिल जानी चाहिए और मान्यवर, फसल में जिन दवाओं का तीन बार छिड़काव होना चाहिए और अगर यह छिड़काव समय-समय पर नहीं होंगे तो आम के फसल पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है । मान्यवर, हमारे यहां तो आम तो आम, गुठिलियों के भी दाम हैं । आम की गुठलियों की भी बहुत कीमत होती है । यह 5-7 रुपयों में बिक जाती हैं । इस संबंध में मान्यवर, जो हमारे छोटे किसान हैं, उनको एक परेशानी बहुत बड़ी उठानी पड़ती है और जो बड़े किसान हैं वह बड़ी-बड़ी दावतों के बल पर इसकी अच्छी बिक्री कर लेते हैं और उनको अच्छी फायदा होता है, लेकिन हमारा छोटा किसान रह जाता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि इस ओर भी कृपया ध्यान देने का कष्ट करें । इसी के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं और मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री कुशल पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मनोहर लाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । पिछले दिनों विधान सभा में यह स्पष्ट रूप से तय हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है और किसी भी विकास कार्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कोई भी मौका अब तक नहीं दिया गया है । कोई भी नया कार्य रहा हो, आपने देखा होगा, कृषि के क्षेत्र में धान की योजना आयी, लेकिन पूर्वी जिलों में चली गयी । जबकि पश्चिम में भी धान का उत्पादन बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । इसी तरह से टी0 एन0 वी0 योजना

आयी,, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी मण्डल में नहीं लागू की गयी । पूरे के पूरे मण्डल नेगलेक्ट कर दिये गये । यह योजना किसी भी जिले में लागू होती तो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता और किसानों को नयी तकनीक मिलती । इसी तरह से दलहन की योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है । पश्चिम में पैदावार होती है तो नेगलेक्ट कर दी जाती है । यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे किसी पहलवान को भूखा रखा जाय और कमजोर को बढ़ा दिया जाय, तो यह न्याय नहीं है । कमजोर को सबल बनाना ठीक है, लेकिन पहलवान के साथ भी न्याय होना चाहिए । मान्यवर, ----

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, परम आदणीय सदस्य पश्चिमी और पूर्व उत्तर प्रदेश का सवाल उठाकर देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं । हम लोग एक हैं, चाहे कहीं के भी हों । यह उन प्रवृत्तियों को उकसा रहे हैं, जिनके तहत प्रदेश के बंटवारे की मांग होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का सवाल नहीं बनता । अगर कोई आदमी बनारस के बारे में कहना चाहता है कि उसका कुछ हिस्सा पिछड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे । यह बात नहीं है ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, हम पूर्व के भाइयों के विकास को मना नहीं करते हैं । मान्यवर, एक छोटी सी रोजन सुधन योजना के नाम से चलाई जा रही है, अलीगढ़ में, पता चला है कि वह खतम कर दी गयी है । वहां केवल बोर्ड लगा है । वहां 400-500 कर्मचारी थे, वह भी हटा दिये गये हैं । इस तरह से ऊसर, बंजरों में और पहाड़ों में फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो पैदावार कैसे होगी । जितना विकास कार्य चल रहा है उसमें पश्चिमी जिलों को भी दिया जाय, थोड़ी सी कटौती हो सकती है लेकिन थोड़ा ध्यान तो दिया ही जाना चाहिए । हमारे यहां मण्डी समितियों की हालत बडी खराब है । वहां खुला भ्रष्टाचार फैला हुआ है । खुले आम किसान की लूट होती है। हमारे यहां गाय में आधी तहसील खैर मंडी में चली जाती है और आधी तहसील मथुरा मंडी में चली जाती है, लेकिन विकास का यहां कोई काम नहीं हो रहा है और किसानों को उनके उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है । कोसी मंडी समिति उत्तर प्रदेश में सबसे बडी मण्डी है, लेकिन वहां पर जो भी सचिव आया, लाखों रुपये की जमीन पर उसने अवैध कब्जा दे दिया । मकान बनवा दिये अवैध धर्म कांटे बनवा दिये । कहा जाता है कि वहां के सचिव की 80 हजार रुपये प्रतिमाह की इनकम होती है । पिछले दिनों वहां के सचिव के विरुद्ध वहां के एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने पत्र लिखा । लेकिन हुआ यह कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है, उसको हटा दिया गया । यदि इस तरह भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता रहा तो इस विभाग का क्या होगा ?

मान्यवर, खाद का मामला है । इतनी मिलावटी खाद किसानों को दी जाती है कि उसका उनको कोई लाभ नहीं मिलता है । सैम्पिल भरने पर फेल होने पर भी डीलरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती और उनके लाइसेंस रद्द नहीं किये जाते, तो हम किसानों के शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशलपाल सिंह जी अब आप अपने भाषण को सीमित करें।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, जितने हमारे फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, उसमें प्री-टेस्टिंग के लिये सेम्पुलिंग होती है। मेरा इसमें अनुरोध है कि यह टेस्टिंग किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी जानी चाहिए । कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पुल लिये जाते हैं उसकी ठीक से टेस्टिंग नहीं होती। वह एक छोटा अधिकारी होता है, बड़े-बड़े पूंजीपति उसको प्रभावित करते हैं । इसलिए अनुरोध है कि सही टेस्टिंग और सेम्पुलिंग हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि यह कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सायल कन्जरवेशन यूनिट्स को जो आप खत्म करने जा रहे हैं, उसे खत्म न किया जाय । अभी उसकी बहुत आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठें। आपका समय समाप्त हो गया मा0 श्री किशन सिंह तड़ागी।

श्री कुशल पाल सिंह–

कृषि गोदामों की बाबत मैं यह कहना चाहूंगा कि उन गोदामों की व्यवस्था एग्रो को दी जाय। एग्रो इस दिशा में अच्छा कार्य नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता–

समय समाप्त होने के बाद बोलते रहेंगे, तो नहीं लिखा जायेगा।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं।

मान्यवर, कुछ वर्ष हिन्दुस्तान में बराबर अकाल पड़ता था, खेती की कमी होती थी। किन्तु, आज आप देखते होंगे कि भारतवर्ष अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि खेती यहां अधिक हो रही है। जिसकी वजह से यहां की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन अच्छी होती जा रही है। सन् 1985-86 के आंकड़ों को देखने से प्रतीत होता है कि हमारे यहां उत्पादन 113 लाख 95 हजार टन हुआ है। उसके बाद 1986-87 में वह बढ़कर 316 लाख टन से अधिक हो गया है। आगे जो लक्ष्य माननीय मंत्री जी ने रखा है, 345 लाख 20 हजार टन वह प्राप्त होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे काश्तकार वास्तव में मेहनती हैं और साथ ही साथ सरकार ने खेती के लिये अच्छी खाद, अच्छी सिंचाई व्यवस्था और अच्छे बीज का प्रबन्ध किया है। यदि यह चीजें समय से न मिलतीं, तो अच्छी तरह से अन्न पैदा नहीं होता ।

मान्यवर, अब मैं पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की स्थिति की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को खाद समय पर नहीं मिल पाती है, बीज समय पर नहीं मिल पाता है, सिंचाई के साधन सुलभ नहीं

हो पाते हैं। मान्यवर, खासतौर से आलू की फसल को ही लें, वह वहां उस समय बोयी जाती है जबकि मैदानी क्षेत्र में नहीं बोयी जाती। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां दिसम्बर के महीने में आलू के बीज पर्याप्त मात्रा में कृषकों को उपलब्ध करायें। आपने यह योजना रखी है कि 5 कि0मी0 के अन्दर किसी जगह खाद का गोदाम बनाया जायेगा। इसमें मेरा आपसे यह निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र में 5 कि0मी0 आने जाने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं, इसलिये उस सीमा को 5 कि0मी0 की जगह 3 कि0मी0 करने का कष्ट करें, ताकि काश्तकार समय से बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां ले सकें। इस बजट में वह चीज नहीं रखी गयी है कि किस तरह से यहां पर लेबोरेट्री बनायी जायं। कीटनाशक दवाइयों आदि के लिये एक लेबोरेट्री का इन्तजाम जगह-जगह किया जाना चाहिए। ताकि कीट जो अन्न में लग जाते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीकों द्वारा मारा जा सके, दूर किया जा सके। दूसरे, अच्छे बीज, अच्छी खाद के लिये भी लेबोरेट्री होनी चाहिये, ताकि वहां टैस्टिंग हो सके।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यद्यपि सिंचाई के समुचित प्रबन्ध नहीं है, वहां पर बड़ी मुश्किल से 10 प्रतिशत से भी ज्यादा जमीन की सिंचाई नहीं होती है। वहां के काश्तकार केवल ऊपर के पानी पर ही निर्भर रहते हैं, जबकि वहां फल, आलू और सब्जी प्रचुर मात्रा में बोयी जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां की स्थिति को देखते हुए, सबसिडी कम से कम 50 प्रतिशत देनी चाहिये। और जगह तो सिंचाई का प्रबन्ध रहता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में यह प्रबन्ध लगभग नगण्य है। ताकि लोग उससे फायदा ले सकें। फल पिछले 5–6 साल से ओले व और वर्षा के कारण खराब होते आ रहे हैं। आपने रामगड़ में जो फैक्ट्री लगाई थी, वह काफी वर्षों से काम नहीं कर रही है, जिससे काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए आप विपणन की व्यवस्था करें और रामगड़ की फैक्ट्री को अच्छे ढंग से बनाये। पर्वतीय क्षेत्र में आपने हाई स्कूल और इण्टर कालेज खोले हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि उनमें एक कृषि विषय खोलने की भी व्यवस्था की जाय ताकि पहाड़ों पर 80 प्रतिशत लोग जो काश्तकार हैं, उनके बच्चे कृषि के बारे में शिक्षा ले सकें। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जो बच्चे नौकरी के लिए इधर-उधर भटकते हैं, वे कृषि के कामों में लग सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा यह देश और प्रदेश खेतिहर के रूप में जाना जाता है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितनी दुर्गति इस देश और प्रदेश में किसानों की है, उतनी किसी वर्ग की नहीं। इस देश का हर उद्योग लगभग कृषि पर आधारित है लेकिन विडम्बना यह है कि एक मामूली सा मोमबत्ती बनाने वाले को तो सरकार उद्योग मानती है लेकिन कृषि को उद्योग नहीं मानती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब तक कृषि को उद्योग की मान्यता नहीं दी जायेगी तब तक देश सम्पन्न नहीं हो सकता है। खेती के लिए बुनियादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीज है, पानी। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड जनपद बांदा से आता हूं। वहां के लोगों ने अब एक नारा दिया है । "न पेट के लिए पानी है और न खेत के लिए पानी है ।" इस पर 7 तारीख को चर्चा होने वाली है। 26 तारीख को नियम-51 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था बांदा में जल संकट था, उस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया था। इस वक्तव्य के बाद 27 तारीख को चित्रकूट में हजारों बूढ़े, औरतें और बच्चे एक-एक पानी की बूंद के लिए तड़प-तड़प के मर गये। 21वीं शदी की आप बात करते हैं, तरक्की की बात आप करते हैं, कुछ कम्प्यूटर और सुपर कम्प्यूटर, टेलीविजन के माध्यम से देश की प्रगति का झूठा प्रदर्शन किया जाता है । जब तक किसानों के हित की बात नहीं सोची जायेगी, खासतौर पर बुन्देलखण्ड के लोगों की, तब तक यह प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। सिंचाई विभाग को कृषि विभाग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत विभाग के साथ भी कोआर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा खेती सम्पन्न नहीं हो सकती है। पिछले साल भी यह कहा गया था कि हम अनिवार्य कृषि और फसल बीमा योजना लागू करेंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि यह योजना बुन्देलखण्ड में कहीं नहीं है। यदि किसी जनपद में यह किया गया है तो उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । एक दूसरी बुनियादी समस्या मैं कहना चाहता हूं कि हर उद्यमी जो माल बनाता है, उसका दाम खुद तय करता है, लेकिन काश्तकार जो चीज पैदा करता है उसका दाम कलकत्ता और बम्बई में तय होता है, सरकार तय करती है। मेरी मांग है प्रदेश के किसानों की तरफ से कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर दाम तय करने के लिये किसान परिषद् का गठन होना चाहिए कि किस हिसाब से गेहूं और धान बेचेंगे और अपनी उपज का दाम लेंगे। जब किसान चीजें खरीदता है तो उसका दाम भी सरकार ही तय करती है और जो बेचता है उसका दाम भी वही तय करती है । इस प्रकार जिस तरीके से किसान का शोषण हो रहा है, उससे उसकी कमर टूट रही है । हरियाणा के चुनाव के दौरान आपने इस बात का एहसास किया होगा कि ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय अब समाप्त हुआ, आप कृपया बैठें।

श्री देव कुमार यादव–

बस मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं।

हरियाणा में क्या हुआ ? उन्होंने कहा कि पुराना कर्ज माफ करेंगे, तो इस प्रदेश में भी वही मांग उठ रही है। जो किसान के पुराने कर्जे हैं, उनको माफ कर दीजिए, किसानों की हालत को सुधारिये और किसान की स्थिति को मजबूत कीजिये।

*श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आपने जो बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और श्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय सदस्य किसान समर्थक जरूर हैं, लेकिन शोषण के मामले में। वह यह जरूर चाहते हैं कि किसानों की तरक्की हो, लेकिन वह इसलिये कि उनका लेन-देन ठीक से चलता रहे। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में कृषि का विकास हुआ है और विभाग तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज आवश्यकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट के रि-आरगेनाइजेशन की। अभी तक वहां पर नियुक्ति की नियमावली नहीं बनी है। इसके अलावा, मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रि-आरगेनाइजेशन की ओर ध्यान दें और खास तौर से जो कृषि रक्षा विभाग है, वह लोअर लेविल पर तो काफी अच्छी तरह संगठित है लेकिन हाई लेविल पर वह हैडलैस है। बड़े अधिकारियों की कमी है और वह नेतृत्वविहीन हो चुका है। मेरा अनुरोध है कि कृषि रक्षा विभाग की तरफ ध्यान दें और देखें कि उसे कैसे संगठित किया जा सकता है। जो सिंगिल विण्डो सिस्टम की बात हो रही थी, उसके लिये कहूंगा कि हार्टीकल्चर और प्लाण्ट प्रोटेक्शन को मिलाकर एक कर दें और किसानों को सुविधायें दें। भोपाल में बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा हादसा हुआ, वह इसलिये हुआ कि कीटनाशक दवाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका कैसे प्रयोग हो। मेरा अनुरोध है कि कृषि रक्षा की दवाओं की ओर ध्यान दें कि कैसे सिस्टम क्रिएट हो। आज जो फसलों में नुकसान होता है और अनाज में नुकसान होता है, वह 18 से 20 प्रतिशत का कीटनाशक दवाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका कैसे प्रयोग हो। मेरा अनुरोध है कि कृषि रक्षा की दवाओं की ओर ध्यान दें कि कैसे सिस्टम क्रिएट हो। आज जो फसलों में नुकसान होता है और अनाज में नुकसान होता है, वह 18 से 20 प्रतिशत तक कीटनाशक दवाओं की वजह से होता है, आप 500 करोड़ रु0 तक की बचत कर सकते हैं, अगर दवायें ठीक मिल जायं। कृषि रक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाय, यह सोचना होगा। जो टी0 एन0 वी0 स्कीम लागू की गयी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाय, आपने उसको पूर्वी जिलों में ही लागू किया है। टी0एन0वी0 में 425 ए0 डी0 ओ0 पी0 पी0 ट्रांसफर कर दिये गये हैं। इसलिए इकाइयां नेतृत्वविहीन हो गयी हैं। मेरी मांग है कि नये पद सृजित करें और प्लाण्ट प्रोटेक्शन में उनको ट्रांसफर कर दें।

इसके अलावा लाहा विकास योजना मिर्जापुर में जो थी उसे आप लोगों ने खत्म कर दिया है, उसे फिर से चालू कराने की आवश्यकता है ताकि वहां के ट्रायबेल को रोजगार का अवसर मिल सके। आज कल मण्डी समितियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है वहां पर कमीशन बाजी और सौदेबाजी होती है और किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर भी वे ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बिराजिये। मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। पांच मिनट में आप कह लेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कृषि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का आधार है। लेकिन इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जाता है। टोटल प्लान के आउट ले का इस पर 70 परसेन्ट कृषि के विकास पर व्यय किया जाना चाहिये। मैं इस बात की पुष्टि के लिये अपने क्षेत्र की बात को कह कर आपके सामने रखूंगा। अभी उधर से माननीय तिवारी जी बोल रहे थे और शुरू-शुरू में बहुत सी अनावश्यक बातें कहते गये लेकिन जब उनको ध्यान आया अपने क्षेत्र की बात को कहने के बारे में, तो दबी जबान से वे उसे रखने में संकोच करने लगे। आप कहते हैं कि कृषि बढ़ी है, ठीक है बढ़ी होगी, इसमें कोई बहस नहीं है लेकिन इसमें एक काला पन्ना भी है और वह है तिलहन के उत्पादन के सम्बन्ध में। इसमें पृष्ठ 14

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपने लिखा है कि 1980-81 में तिलहन में आपका उत्पादन हुआ है मूंगफली का 134 मी0 टन जबकि 1986-87 में इसका उत्पादन केवल 113 मै0 टन रह गया । इसी तरह से तिलहन का उत्पादन भी घटता चला गया है।

मेरे जिले सीतापुर में राजकोट के बाद मूंगफली की सबसे बड़ी मण्डी है, लेकिन आज यह मण्डी बिल्कुल खाली दिखायी देती है क्योंकि आज वहां पर ना के बराबर मूंगफली आती है । शहर में 125 तेल की मिल लगी हुई थीं आज वे बेकार पड़ी हुई हैं । मैं कहता हूं कि विकास का रास्ता गांव से होकर निकलता है। सरकार ने मूंगफली की ओर कोई प्रभावकारी काम नहीं किया है। मिनी किड जो आप बनाते हैं, वह इतनी ज्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं कि छोटा काश्तकार इसे खरीद नहीं सकता है, वह इसे खरीद पाने में असमर्थ रहता है और इसी के परिणामस्वरूप एवरेज और उत्पादन घट रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मूंगफली के उत्पादन में, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि सरकार के पास इसके लिये कोई योजना है तो जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो उसको जरूर बताने की कृपा करें।

अभी एक सदस्य कह रहे थे कि किसान मेहनती है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसान बहुत परिश्रमशील है, लेकिन सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है । अभी मलिहाबाद की सदस्या कह रही थी, फिर वही बात कहने में संकोच होता है इन लोगों को तो दबी जबान से कह जाते हैं, आखिर में भाव व्यक्त हो ही जाते हैं और अपने को रोक नहीं पाते हैं कि इस साल आम में ऐसी बीमारी लगी कि हर जगह से आम नष्ट हो गया। मैं भी अभी मलिहाबाद गया था तो आम के उत्पादक रो-रो कर बतला रहे थे कि सरकार की ओर से आम की बीमारी के परीक्षण की कोई सुविधा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बीमारी के परीक्षण के लिये आम विदेश तक भेजा गया है। जब सिर से ऊपर बात आ गयी तब जाकर सरकार का ध्यान उस ओर गया ।

मान्यवर, एक बात मण्डी के बारे में कहना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मण्डियों के निर्माण में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है । मैं अपने जिले सीतापुर की बात आपको बताना चाहता हूं । सीतापुर में लहरपुर में एक मण्डी प्रस्तावित है । उसकी जमीन जो पहले ली गयी वह 65 हजार में ली गयी और फिर वही जमीन 2 लाख 65 हजार रुपये में 5 एकड़ जमीन खरीदी गयी । वहां पर मान्यवर, 2 हजार रुपये का बीघे का भाव है । वहां के एस0डी0एम0 और अन्य अधिकारियों ने इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार किया है । मैंने इसके बारे में विधान सभा में सवाल भी किया है ।

मान्यवर, अब एक दूसरी और बात कहना चाहता हूं । मण्डियों में माल खरीदने के लिये चिट प्रणाली चालू की गयी है । माम्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शायद इसको चालू करने के पहले इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है । मान्यवर, हरियाणा जैसे प्रदेश ने इस प्रणाली को स्वीकार नहीं किया है । आपने अपनी टीम भेजी, महाराष्ट्र भेजी और न जाने कहां-कहां भेजी और लोगों ने इसको चलाने के सुझाव दिये । मान्यवर, कुछ लोगों ने बिचौलियों के हित साधन के लिये और काश्तकारों के अहित के आवरण में यह योजना लागू की है । इस योजना से न किसानों को लाभ होगा और न व्यापारियों को लाभ होगा बल्कि जो बिचौलिये हैं, उनको लाभ

होगा । इसमें मान्यवर, क्या होगा, सभी विधायक एक गिल्ट बनाकर एक ही चिट डाल देंगे, तो माल को उसी भाव पर बेचना पड़ेगा और काश्तकारों को कम मूल्य मिलेगा। इसलिये मान्यवर, आप इस प्रणाली को समाप्त कर दें । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट जो माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं माननीय मनोहर लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि कृषि मंत्री जी कृषि में स्वयं व्यक्तिगत रुचि रखते हैं और कृषि के विकास के लिये प्रयत्नशील हैं, जिसका स्पष्ट फल है कि हमारे प्रदेश में कृषि के मामले में हर क्षेत्र में विकास होता जा रहा है और सारे लक्ष्य पूरे होते जा रहे हैं और जितने लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, किसानों की सहायता से वह पूरे होंगे । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरब और पश्चिम वाला मामला सदन में नहीं आना चाहिये। मान्यवर कृषि मंत्री जी ने अपनी घोषणा में लगभग सभी जिलों के लिये घोषणा की है न पूरब के लिये और न पश्चिम के लिये । मान्यवर, मैं अब बस्ती जनपद के बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, बस्ती जनपद सूखे की चपेट में आ गया है और खरीफ की फसल उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गयी है । पिछले साल भी यह जनपद सूखे की चपेट में आ गया था, लेकिन राहत कार्य कोई नहीं किया गया इसके बारे में शासन को सोचना होगा कि किसानों को सूखा की स्थिति में क्या सहायता करनी है और कैसे इस स्थिति से निपटना है ।

मान्यवर, अधिक धान उपजाने के लिये ब्लाक चुने गये हैं, उसमें हमारा राम नगर ब्लाक नहीं लिया गया है, बीच में यह ब्लाक छूट गया है, अब कि इसके चारों ओर के ब्लाक इस स्कीम के लिये गए हैं । इस ब्लाक की जनता इस विषय में उपेक्षित महसूस कर रही है इसको भी उसमें शामिल कर लिया जाये । टिनिच हमारे क्षेत्र में हैं, यहां पर उर्वरक व बीज वितरण केन्द्र नहीं है। प्राकृतिक भौगोलिक कारणों से जनता को परेशानी पड़ती है यहां पर बीच में नदी पड़ती है जिससे खाद के वितरण में दिक्कत होती है । टिनिच में एक बीज एवं खाद वितरण केन्द्र खोला जाय । मान्यवर, हमारे यहां पर 6 गोडाउन स्वीकृत हुये हैं, उनका कई लाख रुपया पी0 एल0 ए0 में पड़ा हुआ है और वह धन रिलीज नहीं हो पा रहा है । कई वर्ष से यह गोदाम निर्मित नहीं हो रहे हैं । मेरा निवेदन है कि उस पैसे को रिलीज कराया जाये और गोडाउन का निर्माण कराया जाये जिससे भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो सके भूमि संरक्षण की जो इकाई बस्ती में है उसका कार्य बहुत अधिक है किन्तु वहां पर स्टाफ की कमी है । मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक अतिरिक्त भूमि सर्वेक्षण की इकाई बस्ती में दी जाय क्योंकि वहां भूमि संरक्षण की बहुत आवश्यकता है ।

हार्टिकल्चर के विषय में कहना चाहता हूं । आपने देखा है कि हार्टिकल्चर ने काफी उन्नति की है और काफी सामान सेना को दिया है जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देना आवश्यक है । मैं अनुरोध करूंगा कि हार्टिकल्चर को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय ।

प्लांट प्रोटेक्शन के विषय में कहना चाहता हूं कि शासन ने इस विभाग के 425 अधिकारियों को टी0 एन0 वी0 में ट्रांसफर कर दिया है । माननीय सदस्य मुरादाबाद ने अभी-अभी कहा था कि बगैर डाक्टरों और दवाओं के प्लांट प्रोटेक्शन और कृषि की रक्षा नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां के चिकित्सक टी0 एन0 वी0 में चले गये हैं । प्लांट प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है जब जानकारी रखने वाले अधिकारी-कर्मचारी अपने विभाग में है ही नहीं, टी0 एन0 वी0 में चले गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि टी0 एन0 वी0 से उन लोगों को पुनः प्लांट प्रोटेक्शन में कर दिया जाय और टी0 एन0 वी0 से उन लोगों को पुनः प्लांट प्रोटेक्शन में कर दिया जाय और टी0एन0 वी0 में दूसरे लोग रखे जायं ।

आज आलू एवं अन्न के भंडारण के लिये शीत-गृहों की बहुत अवश्यकता है मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से हमारे यहां कोई शीतगृह नहीं है, वहां पर शीत-गृहों के निर्माण की और अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय ।

मेरे क्षेत्र में चूंकि कोई कृषि महा विद्यालय नहीं है, अगर कृषि मंत्री जी कृपा करें तो वहां पर एक कृषि महा विद्यालय खोलने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव के प्रस्ताव का जो कि माननीय मनोहर लाल जी ने रखा है, उसका विरोध करता हूं ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है परन्तु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप की तरह से नये बनाया है इसे कृषि मंत्री की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी । मैंने पिछले वर्ष भी यह बात माननीय मंत्री जी से कही थी और वे मुझसे सहमत भी हुये थे लेकिन दुःख है कि इस पर कोई विचार इनके विभाग द्वारा नहीं दिया गया। इसका उदाहरण माननीय बरार साहब ने दिया है जो सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे लेकिन अपने भाषण में उन्होंने वही बातें दुहराई है ।

मृदा परीक्षण के बारे में मैंने पहले भी बल दिया था और आज भी बल दे रहा हूं । जो धन आप इस पर लगा रहे हैं जब तक आप इस पर लगा रहे हैं जब तक आप इस पर पूरा बल नहीं देंगे, इसका पूरा उपयोग नहीं मिल पायेगा । जहां आपने टी0 एन0 वी0 स्क्रीप्स खोली हैं उसमें जो आपने वर्कर्स नियुक्त किये हैं उनके साथ ही स्वायत्त टेस्टिंग यूनिट्स भी आप उनको उपलब्ध करायें और यह कम्पलसरी कर दें कि जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उनमें वह किसानों को चुनकर खेतों का परीक्षण करें ताकि उन क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ हो सके ।

टी0 एन0 वी0 के बारे में मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि इसे आपने चन्द गांवों में, चन्द जिलों में लागू किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू करें चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो । हर जगह की अलग-अलग आवश्यकतायें हैं । इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर आप इस स्कीम को मॉडिफाई करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कृषि बीमा के बारे में कहना चाहता हूं कि यह मात्र किसानों को धोखा देने वाली बात है । या तो आप इसको समाप्त कर दें या फिर आप इसे सुदृढ़ करें । उसमें जो कमियां, उसको दूर करें । तहसील स्तर पर आप सर्वे कराते हैं तो आप मुझे यह बतायें कि पिछले दो वर्षों में जब से यह योजना लागू की गई है, उससे कितने किसानों को फायदा हुआ है ? इसे आप यदि ब्लाक स्तर पर लेते तब तो बात समझ में आती । मैं मंडी समिति के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां बस्ती में बांसी मंडी समिति के अन्तर्गत रुधौली में उप मंडी स्थल के निर्माण के लिये हमारे यहां की गांव समाज की जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव किया है । बांसी मंडी समिति ने सारे कागज व प्रस्ताव वहां भेज दिये हैं लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैंने मंत्री जी को लिखा भी था कि वहां पर फ्री जमीन मिल रही है, सड़क का निर्माण विकास खण्ड फ्री करेगा तब भी मंडी का निर्माण नहीं किया जा रहा है । एक तरफ आप कहते हैं कि हम किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब किसान स्वयं दायित्व ले रहा है वहां पर कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मनोहर लाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायण हरि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो घोषणा की हैं मैं उनका स्वागत करता हूं । उसमें वास्तविकता है और जिस तरह से हमारे कृषि विभाग ने भूमिका अदा कर उपलब्धियां प्राप्त की हैं उससे उत्तर प्रदेश का माथा ऊंचा हुआ है, हमने कृषि के क्षेत्र में एक कीर्तिमान प्राप्त किया है । माननीय कृषि मंत्री जी जहां आपने यह उपलब्धियां प्राप्त की हैं वहीं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान आज जागरुक हो चुका है उसको प्रशिक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं है, उसको आज आवश्यकता है तो उसके उत्पादन के उचित मूल्य मिलने की है । आज आवश्यकता समय पर पानी की है, उसे आवश्यकता समय पर बिजली और खाद की है और सही किस्म के बीज की है ।

आगे माननीय, घोषणा की है कि हम 5-5 कि0 मी0 में गोदाम कायम कर रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गोदाम जब भरे जायेंगे जब कृषि विभाग अपने यहां से उनके लिये तकाबी जारी करे । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब कृषि गोदामों से बीज और खाद किसानों को सब्सिडी पर मिलती थी तो किसान आपसे लेता था लेकिन आज वह बैंक से रुपया लेता है और सीधे प्राइवेट डीलर से, 10 रु0 या 5 रु0 कम में खरीद कर ले आता है और उसकी रसीद दिखा देता है । मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसे तकाबी सिस्टम से चलाईये उससे कृषि विभाग की उपलब्धियां अच्छी होंगी ।

आपकी जो मंडी समितियां हैं उनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंडी समितियों में जो धन आ रहा है उसका उपयोग उस हिसाब से सड़कों के निर्माण में नहीं हो रहा है। पता नहीं वह कहां चला जाता है। मेरे यहां हाथरस मंडी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के पास इतना धन है कि बहुत सी सड़कें बन सकती हैं लेकिन उनका चयन और उस पैसे का संचालन आगरा से होता है । मैं चाहता हूं कि जिस मंडी समिति के क्षेत्र में सड़के बननी हैं उनके चयन के लिये वहां के क्षेत्रीय विधायकों, वहां के सांसदों, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर या संबंधित अधिकारियों की कमेटी बना कर निर्णय किया जाय। वही निर्णय करें कि कितना धन उपलब्ध है और उसमें कितनी सड़क बन सकती है जो किसानों के हित में हैं वही सड़कें बने ।

अलीगढ़ जनपद में इस समय वर्षा से गेहूं भीग गया था । पहले जो किसान का गेहूं भीगा था उसको लेवी में ले लिया गया लेकिन आज उसे नहीं ले रहे हैं। 166 रु0 के बजाय अगर 160 रुपये में खरीद लेते तो भी किसान संतुष्ट हो जाता.

लोग वही गेहूं व्यापारियों को देते हैं । अलीगढ़ जनपद में 150 रुपये, 145 रुपये में लेकर व्यापारियों ने 160 रुपये में फ्लोर मिल को दिया । वह क्रय आपके माध्यम से होना चाहिये जिससे सरकार का प्यार, सरकार की सद्भावना किसान को मिले । मेरा निवेदन है कि कास्तकार को उचित मूल्य दें दें, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है । वह स्वयं हर इन्तजाम कर लेता है और उत्पादन बढ़ा देता है । केन्द्र मूल्य निर्धारित करता है । अगर उत्तर प्रदेश के किसान को उसमें फायदा नहीं है तो अपनी तरफ से मुआवजा के रूप में उसे दें तो किसान का आपको प्यार मिलेगा और उसके साथ न्याय होगा । इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की भर्त्सना करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप अधिष्ठाता हैं, आप बहुत दिनों से इस सदन के सदस्य रहे हैं । एक दिन का समय बहस के लिये निर्धारित किया गया है । एक दिन का तात्पर्य क्या लेते हैं ? कम से कम चार घंटे का समय होना चाहिए । आप घड़ी देख लें । क्या चार घंटे हो गये ? अगर चार घंटे नहीं हुये तो चाहे 8 बजे तक चले, आप चार घंटे का समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात मानता हूं । मैं उसी तरह से चला रहा हूं कि चार घंटे में खत्म हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

मूलचन्द जी, आप बैठें। (श्री मूलचन्द के खड़े होने पर) आपके नेता कटौती का प्रस्ताव ला रहे हैं ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था है ? किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, जो आप व्यवस्था उठा रहे हैं ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था नहीं है । नियम बतायें । फिर व्यवस्था दी जायेगी । मैंने आपके नेता को बुला लिया है । शाही जी, बैठिये । कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

मूलचन्द जी, कृपया बैठ जाइये।

श्री मूलचन्द—

बैठ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

बैठ रहा हूं नहीं, बैठ जाइये ।

श्री मूलचन्द—

[ x x x]

श्री अधिष्ठाता—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मूलचन्द—

[ x x x]

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ बोलेंगे लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर मा0 मंत्री जी ने और उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार रखें । बहुत से सदस्यों ने कहा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उधर से कहा गया कि हमने तीन सालों में बड़ी प्रगति की है ।

श्री अधिष्ठाता—

माईक काम नहीं कर रहा है । आप आगे आ जांये ।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह सही है कि तीन सालों में प्रदेश ने कृषि में बड़ी तरक्की की है । मान्यवर, घाटमपुर में चौधरी राइस मिल ली गयी । किसान के बेटे से उद्योगपति हो गये । किसान के बेटे कृषि मंत्री जी चौधरी राइस मिल के मालिक बन गये । अधिष्ठाता महोदय, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि मंत्री सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ने की थी, उस गोष्ठी में सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लों ने कहा था कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं-चाहे देश के हों या प्रदेश के, जो कृषि प्रयोगशालाएं बनी हैं या उन्होंने अपनी बनाई है, उसमें जो भी कृषि और किसानों के बारे में वे प्रयोग या खोज करते हैं, वे सारे के सारे परीक्षण किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं । यह हमारी अपनी बात नहीं, भारत के कृषि मंत्री की बात है । हमारे कृषि मंत्री अभी कह रहे थे कि कृषकों के भ्रमण के लिए उन्होंने जो योजना चला रखी है, उससे प्रदेश के किसानों को बहुत फायदा हुआ है । इस संबंध में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह पिछले

नोट:—[ x x x ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दो-तीन साल के आंकड़े देकर हमें बता दें कि भ्रमण कार्यक्रमों में वास्तव में कितने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया है और कितने वास्तविक किसान भ्रमण पर गये थे। उस गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हर तीन साल बाद चाहे वह गेहूं का बीज हो या चावल का बीज हो या अन्य किसी फसल का हो, उसे हर तीन साल में बदल देना चाहिए । लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में दसों साल तक वही बीज देते रहते हैं । यदि हम बीज नहीं बदलेंगे तो हमारा खेती का उत्पादन कम होता चला जाएगा । इसलिए हर तीन वर्ष बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए आप बीज बदलने की कृपा करें । तिवारी जी ने जो अभी सुझाव रखा है, उनका पेशाब बदला गया, आप उसका परीक्षण करा दें, जिससे कि उनकी बात स्पष्ट हो सके । कृष्णा रावत जी ने सिर्फ आप की बात कही है, उनकी बात सही है । मलिहाबाद और उसके आस-पास के क्षेत्र में पूरी बेल्ट में बहुत ज्यादा आम पैदा होता है और उसकी भी अपनी समस्यायें हैं। मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने उस इलाके को आम की बेल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलता है । इस बार आम की फसल बुरी तरह से कीड़े मकौड़े से खराब हो गई है, किन्तु उसकी रोकथाम और उपचार के लिए कोई भी प्रयास कृषि विभाग की ओर से नहीं किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने मूंगफली की बात और दलहन व तिलहन की बात यहां कही । उससे सैकड़ों मिल ही नहीं बन्द हुई हैं, लाखों मजदूर भी बेकार हुए हैं । इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । जूट, जो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उसका उत्पादन कम हो गया है, जिससे बोरों की कमी है । इसलिए जूट के उत्पादन में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए और उसके उत्पादन वृद्धि का हमें प्रयास करना चाहिए । अलीगढ़ में 22 हजार हेक्टर भूमि ऊसर पड़ी हुई है और सारे प्रदेश में ऊसर बढ़ता चला जा रहा है । मैं चाहूंगा कि इस ओर कृषि मंत्रालय ध्यान दे । जो ऊसर बढ़ रहा है, उसके रोकथाम के उपाय किए जाएं—चाहे हरे पेड़ लगाकर या फिर सिंचाई की व्यवस्था करके । वह सारी सुविधाएं उसे मिलें जिससे उत्पादन बढ़ता है, वह कठोर परिश्रम करने के लिए तो सदैव तत्पर रहता है । जल कटान से हमारी बहुत सी भूमि नष्ट हो रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है । अधिकारियों की लम्बी फौज कृषि मंत्रालय में है, लेकिन वह कोई काम नहीं कर रही है । आपसे मेरा निवेदन है कि हम हर प्रयास करके प्रदेश के कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाएं, जिससे 60 फीसदी जो पहले कृषि से आय होती थी और अब घटकर 48 प्रतिशत रह गई है, उसमें बढ़ोत्तरी हो । इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो इस पर बोले हैं और मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को मान लें और अपने अनुदान को वापस ले लें ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी बहुत चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान बहुत से मित्रों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए । 18 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया । सबसे पहले मनोहर लाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव में उन्होंने कोई ऐसी

बात नहीं कही, जिसका जवाब देने की जरूरत हो वैसे मैं उनका जवाब आखिर में दूंगा । मान्यवर, बरार साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मृदा परीक्षण के बारे में, यह बात महत्वपूर्ण है इस पर सबने जोर दिया । मैंने जो कार्यक्रम बनाया है उसके तहत यह जो अभी अनुदान दे करके छूट देकर फ्री बोरिंग के तहत ट्यूबवेल एम्बिंग सैट्स लगवाये जा रहे हैं इनका जो एरिया है उसमें मृदा परीक्षण का काम शत-प्रतिशत किया जाए ऐसा हमारा प्रयास होगा । मान्यवर, वैज्ञानिक खेती के लिए मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया यह जरूरी है ।

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने फसल बीमा योजना की बात कही आजकल जो फसल बीमा योजना है उसमें मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं इसे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद नहीं मानता हूं । मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि इसमें सुधार जरूरी है । संसाधन की जरूरत है और भारत सरकार ने यह कहा है कि इस पर हम विचार कर रहे हैं । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि ब्लाक लेबिल पर आएं तो फायदा हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में फसल बीमा योजना ज्यादा लाभकारी नहीं है इसे प्रभावी बनाने की जरूरत है । इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से बात चली आ रही है कि फसल बीमा योजना शुरू की जाए, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे कई मित्रों ने पुरानी दोस्ती का जिक्र किया जब हम लोग उधर बैठते थे, लेकिन जब कांग्रेस की श्रीमती इन्दिरा गांधी जिन्दा थी

(व्यवधान)

उन्होंने फसल बीमा योजना को शुरू कराया था । आप लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए । मनोहर लाल जी ने तो मुझे गालियां भी दीं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने गालियां नहीं दीं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं की बात माननीय बरार साहब ने कही । उन्होंने इसमें हैण्डलिंग चार्जेज की बात कही, मैं सदन को खुशी की बात बताना चाहता हूं कि यह जो 5 परसेंट सर्विस चार्जेज लिए जाते थे वह किसानों से भविष्य में नहीं लिए जायंगे । (मेजों की थपथपाहट) मा0 रघुबर दयाल वर्मा जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आगरा और इटावा दोनों बीहड़ सुधार योजना में शामिल हैं । मैं चाहता तो कानपुर देहात को पहले इन्क्लूड कराता लेकिन आगरा और इटावा को पहले लिया गया । यह 7 करोड़ रुपए से अधिक की योजना है । इससे वहां बहुत अच्छा काम होने जा रहा है । तो कहीं पर पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं । हार्टिकल्चर की बात आपने कही जो मेरी समझ में नहीं आयी कि बोतल हमारी और जूस दूसरे का । मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि अमौसी के पास कानपुर रोड पर चले जायं वहां पर बाटलिंग प्लान्ट है, जहां पर 25 हजार बोतलों में पल्प भरा जा सकता है । मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा था कि किसी बात को कहने के पहले जानकारी पूरी तरीके से कर लेनी चाहिए । कृषि फार्मों की बात कही गयी है, जितनी वर्मा जी को इसके बारे में चिन्ता है उससे ज्यादा चिन्ता हमको है । कृषि

फार्मों पर जो घाटा हो रहा था वह कम हो रहा है । पिछले साल से हमने तय किया है कि जिन-जिन फार्मों पर घाटा हो रहा है उन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को हटा दिया और जो लोग फायदा पहुंचा सकते थे उनको रखा । इसका नतीजा यह हुआ कि फार्मों का घाटा कम हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि सभी फार्मों का घाटा खत्म हो गया है लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि उनमें सुधार निश्चित रूप से हुआ है।

श्री समरपाल सिंह ने अच्छे सुझाव दिये हैं। अमरोहा का आम प्रसिद्ध है । । मैंने कहा था, कि वहां पर फल पट्टी बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है । प्रदेश में जहां-जहां फल अधिक पैदा होते हैं वहां वहां फल पट्टियां बनाने पर विचार है । इसके लिए सर्वे हो रहा है शुरुआत मलिहाबाद से हो गई है । 3 जगहों के लिए 10-15 दिन में घोषणा हो जायगी क्योंकि इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया है जैसा मैंने पहले बताया है । इसी तरह से जो पेस्टीसाइड्स बेचते हैं या जो फर्टी-लाइजर बेचते हैं उनके बारे में कहा गया कि यदि वह कृषि के जानकार हों तो बहुत अच्छी बात है । हमने कहा है कि इसमें उन लोगों को लाइसेंस दिए जायं, उनको डीलरशिप दी जाय जो कृषि स्नातक हों, यह मैंने कृषि विभाग के लोगों से कहा है । मैं समझता हूं कि इससे समरपाल सिंह जी जो कह रहे थे वह पूरा होगा ।

मान्यवर, अविनाश कुमार सिंह जी ने मंडी समितियों के व्यापार स्थानान्तरण की बात कही, मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि 94 मुख्य मंडी स्थलों पर व्यापार हमने स्थानान्तरित कर दिए और 24 उप मंडी स्थलों पर भी ।

ईश्वर शरण विद्यार्थी जी ने मांझनपुर में इकाई स्थापित करने की बात कही वह प्रस्ताव में है । जब प्रस्ताव में आ गया तो मैं समझता हूं कि जरूर उसका कार्यान्वियन होगा । इलाहाबाद में फल पट्टी की घोषणा और अमरूद के विकास की बात हो रही है । प्रभू दयाल जी ने कहानी सुनाई और सबको मनोरंजन किया । मैं सोच रहा था कि किसान की बात करेंगे । लगता है कि हम उनको बीज नहीं दे पाए यह हो सकता है कि हमने बड़ा किसान समझकर उनको बीज न दिया हो । क्योंकि बीज में प्राथमिकता तो हमें छोटे किसानों को देना था । वैसे भी 5 क्विंटल बीज में उनका क्या बनता बिगड़ता । यह दिक्कत थी कि 5 क्विन्टल से ज्यादा किसी किसान को नहीं दिया गया यह ज्यादा चाहते रहे होंगे । वैसे कहानी इन्होंने अच्छी सुनाई और मनोरंजन किया, इसलिए धन्यवाद देता हूं।

जयनारायण तिवारी जी ने एक अच्छी बात कही जिस पर सभी यहां पर उपस्थित माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह जो प्रशिक्षण और भ्रमण का कार्यक्रम है यह पूरे प्रदेश में लागू किया जाय, यह अच्छी बात है । मान्यवर, हमने माननीय सदस्यों को पहले ही अवगत कराया है, हमने यह कहा है कि पूरे प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाय और उसको हम वर्ल्ड बैंक को ले जायेंगे और हमारी कोशिश होगी कि यह कार्यक्रम सफल हो क्योंकि किसानों को प्रशिक्षित करके ट्रान्सफर आफ टेक्नो-लोजी बहुत जरूरी है । बंसल जी, ने खाद में छूट की बात कही और इन्होंने यह

भी बात कही कि एक सड़क एक महीने के अन्दर बन जायेगी । एक महीना मैंने नहीं कहा था । मैंने यह कहा था कि सड़क बन जायेगी, आपको कहता हूं कि निश्चिंत रहिए । आपने तो मांग की नहीं थी वहां के गांव के लोगों ने मांग की थी । मैं उस गांव में गया था, वहां एक कि0 मी0 सड़क बनवा दी जायेगी । खाद के छूट की बात की है, कई सदस्यों ने इस बात को कहा । खाद की छूट में काफी हद तक बहुत थोड़ा सा पैसा रह गया है जिसका इन्तजाम करना है बाकी व्यवस्था हो गयी है लेकिन किसानों से कहीं पर भी वसूली नहीं हो रही है क्योंकि वसूली रोक दी गई है उससे किसानों का नुकसान नहीं हो पायेगा । इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

बहन कृष्णा रावत जी ने बात की फल पट्टी घोषित हो गई लेकिन उसका फायदा क्या हुआ । वह कहकर चली गयीं, शायद सुनना नहीं चाहती । फल पट्टी घोषित करने से बड़ा फायदा हुआ । पास में जो भट्ठे थे उनके बन्द हो जाने से जो कोयली लगती थी, नहीं लगी । इस साल मैं खुद वहां गया था, वैज्ञानिकों की टीम भेजी थी । नयी-नयी बीमारियां निकलती हैं । पहले मच्छर मर जाया करता था डी0 डी0 टी0 से, लेकिन अब नहीं मरता, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं ।

**श्री किरन पाल सिंह–**

मच्छर कांग्रेसी हो गए हैं ।

**चौधरी नरेन्द्र सिंह–**

आपका भी नम्बर है । तो मान्यवर, उसका प्रयास हो रहा है । तड़ागी जी ने जो बात कही कि पहाड़ों में खाद किसानों को नजदीक से नजदीक स्थल पर मिल सके । मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि मोबाइल यूनिट की व्यवस्था हो रही है । ट्रक पर खाद को लेकर जायं क्योंकि पहाड़ पर आदमी नहीं आ सकता, 4-5 कि0मी0 बहुत होता है । वहां पर फर्टीलाइजर का कंजम्पशन अब भी बहुत कम है । वहां के लिए तो मैंने यह कहा है जैसे पहले चाय के लिए था, चाय मुफ्त पिलाई गई और बाद में लोग आदी हो गए । तो इसी तरह से पहाड़ में अगर कोई विशेष रियायत हमें करनी पड़ी तो जरूर करेंगे और किसानों के घर तक, दरवाजे तक, हम खाद पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

देव कुमार यादव जी ने बांदा जिले के किसानों की कुछ दिक्कतों के बारे में कहा । मान्यवर, बांदा जिले के लिए हमने कई योजनाएं स्वीकृत कराई हैं । बुन्देलखण्ड में हमारा 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है । बांदा जिले में 4 या 6 वाटर टैंक्स बनने हैं । वहां पर 64 हजार हेक्टियर भूमि को ठीक किया जायगा और 16 हजार हेक्टियर भूमि पर सिंचाई का इन्तजाम किया जायगा । हमारे गुप्ता जी और हमारे एक और माननीय सदस्य तिलहन के बारे में कह रहे थे । मान्यवर, उनकी बात सही है, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है । हमने तो तिलहन उत्पादन के लिए योजना विशेष रूप से बनाई है, जिसमें सीतापुर शामिल है । आप कहें तो हम बता दें । उसमें हम किसानों को बहुत छूट दे रहे हैं । मूंगफली के बारे में मैंने बताया कि तिलहन उत्पादन के लिए 20 जिले लिए गए हैं । सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद ये मूंगफली के लिए हैं । बुन्देलखण्ड के पांचों जिले सोयाबीन के लिए

लिए गए हैं । तीन जिले पहले थे । हमने भारत सरकार के कृषि मंत्री से निवेदन करके 5 जिले सोयाबीन के लिए इन्क्लूड कराये । अब वहां पर 1 लाख एकड़ भूमि में सोयाबीन की खेती की जायगी । यह हम बुन्देलखण्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे तिलहन का उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ेगा ।

मैं बधाई देना चाहता हूं कृषि वैज्ञानिकों को कि उन्होंने एक नई मूंगफली का ईजाद किया, जो जायद में पैदा हुआ करेगी । उसका सफल इक्सपेरीमेंट सीतापुर, हरदोई, और फर्रुखाबाद जनपद में आप यदि चाहें, तो उसको चल कर दिखा सकता हूं । जायद में जो मूंगफली पैदा होगी, उसके बारे में हमने आपको एक पत्र भेजा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा । अगर आपको वह पत्र न मिले, तो हमारे यहां से उस स्कीम को ले लीजिएगा ।

प्रदीप माथुर जी, ने कृषि रक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की । उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक है । कृषि रक्षा को अधिक बल देने की जरूरत है, उस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं । आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमने 5 प्रतिशत कीमत उसकी कम कर दी है । अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इक्वीपमेंट्स किसानों को पहुंच सकें । उसके लिए अनुदान देकर हम उसको करायेंगे । उसके लिए भी हमने एक स्कीम बनाई हुई है।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तिलहन और दलहन के बारे में कहा । उसके लिए 21 जिलों की हमारी योजना है । उन जिलों का नाम अगर आप कहें, तो पढ़कर सुना दूं । इस साल हमारा लक्ष्य है 32 लाख मीट्रिक टन दलहन पैदा करने का । कर्नल केशरी जी ने भूमि संरक्षण इकाई की बात कही । इसको हम दिखवायेंगे । उन्होंने कृषि रक्षा की भी बात कही । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने कई एक अच्छे सुझाव दिये। जब मैं माननीय बरार साहब का जिक्र कर रहा था, उस समय मैंने स्वायल टेस्टिंग और फसल बीमा के बारे में भी कहा था । पंडित हरि नारायण शर्मा जी जो हमारे अलीगढ़ के विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये । इसी तरह से हमारे कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं । अगर इनका मैं सभी का जबाब दूं तो उसके लिए बहुत समय चाहिए लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जिन बातों का उत्तर मैंने नहीं दिया, जिन सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उस सम्बन्ध में, सबके सम्बन्ध में हम विचार करके, उनको दिखवा करके उनका उत्तर उन तक जरूर पहुंचवा दूंगा । एक बात हुई अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में और चर्चा हुई खाद के बारे में । मान्यवर, शायद मनोहरलाल जी ने ठीक से नहीं पढ़ा । वह 6 लाख छापे नहीं डलवाये गये थे बल्कि 84-85 में वह 6 हजार छापे डलवाये गये थे और 85-86 में 15-16 हजार और पिछले साल 18 हजार छापे डलवाये गये थे और 83 व्यापारियों को जेल भेजा गया था और 85-66 में 99 व्यापारियों को जेल भेजा गया था । आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो शिकायत आया करती थी कि फर्टिलाइजर में इतनी मिलावट है, उसके लिए हमने 14 में से 5 के लाइसेंस रद्द कर दिये थे । रुपया लेकर कोई मेरे पास नहीं आया, अगर गया होगा तो आपके पास गया होगा ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष इसी सदन में हरदोई का मामला उठा था । मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरा भी इस्तीफा ले लीजिए और

माननीय मंत्री जी का भी इस्तीफा ले लीजिए और कमेटी गठित कर दीजिए, जो चार्ज मैंने लगाये हैं और जो यह कह रहे हैं, दोनों की जांच हो जाय और जिसकी बात सही निकल जाय उसको आप मान लें । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि चौधरी राइस मिल कैसे बनी है ? मान्यवर, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं । यह भी कानपुर के रहने वाले हैं और मैं भी कानपुर का रहने वाला हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मनोहर लाल जी, आपने अपनी बात कह दी, अब वह कह रहे हैं, यह कोई अन्ताक्षरी वाली बात नहीं होगी ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये । आप कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं । आप कृपया बिराजिये।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह किताब है, इसमें दिया हुआ है, मैंने कोई बात नहीं कही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात कह चुके, आपको जो भी आलोचना करनी थी, वह आप कर चुके । अब उसका उत्तर उन्हें देने दीजिए ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने इतने छापे डलवाये और इतने लोगों को जेल भेजा तो मनोहर लाल जी को कैसे छोड़ दिया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस तरीके की बात आई । अगर लाइसेंस कैंसिल करने में कोई रिश्वत देता हो, छापे डालने पर कोई रिश्वत देता हो, जेल भेजने पर कोई रिश्वत देता हो, सभी यहां पर सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, यदि जेल भेजने के लिए किसी से रिश्वत ली जा सकती है तो बात कही जा सकती है। मान्यवर, इन्होंने चौधरी राइस मिल का जिक्र कर दिया। आप मुझको जानते हैं और मैं आपको जानता हूं, यही नहीं कि एक दूसरे को 57-58 से जानते हैं जब विद्यार्थी थे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं जैसा कि आपने चौधरी राईस-मिल का जिक्र कर दिया, लेकिन वह काफी पहले का बना हुआ है, इस संबंध में जरा आपको बता दूं कि हमारा छोटा भाई अनूप, एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) जो खेती का काम करता है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर कभी कोई आदमी . . . । दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि जो स्तीफा देने वाली बात ऐसे लोग किया करते हैं, जिनकी केवल धमकी देने की ही नियत होती है । अगर कोई आदमी मुझे बेईमान साबित कर दे तो मैं पब्लिक लाईफ से ही रिटायर हो जाऊंगा । (शोर मेजों की थपथपाहट)

श्री मनोहर लाल–

(इसी शोर के दौरान) हां, मैं इस बात को कह रहा हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इससे बढ़कर भी एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री मनोहर लाल–

किसान ट्रस्ट का पैसा कहां गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कहा गया, मैंने अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है और जिन्होंने अच्छे काम किये होंगे उनको पुरस्कृत करने की भी बात हमने सोची है। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि अब तक मनोहर लाल जी की ओर से एक बात भी खेतों के ऊपर उनके उत्पादन के ऊपर नहीं कही गयी, अगर वह कहते तो मैं उनका आभार मानता, लेकिन इन चीजों से इनका कोई वास्ता नहीं है । मान्यवर, इसी के साथ 1-2 खुशखबरी किसानों के हित के लिए जैसा कि मैंने पिछले सत्र में कहा था कि लखनऊ में किसानों के लिए एक किसान भवन बनाया जायेगा । इसी सिलसिले में मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि इसके लिए 5 एकड़ भूमि भी ले ली गयी है और उसका नक्शा वगैरह भी बनकर तैयार हो रहा है और बहुत ही जल्द यह भवन बनकर तैयार होगा । (मेजों की जोरदार थपथपाहट)

एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, कृषि विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमने कुछ दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित भी किया है । हमने तीन क्लास वन अफसरों को दण्डित किया है और जहां तक मुझे याद है 5 गजटेड आफिसर्स को दण्डित किया है । पूरे विभाग में 165 नानगजटेड लोगों को सस्पेंड किया गया और 82 लोगों को निकाला गया विभाग में और कार्पोरेशन में । इस संबंध में तमाम एसोसियेशन्स से भी बात की गयी तो उन्होंने कहा कि चूंकि आपने सही कदम उठाया है, इसलिये कोई प्रत्यावेदन लेकर नहीं आया । ये यह कह कर आतंक पैदा करना चाहते हैं कि हम सेर हैं, तो हम सेर नहीं सवा सेर हैं, लेकिन आतंकवादियों के लिये। और भी मान्यवर, बहुत से अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं । कुछ सम्मानित संसद सदस्यों के भी सुझाव आए हैं, हम उनका उपयोग करने की कोशिश करेंगे, चाहे विरोध पक्ष की ओर से आये हों या सत्ता पक्ष की ओर से । इसके साथ ही मान्यवर, सभी सदस्यों ने जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं और बहुत कृतज्ञ हूं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ, मैं निवेदन करूंगा कि जो मांगे प्रस्तुत की गयी हैं, उन्हें स्वीकार कीजिये ।

(स्पष्टीकरण के लिये बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब भाषण हो गया, कटौती का प्रस्ताव हो गया, जवाब हो गया, अब स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है । कृपया परम्परा का पालन करें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मंत्री जी के भाषण के बाद स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अन्तिम भाषण लिखित होता है, वह हो गया।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह) —

माननीय अधिष्ठाता जी, कल जब स्वास्थ्य का बजट पेश हुआ था तो मा0 सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा तो किसी न किसी परम्परा के तहत 2-4 सदस्यों के लिए आपने उदारता-पूर्वक मौका दे दिया, लेकिन आज इतने सख्त हो गये कि एक भी सदस्य को अनुमति नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप परम्परा रोज न बनावें और यदि बनाते हैं तो रोज न तोड़ें। अगर तोड़ते हैं तो रोज इसी तरह से विसंगति पैदा होती है। ज्यादा मौका न दें तो 2-4 सदस्यों को मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही है। समय रहता है तो एक आध स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि जब स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है तो एक दो नहीं रह जाता है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने इस अनुदान पर बहुत बातें कही हैं, बहुत हरियाली दिखाने की बात कही, लेकिन एक बहुत साफ सवाल जो आ रहा है कि दिन प्रतिदिन प्रदेश की आय में कृषि क्षेत्र का जो अंश होता था, कृषि क्षेत्र का जो अंश दिया जाता था, उसका जो योगदान था, सारी पैदावार बढ़ने के बाद, उत्पादन बढ़ने के बाद क्या कारण है कि 1970-71 में प्रदेश की सारी आय में कृषि क्षेत्र का अंश जो पहले 60 फीसदी था, आज 48 फीसदी हो गया है। इसका मूल कारण यह है कि जो किसान मेहनत करता है, उसको पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र का जो अंशदान है–योगदान है, उ0 प्र0 की आय के संबंध में, उसको ठीक ढंग से, पहले की तरह लाने की, आपके पास कोई योजना है ?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पानी पी रहे हैं। अभी वह खड़े नहीं हुए हैं, यादव जी के स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कटौती के प्रस्ताव में कृषि पर नहीं बोला, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें, मैं कृषि पर पूरी तरह से बोला हूं। अब माननीय मंत्री जी ध्यानपूर्वक न सुनें, तो उसमें क्या कहा जाय।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय रामनरेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है। खुशकिस्मती से मुझे और उनको दोनों को चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर काम करने का मौका रहा है। अगर उन्होंने उनकी "आर्थिक नीति" पढ़ी होगी, उसमें बहुत स्पष्ट है, जहां तक मुझे स्मरण है, उसको मैं कोट करना चाहता था, इस समय मेरे पास वह पुस्तक नहीं है, लेकिन अपने स्मरण के आधार पर बता रहा हूं-जिस देश में खेती का अंश पूरी राष्ट्रीय आय में अधिक होता है तो वह देश गरीब होता है, पिछड़ा हुआ होता है और वहां के लोगों की माली हालत अच्छी नहीं होती। आप अमेरिका का उदाहरण लें। वहां कामनवेलथ इनकम में टोटल जो इनकम है, उसमें मुश्किल से 2 प्रतिशत से भी कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। इस तरह से तमाम देश हैं। खेती से आदमी ज्यादा से ज्यादा हटे, दूसरे कामों में लगे। इस बीच तमाम उद्योगों का विकास हुआ है, तमाम औद्योगीकरण हुआ है। खेती से बहुत

कंट्रीब्यूशन नहीं होगा । जब इस पर डिबेट की बात हो, आप कर लीजिये, मुझे खुशी होगी ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जब जमीन पर अधिक बोझ होगा, तब देश गरीब होगा । यहां पर बोझ की बात है ही नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं बड़े गौर से माननीय मंत्री जी, की बात और सदन के अन्य माननीय सदस्यों की बात सुनता रहा। एक धारणा बनी कि जितना भी नियोजन है, वह सब मात्र 25-30 प्रतिशत जो बड़े किसान हैं, उन तक सारी चीजें पहुंच जायेगी, पहुंच जाती हैं और 60-70 प्रतिशत—जो 5 एकड़ की जोत के नीचे तक के हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध किसी चीज का लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है । मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जब मैं कहूंगा कि किसान को पानी दीजिये, तो कहेंगे कि सिंचाई विभाग पानी देगा वह जानें, जब कहूंगा कि बिजली नहीं मिल रही है, तो कहेंगे कि बिजली विभाग जाने क्या आप यह कर सकेंगे कि जो चीजें आप खेती के लिये देते हैं कृषि विभाग देता है, क्या उनके दाम 50 प्रतिशत कम करने की घोषणा करेंगे जिससे किसान पूरी लागत लगाकर खेती कर सके? दूसरा, उ0 प्र0 का योगदान गेहूं में 36 प्रतिशत है, पंजाब का योगदान 22 प्रतिशत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पता नहीं क्या ध्यान में रखकर कह दिया कि पंजाब को 5 रु0 प्रति क्विंटल बोनस देंगे, इसकी घोषणा कर दी। जिसका योगदान 22 प्रतिशत है उसको 5 रु0 क्वीन्टल बोनस मिलेगा । जिसका योगदान गेहूं में 36 प्रतिशत है, क्या इस उ0 प्र0 को 5 रु0 से अधिक, 8 रु0 प्रति क्वीन्टल बोनस, देने की घोषणा करेंगे? माननीय मंत्री जी इन दोनों पर अपनी घोषणा करें । अधिष्ठाता महोदय मंत्री जी से इस पर जबाब दिलवायें ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, इसका जवाब देना चाहें तो दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, श्री हरीश चन्द्र जी ने कहा कि केवल 25 परसेन्ट है, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रदेश में 87 परसेन्ट किसान एक हेक्टेयर जोत तक का है। हमारी जितनी भी योजनायें हैं चाहें व सब्सिडी की हो, छूट की हो या फिर कोई और मदद की हो, केवल लघु व सीमान्त कृषकों के लिए ही है, इसलिए 87 परसेन्ट लोग तो उससे लाभान्वित होते ही हैं । दूसरा तो आपका सुझाव था, उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

अभी दोनों ओर से कहा गया कि लगभग दो ढाई साल से निदेशक के पद पर एक ही आदमी प्रशासक के रूप में काम कर रहा है । भारत वर्ष के राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जितना सुसज्जीकरण है, उतना ही सुसज्जित आपका हार्टिकल्चर का दफ्तर है । जैसा कि पूर्व में व्यवस्था थी कि पर्वतीय क्षेत्र में अलग निदेशक होगा और मैदानी क्षेत्र में अलग निदेशक होगा, क्या ऐसी व्यवस्था पुनः लागू करने पर शासन विचार कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में उन्हें जल्दी ही कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी की एक बात कही । क्या उनकी किताब में यह उल्लेख नहीं है कि जिस देश की आबादी का अधिक प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर करता है, वहां गरीबी की रेखा अधिक नीचे होती है और जहां कम प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर होती है तो वह उन्नतशील देश माना जाता है, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले जो कहा, उससे यह कोई भिन्न प्रश्न नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, स्पष्टीकरण के दौरान माननीय श्री राम नरेश यादव जी ने कहा था कि पहले कृषि का अंशदान 60 परसेन्ट होता था जो अब घटकर 48 परसेन्ट रह गया है जबकि हार्टिकॉल आदि कृषि बेस्ड उद्योग हैं, क्या इसी प्रकार कृषि उत्पादन उद्योग बनाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं, उसी तरफ प्रयास हो रहा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, तराई बेल्ट में जुही बंगला व काला नमक जो धान पैदा होता था और जिसकी विदेशों में काफी अच्छी कीमत मिलती थी, लेकिन आज उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है । इसलिए क्या मंत्री जी अपने इन कृषि विश्वविद्यालयों से उन्नत किस्मों के धानों के उत्पादन हेतु रिसर्च करने की योजना पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पाण्डेय जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि फैजाबाद विश्वविद्यालय "काला नमक" और धान की जो भी लोकल वेरायटीज हैं, उन पर शोध कार्य कर रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अगर 50 कि0 ग्रा0 की बोरी की 10 कि0 ग्रा0 में बदल दिया और इस पर मेजों की थपथपाहट करवाई, बड़ी शाबाशी लूटी, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं । पहला प्रश्न हमारा यह है कि किसान के लिये आपने कोई भी खाद, बीज की कीमत की घोषणा की है कि कीमत कम कर दी गयी है ? अगर आप ऐसा करते तो आप शाबाशी के पात्र होते, लेकिन आपने कीमत में कमी नहीं की । मैं जानना चाहता हूं कि किसान को लाभकर मूल्य दिलाने के लिये, लाभकर इसलिये कि इसके मूल्य में उसका हल, बैल, परिवार का परिश्रम जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन कारखाने के उत्पादन में कीमत के साथ-साथ मुनाफा भी जोड़ा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि किसान को लाभकर मूल्य दिलाने के लिये अपने स्तर से आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि इस समय जो प्रदेश में भयंकर सूखा आया हुआ है, तो फसलों को बचाने के लिये आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

तीसरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से किसान भवन उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बनवा रहे हैं, या आप किसान मेला लगवा रहे हैं तो उसके एवेन्यू दिल्ली से बुलाकर लखनऊ में करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तीन प्रश्न किये सम्मानित नेता, विरोधी दल ने । पहला है किसान को लाभकर मूल्य दिलाने का । मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मौजूदा जो कीमत है सपोर्ट प्राइज है, समर्थन मूल्य है, लाभप्रद मूल्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस मामले में अगुवाई की है और भारत के प्रधानमंत्री जी का भी इरादा है कि किसान को उसकी उपज की अच्छी कीमत मिले । हम लोग मांग करते थे पहले कि एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन में किसानों का भी प्रतिनिधि होना चाहिये । अब एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन में दो काम हुए हैं । एक तो उसका नाम बदल दिया है प्रधानमंत्री राजीव जी ने "एग्रीकल्चर कास्ट एण्ड प्राइज कमीशन" कर दिया है, उससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इरादा है कास्ट को देखकर कीमत देने का। दूसरा काम यह किया है कि कमीशन में 3 प्रतिनिधि होंगे किसानों के मैं समझता हूं कि वे पूरे जोर से वकालत करेंगे किसानों की ।

श्री सत्यपाल सिंह–

पहले नहीं होते थे क्या ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पहले एक होता था और 1980 से पहले तो एक भी नहीं होता था, हम लोग मांग किया करते थे । स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक किया, राजीव जी ने तीन कर दिये ।

दूसरी बात उत्तर प्रदेश ने अगुवाई की । वह कार्यक्रम जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं लागू है, 75 प्रतिशत अग्रिम ऋण देने का। आपको अगर पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है तो मण्डी समिति के गोदाम में रखवा दें, 75 प्रतिशत ऋण ले लें और 6 प्रतिशत सालाना ब्याज पर 4 महीने में बेचकर पैसा दे दीजिये। इस प्रकार आप देखेंगे कि सरकार का पूरा इरादा है कि किसान को लाभप्रद मूल्य मिले ।

अब दूसरी बात उन्होंने कही कि मौजूदा सूखे के बारे में। नेता विरोधी दल से मेरा कहना है कि पूरा प्रयास है कि सभी नहरें चलें, ट्यूबवेल चलें हमारे ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वह अभी आपको बतायेंगे कि किसानों की वह क्या मदद करेंगे क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने उन्हें निर्देश दिये हैं और उन्होंने तय किया है कि किसानों की वे मदद करेंगे ।

तीसरी बात खाद की कीमत के बारे में कही गयी । मैं उसके बारे में बतलाना चाहता हूं कि बाजार में खाद 100 रु0 और 95 रु0 पर मिल रही है । आज ही मैंने कृषि रक्षा की बात की है कि जिसमें 5 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्जेज लिये जाते थे, उसको खतम करने की बात कही है तो आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हम कितने किसानों के हमदर्द हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बस अब खत्म करिये । अब मद संख्या 8 (1) लेते हैं । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,72,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,00,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इस अध्यादेश द्वारा बिजली में प्रति यूनिट दर पर जो शुल्क 8 पैसा था वह इस अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 9 पैसा किया जा रहा है। भारित दर जो 35 प्रतिशत था वह अब 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोत्तरी बिजली पर हम सह भी लेते यदि लोगों को बिजली मिलती होती और सही ढंग से उसका लाभ और सुविधा जनता को मिल रही होती। मान्यवर, यह बढ़ोत्तरी निरन्तर होती चली जा रही है जबकि 1977-78 में इसकी दर 2 पैसा थी, 1986-87 में 8 पैसा हो गयी और इस समय यह 9 पैसा होने जा रही है।

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल की बात का जवाब कृषि मंत्री जी दे रहे थे, वही बात मैंने भी उनसे कही थी सूखा के बारे में कि सिंचाई के लिए आपसे कहा जाता है

तो आप कह देते हैं कि सिंचाई मंत्री से कहिये और जब बिजली न मिलने की बात कही जाती है तो आप कह देते हैं कि बिजली मंत्री से कहिये। कृषि मंत्री जी ने हम लोगों की बात को तुरन्त कैसे स्वीकार कर लिया कि जब फसल के सूखने की बात आयी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर कह दिया कि बिजली मंत्री जी बैठे हैं, वह इसका उत्तर देंगे। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे-बैठे मुस्कराते रहे। इस समय भी ऊर्जा मंत्री जी मुस्करा रहे हैं परन्तु वे परेशान हैं क्योंकि जो वह मोटे चाम वाला हाथी विद्युत परिषद् जो है उस पर वे कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वह जो विद्युत परिषद् है, उसके अन्दर घाटा बढ़ता जा रहा है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। आप अन्तर को देखें, मांग और आपूर्ति को देखें, इसका अन्तर बढ़ता जा रहा है। 1974 में 6.7 प्रतिशत का अन्तर था और 1986-87 में यह अन्तर 9.4 प्रतिशत हो गया है। इतना अन्तर बढ़ गया है। मांग बढ़ेगी लेकिन मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं बढ़ेगी। बिजली आप दे नहीं पायेंगे, तो निश्चित रूप से घाटा होगा और स्थिति वही है। मैं इतना कह सकता हूं कि मंत्री जी आज स्वयं बहुत खुश हैं, मैं उनसे इस सबके बारे में सुनना चाहता हूं।

मान्यवर, मैंने बनारस फोन किया कि मैं घर आ रहा हूं। मुझसे कहा गया कि आज 7वां दिन है, बिजली नहीं आयी है, पानी नहीं मिला है, कुंये से पानी निकाल कर काम चलाया जा रहा है। मैंने कहा कि लड़की कहां है, तो बताया गया कि फलां के घर गयी है, वहां पर कुंआ है, नहाने गयी है। बनारस में बिजली नहीं है, लखनऊ में बिजली नहीं है, शहरों में नहीं है, गांवों में नहीं है। मुझे हैरानी है कि विद्युत परिषद् क्या कर रहा है? मंत्री जी को अंधेरे में डाल रखा है और आप विधेयक बेसमय लाये हैं, जिस समय चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं जहां पर रहता हूं बहुखण्डीय विधायक निवास वहां पर 24 घन्टे बिजली रहती है। जहां मेरे परिवार के कुछ लोग रहते हैं, जगदीशपुर में बिजली रहती है, वे लोग फैजाबाद से भाग आये हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो बताया गया कि वहां पर जगदीशपुर में बिजली मिल जाती है, कूलर चलता है, एअरकन्डीशनर चलता है। रायबरेली चले आइये, वहां पर बिजली है, लखनऊ में मिल जायेगी।

श्री मुईद अहमद–

सुल्तानपुर में आपका कौन सा परिवार रहता है, परिवार का नाम बता दें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, जगदीशपुर में मेरा भतीजा रहता है, उसका नाम कौशल किशोर श्रीवास्तव है। वहां पर उसकी मिल है। रायबरेली में मेरे मामा रहते हैं, उनका नाम राम चन्द्र श्रीवास्तव है। मेरा परिवार बनारस में रहता है, गोरखपुर में रहता है और लखनऊ में रहता है। विधायक निवास जहां पर मैं रहता हूं और मंत्री लोग रहते हैं बिजली रहती है, लेकिन इनके अलावा अगर आप आलमबाग क्षेत्र में चले जाइये, लखनऊ के पश्चिम की ओर चले जाइये, तो वहां पर बिजली नदारद है। मान्यवर, हैरानी होती है, किसी इलाके में बिजली है और किसी इलाके में नहीं है। ऐसी हालत में बिजली की शुल्क बढ़ोत्तरी का जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं, वह कटे पर नमक की तरह है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को याद होगा, उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी, दैनिक जागरण में निकला है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 26 अप्रैल का है। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि मई तक बिजली का संकट दूर हो जायेगा और कहा कि मई में किसानों के काम का बोझ अधिक रहता है और वह समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, जून समाप्त हो गया है, जुलाई चालू हो गयी है, लेकिन बिजली का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं इन शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी ने जो अध्यादेश प्रस्तुत किया है, उसका अननुमोदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह इसको वापस ले लें। [समय 7 बजकर 20 मिनट]

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये।

श्रीमन्, जहां, तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं माननीय हरीश जी को बताना चाहता हूं कि दरों में वृद्धि का जो प्रश्न है वह पहले 1 फरवरी, 1986 को और उसके पश्चात् 1 अगस्त, 1986 को उपभोक्ताओं के ऊपर दरों में वृद्धि की गई थी। जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है, उसके तहत तो केवल जो हमारी दर होती है उस पर जो ड्यूटी लगती है उससे इसका सम्बन्ध है। यहां पर 8 से 9 पैसे की गई जो 30 से 50 प्रतिशत तक है। जो अध्यादेश जारी किया गया था उसके अनुसार इस अधिनियम को बनाया गया है। जनता पर इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कृषि के जितने भी उपभोक्ता हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो दरें हमने बढ़ाई थी जो साढ़े 22 से 30 थी उसे साढ़े बाईस ही किया है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी किसानों पर नहीं दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर 74 पैसा जो पुरानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी उस पर 1 पैसे की वृद्धि की गई है, 74 पैसे से 75 पैसा किया है। जो 9 पैसे की आपने बात कही। कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवेज, एम0 ई0 एस0 और कुछ सरकारी विभाग हैं उनके ऊपर थोड़ी सी वृद्धि हुई है वह हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं हुई है। उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में 4 पैसे से 5 पैसा किया है और दूसरी कैटेगरी है जिस पर 6 पैसा था वह वही है। इस तरह से इस विधेयक से कोई अधिक भार उपभोक्ताओं पर जो कृषि के क्षेत्र के हैं, जो घरेलू बिजली के हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं उन पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो श्रीमन्, यह एक अच्छा विधेयक है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। विधान परिषद् में मैंने अभी इस बात की घोषणा की। अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिजली का किस तरह से प्रबन्ध कर सकेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इसी समय हमारी मांग प्रतिदिन केवल 44 मिलियन यूनिट थी और आज यह मांग 62 मिलियन प्रतिदिन है। इस तरह से हमारी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसकी पूर्ति के लिये जिससे किसी प्रकार की कठिनाई हमारे उपभोक्ताओं पर न रहे, विधान परिषद् में मैंने घोषणा की है कि हमने 100 प्रतिशत कटौती सभी बड़े उद्योगों पर लगा दी है और मैं कहूंगा कि हमारे सभी बड़े उद्योग जैसे फर्टिलाइजर्स, सीमेन्ट,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेक्सटाइल, जूट, रबर आदि हैं उन पर हमने 100 प्रतिशत कटौती कर दी है। इससे 8.2 मिलियन यूनिट बच गई है जिसके द्वारा शहरों और किसानों को विद्युत संबंधी कठिनाई न हो। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस निर्णय की प्रशंसा करेंगे कि सही समय पर ऐसा निर्णय लिया गया है। यह 100 प्रतिशत कटौती बड़े उद्योगों पर फिलहाल 15 दिन के लिए लगाई गई है। जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि 3/4 दिन में वर्षा हो जायेगी, तब तो ठीक है अन्यथा एक गम्भीर संकट और आने वाला है। इस समय हमारे रिहन्द डैम का जल-स्तर 831.2 फिट है जब कि पिछले वर्ष 850 फिट था। इस समय हमें पीक पावर में उत्पादन करना पड़ रहा है। आने वाले समय में एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है। जो हमारे बड़े-बड़े थरमल पावर स्टेशन्स हैं जैसे आनपारा, एन0 टी0 पी0 सी0 हैं उनकी मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी चाहिए।

मान्यवर, रिहन्द का जलस्तर 830 तक पहुंच जायेगा तो गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। यदि बारिश हो गयी तो स्थिति सुधर जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम पूरा प्रयास विद्युत परिषद् के द्वारा कर रहे हैं कि अपने सभी उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बिजली दें किसी को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, मैं सदन की भावना को देखते हुए भाषण नहीं देना चाहता हूं केवल एक बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप कोई प्राइवेट कारखाना चलाते और उसमें किसी मैनेजर को रखते और उससे कहते कि इसमें उत्पादन 50 मी0 टन होना चाहिए और वह सिर्फ 20 मी0 टन पैदा करता तो उस मैनेजर को आप रखते या निकाल देते? क्या स्थिति आपके परिषद् की होनी चाहिए, इस पर आप खुद सोचिये।

श्री सुनील शास्त्री–

हमारा प्रयास है कि हमारा उत्पादन बढ़े पिछले साल हमारा 34.4 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर था लेकिन इस वर्ष अप्रैल, मई, जून, में हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 45.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है। हमारा लक्ष्य 50 प्रतिशत का है तो हमारा प्रयास है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरीश जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी, अगर अपनी बात वापस ले लें तो मैं भी वापस ले लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

मद 9 एवं 10 को एक साथ ले रहा हूं। पाण्डेय जी, आप वापस ले रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी)) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 3 का संशोधन

(एक) शब्द "पैंतीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पचास प्रतिशत" रख दिए जायेंगे;

(दो) शब्द "आठ पैसे" के स्थान पर शब्द "नौ पैसे" रख दिए जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संशोधित खण्ड 3

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1986

3—(1) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) संशोधन अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री दीपक कुमार—

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

खण्ड 3 में,— (क) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "संख्या 12 सन् 1986" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संख्या 5 सन् 1987" रख दिया जाय, और

(ख) उपखण्ड (1) में अंक "1986" के स्थान पर अंक "1987" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, आपको स्वीकार है ?

श्री सुनील शास्त्री—

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "संख्या 12 सन् 1986" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संख्या 5 सन् 1987" रख दिया जाय, और

(ख) उपखण्ड (1) में अंक "1986" के स्थान पर अंक "1987" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 जैसाकि संशोधित हुआ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अडतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

2—यह 26 नवम्बर, 1986 को प्रवृत हुआ समझा जायगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री सुनील शास्त्री–

माननवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं आई हैं जिनमें से श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री रघुबर दयाल वर्मा की सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना वक्तव्य के लिए और श्री रघुबर दयाल वर्मा की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

## कस्बा जहांनाबाद, जिला फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

*आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

[कस्बा जहांनाबाद, जिला फतेहपुर में 21/22 जून, 1987 को जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों के मरने तथा अनेक व्यक्तियों के प्रभावित होने का समाचार प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी, फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जहरीली शराब पीने से कुल 113 व्यक्ति प्रभावित हुए, जिनमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। घटना का समाचार 21 जून, 1987 की रात्रि में थाना जहांनाबाद में प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित व्यक्तियों को जहांनाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा गम्भीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 21-6-1987 की रात्रि में ही बस से कानपुर स्थित उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त सूचनानुसार चार व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल लाये जाने से पहले ही आ चुकी थी। जहांनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जहरीली शराब पीने से प्रभावित कुल 31 व्यक्तियों को उपचार हेतु भर्ती किया गया, जिनमें से 4 व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल में हो गई और शेष 27 व्यक्तियों की आवश्यक उपचार के बाद दिनांक 22-6-1987 को अस्पताल से अवमुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अमौली स्वास्थ्य केन्द्र में भी दो व्यक्तियों को भर्ती किया गया जिन्हें उपचार के बाद दिनांक 23-6-87 को अवमुक्त कर दिया गया। 30 व्यक्तियों को जहांनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक जांच एवं उपचार के पश्चात् आउटडोर से अवमुक्त कर दिया गया। उर्सला अस्पताल, कानपुर में उपचार हेतु भर्ती कराये गये कुल 46 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति श्री बृजराज पुत्र श्री गोपाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी मलवा फतेहपुर की मृत्यु दिनांक 23-6-1987 को हो गई। उर्सला अस्पताल में भर्ती किये गये 46 व्यक्तियों में 21 व्यक्तियों को सामान्य चिकित्सा उपचार के बाद आउटडोर से ही दिनांक 22-6-87 को अवमुक्त कर दिया गया, तथा आवश्यक उपचार के पश्चात् दिनांक 23-6-87 को 10 व्यक्तियों को और दिनांक 24-6-87 एवं 25-6-87 को 4-4 व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया। शेष उपचार हेतु बचे 5 व्यक्ति, जिन्हें आंखों की रोशनी न होने की शिकायत थी का उपचार उर्सला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्पताल में किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार प्रश्नगत घटना में कुल 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनकी सूची निम्न प्रकार है :-

| क्रम-सं0 | नाम व पिता का नाम | उम्र | पता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1—श्री अशर्फी लाल पुत्र श्री परसादी | 50 वर्ष | चौक, जहांनाबाद | अस्पताल | |
| 2—श्री मोहन लाल पुत्र श्री गंगू | 45 वर्ष | दुर्गापुर, जहांनाबाद | लाये जाने | |
| 3—श्री राम सजीवन पुत्र श्री कालीचरन | 32 वर्ष | मलाकापुर, जहांनाबाद | से पूर्व | |
| 4—श्री गोपाल पुत्र श्री लटूरी | 65 वर्ष | नन्दनपुरा, सीपरी बाजार, झांसी। | | |
| 5—श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री नजीर | 40 वर्ष | वाकरगंज, जहांनाबाद | प्राथमिक | |
| 6—श्री मो0 आलिम पुत्र श्री काले | 28 वर्ष | कटरा, जहांनाबाद | स्वास्थ्य | |
| 7—श्री मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 रहीम | 45 वर्ष | कदम रसूल, जहांनाबाद | केन्द्र | |
| 8—श्री ननकू पुत्र श्री शिवरतन | 32 वर्ष | पोजेपुर, जहांनाबाद | जहानाबाद में मृत। | |
| 9—श्री बृजराज पुत्र श्री गोपाल | 35 वर्ष | मलवा, फतेहपुर | उर्सला अस्पताल में मृत। | |

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांनाबाद एवं अमोली, फतेहपुर में उपचार हेतु भर्ती कराये गये 33 व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 तथा उर्सला अस्पताल कानपुर में उपचार हेतु भर्ती कराये गये 46 व्यक्तियों की सूची संलग्नक–2 में है। प्रश्नगत घटना में प्रभावित उन 5 व्यक्तियों की सूची संलग्नक–3 में है, जिनकी नेत्र ज्योति खराब होने की शिकायत है। उर्सला अस्पताल से प्राप्त सूचना के अनुसार नेत्र-ज्योति प्रभावित व्यक्तियों में से तीन की नेत्र-ज्योति बिल्कुल चली गई है और दो मरीजों की आंखों में धुंधलापन है।

उपरोक्त घटना का समाचार ज्ञात होने पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित चिकित्सा एवं उपचार का प्रबन्ध किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के नेतृत्व में चिकित्सकों का एक दल मरीजों के उपचार हेतु तथा दूसरा 4 चिकित्सकों का दल मृतकों के पोस्टमार्टम हेतु जहांनाबाद भेजा गया। इस घटना में जहांनाबाद में मृत व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से प्रति व्यक्ति 5000 रु0 की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई है।

दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच करने हेतु जिलाधिकारी, फतेहपुर ने परगना मजिस्ट्रेट, खिन्दकी, फतेहपुर को जांच का कार्य दिनांक 22-6-87 को सौंप दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार जहरीली शराब जहांनाबाद स्थित अनुज्ञापित देशी मदिरा की दूकान से बेची गई बताई जाती है। इस दूकान से शराब के नमूने लेकर रसायनिक

परीक्षण हेतु भेज दिए गए हैं तथा दुकान को सीलबन्द कर दिया गया है। जहांनाबाद स्थित अनुज्ञापित देशी मदिरा के दुकान के अनुज्ञापी श्री अतर सिंह तथा उनके दो सेल्स मैन श्री राजेश व श्री बृजेश के विरुद्ध थाना जहानाबाद में मुकदमा अपराध सं0-98/87 धारा 304/328 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दिनांक 21-6-87 को पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त फरार हैं तथा उनकी तलाशी हेतु फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर व हमीरपुर में पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मुख्य अभियुक्त श्री अतर सिंह के विरुद्ध कुर्की के आदेश न्यायालय से प्राप्त करके उनके गृह जनपद कानपुर में दिनांक 25-6-1987 को कुर्की की कार्यवाही की गई। अनुज्ञापी श्री अतर सिंह एवं सेल्स मैन श्री राजेश व बृजेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा-2(बी) (2)-3 के अधीन भी कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्नगत घटना के कारणों की स्थिति मजिस्ट्रीयल जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्पष्ट हो सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण अंकित नहीं हैं। मृत्यु व्यक्तियों का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है और इस संबंध में न्यायालय के आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। विसरा परीक्षण के उपरान्त ही मृत्यु के सही कारण ज्ञात हो सकेंगे। प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश में जहांनाबाद के आबकारी निरीक्षक श्री मोहम्मद रसीद सिद्दीकी तथा चार आबकारी सिपाहियों (उमाशंकर, हमीदउल्ला, बसन्तलाल एवं सुदर्शन लाल) को निलम्बित कर दिया है तथा पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक (ए0 एस0 आई) श्री ओंकार नाथ सिंह और पुलिस कान्स्टेबिल श्री राम गोपाला सिंह को निलंबित कर दिया है।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसलिए व्यापक आकस्मिक निरीक्षण उन स्थानों के कराये जायं जहां अवैध मदिरा एवं मादक वस्तुओं की बिक्री की सम्भावना रहती है। आबकारी आयुक्त द्वारा देशी शराब, भांग, विदेशी शराब व ताड़ी की दुकानों की विस्तृत जांच कराने हेतु मुख्यालय से 9 विशेष जांच दलों का गठन किया गया है और अवैध शराब व मादक वस्तुओं की प्रभावी जांच की जा रही है। कस्बा जहांनाबाद स्थित देशी शराब के ठेके की तलाशी ली गयी तथा उक्त दुकान से बोनचारकोल, कैरामल आइल, अवैध रूप से बनी विदेशी शराब, डिनेचर्ड स्प्रिट से बनी शराब व मिलावटी देशी शराब आदि बरामद किए गए। अनुज्ञापी श्री अतर सिंह द्वारा चलाए जा रहे जहांनाबाद, भैसोली व अमौली के देशी मदिरा की दुकानों को सीलबन्द कर दिया गया है तथा इन दुकानों से एवं पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त शराब के नमूनों को लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। इसी अनुज्ञापी से संबंधित फतेहपुर शहर की दो अंग्रेजी शराब की दुकानों तथा गाजीपुर, बहुआ, मुत्तौर, ललौली, असोथर एवं सुकेती की देशी शराब व भांग की दुकानों को भी सीलबन्द कर दिया गया है और उनमें उपलब्ध स्टाक के नमूने लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जा रहे हैं। उप आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद चार्ज से इस संबंध में विस्तृत विभागीय जांच भी कराई जा रही है। रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा इसी प्रकार

श्री अतर सिंह के पिता श्री भूरा सिंह के नाम विदेशी शराब की एक दुकान हमीरपुर में भी है, जिसे भी नमूने लेकर सीलबन्द कर दिया गया है और नमूनों को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है । आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा गहन एवं आकस्मिक निरीक्षण सम्पूर्ण प्रदेश में किए जा रहे हैं । ]

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर।)

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरठ में दंगा हुआ था । डी0 जी0 को बदल दिया गया । काफी परिवर्तन किये गये । इस आबकारी विभाग में जिसके मा0 मंत्री जी बैठे हैं जो वाकई मुंशी जी हैं। इनके विभाग में इतनी मौतें हो गयीं। फतेहपुर में, मान्यवर आपके ही जनपद में नहीं। मान्यवर, जनपद आपका है लेकिन उठा मैंने दिया। 9 आदमी मरे थे, 5 और हैं। यही नहीं फर्रुखाबाद में, भोगनीपुर में, कन्नौज में, तमाम जगह लोग मर रहे हैं। मा0 मंत्री जी कहते हैं कांनेस्टिबिल को हटा दिया । मान्यवर, इन्सपेक्टर या कमिश्नर था उसके नीचे के रैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं । मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, दुख का विषय है यह । सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है । क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को निलम्बित कर दिया है । चार सिपाहियों को निलम्बित किया है । एक क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक को निलम्बित किया गया है । जांच चल रही है जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मनोहर लाल–

नापजोक ज्यों की त्यों, सारा कुनवा टूबा क्यों । मान्यवर, एक आबकारी निरीक्षक, चार सिपाही निलम्बित कर दिये । अच्छा था सी0 ओ0 या एस0 पी0 रैंक के किसी अधिकारी को निलम्बित किया होता । जहानाबाद में ही नहीं तमाम जगहों पर लोग मरे हैं। अतर सिंह एक ठेकेदार है। वह माननीय मंत्री जी को खुश रखता है और लोगों को भी खुश रखता है । इसलिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । फतेहपुर में ही नहीं दूसरे जनपदों में भी उसके ठेके हैं । हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव के अन्दर शराब बनती है । उसने नकली शराब के ठेके लगा रखें है । इसलिए उसके खिलाफ आजकल कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अतर सिंह के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? कुड़की के आदेश करना ही काफी नहीं है। उसके सारे लाइसेंस रद्द किए हैं या नहीं उसकी अर्नेस्ट गनी और सिक्योरिटी मनी को खारिज किया है या नहीं ? यह सब विभागीय कार्यवाही उसके खिलाफ की गई है या नहीं ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया, अभी प्रथम दृष्टया: कर दिया गया है, 27-6-87 को 106/87 की कार्यवाही अतर सिंह, राजेश व बृजेश के खिलाफ की गई है इसके साथ ही इन तीनों के खिलाफ धारा 2 (बी) (2)–3 की कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश गजेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कर दी गई है । यह उसके खिलाफ लागू कर दिया गया है और वह फरार है। वह उससे बच नहीं सकता है अपने खिलाफ कड़ी कार्यवाही होने से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री विजय सिंह राणा–

वह अपनी रिपोर्ट के पेज 4 को देख लें, जिसमें यह कहते हैं कि कस्बा जहानाबाद स्थित देशी शराब के ठेके की तलाशी ली गई तथा उक्त दुकान से बोनचार-कोल, कैरामल आइल, अवैध रूप से बनी विदेशी शराब, डिनेचर्ड स्प्रिट से बनी शराब, मिलावटी देशी शराब आदि बरामद किये गये। उसमें आगे यह भी कहते हैं कि यह कई कई ठेके लिये हुए हैं । वह देशी व विदेशी शराब तथा गांजा-भांग के ठेके लिए बैठा है । तो मैं यह मुंशी जी से जानना चाहता हूं कि आपने पटवारी पर तो तोप चला दी, लेकिन जो इतनी फार्म लेकर बैठा है और भ्रष्ट अधिकारी ने जो इतने उसे ठेके दे दिए हैं और इसमें साबित हो गया है कि इसकी दुकान से यह मिलावट वाली जहरीली शराब बिकी है, तो जिसको ठेका दिया और जिनकी सांठ-गांठ से यह हुआ है, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यह सारे के सारे तथ्य तो आपके प्रकाश में तब आए जब इतनी जानें चली गईं, पहले से आपके अधिकारियों ने निरीक्षण आदि का क्या काम किया और उसके लिए वह क्यों दोषी नहीं है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

अतर सिंह के पास इस घटना से पहले अनुज्ञापी की योग्यताओं में कोई कमी नहीं थी, इसलिए अनुज्ञा दी गई । इस घटना के बाद जो कार्यवाही की गई, उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया । जहां तक अन्य अधिकारियों की बात है, जांच हो रही है, जांच में मैंने पहले ही कह दिया, कोई भी ऊंचा से ऊंचा अधिकारी दोषी ठहराया जाएगा तो उसको दण्ड दिया जाएगा।

श्री विजय सिंह राणा–

उसके पास पचासों दुकानें हैं-देशी शराब, विदेशी शराब और गांजा-भांग की और यह भी मैंने कहा कि उसकी दुकान से जहरीली शराब बनाने की सारी चीजें बरामद हुई हैं, तो फिर प्रथम इष्टया या द्वितीय इष्टया क्या होता है ? आप कुछ करना चाहते हैं या निकम्मे बने ही रहना चाहते हैं एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होती तो हम लोगों को सन्तोष होता ?

*श्री प्रकाश नरायन अवस्थी–

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि यह हमारे विधान सभा क्षेत्र का मसला है, मैंने शुरू से आखिर तक इस पर बड़ी पैरवी की है । हमारी जानकारी के आधार पर, मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है कि मैजेस्ट्रियल जांच हो रही है, उस संबंध में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह मैजेस्ट्रियल जांच हो रही है वह दोषी है और उसी विभाग के मैजिस्ट्रेट हैं? उनके द्वारा क्या सही और निष्पक्ष जांच होना सम्भव है? दूसरी बात यह है कि आयुक्त और उप आयुक्त तथा मैजिस्ट्रेट को बीच-बीच में दुकान चेक करनी चाहिए, उन्होंने कब-कब ये दुकानें चेक की हैं? फिर तीसरी बात इसके पास कितना कोटा था और उसने कितना इश्यू कराया है ? मेरी जानकारी के आधार पर इसने महीनों से शराब ही नहीं ली थी, किन्तु बराबर बेच रहा था?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, जहां घटना हुई है वह जहांनाबाद कस्बा क्षेत्र बिन्दकी है तहसील में है वहां के परगनाधिकारी छुट्टी पर गये हैं आज। इन्हीं परगनाधिकारी के पास है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश जो हुआ है विन्दकी के परगनाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है वह आकर जांच की प्रक्रिया करेंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है यदि माननीय सदस्य संतुष्ट न हों तो मैजिस्ट्रेट बदले जा सकते हैं इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

**श्री प्रकाश नरायन अवस्थी–**

मान्यवर, मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं आया। आयुक्त उपायुक्त ने कब-कब जांच की?

**श्री राम नाथ मूंशी–**

मान्यवर, उसी दिन 21 जून को प्रथम क्षेत्रीय निरीक्षक ने जांच की ।

**श्री माता प्रसाद पाण्डेय–**

मान्यवर, तब तो और गम्भीर मामला है ।

**श्री राम नाथ मूंशी–**

इसीलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया ।

(व्यवधान)

**श्री विजय सिंह राणा–**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी [ x x x ] बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अधिष्ठाता–**

मंत्री जी के लिए झूठ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।

**श्री मनोहर लाल–**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था प्रश्न है । मान्यवर, अगर हुकुम सिंह जी सच बोल रहे है तो उसको सच कहा जायेगा और अगर हुकुम सिंह जी [x x x] बोल रहे हैं तो उसको [ x x x ] कहा जाएगा।

**संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–**

आप कहेंगे मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं ।

**श्री माता प्रसाद पाण्डेय–**

मान्यवर, यहां पुस्तकालय की भाषा चलेगी या बोलचाल की भाषा चलेगी ।

**श्री अधिष्ठाता–**

केवल संसदीय भाषा चलेगी ।

**श्री प्रकाश नरायन अवस्थी–**

मान्यवर, मैंने सवाल पूछा था आयुक्त और उपायुक्त की जांच की सूचना कब आई ?

**श्री राम नाथ मूंशी–**

इसकी सूचना नहीं आई है लेकिन प्रथम क्षेत्रीय निरीक्षक ने जो जांच की है वह 21 जून को की है ।

(व्यवधान)

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी–

निकासी के बारे में बतायें ?

श्री राम नाथ मूंशी–

27 मई को निकासी थी उसमें 260 लीटर देशी शराब तथा 240 लीटर विदेशी शराब निकली उससे पहले शासन द्वारा उसको खुला नोटिस दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी—

मान्यवर, वहां की तमाम औरतें विधवा हो गयीं हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गये हैं तो क्या ठेकेदार से मरने वालों के परिवारों को 1 लाख रुपया और अंधे होने वाले को 50 हजार रुपये तथा विधवाओं को पेंशनें दिलाने की व्यवस्था की जायगी?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से 5-5 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की है । यह उनको मिल जायगी जांच चल रही है, नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, अगर माननीय मंत्री जी वही शराब पी लें तो मैं 5 हजार रुपये दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई सवाल नहीं है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं और माननीय मनोहर लाल जहांनाबाद गये थे। वहां मैंने देखा कि समस्या अत्यन्त गंभीर है । यह मामला कार्य-स्थगन में उठाया गया था और वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। मान्यवर, वहां के लोगों को अगर आज कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, अगर इस विधान सभा से इंसाफ नहीं मिला तो मैं साबित करूंगा कि यह सरकार इंसाफ नहीं दे पायेगी। यह घटना 22 तारीख को घटी। मैं 27 तारीख को वहां पर गया था मेरे साथ क्षेत्राधिकारी और एस0 डी0 एम0 थे । हम लोग 9 मृतकों के जो परिवार थे उनके पास गये । उनके परिवार वालों ने बताया कि जिला प्रशासन इतना चुस्त था कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कोई पटवारी भी उनके घरों पर नहीं गया कि तुम्हारे लिये खाना-पीना है या नहीं । ऐसे परिवार थे कि जिनके घर में 9-9 बच्चे थे। या तो वह अल्पसंख्यक परिवार थे या हरिजन परिवार थे । इन गरीब लोगों को राहत देने के बारे में कुछ नहीं सोचा गया कि उनकी रोजी रोटी का क्या हुआ, मिल रही है या नहीं । इसकी जितनी निंदा की जाय कम है । मान्यवर, अतर सिंह वहां का लाइसेंसी था । शराब की दूकान बस स्टेशन के पास थी सामने के हिस्से में शराब बिकती थी और पिछले हिस्से में अवैधानिक रूप से शराब बनती थी । आप भी जानते होंगे, मुंशी जी भी जानते होंगे, सभी जानते हैं कि कहीं पर बगैर पुलिस प्रशासन के, लोगों की अनुमति के अवैध शराब बनाना तो दूर वह बिक नहीं सकती है । अगर अवैध शराब बेची जाती है तो वह बगैर

---

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रिश्वत दिये नहीं बेची जा सकती । इस लाइसेंस के अलावा 2 अड्डे और अवैधानिक रूप से चल रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में जहां एक्साइज विभाग वाले दोषी हैं वहीं पर पुलिस के अधिकारी भी कम दोषी नहीं हैं । केवल 4 सिपाहियों पर गुस्सा निकाला गया है । इक्साइज इंसपेक्टर, थानाध्यक्ष और सी0 ओ0 तथा एस0 डी0 एम0 सब के सब वहां पर मौजूद हैं । तो कम से कम सी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 का तबादला करना चाहिये था और थानाध्यक्ष को निलंबित करना चाहिये था जो इसके लिये प्रादर्शन में दोषी हैं ।

आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस दारोगा को फौरन निलम्बित करिये वहां के सी0 ओ0, एस0 डी0 एम0 को स्थानान्तरित करिये । दूसरा मेरा कहना यह है कि वहां के एस0 डी0 एम0 है जिसको आपने जांच दे दी है वह इक्साइज का प्रभारी अधिकारी है वहां तो उसको जांच दे दी । आप समझ रहे है जो चोरी करने वाला है उसको चोरी की जांच देंगे तो वह सही रिपोर्ट देगा। इसको गम्भीरता के साथ देखे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो । इसमें काफी लोग अंधे हो गये हैं, काफी लोग बीमार हो गये हैं काफी लम्बी रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की है । इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए आप इसकी जांच सी0 आई0 डी0 विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराइये । मैं यह 2 बातें स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूं अगर वास्तव में आपके दिलोदिमाग में कुछ है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो तो सी0 आई0 डी0 के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराइये, थानेदार को निलम्बित करिये, सी0 ओ0 का ट्रान्सफर करिये ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह मुंशी जी हैं यह पटवारी का भी कुछ नहीं कर सकते हैं । संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की बात कह दें ।

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही. . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको संक्षेप में बताये देता हूं कि उन्होंने क्या पूछा है उन्होंने 3 बातें खास कही है कि एक तो वहां का थानाध्यक्ष या और जो कर्मचारी पुलिस के हैं, जो शामिल हैं, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं । दूसरा आबकारी का जो इक्साइज मजिस्ट्रेट है उन्हीं से जांच करायेंगे या किसी अन्य से जांच करायेंगे तीसरा क्या सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 से जांच करा ली जायेगी ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, जिस थानाध्यक्ष की मिलीभगत से यह घटना हुई है उनको निलम्बित करिये जो 10 हजार रुपया लेता था ।

श्री राम नाथ मुंशी—

श्रीमन्, उसको हटा दिया जायेगा ।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में आबकारी से कितनी आमदनी है और मद्य निषेध पर कितना खर्च करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह विषय से अलग की बात है ।

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं 6 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 52 मिनट पर सोमवार, 6 जुलाई 1987 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र दुबल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

सेवा में,

श्रीमन् जिलाधिकारी महोदय,

जनपद—आजमगढ़ ।

महोदय,

मोहाफिजखाना माल आजमगढ़ में होने वाले निम्नलिखित जालसाजी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है:—

1—उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ के न्यायालय से ग्राम खजुरी चक धनेजपट्टी परगना अतरौलिया तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ से निम्नलिखित निगरानियां एक ही दिन दिनांक 7.8.73 को फैसला हुई और एक ही दिन दिनांक 19.7.84 को परिशिष्ट के साथ दाखिल दफ्तर हुई और बस्ता नं0 62 में रखी गई ।

| परिशिष्ट निगरानी नं0 | मौजा नं0 | नाम परीकेन | तारीख फैसला |
|---|---|---|---|
| 831 | 1926 खजुरी धनेजपट्टी | सत्यदेव बनाम स्टेट | 7–8–83 |
| 832 | 1874 ,, | सम्पत्ति बनाम राम अधीन | 7–8–83 |
| 833 | 2608 ,, | रामअधीन बनाम सरकार | 7–8–73 |
| 834 | 1994 ,, | हरिनन्दन बनाम रामरूप | 7–8–73 |
| 835 | 1996 ,, | राम कवल बनाम गौरीशंकर | 7–8–73 |
| 836 | 1997 ,, | लालता बनाम रामधनी | 7–8–73 |

विदित हो कि निगरानी सं0 1926 सत्यदेव बनाम स्टेट निगरानीकर्ता द्वारा अपने चक नं0 467 का रकबा दुरुस्तगी के लिये दाखिल की गई थी जो दिनांक 7.8.73 को खारिज होकर दाखिल दफ्तर हुई परन्तु इसी निगरानी के आधार पर उक्त ग्राम में प्रार्थी के चक नं0 199 तथा अन्य चक सं0 452 पर फर्जी अमल दरामद लेखपाल साजिश से जाल बनाकर कर दिया गया जिसमें चकों के आराजी नम्बरान में हेर-फेर किया गया है । इसकी जानकारी होने पर हम प्रार्थी ने न्यायालय संयुक्त संचालक चकबंदी आजमगढ़ में फर्जी अमलदरामद खारिज करने की दरख्वास्त दिया है जो सम्प्रति विचाराधीन है । इस दरख्वास्त के निस्तारण हेतु मुहाफिजखाने से मूल पत्रावली तलब की गई तो मोहाफिजखाने से यह रिपोर्ट लगकर खारिज वापस गया कि मिसिल गोशवारे में नहीं दर्ज है और न सम्बन्धित बस्ते में है । परिशिष्ट नं0 तथा तारीख बताई जाये तो मिसिल का पता चलेगा । उक्त न्यायालय में पुनः मिसिल तलबी का खारिज परिशिष्ट नं0 व तारीख दाखिल व बस्ता नं0 के साथ भेजा गया जिस पर पुनः दिनांक 11-2-86 ई0 को मोहाफिजखाने से रिपोर्ट लगकर खारिज वापस गया है मिसिल गोशवारे में नहीं दर्ज है और न बस्ते में है। तलाश करने पर नहीं मिली, तलाश

जारी है। अब अंतिम दौर पर दिनांक 30-4-86 ई0 के लिए अदालत से खारिज आया जिस पर रेवेन्यू रेकर्ड कीपर के निश्चित आदेश के बावजूद न्यायालय को कोई रिपोर्ट आज तक नहीं भेजी गई ।

3—यह भी विदित हो कि हम प्रार्थी ने स्वत: सम्बन्धित गौशवारे का अवलोकन किया तो उपरोक्त 6 मिसिलों में से 5 उसमें दर्ज है और बस्तें में मौजूद भी है केवल मिसिल निगरानी संख्या 1926 सत्यदेव बनाम स्टेट न तो गौशवारे में दर्ज है और न तो बस्तें में है जबकि एक ही साथ 6 मिसिलें एक दिन के फैसले की एक साथ एक दिन क्रमवार परिशिष्ट पर दाखिल हुई तो निगरानी नं0 1926 से संबंधित मिसिल कहां गई । स्पष्ट है कि मोहाफिजखाने के संबंधित कर्मचारियों ने धूस लेकर जालसाजी किया और जाल को छिपाने के लिए मिसिल को गायब कर दिया है। यहां तक कि गौशवारा भी बदल दिया गया है । न्यायालय में मिसिल न मिलने पर मिसिलबन्द रजिस्टर तथा संबंधित ग्राम के आकार पत्र 23 आदि का सहारा लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल निगरानीकर्ता श्री सत्यदेव पाण्डेय ने उक्त मुकदमे में दिनांक 17-2-86 को बयानहल्फी दाखिल कर न्यायालय को सूचित किया है कि उनकी निगरानी सं0 1926 खारिज हो गई थी और उससे पद्माकर लाल के चक से कोई संबंध नहीं था और न उनके चक के बारे में कोई आपत्ति हुई थी और उसके संबंध में कोई आदेश ही हुआ था उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के चक पर उक्त निगरानी का अमलदरामद जाली व फर्जी है जिससे निरस्त कर ठीक करने के सक्षम अधिकारी संयुक्त संचालक महोदय है । इस जालसाजी में संबंधित ग्राम का लेखपाल भी शामिल है ।

4—इस प्रकार की जालसाजी मोहाफिजखाने में बड़े पैमाने पर होती है जिसका नतीजा यह है कि उसका नाम जनता में मोहाफिजखाना की जगह "खाना जालसाजी" प्रचलित हो गया है । यह नामीकरण मोहाफिजखाने में आये दिन होने वाली जालसाजियों के आधार पर हुआ है। यह बहुत ही चिन्ता तथा दुख का विषय है कि आपके प्रत्यक्ष संरक्षण में रखे गये मोहाफिजखाने के समस्त अभिलेख अविश्वसनीय हो जाय और सत्य तथा वास्तविकता का लोप हो जाय ।

अत: उपरोक्त तथ्यों की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त निगरानी सं0 1926 सत्यदेव बनाम स्टेट की मिसिल से संबंधित जालसाजी व चोरी का दायित्व संबंधित व्यक्तियों पर तत्काल निर्धारित किया जाय और उन्हें विभागीय स्तर पर दण्डित किया जाय तथा उनके विरुद्ध जालसाजी तथा अभिलेखों में हेराफेरी का मुकदमा भी दर्ज कराया जाय ।

दिनांक 6-5-1986 ई0

प्रार्थी,

पदमाकर लाल, एडवोकेट ।

## नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 158 पर ।)

संलग्नक संख्या–1

कस्बा जहांनाबाद में जहरीली शराब के उपभोग के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों की सूची, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांनाबाद में जांच के उपरान्त इलाज किया गया।

| क्रम-सं0 | नाम | पिता का नाम | उम्र | पता | अवमुक्त का दिनांक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अब्दुल अजीज | नजीर | 40 वर्ष | बाकरगंज, जहांनाबाद | 21-6-87 | मृतक |
| 2 | मोहम्मद आलिम | काले | 28 ,, | कटरा, जहांनाबाद | ,, | मृतक |
| 3 | मोहम्मद सलीम | मोहम्मद रहीम । | 45 ,, | कदम रसूल, जहांनाबाद | 22-6-87 | मृतक |
| 4 | बबुल्ला | गुरुदीन | 55 ,, | नया बस स्टैंड, अमौली रोड, जहांनाबाद । | ,, | |
| 5 | जगदीश चन्द्र | डाल चन्द्र | 29 ,, | वैलाही बाजार, बिन्दकी | ,, | |
| 6 | गोरे लाल | बंल्लू | 45 ,, | कटरा, जहांनाबाद | ,, | |
| 7 | नवाब सिह | दरबारी सिह | 45 ,, | ठकुरनगली, जहांनाबाद | ,, | |
| 8 | मुन्नू लाल | जगन्नाथ | 40 ,, | कोड़ा, जहांनाबाद | ,, | |
| 9 | असलम | पीर बख्श | 35 ,, | सामी गढ़वा, जहांनाबाद | ,, | |
| 10 | हबीब | रहीम बक्श | 48 ,, | कसौड़ा कोड़ा, जहांनाबाद | ,, | |
| 11 | ननकू | शिवरतन | 32 ,, | पोजेपुर, जहांनाबाद | ,, | मृतक |
| 12 | रईस उर्फ बब्बे | अल्ला रक्खा | 27 ,, | छोटी बजरिया, जहांनाबाद । | ,, | |
| 13 | रियासत | नसीर | 32 ,, | कसौड़ा, जहांनाबाद | ,, | |
| 14 | श्रीराम | दुलारे | 35 ,, | पोजेपुर, जहांनाबाद | ,, | |
| 15 | सईद | हमीद | 35 ,, | गढ़ी कोड़ा, जहांनाबाद | ,, | |
| 16 | साहबलाल | कल्लू प्रसाद | 25 ,, | लालुगंज, जहांनाबाद | ,, | |
| 17 | बाबू | बुन्दी | 22 ,, | कोड़ा, जहांनाबाद | ,, | |
| 18 | नियाजुल | अबुल हसन | 23 ,, | अरगल कोड़ा, जहांनाबाद । | ,, | |
| 19 | अवधेश कुमार | हीरामन | 25 ,, | लालूगंज जहानाबाद | ,, | |
| 20 | दुलीचन्द्र | कामता प्रसाद | 40 ,, | द्वारापुर जट्ट, जहांनाबाद । | ,, | |
| 21 | समरजीरा सिह | महादेव | 14 ,, | तदैव | ,, | |
| 22 | अमर सिह | सीताराम | 20 ,, | तदैव | ,, | |
| 23 | रामकिंकर | चित्तू | 18 ,, | तदैव | ,, | |
| 24 | राम अवतार | गहोला | 25 ,, | तदैव | ,, | |
| 25 | शफीक अहमद | इस्माइल | 32 ,, | मलकापुरा, जहांनाबाद | ,, | |
| 26 | गुल्लू | दुर्जन | 45 ,, | अरगल कोडा, जहांनाबाद । | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | बालकुष्ण | बाबूलाल | 26 वर्ष | सानीगढ़वा, जहांनाबाद | 22-6-87 | |
| 28 | कमल किशोर | छेदा लाल | 45 ,, | दारागंज, जहांनाबाद | ,, | |
| 29 | रज्जाक बेग | मुस्तफा | 55 ,, | सानीगढ़वा, जहांनाबाद | ,, | |
| 30 | शिवप्रसाद | अनुमान | 35 ,, | बोहारा घाटमपुर, कानपुर देहात । | ,, | |
| 31 | शरीफ खां | इमदाद खां | 60 ,, | दारागंज, जहांनाबाद | ,, | |
| 32 | जंगबहादुर | दलगंजन सिंह | 40 ,, | ग्राम जमपुरा, जिला भिण्ड । | 23-6-87 | अमौली स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती । |
| 33 | छेददू सिंह | जगदेव सिंह | | मानेपुर गोहरारी, फतेहपुर । | ,, | उपरोक्त |

---

उन व्यक्तियों की सूची जो स्वास्थ्य केन्द्र आने से पूर्व मृत हो चुके थे ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | अशरफी लाल | परसादी | 50 वर्ष | चौक, जहांनाबाद | |
| 35 | मोहन लाल | गंगू | 45 ,, | दुर्गापुर थाना जहांनाबाद । | |
| 36 | राम सजीवन | कालीचरन | 32 ,, | मलाकापुर थाना जहांनाबाद । | |
| 37 | गोपाल | लटूरी | 65 ,, | नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झांसी । | |

कस्बा जहांनाबाद में जहरीली शराब के उपभोग के परिणामस्वरूप पीड़ित ऐसे व्यक्तियों की सूची जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांनाबाद के वाह्य कक्ष में प्राथमिक उपचार के बाद 22/23-6-87 को अवमुक्त कर दिए गए--

| क्रम-सं0 | नाम | उम्र | अवमुक्त का दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | राम आसरे .. .. | 60 | 22-6-87 |
| 2 | मोहम्मद अहमद .. .. | 35 | ,, |
| 3 | मुन्ना .. .. | 35 | ,, |
| 4 | सिया राम .. .. | 30 | ,, |
| 5 | उसमान .. .. | 22 | ,, |
| 6 | महेन्द्र .. .. | 26 | ,, |
| 7 | हमीद .. .. | 48 | ,, |
| 8 | गोपी कृष्ण .. .. | 28 | ,, |
| 9 | दशरथ .. .. | 20 | ,, |
| 10 | मोहम्मद नफीस .. .. | 42 | ,, |
| 11 | रमेश .. .. | 20 | ,, |
| 12 | मोहम्मद इशहाक .. .. | 40 | ,, |
| 13 | राम गोपाल .. .. | 20 | ,, |
| 14 | श्रीमती रामश्री .. .. | 35 | ,, |
| 15 | राम गोपाल .. .. | 31 | 23-6-87 |
| 16 | राम औतार .. .. | 35 | ,, |
| 17 | जयप्रकाश .. .. | 30 | ,, |
| 18 | राम शंकर .. .. | 45 | ,, |
| 19 | जगदीश .. .. | 25 | ,, |
| 20 | सन्तोष .. .. | 20 | ,, |
| 21 | जयकरन .. .. | 30 | ,, |
| 22 | राम सिंह .. .. | 28 | ,, |
| 23 | अली मोहम्मद .. .. | 54 | ,, |
| 24 | इस्माइल .. .. | 20 | ,, |
| 25 | अमान .. .. | 18 | ,, |
| 26 | सुरेश .. .. | 4 | ,, |
| 27 | गजेन्द्र सिंह .. .. | 29 | ,, |
| 28 | बदन सिंह .. .. | 22 | ,, |
| 29 | प्रमोद कुमार .. .. | 25 | ,, |
| 30 | गुलाब सिंह .. .. | 30 | ,, |

संलग्नक संख्या–2

कस्बा जहानाबाद में जहरीली शराब के उपभोग के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों की सूची, जो उर्सला अस्पताल, कानपुर में भर्ती कर इनडोर मरीज के रूप में उपचार किए गए:—

| क्रम सं0 | नाम एवं पिता का नाम | आयु | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्याम सुन्दर पुत्र शिवरतन | 22 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 2 | श्री इब्राहीम पुत्र श्री बशीर | 32 वर्ष | काजी टोला, जहानाबाद । |
| 3 | श्री शफीक पुत्र श्री नजीर | 22 वर्ष | बाकरगंज, जहानाबाद । |
| 4 | श्री बिजय बहादुर पुत्र श्री मिश्रीलाल | 32 वर्ष | दुर्गापुर, जहानाबाद । |
| 5 | श्री इदरीस पुत्र श्री नजीर | 26 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 6 | श्री श्रीकिशन पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद | 28 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 7 | श्री राम सेवक पुत्र श्री अजुध्यी | 40 वर्ष | मोहल्ला दलालन, जहानाबाद । |
| 8 | श्री अब्दुल रहमान उर्फ गोले पुत्र श्री इस्माईल । | 50 वर्ष | काजीटोला, जहानाबाद । |
| 9 | श्री सतीशचन्द्र दुबे पुत्र श्री रामसेवक | 28 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 10 | श्री रामस्वरूप पुत्र श्री मेड़ा सोनी | 28 वर्ष | योजेपुर, जहानाबाद । |
| 11 | श्री नफीस पुत्र श्री सगीर खान | 28 वर्ष | मोहल्ला मिया टोला कोड़ा, जहांनाबाद । |
| 12 | श्री मो0 इस्लाम पुत्र श्री रमजानी | 32 वर्ष | जुम्मन तालाब ऊपर कस्बा, जहानाबाद । |
| 13 | श्री नसीर पुत्र श्री नजीर | 45 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 14 | श्री जरमन खान पुत्र श्री खलील खान | 50 वर्ष | निवासी पठनऊ हाफिजपुर घाटमपुर, जिला कानपुर । |
| 15 | श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री सोनी | 25 वर्ष | नई बाजार चौक, जहानाबाद । |
| 16 | श्री अफजाल पुत्र श्री लियाकत हुसैन | 27 वर्ष | जहानाबाद । |
| 17 | श्री चम्मी लाल पुत्र श्री मनफूल | 25 वर्ष | नि0 सुलपुर, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर |
| 18 | श्री विशम्भर पुत्र श्री बनवारी लाल | 51 वर्ष | हनुमानगंज बजरिया कोड़ा, जहानाबाद । |
| 19 | श्री गोपाल दास वर्मा पुत्र श्री राजा राम । | 37 वर्ष | चौक, जहानाबाद । |
| 20 | श्री नानबाबू पुत्र श्री महावीर | 27 वर्ष | निवासी गढ़ी कोड़ा, जहानाबाद । |
| 21 | श्री डगरू पुत्र श्री दुलीचन्द्र | 25 वर्ष | कोड़ा, जहानाबाद । |
| 22 | श्री बृजराज पुत्र श्री गोपाल | 35 वर्ष | मलवा फतेहपुर—मृतक । |
| 23 | श्री बालचन्द्र | 42 वर्ष | चकबन्दी विभाग, जहानाबाद । |
| 24 | श्री दाताराम पुत्र राम खिलावन | 22 वर्ष | निवासी बोहारा घाटमपुर, कानपुर देहात । |

आउट डोर मरीज के रूप में जांच एवं प्राथमिक उपचार के बाद अवमुक्त पीड़ित व्यक्ति—

| | |
|---|---|
| 25 | श्री गिरधारी लाल |
| 26 | श्री होरीलाल सोनकर |
| 27 | श्री राम गुलाम |
| 28 | श्री विजय नारायण |

29 श्री लल्लू सिंह
30 श्री मनोज कुमार
31 श्री गज्जू
32 श्री श्याम लाल
33 श्री राज किशोर
34 श्री जगदीश नरायण
35 श्री शिवनाथ
36 श्री चेतराम
37 श्री मुन्नी लाल
38 श्री सतीश कुमार
39 श्री पन्ना लाल
40 श्री देव नरायण
41 श्री छोटे लाल
42 श्री धनी राम
43 श्री रमेश
44 श्री प्रेम
45 श्री बाबू लाल
46 श्री फूल चन्द्र

संलग्नक संख्या–3

कस्बा जहानाबाद में जहरीली शराब के उपभोग से पीड़ित उन व्यक्तियों की सूची जिनकी नेत्र ज्योति खराब हो गयी है––

| क्रम-सं0 | नाम व पिता का नाम | पता |
|---|---|---|
| 1 | श्री नसीर पुत्र नजीर | बाकरगंज कोड़ा जहानाबाद । |
| 2 | श्री इस्लाम पुत्र श्री रमजानी | जुम्मन तालाब ऊपर, जहानाबाद । |
| 3 | श्री नान बाबू पुत्र श्री महावीर | मुहल्ला गड़ी कोड़ा, जहानाबाद । |
| 4 | श्री जरमन पुत्र श्री खलील खान | निवासी पठनऊ हफीजपुर घाटमपुर, जिला कानपुर । |
| 5 | श्री दाताराम पुत्र श्री राम खिलावन | निवासी बौहारा, थाना घाटमपुर, कानपुर देहात । |

नोट––उर्सला अस्पताल कानपुर से प्राप्त समाचार के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियों में से क्रमांक 1, 2 एवं 5 की पूरी नेत्र ज्योति चली गयी है। क्रमांक 3 एवं 4 पर अंकित व्यक्तियों की आंखों में धुंधलापन ही शेष रह गया है ।

विधान सभा